बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

उत्कृष्टता और विश्वास की मज़बूत बुनियाद पर प्रगति की ओर

Growth on the Strong Foundation of Quality & Trust

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-2018

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृठ क्र. Page No.
1.	निदेशक मंडल	Board of Directors	2
2.	महाप्रबंधकगण	General Managers	3
3.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन	Statement of Managing Director & CEO	4
4.	प्रगति एक नज़र में	Progress at a glance	7
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	8
	– प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	- Management Discussion and Analysis	8
	– वर्ष 2017-18 का कार्य निष्पादन	- Performance in 2017-18	8
	– बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं	- Important Schemes/Projects of the Bank	20
	– निगमित सामाजिक दायित्व	- Corporate Social Responsibility	22
	– अग्रणी बैंक योजना	- Lead Bank Scheme	22
	– सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	- Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	24
	– राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	- Implementation of Official Language Policy	25
	– निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	- Directors' Responsibility Statement	26
	– निदेशक मंडल में परिवर्तन	- Changes in the Board of Directors	26
	– आभार	- Acknowledgements	27
6.	कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	Corporate Governance Report	28
7.	तुलनपत्र	Balance Sheet	52
8.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	53
9.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	63
10.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	69
11.	नकदी प्रवाह का विवरण	Cash Flow Statement	99
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	101
13.	बेसल III प्रकटन	Basel III Disclosures	103
14.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statements	135
15.	व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	Business Responsibility Report	166

15 वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस संलग्न
NOTICE FOR 15TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

कोठारी एंड कंपनी सनदी लेखाकार	**सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी** सनदी लेखाकार	**पी पारिख एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार	**एम डी गुजराती एंड कंपनी** सनदी लेखाकार
KOTHARI & Co Chartered Accountants	**CMRS & Associates,LLP** Chartered Accountants	**P Parikh & Associates** Chartered Accountants	**M D Gujrati & Co** Chartered Accountants

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

(**प्रधान कार्यालय :** 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(**Head Office:** 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

31-03-2018 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2018

श्री आर. पी. मराठे **Shri R. P. Marathe**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

श्री आर. के. गुप्ता **Shri R. K. Gupta**
कार्यपालक निदेशक Executive Director

श्री ए. सी. राउत **Shri A. C. Rout**
कार्यपालक निदेशक Executive Director

श्रीमती वंदिता कौल
Smt. Vandita Kaul

श्री जी. श्रीकुमार
Shri G. Sreekumar

श्री आर. तामोधरन
Shri R. Thamodharan

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया
Dr. Archana R. Dholakia

श्री दीनदयाल अग्रवाल
Shri Deendayal Agrawal

महाप्रबंधकगण / GENERAL MANAGERS

31-03-2018 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2018

श्री पी. एन. देशपांडे
Shri P. N. Deshpande

श्री राजकिरण भोईर
Shri Rajkiran Bhoir

श्री आर. एच. फडणीस
Shri R. H. Phadnis

श्री टी. वी. रमण मूर्ती
Shri T. V. Raman Murthy

श्री रमेश बी. क्षीरसागर
Shri Ramesh B. Kshirsagar

श्रीमती नलिनी श्रीरामन
Smt. Nalini Shriraman

श्री वसंत म्हस्के
Shri Vasant Mhaske

डॉ. एन. मुनिराजु
Dr. N. Muniraju

श्री एन. राम बाबु
Shri N. Ram Babu

श्री आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri R. P. Marathe
Managing Director & CEO

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपके बैंक की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दो वर्षों के दौरान आस्ति गुणवत्ता के ह्रास, पूंजी बाध्यताएं और जालसाजियों के चलते बैंकिंग उद्योग चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता पर दबाव बढ़ रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुल बैंकों में से आधे बैंकों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत लाया है। इन समस्त चुनौतियों और अभिशासन के मुद्दों ने बैंकिंग क्षेत्र पर आघात किया है। वर्तमान घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आपके बैंक का नेतृत्व करना तथा न केवल भारत सरकार, जिसने इस संस्था के नेतृत्व का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, बल्कि बहुसंख्य ग्राहकों, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निःसंदेह रूप से अपना सहयोग देना जारी रखा है, की अपेक्षाओं को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

दिसंबर, 2017 हेतु चीन के 6.80% की तुलना में 7.20% प्रति वर्ष की तिमाही वृद्धि दर दर्ज करते हुए भारत सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में नजर आ रहा है। 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ भारत अब यूएस, चीन, जापान, जर्मनी और यूके के बाद छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता (पर्चेसिंग पॉवर पैरिटी) के अनुसार हम 9.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। विमुद्रीकरण और जीएसटी के कार्यान्वयन से प्राप्त दोहरे बड़े झटकों से उबरकर अब तेजी से वृद्धि हो रही है और शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह 7.40% की वृद्धि प्राप्त करने हेतु अग्रसर है।

विनिर्माण क्षेत्र वापस ट्रैक पर आ गया है और निजी निवेश में भी वृद्धि के संकेत प्रदर्शित हुए हैं। मुद्रास्फीति भी अपेक्षित सीमा के भीतर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत विश्व बैंक की अपेक्षा के तहत व्यापार अनुकूलता के अनुसार अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 138 से 100वें स्थान पर आ गया है।

सरकार भी भारत की वृद्धि का हिस्सा बनने वाले सभी क्षेत्रों के स्वरूप के साथ इस वृद्धि को समरूप बनाने हेतु हरसंभव कदम उठा रही है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थ तथा भारत की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से उपाय घोषित किए गए हैं। पिछले वर्ष घोषित पूंजी सहयोग कार्यक्रम के साथ बैंकिंग क्षेत्र का भी कार्यक्षम होना

STATEMENT OF MANAGING DIRECTOR & CEO

Dear Shareholders,

I extend a very warm welcome to each one of you to the 15th Annual General Meeting of your Bank. During past couple of years, banking industry is passing through challenging times, with asset quality deterioration, capital constraints and frauds, resulting in pressure on profitability. Half of the Public Sector Banks have been placed under Prompt Corrective Action (PCA) by RBI. All these challenges and the governance issues have dealt a significant blow to the banking sector. In the realm of current happenings, it has been a challenging task to lead your Bank and to come up to the expectations of not only the Government of India which has entrusted me with the responsibility to lead this Institution but also the numerous customers who have undoubtedly continued to support Bank of Maharashtra in these challenging times.

Today, India is seen as the fastest growing economy recording a quarterly growth rate of 7.20% p.a. for December 2017 against China’s 6.80%. At nominal GDP of US $ 2.6 Trillion, India is the sixth largest economy after US, China, Japan, Germany & U.K. In terms of purchasing power parity, we are the third largest economy with GDP of US $ 9.5 Trillion. Bouncing back from the twin mega setbacks received from demonetization and GST implementation; growth is picking up fast and soon poised to attain 7.40% in FY 2018-19.

Manufacturing sector is back on track and private investment is also showing signs of pick-up. Inflation is also within the expected range. In the ease of doing business, India has improved its ranking from 138 to 100, in terms of business friendliness, as perceived by the World Bank.

Government is also taking all steps to make this growth egalitarian in nature with all the sectors becoming part and parcel of India's growth story. A series of measures have been announced by the Government for the benefit of agriculture and rural sectors and for ensuring a healthy India. Banking sector is also expected to be on its feet with the capital support program announced last year. The credit growth which

अपेक्षित है। ऋण वृद्धि जो कि पिछले 61 वर्षों में अपने न्यूनतम स्तर पर थी उसमें वर्धित घरेलू मांग के आधार पर 10% का सुधार होना अपेक्षित है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु आपके बैंक के कार्यनिष्पादन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो हमें विगत 12 माह का विश्लेषण करने और भविष्य की योजनाओं की ओर उन्मुख होने का अवसर प्रदान करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक का कार्यनिष्पादन

सभी संस्थानों ने उतार-चढ़ाव का समय देखा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी कोई अपवाद नहीं है। अनर्जक आस्तियों में वृद्धि की वजह से, उल्लेखनीय रूप से उच्च प्रावधान के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने हानि दर्ज की। मेरा अभिमत है कि प्रतिकूलता सकारात्मक बदलाव लाती है और पुरानी प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर पुनर्विचार करने का एक अवसर भी प्रदान करती है। यह किए जा रहे कार्य के तरीकों पर ध्यान देती है और तेजी से बदलते परिचालन परिदृश्य में त्वरित परिवर्तन लाने हेतु विचार प्रक्रिया को उत्प्रेरित करती है। यह भी निश्चित रूप से, एक प्रमुख कारण है कि वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न नई पहलें आरंभ की गईं।

आपके बैंक को सरकार से पूंजी सहयोग भी प्राप्त हुआ है और सरकार के सुधार कार्यक्रम तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन से इसका शीघ्र ही लाभ की स्थिति में वापस आना अपेक्षित है। वर्तमान चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से बैंक ने अपनी रणनीतियां तैयार की हैं यथा अनर्जक आस्तियों की आक्रमक वसूली, कासा संवर्धन और रिटेल संविभाग के पक्ष में अग्रिमों का पुनर्संतुलन। मुझे आशा है कि सभी के संयुक्त प्रयासों से महाबैंक ग्राहक केन्द्रित लाभप्रद बैंक बनेगा।

आपके बैंक का 1846 शाखाओं का शाखा नेटवर्क है, जिसमें से 1043 शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। बैंक की देश भर में सभी राज्यों में उपस्थिति है। बैंक का 1864 एटीएम का नेटवर्क भी है। बैंक के पास 12932 प्रतिबद्ध और समर्पित कार्य-बल है।

न्यून ऋण उठाव और रिटेल ऋणों पर ध्यान के साथ ही बैंक ने जमाराशि की लागत को बनाए रखा है। कासा जमाराशियों का 47.74% का हिस्सा उद्योग के सर्वोच्च में से एक है। वसूली, कोटि उन्नयन और बट्टे खाते में डालने के माध्यम से अनर्जक आस्तियों में कुल कमी 2016-17 के रु.2316 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में रु.4490 करोड़ हो गई। नकद वसूली वर्ष 2016-17 के रु.876 करोड़ की तुलना में रु.1961 करोड़ हो गई। आपके बैंक ने कॉमन ईक्विटी टीयर 1 पूंजी को पर्याप्त बनाए रखा और कुल सीआरएआर मानदंडों से अधिक रखा। कार्यनिष्पादन की अन्य विशिष्टताएं निम्नानुसार रहीं :

- 31.03.2018 को कुल व्यवसाय रु.233626 करोड़ रहा।
- 31.03.2018 को कुल जमाराशियां रु.138981 करोड़ रहीं और सकल अग्रिम रु.94645 करोड़ रहे।
- कासा जमाराशियों में 6.29% (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) की वृद्धि हुई और 31 मार्च, 2018 को यह रु.66345 करोड़ रही। कासा जमाराशियां कुल जमाराशियों का 47.74% हैं।
- रिटेल अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.78% वृद्धि हुई और 31.03.2018 को यह रु.16547 करोड़ रहे।
- जमाराशियों की लागत विगत वर्ष के 6.05% से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम होकर 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु 5.31% रही। चौथी तिमाही में जमाराशियों की लागत 5.01% रही जो कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 74 बीपीएस की कमी दर्शाती है।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के 2.16% से सुधरकर मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में 2.32% रहा।
- मार्च, 2018 हेतु परिचालनगत लाभ 20% की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए रु.1827 करोड़ से सुधरकर, रु.2191 करोड़ रहा।
- 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए निवल हानि रु.1146 करोड़ रही (31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु रु.1373 करोड़ की निवल हानि के तुलनात्मक)।
- सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः 19.48% (रु.18433 करोड़) और 11.24% (रु.9641 करोड़) रहे।
- बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2018 को 11.00% रहा, जो कि बेसल-III मानदंडों के अनुसार 10.875% के अपेक्षित स्तर से अधिक है। सीइटी 1 अनुपात न्यूनतम अपेक्षित 7.375% की तुलना में 8.97% रहा।

was at its lowest in the past 61 years is expected to improve to 10% based on increased domestic demand.

Let me now place before you some of the key features about your Bank's performance for the year ended 31st March 2018. This is an important occasion, giving us an opportunity to revisit past 12 months and look ahead to our future plans.

Performance of your Bank during 2017-18.

All institutions have had their ups and downs and Bank of Maharashtra is no exception. Bank has registered loss during financial year 2017-18, owing to significantly high provisioning on account of increase in NPAs. My view is that, adversity brings about positive changes and provides an opportunity to have a re-look at age old processes and systems. It questions the way things are being done and catalyses the thought process for bringing about quick changes in the light of fast changing operating environment. This is precisely the reason for various new initiatives which have been introduced during 2017-18.

Your Bank has also received capital support from Government and is expected to be back in profit soon under the guidance of RBI and Government's reform program. In order to overcome present challenges, Bank had embarked upon strategies, i.e. aggressive NPA recovery, augmenting CASA and rebalancing of advances in favour of retail portfolio. I hope with joint efforts of all, Mahabank will become customer focused profitable Bank.

Your Bank has a branch network of 1846 branches of which 1043 branches are located in rural and semi urban areas. Bank has PAN India presence in all states. Bank has also ATM network of 1864. Bank has committed and dedicated work force of 12932.

In keeping with the low credit off take and focus on retail loans, Bank has continued to contain the cost of deposit. The share of CASA deposit at 47.74% is one of the best in the Industry. The total reduction in NPAs by a way of recovery, upgradation, and write off has increased from Rs.2316 Crore in 2016-17 to Rs.4490 Crore in 2017-18. Cash recovery is Rs.1961 crore as compared to Rs.876 crore during 2016-17. Your Bank has maintained adequate common Equity Tier I Capital and total CRAR above norms. Other highlights of performance are as under:

- Total business stood at Rs.233626 crore as on 31.03.2018.
- As on 31.03.2018 total deposits stood at Rs.138981 crore & Gross advances at Rs.94645 crore.
- CASA deposits increased by 6.29% (Y-o-Y), to Rs.66345 crore as on March 31, 2018; constituting 47.74 % of total deposits.
- Retail advances grown by 4.78% Y-o-Y and stood at Rs.16547 crore as on 31.03.2018.
- Cost of deposits has come down on Y-o-Y basis to 5.31% for year ended 31st March 2018 from 6.05% a year ago. Cost of deposits in Q4 was 5.01%, showing a reduction of 74 bps Y-o-Y.
- Net Interest Margin (NIM) improved to 2.32% in year ended March 2018 from 2.16% in year ended March 2017.
- Operating profit for March 2018 stood at Rs.2191 crore, improved from Rs 1827 crore showing a rise of 20%.
- Net loss for the year ended March 31, 2018 was Rs.1146 crore (as compared to net loss of Rs.1373 crore in year ended March 31, 2017).
- Gross NPAs and Net NPAs stood at 19.48% (Rs.18433 crore) and 11.24% (Rs.9641 crore).
- Bank had Capital Adequacy ratio of 11.00% as on 31st March 18, above the required level of 10.875% as per Basel III norms. CET 1 ratio stood at 8.97% as against minimum required 7.375%.

वर्ष के दौरान बैंक ने नई कारोबार पहलें की जो कि निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने किसान उत्पादक संघों (एफपीओज) को वित्तीयन के लिए ऋण गारंटी प्राप्त करने हेतु कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) सोसाइटी के साथ गठजोड़ किया है।
- बैंक ने वेब पोर्टल 'http://www.myloanassocham.com' के माध्यम से एमएसएमई आवेदनों की प्राप्ति के लिए एसोचेम के साथ भागीदारी की है।
- बैंक ने जीवन बीमा व्यवसाय में दो और भागीदारों यथा, मेसर्स अवीवा लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी और मेसर्स रिलायन्स निप्पॉन लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी के साथ गठजोड़ किया है।
- संपूर्ण बैंक में विभिन्न स्थानों पर 400 स्व अद्यतन पासबुक प्रिंटर कियॉस्क और 106 बंच नोट एक्सेप्टर मशीनों का बैंक ने कार्यान्वयन किया है।
- सीबीएस के साथ स्विफ्ट एसटीपी का समन्वय पूर्ण किया और उसे लाइव किया है।
- बैंक ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 9.29 लाख नए पीएमजेडीवाई खाते खोले।
- बैंक भीम आधार पे भुगतान चैनल का सक्रिय रूप से प्रचार कर रहा है और 28104 मर्चेन्ट्स ऑन-बोर्ड हैं।
- बैंक ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यान्वयन किया है जिसका उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा सीधे प्राप्तिकर्ता के बैंक खाते में भुगतान करने हेतु किया जाता है। 31.03.2018 को पीएफएमएस के अंतर्गत बैंक के पास 39395 खाते थे और इन खातों में रु.2641.70 करोड़ कुल शेष था।
- डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) की विशेष परियोजना के अंतर्गत बैंक ने पुणे नगर निगम को 99,764 प्री पेड कार्ड जारी किए ताकि वे अध्ययन सामग्री/यूनिफॉर्म की खरीदी कर सकें। नागपुर नगर निगम के संबंध में 20,000 कार्ड जारी किए गए।
- बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्डों के लिए वीजा के साथ और रुपे डेबिट कार्डों के लिए एनपीसीआई के साथ सहभागिता की है। वर्तमान ग्राहकों को मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्डों के स्थान पर ईवीएम चिप डेबिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं ताकि ग्राहक सुरक्षित संव्यवहार कर सकें।
- एक वेब आधारित पोर्टल के माध्यम से कृषि ऋण राहत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना, 2017 का कार्यान्वयन। बैंक को योजना के कार्यान्वयन के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया।
- बैंक ने स्वप्रेरित गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-विवेकाधीन एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजनाओं यथा 'घर घर दस्तक योजना', 'महामुक्ति' और 'महाबैंक कर्जमुक्ति योजना' का कार्यान्वयन किया है।

भविष्य की ओर

हम वसूली मार्ग पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ नये रुपांतरण चरण की ओर अग्रसर हैं, अतः मुझे विश्वास है कि बैंक वित्तीय वर्ष 2018-19 में कायाकल्प करते हुए रूपांतरित होगा।

मुख्य रूप से हमारा ध्यान अर्जनों और आस्तियों की सुधारित गुणवत्ता के साथ सतत और समावेशी वृद्धि के लिए बैंक को तैयार करना है। व्यक्ति, प्रक्रियाओं, उत्पादों और तकनीक पर रणनीतिक ध्यान हमें वर्तमान चुनौतीपूर्ण स्थिति से उबरने में सहायक होगा और आने वाले वर्षों में वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा।

मैं अपने सभी सम्माननीय शेयरधारकों से उनके सतत सहयोग और संरक्षण की अपेक्षा करता हूं।

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

During the year, your Bank had taken new business initiatives as under:

- Bank has made tie-ups with Small Farmers Agriculture Business Consortium (SFAC) a, society registered under Ministry of Agriculture for availing credit guarantee for financing to Farmer Producer Organizations (FPOs).
- Bank has partnered with ASSOCHAM for sourcing MSME proposals through web portal "https://www.myloanassocham.com"
- Bank has tied up with two more partners in life insurance business i.e. M/s Aviva Life Insurance Company and M/s Reliance Nippon Life Insurance Company.
- Bank has implemented 400 Self Update Pass Book Printer Kiosks & 106 Bunch Note Acceptor Machines at various locations across the Bank.
- SWIFT STP integration with CBS is completed and made live.
- Bank has opened 9.29 lakh new PMJDY accounts during this financial year.
- Bank is actively promoting BHIM Aadhaar Pay payment channel and 28104 Merchants are on-boarded.
- Bank has implemented Public Financial Management System (PFMS) which is used by Government Agencies to make payments directly into the recipients Bank Account. As on 31/03/2018, Bank had 39395 Accounts under PFMS & the Total Balance in these accounts was Rs.2641.70 Crore
- Bank under special project of DBT (Direct Benefit Transfer) had issued 99,764 Prepaid Cards to Pune Municipal Corporation to enable them to make purchases of study materials/ uniforms. In respect of Nagpur Municipal Corporation 20,000 cards were issued.
- Bank has collaborated with VISA for International Debit Cards and with NPCI for Rupay Debit Cards. EMV Chip Debit Cards are being issued to existing customers in place of Magnetic Stripe Cards to enable customers to have secured transactions.
- Implementation of Chatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana 2017 for farm loan waiver through a web based portal. Bank has been awarded SKOCH Award for implementing the scheme.
- Bank has implemented Suo Motu non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement(OTS) Schemes Viz. "Ghar Ghar Dastak Yojana", "MahaMukti" and "Mahabank Karjmukti Yojana.

Way forward

As we embark upon new transformation phase with the Indian economy on the path of recovery, I am confident that Bank will be turned around in the FY 2018-19.

Our main focus is to make the Bank ready for sustainable and inclusive growth with improved quality of assets and earnings. Strategic focus on people, processes, products and technology will help to overcome from present critical situation and provide a strong foundation for growth in years to come.

I look forward to all esteemed shareholders for your continuing support and patronage.

R. P. Marathe
Managing Director & CEO

प्रगति एक नजर में Progress at a Glance

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रदत्त पूंजी Paid up Capital	1427	1063	1168	1168	2598
आरक्षितियां Reserves	5941	7004	7619	6211	7346
कुल जमाराशियां Total Deposits	**116803**	**122119**	**138990**	**139053**	**138981**
वृद्धि % Growth %	23.61	4.55	13.82	0.05	(0.05)
कुल जमाराशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits	35.89	37.09	36.67	44.89	47.74
अग्रिम Advances	**90369**	**101210**	**111240**	**101537**	**94645**
वृद्धि % Growth %	18.29	12.00	9.91	(8.72)	(6.79)
रिटेल अग्रिम Retail Advances	10769	11817	12568	15792	16547
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	**34826**	**39095**	**41485**	**40388**	**40709**
कृषि Agriculture	13091	15521	17175	17960	17199
सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises	**18597**	**20657**	**22144**	**20419**	**15940**
अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections	2265	3264	3037	2921	2887
अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections	1512	1643	1684	1738	2333
निर्यात ऋण Export Credit	1949	1301	1226	1213	1210
कुल आय Total Income	12851	13671	14072	13570	12602
कुल व्यय Total Expenditure	10845	11316	11727	11743	10411
परिचालन लाभ Operating Profit	2006	2355	2345	1827	2191
निवल लाभ Net Profit	386	451	101	(1373)	(1146)
शाखाओं की संख्या Number of Branches	1854	1880	1895	1897	1846
एटीएम की संख्या Number of ATMs	1827	1849	1861	1878	1864
प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)					
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल II(%) Capital Adequacy Ratio- Basel II (%)	10.79	11.94	11.2	11.18	11.00
प्रति शेयर आय Earning Per Share	4.56	4.5	0.91	(11.75)	(8.98)
प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share	66.69	65.61	63.36	46.96	23.73
प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee	14.39	15.74	18.18	18.54	18.07
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs)	2.68	3.18	0.73	(10.58)	(8.86)
औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets	0.3	0.33	0.07	(0.86)	(0.73)
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	54.43	51.75	52.12	60.98	55.24
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio	3.16	6.33	9.34	16.93	19.48
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio	2.03	4.19	6.35	11.76	11.24
प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio	56.15	46.57	45.04	44.48	58.71
ऋण- जमा अनुपात Credit- Deposit ratio	77.37	82.88	80.03	73.02	68.10
एएनबीसी को प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit	44.03	41.76	39.82	34.99	38.63

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1 आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2017-18:

वैश्विक आर्थिक विकास 2016-2017 के मात्र 2.4 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले एक सार्थक तेजी से वर्ष 2017-2018 में, 3.0 प्रतिशत तक और 2011 के बाद से वैश्विक विकास की उच्चतम दर तक पहुंचने का अनुमान है. देशों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम में श्रम बाजार संकेतक में लगातार सुधार हो रहा है.

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और उम्मीद है कि अपने मजबूत लोकतंत्र और साझेदारी से यह अगले 10-15 वर्षों में यह दुनिया की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक हो जाएगा.

2017-18 में भारत के जीडीपी का 6.6 प्रतिशत बढ़ना संभावित है और 2018-19 में 7.40 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है. उच्च एफडीआई को आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के उन्मूलन हेतु कदम उठाए गए हैं और एफडीआई नीति में सुधार किया गया है.

वित्तीय वर्ष के दौरान जीएसटी कार्यान्वयन और विमुद्रीकरण जैसी पहलों के बावजूद भारत के विकास की कहानी सुदृढ़ रही है. भारत सरकार की बैंक पुनर्पूंजीकरण योजना से देश में ऋण वृद्धि 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है.

1.2 2018-19 के लिए आउटलुक

मजबूत गतिविधि और सुदृढ़ वैश्विक मांग के कारण 2018 और 2019 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 0.2 प्रतिशत प्वाइंट उर्ध्वगामी संशोधित कर क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत किया गया है. अल्पकालिक फोकस से स्थानांतरित करने के लिए जो कि संकट का सामना करने, लंबी अवधि की चुनौतियों का सामना करने और विकास के लिए जड़ कर गई बाधाओं को दूर करने के प्रति अनिवार्य हिस्सा है, नीति निर्माताओं हेतु वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार अधिक अवसर प्रदान करता है.

घरेलू मोर्चे पर, आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि लगभग 4.96% मुद्रास्फीति के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 19 में 7.4% और वित्तीय वर्ष 2020 में 7.8% की वृद्धि अपेक्षित है. यह अपेक्षित है कि सुदृढ़ ऋण वृद्धि और खपत मांग के समर्थन से निवेश गतिविध की मजबूती के साथ आर्थिक गतिविधि में तेजी आए. पुनर्मुद्रीकरण और न्यून उधारी लागतों से निजी उपभोग व्यय में बढ़ोत्तरी होने की अपेक्षा है. तथापि, कच्चे मूल्यों में वृद्धि इसमें बाधा डाल सकती है.

यूनियन बजट 2018 यह बिग-टिकट आर्थिक सुधारों यथा वस्तु एवं सेवा कर, ऊर्जस्वी इंधन मूल्यन तथा मेगा पीएसयू बैंक पुनर्पूंजीकरण के उपरांत पहला बजट है. ऑपरेशन ग्रीन का आरंभ, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना, मेक-इन-इंडिया उत्पादों पर ध्यान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना तथा किफायती आवास तथा पूंजी व्यय में बढ़ोत्तरी के संबंध में यूनियन बजट 2018-19 के विभिन्न प्रस्ताव वृद्धि के उत्प्रेरक बनेंगे.

भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड 2016 में संशोधन तथा वित्तीय संकल्प व जमा बीमा बिल के पारित होने से भी बैंकिंग क्षेत्र का लाभान्वित होना अपेक्षित है और फिनटेक कंपनियों द्वारा कृत्रिम मेधा तथा ब्लॉकचेन तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाकर नवोन्मेष किया जा रहा है.

2. कार्य-निष्पादन विशेषताएं 2017-18

उच्च निवल एनपीए के कारण जून 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपके बैंक को प्राम्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के अंतर्गत रखा गया. तत्पश्चात बैंक ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वि.व.17-18 हेतु निगरानी योग्य कार्रवाई योजना तैयार की है.

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2018.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1.1 Economic and Banking Scenario 2017-18:

In 2017-2018, global economic growth is estimated to have reached 3.0 per cent, a significant acceleration compared to growth of just 2.4 per cent in 2016-2017, and the highest rate of global growth recorded since 2011. Labour market indicators continue to improve in a broad spectrum of countries.

India has emerged as the fastest growing major economy in the world as per the Central Statistics Organisation (CSO) and International Monetary Fund (IMF) and it is expected to be one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years, backed by its strong democracy and partnerships.

India's GDP is estimated to have increased 6.6 per cent in 2017-18 and is expected to grow 7.40 per cent in 2018-19. Steps to abolish of Foreign Investment Promotion Board and reforms in FDI policy have been taken to attract higher FDI.

India's growth story remain robust despite disruptions during this financial year like GST Implementation and Demonitization. The bank recapitalization plan by Government of India is expected to push credit growth in the country to 10 per cent.

1.2 Outlook for 2018-19

Global growth forecasts for 2018 and 2019 have been revised upward by 0.2 percentage point to 3.9 percent and 4.0 percent respectively on account of stronger activity and robust global demand. The improvement in global economic conditions offers greater scope for policymakers to shift from a short-term focus that is inevitably part of coping with crises, towards addressing longer-term challenges and eliminating deep-rooted barriers to development.

On the domestic front, IMF has projected Indian economy to grow at 7.4% in FY 19 and 7.8% in FY 2020, with inflation expected to be around 4.96%. Economic activity is expected to accelerate with the strengthening of investment activity, supported by consumption demand and robust credit growth. The private consumption expenditure is expected to receive a boost from remonetisation and lower borrowing costs. Rise in crude prices could however play a spoilsport.

Union Budget 2018 was the first budget after big-ticket economic reforms like the Goods and Services Tax, dynamic fuel pricing and mega PSU bank recapitalization. The various proposals in the Union Budget 2018-19 with regards to launching of Operation Green, doubling farmer's income by 2022, focus on Make-in-India products, boosting the rural economy and affordable housing and increase in capital expenditure will act as a catalyst for growth.

Banking sector is also expected to be benefitted by the amendment in Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and the innovations in the form of massive adoption of Artificial intelligence and Blockchain technology being undertaken by the fintech companies.

2. Performance Highlights 2017-18

Your Bank was placed under Prompt Corrective Action (PCA) by RBI in June 2017, in view of its high net NPA. Bank therefor had prepared or Monitorable Action Plan for FY 17-18 to improve its position.

1. आपके बैंक का कुल व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹ 240590 करोड़ की तुलना में 31.03.2018 को ₹ 233626 करोड़ रहा.
2. कुल जमाराशियां पिछले वर्ष के ₹ 139053 करोड़ की तुलना में ₹ 138981 करोड़ रहीं.
3. औसत जमाराशियां पिछले वर्ष के ₹ 133392 करोड़ की तुलना में 31.03.2018 को ₹ 134294 करोड़ रहीं. पिछले वर्ष की तुलना में 0.68% वृद्धि दर्ज हुई.
4. कासा जमा राशि पिछले वर्ष के आंकड़े ₹ 62419 करोड़ की तुलना में ₹ 66345 करोड़ रही (6.29 % की वृद्धि). कुल कासा का प्रतिशत 47.74 % रहा.
5. बैंक की नीति के परिणामस्वरूप बड़े कॉर्पोरेट अग्रिमों पर निर्भरता के बजाय खुदरा अग्रिमों पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप बैंक की सकल प्रगति ₹ 31.03.2017 के ₹ 101537 करोड़ की तुलना में 31.03.2018 को ₹ 94645 करोड़ रही.
6. पिछले वर्ष ₹ 1827.07 करोड़ की तुलना में 31.03.2018 को आपके बैंक का परिचालनगत लाभ ₹ 2191.42 करोड़ रहा.
7. 31.03.2018 को प्रति शाखा व्यवसाय ₹ 126.56 करोड़ है.
8. 31.03.2018 को प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 18.07 करोड़ है.

2.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

विवरण	31.03.2018 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया से प्रतिशत	31.03.2017 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया से प्रतिशत
उद्योग	44671.77	47.20%	44811.65	44.13%
इसमें से				
i. अवसंरचनात्मक	8927.06	**9.43%**	9931.29	**9.78%**
ii. रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1930.20	**2.04%**	3128.00	**3.08%**
iii. पेट्रोलियम	341.74	**0.36%**	1018.97	**1.00%**
iv. लोहा व स्टील	4699.00	**4.96%**	4975.65	4.90%
v. एनबीएफसी व व्यापार	14182.77	**14.99%**	13784.69	**13.58%**
vi. इंजीनियरिंग	3246.19	**3.43%**	3537.38	**3.48%**
vii. निर्माण	5.04	**0.01%**	119.84	**0.12%**
viii. अन्य उद्योग	11339.77	**11.98%**	8315.83	8.19%
कृषि	15066.63	15.92%	15491.45	15.26%
एमएसएमई	16283.00	17.20%	20419.50	20.11%
आवास	13572.69	14.34%	13595.25	13.39%
शिक्षा	995.25	1.05%	891.05	0.88%
निर्यात	1209.66	1.05%	1212.71	1.19%
वाणिज्यिक भू संपदा	3189.00	3.37%	5115.21	5.04%
सकल अग्रिम	94645.00	146.97%	101536.82	144.13%

2.2 गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

बैंक ने सभी अंचल कार्यालयों में ''आस्ति वसूली कक्षों (एआरसी)'' की **स्थापना की है** ताकि उन्नयन और एनपीए वसूली के लिए ध्यान केंद्रित करने का प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें. बैंक ने अपने अंचल में बारह आस्ति वसूली शाखाएं (एआरबी) भी स्थापित की हैं, जो बड़े एनपीए खाते विशेषकर जहां कानूनी कार्रवाई चल रही है, ताकि बड़े एनपीए पर ध्यान केंद्रीत कर सके.

इरादतन चूककर्ताओं की पहचान, बट्टे खाते में वसूली का बढ़ोत्तरी, डीआरटी/ सरफेसी अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में अलग कक्ष की भी स्थापना की है.

1. Total Business of your Bank stood at ₹ 233626 crore as on 31.03.2018 as compared to ₹ 240590 crore last year.
2. Total deposit stood at ₹ 138981 crore as compared to ₹ 139053 crore last year.
3. Average Deposits stood at ₹ 134294 crore as on 31.03.2018 as compared to ₹ 133392 crore last year, registering a growth of 0.68% over last year.
4. CASA deposit stood at ₹ 66345 crore against last year figure of ₹ 62419 crore (growth of 6.29%). Total CASA percentage stood at 47.74%.
5. Gross advances of the Bank stood at ₹ 94645 crore as on 31.03.2018 in comparison to ₹ 101537 crore as on 31.03.2017 as a result of Bank's policy to focus more on retail advances instead of dependence on big corporate advances.
6. Operating Profit of your Bank reached ₹ 2191.42 crore as on 31.03.2018 as compared to ₹ 1827.07 crore last year.
7. Business per branch is ₹ 126.56 Crore as on 31.03.2018.
8. Business per employee is ₹ 18.07 crore as on 31.03.2018.

2.1 Sectoral Deployment of Credit

Particulars	O/s as on 31.03.2018 ₹ crore	Percentage to total O/s	O/s as on 31.03.2017 ₹ crore	Percentage to total O/s
Industry	44671.77	47.20%	44811.65	44.13%
Of which				
i. Infrastructure	8927.06	**9.43%**	9931.29	**9.78%**
ii. Chemicals, Dyes, Paints etc	1930.20	**2.04%**	3128.00	**3.08%**
iii. Petroleum	341.74	**0.36%**	1018.97	**1.00%**
iv. Iron and Steel	4699.00	**4.96%**	4975.65	4.90%
v. NBFCs and Trading	14182.77	**14.99%**	13784.69	**13.58%**
vi. Engineering	3246.19	**3.43%**	3537.38	**3.48%**
vii. Construction	5.04	**0.01%**	119.84	**0.12%**
viii. Other Industries	11339.77	**11.98%**	8315.83	8.19%
Agriculture	15066.63	15.92%	15491.45	15.26%
MSME	16283.00	17.20%	20419.50	20.11%
Housing	13572.69	14.34%	13595.25	13.39%
Education	995.25	1.05%	891.05	0.88%
Exports	1209.66	1.05%	1212.71	1.19%
Commercial Real estate	3189.00	3.37%	5115.21	5.04%
Gross Advances	94645.00	146.97%	101536.82	144.13%

2.2 Quality and NPA Management

The Bank has set up "Asset Recovery Cells (ARC)"" at all zonal offices to ensure focused efforts for upgradation and NPA recovery. Twelve Asset Recovery Branches (ARBs) have also been set up across the Bank's Zones for large NPA a/cs more particularly where legal actions are in progress so as to make focused follow up.

The Bank has also set up separate Cells at its Head Office for identification of Wilful Defaulters, increasing recovery in Written Off accounts, gearing up the actions under DRT / SARFAESI Acts.

बैंक स्वप्रेरणा से गैर भेदभावपूर्ण और गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजनाओं को लागू कर रहा है. 2017-18 के दौरान बैंक ने ऐसी निम्नलिखित ओटीएस योजनाओं की शुरूआत की है:

1) **''घर घर दस्तक योजना''** (जीजीडीवाई) की शुरूआत ₹ 10 लाख तक के लघु एनपीए उधारकर्ताओं के लिए की गई है.

2) **''महामुक्ति - 2017-18 (ए)''** और **''महामुक्ति - 2017-18 (बी)''** : इन योजनाओं की शुरूआत क्रमशः ₹ 10 लाख से अधिक और ₹ 1 करोड़ तक के बही शेष और ₹ 1 करोड़ से अधिक से ₹ 25 करोड़ तक के बही शेष वाले एनपीए के लिए की गई है.

3) **''महाबैंक कर्जमुक्ति योजना'':** ₹ 25 लाख तक नियमित रूप से बट्टे खाते (आरडब्लूओ) में वसूली के लिए एक ओटीएस योजना है जिसकी शुरूआत पिछले वर्ष की गयी थी और 2017-18 के दौरान इसे जारी रखा गया था.

4) **सीएसएमएसएसवाई-2017:** महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में किसानों के लिए ''छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना 2017'' (सीएसएमएसएसवाई-2017) के नामक ऋण राहत योजना की घोषणा की है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित सीएसएमएसएसवाई-2017 के अंतर्गत बैंक ने विनिर्दिष्ट एनपीए खातों के एकबारगी निपटान के लिए एक योजना की शुरूआत की है.

₹ 1.00 करोड़ से ₹ 10.00 करोड़ तक देय राशि के एनपीए खातों के मामले में '**रिज़ॉल्यूशन एजेंटों**' को चयनित आधार पर नियुक्त किया जाता है ताकि शुरुआती संकल्प हो सके. छोटे एनपीए खातों (₹ 25 लाख तक) में त्वरित वसूली के लिए **वसूली प्रतिनिधि** की सेवाएं जुड़ी हुई हैं.

बैंक ने दौरे, पत्र, नोटिस, वसूली शिविर, लोक अदालतों, सरफेसी / डीआरटी अधिनियम के माध्यम से चूककर्ता उधारकर्ताओं पर गहन अनुवर्ती कार्रवाई की है. बैंक ने दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड - 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत भी विभिन्न बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की है.

भारिबैं के दिनांक 02 अप्रैल 2018 के पत्र डीबीआर क्र. बीपी 8756/21.04.048/2017-18 के अनुसरण में एनसीएलटी खातों में प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को रक्षित अंश के 50% से कम कर 31 मार्च, 2018 को रक्षित अंश का 40% किया गया है। बैंक ने उपलब्ध सुपुर्दगी का विकल्प प्राप्त किया है और तदनुसार प्रावधान किया है। रू. 389.83 करोड़ का शेष प्रावधान भारिबैं के निदेशों के अनुक्रम में दिनांक 30.06.2018 को समाप्त तिमाही में किया जाएगा।

अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है;

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.18 के अनुसार राशि	31.03.17 के अनुसार राशि	प्रतिशत (+/-)
सकल एनपीए	18433	17189	7.24%
सकल अग्रिमों का %	19.48%	16.93%	XXX
निवल एनपीए	9641	11230	(14.14)%
निवल अग्रिमों का %	11.24%	11.76%	XXX
नकदी वसूली	1960.51	876.42	123.70%

2.3 विदेशी मुद्रा कारोबार

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17	प्रतिशत (+/-)
कुल एफईएक्स व्यवसाय टर्नओवर	589806	598503	-1.45%
व्यापारी व्यवसाय टर्नओवर	30687.93	36851.97	-16.72%
एफईएक्स व्यवसाय में लाभ	110.16	101.91	8.10%

Bank has been implementing Suo Motu non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) Schemes. During 2017-18, the Bank introduced following such OTS schemes:

1) **"Ghar Ghar Dastak Yojana"** (GGDY) was introduced for Small NPA borrowers up to ₹ 10 lakhs.

2) **"MahaMukti – 2017-18 (A)"** and **"MahaMukti – 2017-18 (B)":** These schemes were introduced for NPAs having ledger balance above ₹ 10 lakhs up to ₹ 1 crore and ledger balance above ₹ 1 crore up to ₹ 25 crore respectively.

3) **"Mahabank Karjmukti Yojana:** an OTS scheme for recovery in Regular Written Off (RWO) a/cs up to Rs 25 lakhs introduced in previous year was continued during 2017-18.

4) **CSMSSY-2017:** The Government of Maharashtra announced a loan waiver scheme, named as "Chhatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana 2017" (CSMSSY-2017) for farmers in the State of Maharashtra. The Bank introduced a scheme for one time settlement of Specified NPA accounts under CSMSSY - 2017 as proposed by Government of Maharashtra.

Resolution Agents are appointed on selective basis in case of NPA a/cs with dues of ₹ 1.00 crore to ₹ 10.00 crore; so as to have an early resolution. For increasing recovery in smaller NPA accounts (up to ₹ 25 lakhs) the services of **Recovery Agents** are engaged.

Bank has also made intensive follow up with the defaulting borrowers through visits, letters, notices, Recovery Camps, Lok Adalats, actions under SARFAESI / DRT Act. The Bank has also initiated action under the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code 2016 against various large NPA borrowers.

In accordance with RBI letter DBR No. BP 8756/21.04.048/2017-18 dated April 02, 2018, the provisioning requirements in respect of NCLT accounts is reduced from 50% of secured portion to 40% of secured portion as of March 31, 2018. The Bank has availed the option of dispensation available and made provision accordingly. The remaining provision of ₹ 389.83 crore shall be made in the quarter ending 30.06.2018 in line with RBI Directives.

Position of Non-Performing Assets is as under;

(₹ in crore)

Particulars	Amt. as on 31.03.18	Amt. as on 31.03.17	Percentage (+/-)
Gross NPA	18433	17189	7.24%
% to Gross advances	19.48%	16.93%	XXX
Net NPA	9641	11230	(14.14)%
% to Net advances	11.24%	11.76%	XXX
Cash Recovery	1960.51	876.42	123.70%

2.3 Foreign Exchange Business

(₹ in crore)

Particulars	2017-18	2016-17	Percentage (+/-)
Total FEX Business Turnover	589806	598503	-1.45%
Merchant Business Turnover	30687.93	36851.97	-16.72%
Profit in FEX Business	110.16	101.91	8.10%

बैंक के ग्राहकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास देश भर में 35 'बी' श्रेणी की शाखाएं हैं. 'ए' श्रेणी की शाखा के रूप में मुंबई स्थित टीआईबीबी के अतिरिक्त.

2.4 निवेश

एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश में निवेश का ब्रेकअप निम्नानुसार दिया गया है:

- 31.03.2018 को सकल निवेश ₹ 44162.86 करोड़ रहा, जिसमें से ₹ 34469.75 करोड़ एसएलआर प्रतिभूतियां और ₹ 9693.11 करोड़ गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां हैं. 31.03.2018 को अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां ₹ 7085.16 करोड़ रही.
- निवल निवेश (प्रावधानों का निवल) 31.03.2017 के ₹ 38590.18 करोड़ की तुलना में 31.03.2018 को ₹ 43622.80 करोड़ रहा. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 69.82% शामिल है, जबकि विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) 31.03.2018 तक कुल निवेश पोर्टफोलियो का 30.17% शामिल है. निवेश गतिविधि से निवल ब्याज आय में पिछले वर्ष के दौरान ₹ 2829.47 करोड़ से बढ़कर ₹ 2962.41 करोड़ हो गया (4.70% की वृद्धि).
- 31.03.2018 को गैर-निष्पादन निवेश ₹ 738.10 करोड़ रहा.

2.5 व्यापारी बैंकिंग :

बैंक ने वर्ष के दौरान जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए ₹ 36445 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 30170 करोड़) के वाणिज्यिक पत्र के 75 मामलों (पिछले साल 70 मामले) का संचलन किया है.

2.6 उधारियां :

31 मार्च 2018 को बैंक की उधारियां निम्नानुसार पुनःवित्त सहित ₹ 4063.71 करोड़ रही;

क्र.	विवरण	31.03.2018 को राशि	31.03.2017 को राशि	प्रतिशत (+/-)
1.	कुल उधारियां	4063.71	8136.65	(50.06)
2.	सीबीएलओ के अंतर्गत उधारियां	0.00	0.00	
3.	पुनःवित्त से:			
3.1	नाबार्ड	280.00	420.00	(33.33)
3.2	एक्जिम बैंक	67.57	324.25	(79.16)
3.3	भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00
3.4	एनएचबी	185.26	277.89	(33.33)
3.5	मुद्रा	182.53	370.81	(50.78)
3.6	सिडबी	0.00	1500.00	(100.00)
4.	बांड व डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	3300.00	5225.00	(36.84)
5.	भारत के बाहर उधारियां	48.31	18.65	159.00
6.	अन्य	0.05	0.05	0.00

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कॉल विकल्प का उपयोग कर ₹ 1925.00 करोड़ की राशि के लिए बैंक ने बेसल II/बेसल III शिकायत बांडों को पुनःपरिशोधित किया है. बैंक अपनी आस्ति देयता प्रबंधन के हिस्से के रूप में उधारी लेता है.

2.7 निक्षेपी सेवाएं

- बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है.
- बैंक में मूल सेवा डी-मैट खाता सुविधा (बीएसडीए) का शुरूआत भी की है.

Bank has 35 "B" Category branches across the country catering to the International business needs of the customers of the Bank apart from TIBB at Mumbai as "A" category branch.

2.4 Investment

The breakup of Investments into SLR & Non-SLR investments is given below:

- The Gross Investments as on 31.03.2018 stood at Rs 44162.86 crore, of which ₹ 34469.75 crore are SLR securities and ₹ 9693.11 crore are Non-SLR Securities. The excess SLR securities as on 31.03.2018 stood at Rs 7085.16 crore.
- The net investments (net of provisions) stood at ₹ 43622.80 crore as on 31.03.2018 as compared to ₹ 38590.18 crore as on 31.03.2017. Investments under Held to Maturity (HTM) category consist of 69.82%, while Available for Sale (AFS) comprised of 30.17% of total investment portfolio as of 31.03.2018. The net interest income from investment activity increased to ₹ 2962.41 crore from ₹ 2829.47 crore during the last year (growth of 4.70%).
- The Non-Performing Investments stood at ₹ 738.10 crore as on 31.03.2018.

2.5 Merchant Banking:

The Bank handled 75 issues (previous year 70 issues) of Commercial paper amounting to ₹ 36445 crore (previous year ₹ 30170 crore) for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during the year.

2.6 Borrowings:

The borrowing of the Bank as on 31st March 2018 stood at ₹ 4063.71 crore including re-finance as under;

Sr. No.	Particular	Amount as at 31.03.2018	Amount as at 31.03.2017	Percentage (+/-)
1.	Total Borrowing	4063.71	8136.65	(50.06)
2.	Borrowing under CBLO	0.00	0.00	
3.	Refinance from:			
3.1	NABARD	280.00	420.00	(33.33)
3.2	EXIM BANK	67.57	324.25	(79.16)
3.3	RBI	0.00	0.00	0.00
3.4	NHB	185.26	277.89	(33.33)
3.5	MUDRA	182.53	370.81	(50.78)
3.6	SIDBI	0.00	1500.00	(100.00)
4.	Borrowings in the form of Bonds & debentures capital instruments	3300.00	5225.00	(36.84)
5.	Borrowings outside India	48.31	18.65	159.00
6.	Others	0.05	0.05	0.00

During the FY 2017-18, Bank has redeemed Basel II /Basel III Compliant Bonds for an amount of ₹ 1925.00 crore by exercising call option. Bank undertook borrowing as part of its asset liability management.

2.7 Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank has also introduced Basic Services Demat Account Facility (BSDA)

2.8 बैंकएश्योरेन्स

- फरवरी 2018 के माह में बैंकएश्योरेंस के अंतर्गत, बैंक ने मेसर्स फ्यूचर जेनेरली (गैर जीवन बीमा कंपनी) तथा मेसर्स सिग्ना टीटीके (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी) नामक दो नए भागीदारों को जोड़ा है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान हमने जीवन बीमा व्यवसाय में दो अतिरिक्त भागीदारों यथा- मेसर्स अवीवा लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी और मेसर्स रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी को जोड़ा है.
- 31.03.2018 को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय में 1241 शाखाओं ने लॉगइन किया है.
- महास्वास्थ्य योजना के प्रचार हेतु बैंक ने एक पोर्टल का सृजन किया है. टी+3 दिनों में सभी नए तथा नवीकरण मामलों का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है. अब इंटरनेट बैंकिंग सुविधा वाला ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करके तत्काल पॉलिसी जेनरेट कर सकता है. इस वर्ष, 31.03.2018 तक, 67 बैंक शाखाओं को बीमा शाखा घोषित किया गया है.
- वर्ष 2017-18 के दौरान 5221 जीवन बीमा पॉलिसियां एवं 148480 गैर-जीवन पॉलिसियां तैयार की गई.
- बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने जीवन बीमा से ₹ 6.00 करोड़ एवं गैर जीवन बीमा व्यवसाय से ₹ 9.20 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.

2.9 सरकारी कारोबार

- शाखाओं द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 692312 प्रत्यक्ष कर चालान और 97263 अप्रत्यक्ष करों के चालान वसूले गए. हमारी शाखाएं महाराष्ट्र राज्य के जीआरएएस सहित अन्य राज्य सरकारों के करों का भी संग्रहण करती हैं और वर्ष के दौरान कुल 1074402 चालान संग्रहित किए गए. केंद्र/ राज्य सरकार से कर वसूली व्यवसाय पर पिछले वर्ष संग्रहीत ₹ 5.64 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष में ₹ 7.20 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ.
- वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के रूप में, बैंक केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के 110914 से भी अधिक पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है. वर्ष 2017-18 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर ₹ 12.16 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.

2.10 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 13570 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 12602 करोड़ की हो गई.

विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17	अंतर (प्रतिशत)
अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ छूट	7072.71	8469.96	(16.50)%
निवेशों पर आय	2962.41	2829.47	4.70%
अंतर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज	1061.30	762.53	39.18%
कुल ब्याज आय	**11096.42**	**12061.96**	(8.00)%
गैर ब्याज आय	1506.06	1508.07	(0.13)%
कुल आय	**12602.48**	**13570.03**	(7.13)%
जमा पर ब्याज	7133.17	8075.59	(11.67)%
उधारी पर ब्याज	11.49	11.61	(1.03)%
अन्य ब्याज व्यय	562.02	800.07	(29.75)%
कर्मचारी व्यय	1618.06	1807.29	(10.47)%
अन्य प्रचालनगत व्यय	1086.32	1048.40	3.62%

2.8 Bancassurance

- Bank had added two new partners namely M/s Future Generali (Non-Life Insurance Company) and M/s Cigna TTK (Standalone Health Insurance Company) under Bancassurance in the month of Feb.2018. We have added two more partners in life insurance business i.e. M/s Aviva Life Insurance Company and M/s Reliance Nippon Life Insurance Company during FY 2017-18.
- 1241 branches are logged in as of 31.03.2018 for LIC Bancassurance business.
- Bank had created portal for Popularization of Mahaswastya Yojana, all new as well as renewal of cases are done through the portal in T+3 days. Now, the customer having internet banking facility can make the payment online and generate the policy instantaneously. This year, till 31.03.2018, 67 bank branches declared as BIMA Branch.
- During the year 2017-18, 5221 life policies and 148480 Non-Life policies were made.
- The Bank earned a commission of ₹ 6.00 crore from life insurance and ₹ 9.20 crore from non-life insurance business during the year 2017-18.

2.9 Government Business

- During the year 2017-18, 692312 challans of Direct Taxes and 97263 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Our Branches are also collecting other State Govt. taxes including GRAS of Maharashtra State and the total number of Challans collected during the Year is 1074402. Total commission to the tune of ₹ 7.20 Crore was received on Tax collection business from Central/State Government in current year compared to ₹ 5.64 crores collected in previous year.
- As a service to senior citizens, the Bank is processing and crediting monthly pension payments of more than 110914 Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2017-18 is ₹ 12.16 crore.

2.10 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank stood at ₹ 12602 crore in FY 2017-18 as compared to ₹ 13570 crore in FY 2016-17 .

The detailed income/ expenditure components are as under:

(₹ in crore)

Particulars	2017-18	2016-17	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	7072.71	8469.96	(16.50)%
Income on investments	2962.41	2829.47	4.70%
Interest on interbank lending & other Interest	1061.30	762.53	39.18%
Total interest income	**11096.42**	**12061.96**	(8.00)%
Non-interest income	1506.06	1508.07	(0.13)%
Total Income	**12602.48**	**13570.03**	(7.13)%
Interest on deposits	7133.17	8075.59	(11.67)%
Interest on borrowings	11.49	11.61	(1.03)%
Other Interest expenditure	562.02	800.07	(29.75)%
Staff expenses	1618.06	1807.29	(10.47)%
Other Operating expenses	1086.32	1048.40	3.62%

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17	अंतर (प्रतिशत)
कुल गैर-ब्याज व्यय	**2704.38**	**2855.69**	(5.30)%
कुल व्यय	**10411.06**	11742.96	(11.34)%
प्रचालनगत लाभ	2191.42	1827.07	19.94%
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	3337.05	3199.58	4.30%
निवल लाभ	(1145.65)	(1372.51)	(16.53)%

2.11 वित्तीय अनुपात :

विवरण	2017-18	2016-17
ईपीएस (₹)	(8.98)	(11.75)
आय से लागत का अनुपात (प्रतिशत)	55.24	60.98
आस्तियों पर आय(प्रतिशत)	(0.73)	(0.86)
इक्विटी पर आय (प्रतिशत)	(42.43)	(24.92)
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	23.73	46.96
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	(62.06)	(72.35)
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	(8.86)	(10.58)
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	126.56	126.83
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	18.07	18.54
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.03	7.55
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याजी आय	0.95	0.94
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)	2.32	2.16
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.39	1.14
औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च	1.03	1.13
नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	6159.92	5486.47
सीआरएआर(%) (बेसल II)	11.00	11.18
जिसमें से, टियर - I सीआरएआर (%) (बेसल II)	9.01	9.01

2.12 भारत सरकार से पूंजी

भारत सरकार ने कुल अतिरिक्त पूंजी ₹ 3173 करोड़ को दो हिस्सों में 29.12.2017 को ₹ 650 करोड़ और 27.03.2018 को ₹ 2523 करोड़ में लगाया है.

2.13 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ 31.03.2017 के ₹ 5486.47 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को ₹ 6159.92 करोड़ हो गया.

2.14 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल-।।। मानदंडों के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम निर्धारित 10.875 % (सीसीबी सहित) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में 31.03.2018 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.003 % रहा. सामान्य इक्विटी टीअर-1 8.974 रहा.

2.15 लाभांश : बैंक को हानि होने के कारण आपके निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कोई भी लाभांश की सिफारिश नहीं की.

(₹ in crore)

Particulars	2017-18	2016-17	Variation (per cent)
Total Non-interest expenses	**2704.38**	**2855.69**	(5.30)%
Total Expenses	**10411.06**	11742.96	(11.34)%
Operating Profit	2191.42	1827.07	19.94%
Provisions and Contingencies	3337.05	3199.58	4.30%
Net Profit	(1145.65)	(1372.51)	(16.53)%

2.11 Financial Ratios

Particulars	2017-18	2016-17
EPS (₹)	(8.98)	(11.75)
Cost to Income Ratio (percent)	55.24	60.98
Return on assets (percent)	(0.73)	(0.86)
Return on equity (per cent)	(42.43)	(24.92)
Book value per share (₹)	23.73	46.96
Profit per Branch (₹ in lakh)	(62.06)	(72.35)
Profit per employee (₹ in lakh)	(8.86)	(10.58)
Business per Branch (₹ in crore)	126.56	126.83
Business per employee (₹ in crore)	18.07	18.54
Interest income as per cent to Average working funds	7.03	7.55
Non-Interest income as per cent to average working funds	0.95	0.94
Net Interest Margin (per cent)	2.32	2.16
Operating Profit as per cent to average working Funds	1.39	1.14
Staff expenses as a percent to average working funds	1.03	1.13
Net worth (₹ Crore)	6159.92	5486.47
CRAR (%) (Basel II)	11.00	11.18
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel II)	9.01	9.01

2.12 Capital from Government of India

The Government of India has infused total additional capital of ₹ 3173 crore in two tranches; ₹ 650 crore on 29.12.2017 and ₹ 2523 crore on 27.03.2018.

2.13 Networth

The Bank's Net Worth increased from ₹ 5486.47 crore as on 31.03.2017 to ₹ 6159.92 crore as on 31.03.2018.

2.14 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 11.003 % as on 31.03.2018, against the minimum of 10.875 % (including CCB) prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 Ratio stood at 8.974 %.

2.15 Dividend : Your Board do not propose any dividend for the FY 2017-18, as the Bank has incurred loss.

3. संसाधन : शाखा नेटवर्क, मानव संसाधन, आईटी आधारिक संरचना, ग्राहक अनुक्रियाशीलता और अन्य

3.1 शाखा/ एटीएम नेटवर्क

दिनांक 31.03.2018 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1846 शाखाएं थीं जो सभी राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों में फैली हुई है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, एमएसएमई, उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान इत्यादि विशेषीकृत शाखाएं शामिल हैं.

दिनांक 31.03.2018 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र.	वर्गीकरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
1	ग्रामीण	616	618
2	अर्ध-शहरी	427	434
3	शहरी	329	343
4	महानगरीय	474	502
	कुल	1846	1897

परिचालन लाभ में कमी करने के लिए बैंक के प्रयास के रूप में, बैंक ने ग्राहकों को असुविधा न होना सुनिश्चित करते वर्ष के दौरान हुए एक-दूसरे से निकट की 51 शाखाओं का विलय किया है.

एटीएम नेटवर्क

	31.03.2018	31.03.2017
ऑफसाइट	559	587
ऑनसाइट	1305	1291
कुल	1864	1878

3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक ने व्यापक एचआरएम नीति लागू की है जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/ तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार, कैरियर निर्माण, कल्याण के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है.

भर्ती : वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने निम्नानुसार कर्मचारियों की भर्ती की :

वेतनमान श्रेणी I में 333 अधिकारी, वेतनमान श्रेणी II में 6 सुरक्षा अधिकारी, वेतनमान श्रेणी II में 22 सनदी लेखाकार, वेतनमान श्रेणी II में 3 प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान श्रेणी III में 7 प्रशासनिक अधिकारी और जोखिम प्रबंधन विभाग में वेतनमान श्रेणी IV में 1 अधिकारी। बैंक ने 388 लिपिकों तथा 13 अधीनस्थ कर्मचारियों की भी भर्ती की.

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा से हटाने एवं मृत्यु के कारण 930 कर्मचारी सेवा में नहीं रहे।

2017-18 के दौरान अधिकारियों के लिए अंतर्वेतनमान पदोन्नति प्रक्रिया आयोजित की गई. उम्मीदवारों को निम्नानुसार पदोन्नति दी गई :

कप्रवेश्रे-I से मप्रवेश्रे- II	मप्रवेश्रे- II से मप्रवेश्रे- III	मप्रवेश्रे- III से वप्रवेश्रे- IV	वप्रवेश्रे- IV से वप्रवेश्रे-V	वप्रवेश्रे-V से वप्रवेश्रे- VI	वप्रवेश्रे- VI से उकावेश्रे- VII
324	136	53	38	13	5

वर्ष 2017-18 के दौरान 89 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में पदोन्नति दी गई और 55 अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी को अधीनस्थ कर्मचारी किया गया, 196 लिपिकों को वेतनमान श्रेणी I अधिकारी में पदोन्नति दी गई.

31.03.2018 के अनुसार लिंग अनुपात सहित संवर्गवार कार्मिक स्थिति निम्नानुसार है :

3. Resources: Branch network, Human Resources, IT infrastructure, customers responsiveness and others

3 .1 Branch/ATM Network:

As on 31.03.2018, the total branch network comprised of 1846 branches spread across all the States and 4 union territories. The branch network includes specialized branches in the area of Foreign Exchange, Government business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, MSME and Hi-tech Agriculture, Pension Payment etc.

Area wise classification of branches as on 31.03.2018 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
1	Rural	616	618
2	Semi-Urban	427	434
3	Urban	329	343
4	Metro	474	502
	Total	1846	1897

As part of Bank's endeavor to curtail its operating expenses, Bank has merged 51 branches during the year, which were in close vicinity of each other, ensuring that no discomfort was caused to the customers.

ATM NETWORK

	31.03.2018	31.03.2017
Offsite	559	587
Onsite	1305	1291
Total	1864	1878

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

Recruitment: During the year 2017-18 the Bank has recruited employees as under:

333 Officers in Scale I, 6 Security Officers in Scale II, 22 Chartered Accountants in Scale II, 3 Officers-Admin in Scale II, 7 Officers-Admin in Scale III & 1 Scale IV officer in Risk Management Dept. The Bank has also recruited 388 Clerks & 13 Sub-staff.

During the year, 930 employees ceased to be in service on account of retirement, VRS, resignation, termination and death.

Inter scale promotions of officers were carried out during 2017-18. Following number of candidates were promoted.

JMGS-I TO MMGS-II	MMGS-II to MMGS III	MMGS-III TO SMGS-IV	SMGS-IV TO SMGS-V	SMGS-V TO SMGS-VI	SMGS-VI TO TEGS-VII
324	136	53	38	13	5

During the year 2017-18, 89 Substaff were promoted to Clerical cadre and 55 Part Time Sub-staff employees were absorbed in Sub-staff cadre, 196 Clerks were promoted to Scale I Officer.

Cadre wise staff position as of 31.3.2018 with sex ratio is as under:

श्रेणी	पुरुष	%	महिला	%	कुल
अधिकारी	4751	72.89	1767	27.11	**6518**
लिपिक	2986	64.37	1653	35.63	**4639**
अधीनस्थ कर्मचारी	1586	89.35	189	10.65	**1775**
कुल	**9323**	72.09	**3609**	27.91	**12932**

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों को अग्रिमों के संवितरण एवं वसूली में सर्वोच्च तीन शाखाओं को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से चल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया.

बैंक के औद्योगिक संबंध अच्छे हैं.

बैंक भारत सरकारी की आरक्षण नीति का अनुपालन करता है. आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग सार्वजनिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं. बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य संपर्क अधिकारी को नामित किया है तथा अंचल कार्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्ष की स्थापना की गई है. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक संरक्षणों एवं साथ ही व्यवसाय वृद्धि में सहभागिता के संबंध में चर्चा हेतु वर्ष के दौरान एससी/ एसटी/ ओबीसी कर्मचारी संगठन के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन किया गया.

अनुकंपा नियुक्तियां - भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए अक्षमता के कारण दोहन या निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के 'अनुकंपा नियुक्तियों'/ एक्स ग्रेशिया एकमुश्त रकम का भुगतान कि योजना को कार्यान्वित किया गया. अनुकंपा नियुक्तियों का विवरण और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पूर्व-अनुदान एकमुश्त राशि का भुगतान निम्नानुसार है:

अनुकंपा नियुक्तियां		पूर्व-अनुदार का भुगतान	
संवर्ग	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	प्रदत्त राशि
लिपिक	9	–	–
अधीनस्थ कर्मचारी	12	3	₹ 15.15 लाख

अंशदायी समूह बीमा मेडिक्लेम पॉलिसी यह पॉलिसी सभी कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है जिसका नवीनीकरण 01.04.2018 से किया गया है तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए बीमा की रकम बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख की गई.

कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या	प्रीमियम भुगतान
विद्यमान	718	100.38 लाख
सेवानिवृत्त	1661	229.25 लाख
कुल	2379	329.63 लाख

भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के पाठ्यक्रमों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से एमबीए एवं सीएफए के पाठ्यक्रमों के संबंध में **परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति** तथा नकद प्रोत्साहन/ मानदेय का भुगतान किया जाता था जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों की सूची में तीन अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है जिनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी. इसके साथ अब परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 27 पाठ्यक्रमों को पात्र घोषित किया गया है.

किसी स्थान पर **ड्यूटी के दौरान** अधिकारी की दुर्घटना/ जख्मी होने पर **अस्पतालीकरण व्ययों की** 100% प्रतिपूर्ति के साथ उसे विशेष छुट्टी प्रदान करने की नीति तैयार की गई है.

प्रशिक्षण गतिविधियां :

वर्तमान एवं उभरते हुए व्यावसायिक अवसरों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कौशल के अभाव के नियमित आवधिक निर्धारण की ओर ध्यान दिलाने हेतु बैंक के पास एक प्रशिक्षण प्रणाली उपलब्ध है. वर्ष के दौरान ऋण में कौशल निर्माण, विदेश विनिमय, ग्राहक संबंध प्रबंधन, विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी एवं वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, कानूनी एवं नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन तथा प्रतिरोधक सतर्कता के संबंध में विशेष ध्यान दिया गया.

Category	Male	%	Female	%	Total
Officers	4751	72.89	1767	27.11	**6518**
Clerks	2986	64.37	1653	35.63	**4639**
Sub-staff	1586	89.35	189	10.65	**1775**
Total	**9323**	72.09	**3609**	27.91	**12932**

The top three branches in disbursement and recovery of advances to SC/ST community were awarded Rolling Trophy in name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar.

The Bank has healthy industrial relations.

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at all Zonal Offices. During the year periodical meetings were held with SC/ST/OBC Employees Association to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safe guards and also to facilitate involvement in business growth.

Compassionate Appointments - A Scheme for 'Compassionate Appointments' / Payment of Ex-gratia lump-sum amount to / of heirs of employees dying in harness or retiring due to incapacitation framed as per the directives of Government of India, has been implemented. The details of compassionate appointments and payment of Ex-gratia lump-sum amount for the FY 2017-18 is as under:

Compassionate Appointments		Payment of Exgratia	
Cadre	No.of employees	No.of employees	Amount paid
Clerk	9	–	–
Substaff	12	3	₹ 15.15 Lacs

The **Contributory Group Insurance Mediclaim Policy** for all employees including retired employees, has been renewed w.e.f. 1.4.2018 and the Sum insured is upto ₹ 10.00 Lacs for existing employees. The details of renewal of policy are as under:

Employees	No.of Employees	Premium paid
Existing	718	100.38 Lacs
Retired	1661	229.25 Lacs
Total	2379	329.63 Lacs

The **reimbursement of examination fees** & payment of cash incentive / Honorarium in respect of courses from Indian Institute of Banking & Finance, MBA from reputed Institutions & CFA has been widened by adding courses in the list of courses for reimbursement of fees thereby making total 27 courses eligible for reimbursement of examination fees.

A policy for granting special leave and **100% reimbursement of hospitalization expenses** to officers when he/she meets with an accident / injury **while on duty** is in place.

Training Activities:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, Forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year.

एमएसएमई को वित्तपोषण, खुदरा उधारी, कृषि वित्त, सॉफ्ट कौशल एवं ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

01.04.2017 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का संवर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

संवर्ग	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के कुल दिन	प्रशिक्षित कर्मचारी
अधिकारी	174	677	4852
लिपिक	74	242	1637
अधीनस्थ कर्मचारी	35	81	810
कुल	**283**	**1000**	**7299**

3.3 प्रौद्योगिकी पहलें

वर्ष 2017-18 बैंक के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन का वर्ष रहा। 2017-2018 के दौरान बैंक की विभिन्न प्रमुख आईटी परियोजनाएं शुरू की गई और सफलतापूर्वक आरंभ/ उन्नत की गई, जो निम्नानुसार सूचीबद्ध की गई है:

1. बैंक में विभिन्न स्थलों पर बैंक ने 400 स्व-अद्यतन पासबुक प्रिंटर कियोस्क और 106 थोक नोट स्वीकरण मशीनों का कार्यान्वयन किया. इसे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति/ संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए जारी रखा जाएगा.
2. सीबीएस करार को 01.10.2017 से 30.09.2022 तक 5 वर्षों के लिए नवीकृत किया गया जिसमें संशोधित सीबीएस फ्रंट एंड और अतिरिक्त घटक यथा ऑटोमेटेड टेस्टिंग, बैच जॉब ऑटोमेशन, स्टाफ के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, राजस्व रिसाव निगरानी आदि शामिल है.
3. बैंक ने अपनी वर्तमान लीज्ड लाइन की बैंडविड्थ को 2 एमबीपीएस तक उन्नत करने के लिए बीएसएनएल से गठबंधन किया है. 31.03.2018 को 1329 लीज्ड लाइन की बैंडविड्थ को 2 एमबीपीएस तक उन्नत किया गया है.
4. बैंक भीम आधार पे भुगतान चैनल का सक्रिय रूप से प्रचार कर रहा है और 31.03.2018 को 28104 मर्चेन्ट्स ऑन-बोर्ड हैं.
5. केन्द्रीकृत ई-निगरानी प्रणाली 240 अन्य एटीएम पर लागू की गई है जिससे ऐसे एटीएम की कुल संख्या 460 हो गई है, जिन्हें इस प्रणाली के तहत कवर किया जा रहा है; जो एटीएम और ग्राहकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करते हैं.
6. भारतीय रिजर्व बैंक टाइमलाइन के अनुसार, सीबीएस सिस्टम के साथ स्विफ्ट का एकीकरण किया गया है.
7. डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) की विशिष्ट परियोजना के अंतर्गत बैंक द्वारा अप्रैल-जून 2017 तिमाही के दौरान विद्यार्थियों में वितरण हेतु पुणे महानगर पालिका के लिए 99,764 प्रिपेड कार्ड जारी किए गए जिसमें से 94,510 कार्ड सक्रिय किए गए हैं. नागपुर महानगर पालिका के संबंध में, 20,000 कार्ड जारी किए गए थे जिसमें से 11,168 कार्ड सक्रिय किए गए हैं.
8. बैंक ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) लागू की है जिसका उपयोग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है. 31.03.2018 के अनुसार, पीएफएमएस के अंतर्गत बैंक के पास 39395 खाते थे.
9. जुलाई 2017 के दौरान बैंक ने अपने 4 सूचना प्रौद्योगिकी प्रभागों के लिए आईएसओ 27001:2013 पुनर्प्रमाणन हासिल किया है, इसके साथ हमारे बैंक में गुणवत्ता आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) जारी है.

अंतरर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड के लिए बैंक ने वीजा के साथ और रुपे डेबिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के साथ गठजोड़ किया है. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार विद्यमान ग्राहकों को मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के स्थान पर ईएमवी चिप डेबिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं. 31.03.2018 को बैंक ने कुल 69.44 लाख डेबिट कार्ड जारी किए हैं जिसमें 25.40 लाख ईएमवी कार्ड शामिल हैं. अब बैंक की किसी भी शाखा से ईवीएम कार्ड प्राप्त किए जा सकते हैं.

इंटरनेट बैंकिंग प्लैटफॉर्म से विभिन्न सुविधाएं यथा करों के ऑनलाईन भुगतान, उपयोगिता बिल भुगतानों, ऑनलाईन शॉपिंग / ई-कॉमर्स, रेलवे आरक्षण, एलआईसी प्रीमियम भुगतान, ई-एसबीटीआर इत्यादि तथा बैंक में टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट 26एएस एवं डीमैट खाता अवलोकन की सुविधा प्रदान की गई है.

Training programs were also held on thrust areas like financing MSMEs, retail lending, agriculture finance, soft skills and rural development.

Cadre-wise Break up of Employees trained during the period 01.04.2017 to 31.03.2018 are as under-

Cadre	No. of Programmes	Training Days	Employees Trained
Officers	174	677	4852
Clerks	74	242	1637
S/staff	35	81	810
Total	**283**	**1000**	**7299**

3.3 Technology Initiatives

The Year 2017-2018 was a Technology Upscaling year for the Bank. The Bank had taken up & successfully initiated / upscaled various Major IT Projects during 2017-18 which are enumerated as under:

1. Bank has implemented 400 Self Update Pass Book Printer Kiosks & 106 Bunch Note Acceptor Machines at various locations across the Bank. The same shall be continued to ensure fulfilment of customer requirements/satisfaction.
2. CBS Contract has been renewed for a period of 5 years from 01/10/2017 to 30/09/2022 with revamped CBS Front-end and additional components viz. Automated Testing, Batch Job Automation, On-line Training for staffs, Revenue Leakage Monitoring etc.
3. Bank has tied up with BSNL for upgrading the Bandwidth of the existing Leased Lines to 2 Mbps. As on 31/03/2018, Bandwidth of 1329 leased lines is upgraded to 2 Mbps.
4. Bank is actively promoting BHIM Aadhaar Pay payment channel and 28104 Merchants are on-boarded as on 31/03/2018.
5. Centralized e-Surveillance system is implemented at 240 more ATMs taking the total count to 460 ATMs being covered under this system; ensuring safety and security of ATMs & Customers.
6. Integration of SWIFT with CBS System has been done as per RBI Timeline.
7. Bank under special project of DBT (Direct Benefit Transfer) had issued 99,764 Prepaid Cards to Pune Municipal Corporation during Apr-June 2017 Quarter for distribution to students of which 94,510 cards are activated. In respect of Nagpur Municipal Corporation 20,000 cards were issued of which 11,168 cards are activated.
8. Bank has implemented Public Financial Management System (PFMS) which is used by Government Agencies to make payments directly into the recipients Bank Accounts. As on 31/03/2018, Bank had 39395 Accounts under PFMS.
9. ISO 27001:2013 Re-Certification is achieved by the Bank during July 2017, for its 4 IT Divisions, thereby continuing the Quality ISMS (Information Security Management System) in our Bank.

Bank has collaborated with VISA for International Debit Cards and with NPCI for Rupay Debit Cards. EMV Chip Debit Cards are being issued to existing customers in place of Magnetic Stripe Cards as per RBI directives. As on 31/03/2018, 69.44 Lakh Debit Cards were issued, of which 25.40 Lakh are EMV Cards. Customers can now obtain EMV Cards from any Branch of the Bank.

Various facilities are being provided through our Internet Banking platform for facilitating online payment of taxes, utility bill payments, online shopping / e-commerce, railway reservation, LIC premium payment, e-SBTR etc and facility for viewing tax credit statement 26AS and Demat account with the Bank.

बैंक के पास सशक्त सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ढांचा उपलब्ध है. बैंक ने गोपालकृष्ण समिति द्वारा आंतरिक एवं बाह्य ग्राहकों की सुरक्षा पहलों संबंधी अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया है.

बैंक के पास एक सशक्त सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) उपलब्ध है जो कि महत्वपूर्ण आईटी संरचना पर 24x7 आधार पर निगरानी रखता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, इसे दिनांक 31/05/2018 तक साइबर सुरक्षा परिचालन केन्द्र (सीएसओसी) के रूप में पुनर्प्रवर्तन किया जा रहा है.

केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष - देयताएं (सीपीसी-एल), सितंबर 2014 से कार्यरत है तथा अब बैंक की सभी शाखाएं सीपीसी-एल से जुड़ी हुई हैं.

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक उन्मुख पहल

बैंक ने गोईपोरिया समिति, डॉ. एस. एस. तारापोर समिति एवं दामोदरन समिति की सभी बड़ी सिफारिशों का कार्यान्वयन करते हुए ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को अपनाया है ताकि संपूर्ण वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष सुनिश्चित किया जा सके.

भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहक एवं एमएसएमई के प्रति बैंक संहिता की वचनबद्धता को अपनाया है.

बैंक ने 'माई फोल्डर' नामक एक फोल्डर मुद्रित किया है जिसके अंतर्गत ग्राहक सेवा की सभी नीतियों, सेवा प्रभारों पर जानकारी, सरकार के योजनाबद्ध ऋणों पर दिशानिर्देश, ओम्बडसमन एवं बीसीएसबीआई संहिता का समावेश है. इसका मुद्रण मराठी, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में करके सभी शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों को इसकी आपूर्ति की गई है तथा मांग करने पर ये सभी ग्राहकों को उपलब्ध किया जाता है.

'जमा', 'चेकों की वसूली', 'शिकायतों का निपटान', 'मुआवजा', 'मृतक जमाकर्ताओं के निपटान संबंधी प्रचालनगत कार्यविधि', एवं ग्राहक अधिकार नीति पर विधिवत दस्तावेजीकृत नीतियों का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है.

ग्राहक सेवा समितियों का सभी शाखाओं में गठन किया गया है तथा इनकी बैठकें मासिक आधार पर नियमित आयोजित की जाती हैं. प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति एवं अंचल कार्यालय में अंचल स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां नियमित रूप से बैठक का आयोजन करके ग्राहक से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करती है तथा लगातार ग्राहक सेवा में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाती है.

ग्राहक सेवा पर निदेशक मंडल की समिति तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करके ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक की शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखती है एवं ग्राहक संतोष सुनिश्चित करती है.

ग्राहक शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने हेतु एक पूर्ण संगठित शिकायत तंत्र का गठन किया गया हैं. भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने शिकायतें दाखिल करने अथवा ग्राहकों द्वारा सेवाओं पर सुझाव / प्रतिसूचना प्रदान करने तथा उनकी प्रतिसूचनाओं / शिकायतों की पावती प्रदान करने हेतु इन्टरनेट आधारित तंत्र, **मानकीकृत जन शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएसएस)** का आरंभ किया है.

क्र.	विवरण	2017-18	2016-17
1	वर्ष के आरंभ में ग्राहक शिकायतें	54	73
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	8348	3246
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	8014	3265
4	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतें	388	54

3.5 अपने ग्राहकों को जानिए (केवायसी) / धन शोधन निवारण प्रणाली

अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों/ धन शोधन निवारक (एएमएल) मानकों/ आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धताएं.

Bank has robust Information Security Management System (ISMS) framework in place. Bank has also implemented major security initiatives recommended by Gopalakrishna Committee for internal and external customers.

Bank has in place a captive Security Operations Centre (SOC) for monitoring Critical IT Infrastructure on 24 x 7 basis. As per RBI Directives, the same is being revamped to Cyber Security Operations Center (CSOC), by 31/05/2018.

Centralized Processing Cell – Liabilities (CPC-L), is functioning since September 2014 & all branches of the Bank are now linked to CPC-L.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year by implementing all major recommendations of Goiporia Committee, Dr. S.S. Tarapore Committee and Damodaran Committee.

As a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Customers and Bank's Code of Commitment to MSMEs.

Bank has printed folder called as “My Folder” containing all customer service policies, information on service charges, guidelines on Government Schematic Loans, Ombudsman and BCSBI Codes. The same is printed in Marathi, Hindi and English and supplied to all branches and Zones for making the same available to all customers on demand.

Duly documented policies approved by the Board, on “Deposit”, “Collection of Cheques”, “Redressal of Grievances”, “Compensation” , “Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors” and Customer Rights Policy are in place.

Customer Service Committees are formed at all branches and their meetings are conducted regularly on monthly basis. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at Zones, meet regularly to address and review various customer related matters and to take steps, for an improvement, on an ongoing basis.

The Committee of the Board on Customer Service meets on quarterly basis to monitor the quality of customer service, redressal of customer grievances and to ensure customers satisfaction.

Full-fledged grievances Redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. The Bank has started internet based mechanism, **Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS)** for lodging the complaints or to give suggestions / feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback / complaints as per the directions of Government of India.

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
1	Customer complaints at the beginning of the year	54	73
2	Complaints received during the year	8348	3246
3	Complaints redressed during the year	8014	3265
4	Complaints pending at the end of the year	388	54

3.5 KYC/ AML

Know Your Customer (KYC) norms / Anti Money Laundering (AML) standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) and Obligation of Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002.

बैंक की निदेशक मंडल से अनुमोदित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीति हैं. इन नीतियों के आधार पर बैंक केवायसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है. केवायसी अनुपालन में ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है. इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं.

ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाईट पर केवायसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई है. कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां और रणनीतियां लागू की हैं जो जोखिम को प्रभावी रूप से अभिनिर्धारित करने, उसके मापन, निगरानी और प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है और बैंक की समग्र जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं. बैंक ने निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक स्तर पर जोखिम की निगरानी करती है. बैंक के शीर्ष प्रबंधन द्वारा अध्यक्षतावाली उप समितियों का भी बैंक द्वारा गठन किया गया है.

बेसल III पूंजी विनियामकों के अधीन प्रकटन आवश्यकताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

3.7 ब्रांड इमेज

हमारे बैंक की ब्रांड इमेज विकसित करने के दृष्टिकोण से आपके बैंक ने निगमित सामाजिक दायित्वों के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों के प्रचार किया है, इसकी विपणन व प्रचार नीति है और स्वतंत्र वर्टिकल है.

बैंक ने अपने निगमित सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), निगडी ग्राम में पानी की टंकी के निर्माण हेतु रोटरी क्लब, निगडी, वॉटर कूलरों के लिए बालेवाडी स्टेडियम, बाहुबली चिल्ड्रेन अस्पताल, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के 'श्रुतकेवली एज्यूकेशन ट्रस्ट' तथा शिक्षा, अवसंरचना, रोजगार, भोजन इत्यादि जैसे मुद्दों पर कार्य करने वाले विख्यात एनजीओ नाम फाउंडेशन को दान (डोनेशन) दिए गए.

3.8 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. नागरिक अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साईट पर प्रदर्शित किया गया है. शाखाओं की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निम्नानुसार है -

- देश के सभी भागों में बैंक की सभी शाखाओं को जन सामान्य को अधिक सक्रिय रूप से और जोर-शोर से निम्नलिखित ग्राहक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए;
- सभी मूल्य वर्ग के नए/ बेहतर गुणवत्ता वाले नोटों व सिक्कों की मांग की पूर्ति करना;
- कटे-फटे नोटों को बदलना;
- या तो संव्यवहार या विनिमय के लिए सिक्के व नोट स्वीकार करना;
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार.

4. सामाजिक/ सूक्ष्म आर्थिक विकास

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधारी

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए.

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत 31 मार्च 2018 को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कुल बकाया अग्रिम (निवेश सहित) ₹ 40709 करोड़ थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 38.63% रहे.

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based. The KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments to sensitize the employees.

3.6 Risk Management

The Bank has put in place Risk Management Policies and Strategies to identify, measure, monitor and manage risk efficiently and establish control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor the risk at Bank level in accordance with RBI Guidelines. Bank has also constituted sub-committees headed by Top Management of Bank.

The Bank is Compliant to the RBI guidelines on disclosure requirements under Basel III Capital Regulations.

3.7 Brand Image:

Our Bank with a view to develop Brand Image of Bank, publicizes Bank's various products coupled with Corporate Social Responsibilities.

Bank has extended Donations under its Corporate Social Responsibilities to National Sports Development Fund (NSDF), Rotary Club Nigdi for the construction of water Tank in Nigade Village, Balewadi Stadium for providing Water Coolers, "Shrutakevali Education Trust" for Bahubali Children's Hospital, Shravanabelagola, Karnataka, NAAM Foundation famous NGO working on issues like education, infrastructure, employment, food etc.

3.8 Citizen's Charter:

The Bank has adopted the Charter since 2000–01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The charter is displayed at all the branches and Bank's website. Some of the important responsibilities of Branches are;

- All branches of Banks in all parts of the country should provide the following customer services, more actively and vigorously to the members of public;
- Meeting the demands for fresh / good quality notes and coins of all denominations;
- Exchanging soiled notes;
- Accepting coins and notes either for transactions or exchange;
- Separate que for senior citizen.

4. SOCIO/MICRO ECONOMIC DEVELOPMENT.

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development through timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector (including investment) as of 31st March 2018, aggregate to ₹ 40709 crore constituting 38.63% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

4.2 कृषि

वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹ 5960 करोड़ के ऋण वितरित किए. कृषि क्षेत्र के लिए कुल बकाया अग्रिम दिनांक 31.03.2018 को ₹ 17199 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए . बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण की वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया और ₹ 2627 करोड़ का वितरण किया. बैंक ने खेत मशीनीकरण और सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों को बढावा देने के लिए वर्ष के दौरान ट्रैक्टर विनिर्माताओं, सूक्ष्म सिंचाई कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधन किए. बैंक द्वारा कृषक उत्पादक संस्था (एफपीओ) को वित्तपोषण के लिए लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के साथ ऋण गारंटी हेतु करार किया गया है. बैंक महाराष्ट्र सरकार की कृषि ऋण माफी योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है. 31 मार्च 2018 तक, बैंक द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत 1.91 लाख कृषक ऋण खातों में ₹ 1070.93 करोड़ जमा किए गए.

किसानों को झंझट मुक्त ऋण प्रवाह प्रदान करते हुए कृषि के लिए अग्रिमों में वृद्धि हेतु सभी शाखाओं के लिए बैंक ने जागरुकता/ सुग्राही कार्यक्रम चलाए।

4.2.1 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है. बैंक ने किसानों को कुल 36495 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए. 31.03.2018 को एमकेसीसी लाभार्थियों को ऋण प्रवाह ₹ 7440.04 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया है.

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है. ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं. आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए जाते हैं. बैंक के वेबसाइट पर ऑनलाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध किया गया है.

हमारे बैंक ने एमएसएमई के लिए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे अपनी वेब साईट पर प्रदर्शित किया है. बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता संहिता को भी अपनाया है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (प्राथमिकता) को बैंक की उधारी 31.03.2018 को ₹ 16283 करोड़ की रही. मार्च, 2018 को प्राथमिकता के अधीन सूक्ष्म उद्यमियों को अग्रिम एएनबीसी का 8.68% रहा जबकि आरबीआई का अनिवार्य लक्ष्य 7.50% है.

इस वर्ग में वित्तपोषण को बढावा देने के लिए बैंक ने ट्रक/ट्रैक्टर/वाहन/पैसेंजर कार विनिर्माताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है. विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला संवर्ग के सूक्ष्म उद्यमियों की हैण्ड होल्डिंग और उन्हें ऋण देना सुगम बनाने के लिए बैंक ने भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट एवं दे-आसरा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है. बैंक ने 'myloanassochem.com' पोर्टल के साथ भी भागीदारिता की है जिससे लीड्स निर्मित करने और एमएसएमई को वित्तीय सहायता द्वारा बैंक के लिए उन्हें व्यवसाय में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी।

एमएसएमई प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए सभी अंचल कार्यालयों में केन्द्रीय प्रोसेसिंग कक्ष स्थापित कर उन्हें सुप्रवाहित बनाया गया है.

4.3.1 मुद्रा :

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), जिसमें मुख्यतः विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं से जुड़े हुए गैर-कृषि उद्यम आते हैं तथा जिनकी ऋण आवश्यकता ₹ 10.00 लाख से कम होती है के आरंभ से ही बैंक इस खंड पर विशेष ध्यान दे रहा है. इस खंड के अंतर्गत आय हेतु दिए गए ऋण प्रधानमंत्री **मुद्रा** योजना (पीएमएमवाई) ऋण कहलाते हैं तथा तदनुसार उन्हें नामांकित किया गया है.

31.03.2018 को बैंक ने 2325.00 करोड़ के लक्ष्यों के विरुद्ध पीएमएमवाई के अधीन 2153.10 करोड़ मंजूर किए गए. बैंक ने सरकार द्वारा पीएमएमवाई के अधीन आबंटित लक्ष्य का 92.61% प्राप्त किया.

4.2 Agriculture

The Bank disbursed ₹ 5960 Crore for agriculture and allied activities during the year 2017-18. The total outstanding advances to agriculture sector reached a level of ₹ 17199 Crore as on 31.03.2018. Bank focused on growth of investment credit under Agriculture during the year 2017-18 and disbursed ₹ 2627 Crore. Bank also entered into strategic tie-ups with Tractor Manufacturers, Micro Irrigation Companies for promoting farm mechanization and micro irrigation activities during the year. Bank has entered into an Agreement for Credit Guarantee with Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC) for financing to Farmer Producer Organizations (FPOs). Bank is successfully implementing farm loan waiver scheme of Govt of Maharashtra. Till 31st March 2018, bank has credited ₹ 1070. 93 crore to 1.91 lakh farmers' loan accounts under the aforesaid scheme.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued total 36495 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries has reached to the level of ₹ 7440.04 crore as on 31.03.2018.

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

MSMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. Online enquiry portal is made available on the Bank's website.

Our Bank has adopted Simplified Loan Application for MSMEs and the same is displayed on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises (Priority) is ₹ 16283 Crore as at 31.03.2018. Advances to Micro enterprises under priority are 8.68% of ANBC against RBI mandatory target of 7.50% as of March 2018.

For promoting finance under this category, Bank has entered into strategic tie up arrangements with Truck / Vehicle / Passenger car manufacturers. Bank has also entered into MoU with "Bhartiya Yuva Shakti" Trust and "de-Asra" foundation for Credit facilitation and hand holding of the Micro entrepreneurs especially under Women and SC/ST categories. Bank has also partnered with "myloanassochem.com" portal for generating leads and converting them into business by financial assistance to MSMEs.

Centralized Processing Cells have been set up at all Zonal Offices for speedy disposal of MSME proposals.

4.3.1 MUDRA:

With the introduction of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) which mainly consists of non-farm enterprises in manufacturing, trading and services whose credit needs are below ₹ 10.00 lakh. Bank is giving special attention to this segment. Loans given to this segment for income generation are known as **MUDRA** loans under Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) and are branded accordingly.

Bank sanctioned ₹ 2153.10 crore under PMMY against the target of ₹ 2325.00 crore as on 31.03.2018. Bank achieved 92.61% of target allotted by Government under PMMY.

बैंक ने दिनांक 16.09.2015 को मुद्रा कार्ड का शुभारंभ किया. 31.03.2018 तक 8621 मुद्रा कार्ड जारी किए.

4.3.2 सीजीटीएमएसई योजना के अंतर्गत शामिल उद्यम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी निधि योजना के अधीन ₹ 200.00 लाख तक की ऋण सुविधाओं को शामिल किया गया है, जहां बैंक द्वारा कोई समर्थक प्रतिभूति एवं तृतीय पक्ष गारंटी की मांग नहीं की जाती। मार्च 2018 तक बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 2325 उधारकर्ताओं को ₹ 238.04 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं.

4.3.3 चयनित खंडों को बैंक का विगोपन (₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	31.03.2018 को बकाया	31.03.2017 को बकाया	वृद्धि % (+/-)
1	सूक्ष्म / एसएचजी वित्त	151	155	(2.49)
2	कमजोर वर्ग	11324	12190	(7.10)
3	अजा/ अजजा लाभार्थी	2333	1738	34.23
4	अल्पसंख्यक समुदाय	2887	2921	(1.16)

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को आवास संपत्तियां/प्लॉट्स खरीदने, उसकी मरम्मत, नवीनीकरण हेतु, उपभोक्ता वस्तुएं, दो/चार पहिया वाहन खरीदने, शिक्षा हेतु और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है. बैंक का रिटेल ऋण संविभाग ₹ 16549 करोड़ का है.

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 18 को संविभाग	अनर्जक आस्ति %
1	महा सुपर आवास ऋण योजना	आवास क्षेत्र महत्वपूर्ण खंड रहा है बैंक ने सभी खंडों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न आवास ऋण योजनाएं लागू की हैं. बैंक ''नए/ वर्तमान आवास के निर्माण/ खरीदी, वर्तमान घर/ फ्लैट की मरम्मत/ नवीकरण/ तबदीली, प्लॉट की खरीदी और उस पर निर्माण'' के लिए आवास ऋण प्रदान करता है	13573	3.59
2	महासुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना	बैंक ने व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए वैयक्तिक उपयोग (किराया/ यात्री आवागमन के लिए नहीं) नए फोर व्हीलर यथा कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वेहिकल (एमयूवी), स्मॉल यूटिलिटी वेहिकल (एसयूवी) के खरीदी के लिए योजना आरंभ की.	1068	3.15
3	मॉडल शिक्षा ऋण योजना	बैंक आईबीए दिशानिर्देशों के अनुसार मॉडल शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन करता है और भारत और विदेश में उच्च शिक्षा/ अध्ययन के लिए सभी मेधावी और योग्य विद्यार्थियों (भारतीय राष्ट्रीय) हेतु झंझट रहित शिक्षा ऋण प्रदान करता है।	995	8.91
4	महाबैंक टॉप अप ऋण योजना	वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहयोग प्रदान करने के साथ ही टॉप अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों के वर्तमान आवास ऋणों का अभिग्रहण करने के लिए बैंक ने ''महाबैंक टॉप अप ऋण योजना'' का आरंभ किया। इस योजना के अंतर्गत आवास के नवीकरण/ सजावट/ मरम्मत के लिए, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के विवाह, चिकित्सा खर्चों, वाहन या हाई-टेक गैजेट खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।	132	1.27

Bank has launched MUDRA Card on 16.9.2015 and issued 8621 MUDRA Cards upto 31.03.2018.

4.3.2 Coverage under CGTMSE Scheme

Under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India credit facilities up to ₹ 200.00 lakh are covered, wherein no collateral security and third party guarantees are insisted by the Bank. The Bank has sanctioned loans of ₹ 238.04 Crore to 2325 borrowers under this scheme up to March 2018.

4.3.3 Banks exposure to select segments. (₹ in Crore)

Sr. No.	Sector	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017	% increase (+/-)
1	Micro / SHG Finance	151	155	(2.49)
2	Weaker Sector	11324	12190	(7.10)
3	SC/ST beneficiaries	2333	1738	34.23
4	Minority Community	2887	2921	(1.16)

5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK

5.1. Credit Flow to Retail Sector

The Bank is providing retail loans for salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of house properties/ plots, repair/ renovation of house, purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles, education and loan for other personal needs. The retail loan portfolio of the Bank is ₹ 16549 crore.

(₹ in Crore)

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar'18	NPA %
1	Maha Super Housing Loan Scheme	Housing Sector being the thrust area, Bank has various Housing Loan schemes in place to meet the needs of all segments. Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs / renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon"	13573	3.59
2	Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme	Bank has launched scheme for purchase of New four Wheeler i.e. Car, Jeep, Multi Utility Vehicles (MUVs), Small Utility Vehicles (SUVs) etc. for personal use.(i.e. not for hiring/ ferrying passengers) for individuals (18 years and above).	1068	3.15
3	Model Education Loan Scheme	Bank is implementing Model Education Loan Scheme as per IBA guidelines and provides hassle free Education loan to all meritorious and deserving Students (Indian National) for pursuing higher studies /education in India and abroad	995	8.91
4	Mahabank Top up Loan Scheme	In order to extend additional credit support to existing housing loan borrowers as well as takeover of existing housing loan of other banks with additional facility of Top-up Loan, Bank has launched "Mahabank Top Up loan Scheme". Under this scheme credit is extended for repair / renovation / furnishing of house, children's education, Marriage of Children, Medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets etc.	132	1.27

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना	संक्षिप्त विवरण	मार्च 18 को संविभाग	अनर्जक आस्ति %
5	महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना	आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की संभावनाओं का लाभ उठाने और अन्य वैयक्तिक खर्चों जिसमें विवाह, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आकस्मिकताओं, व्यवसाय यात्रा इत्यादि शामिल है, की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 26.09.2014 से प्रभावी रिटेल ऋण उत्पाद ''महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना'' आरंभ किया है.	103	2.49
6	महाबैंक आधार ऋण योजना	हमारे वर्तमान पेंशन खाताधारकों को उनके वैयक्तिक खर्चों, धार्मिक यात्राओं, चिकित्सा, घरेलू आवश्यकताओं इत्यादि की पूर्ति के लिए बैंक ने ''महाबैंक आधार ऋण योजना'' का पुनःआरंभ किया.	407	0.95

5.2 ऋणों का केंद्रीकृत प्रक्रियाकरण

बैंक ने अपने सभी 30 अंचलों में खुदरा/वाणिज्यिक अग्रिमों हेतु केंद्रीकृत प्रक्रियाकरण कक्षों की स्थापना की है जिससे ऋणों के प्रसंस्करण और मंजूरी के झंझट रहित वितरण और टर्न अराउंड टाइम में सुधार होगा।

5.3 द्वार पर (डोअर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

बैंक ने उच्च मालियत वाले अपने ग्राहकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाएं आरंभ की है तथा इन सेवाओं के अंतर्गत ग्राहक के द्वार पर निगमित एवं खुदरा नकद प्राप्ति पिक अप तथा सुपुर्दगी, चेक संग्रहण सेवाएं शामिल हैं.

5.4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

- ➢ बीओएम एसबीआई कार्ड का आधार 50064 है.
- ➢ वर्ष 2017-18 के दौरान एसबीआई कार्ड से कमीशन के रूप में ₹ 75.00 लाख प्राप्त हुए.

5.5 वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम

5.5.1 इंटरनेट/एसएमएस/फोन बैंकिंग

संव्यवहारों के क्रम में, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इंटरनेट बैंकिंग में 28%, फोन बैंकिंग में 31% तथा एसएमएस बैंकिंग में 33% की वृद्धि हुई.

आईबीएन उपयोगकर्ताओं के लिए महासिक्योर के माध्यम से नेट सुरक्षा में वृद्धि और लगातार अनुवर्तन के फलस्वरुप उपयोगकर्ताओं की संख्या/ ऑनलाईन संव्यवहारों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की अपेक्षा है.

5.5.2 मोबाइल बैंकिंग :

- ➢ पंजीकरण में वृद्धि हेतु महामोबाईल कार्य प्रणाली को ग्राहक उन्मुख एवं सरलीकृत किया गया है.
- ➢ इंटरनेट एवं नई महामोबाईल कार्यप्रणाली पर एक मैनुअल सभी फील्ड कर्मचारियों को तत्काल संदर्भ तथा प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादो के विपणन हेतु भेजा गया है.

5.6 गठजोड़

5.6.1 भुगतान गेटवे सेवाएं

- ➢ वर्तमान में, बैंक के निम्नलिखित ऑनलाईन एग्रिगेटरों के माध्यम से सभी ग्राहकों को भुगतान गेटवे सुविधा प्रदान कर रहे हैं.

अनु.	विवरण	अनु.	विवरण
1	मे. एटम टेक्नोलॉजीस	7	मे. सीसी एव्हेन्यूस
2	मे. बिल डेस्क	8	मे. सिट्रस पेमेंट सोल्युशन्स प्रा. लि.

(₹ in Crore)

SN	Scheme	Brief Description	Portfolio as of Mar'18	NPA %
5	Mahabank Gold Loan Scheme	With a view to tap the potential of gold loans as a lucrative asset and to cater to the needs of meeting other personal expenses, whatsoever which include personal expenditure of varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, business travel etc, Bank has launched a retail loan product as "Mahabank Gold Loan Scheme" w.e.f. 26.09.2014.	103	2.49
6	Mahabank Aadhar Loan Scheme	To cater to the needs of our existing pension account holders to meet their personal expenses, pilgrimage, medical, domestic needs etc. Bank has re-launched "Mahabank Aadhar Loan Scheme".	407	0.95

5.2. Centralized Processing of loans

Bank has established Centralized Processing Cells for retail / commercial advances at all its 30 Zones for hassle free processing and sanctioning loans with aim to improve turnaround time.

5.3 Door Step Banking Services

Bank has introduced Door Step Banking Services for its High Networth Customers and the services include Corporate and Retail Cash pickup and delivery, Cheque Collection Services, at Client's Doorstep.

5.4 BOM SBI International Credit Card

- ➢ The BOM-SBI card base is 50064.
- ➢ The commission received from SBI Card is ₹ 75.00 Lakhs during the year 2017-18.

5.5 ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

5.5.1 INTERNET /SMS/Phone Banking

In terms of transactions, there was an increase of 28% in Internet Banking, 31% in Phone Banking and 33% in SMS banking over the previous year.

With continuous follow up and increase in net security through the Mahasecure for IBN users, substantial rise in users/online transactions is expected.

5.5.2 MOBILE BANKING

- ➢ Maha Mobile functionality has been customized and simplified for increasing the enrolments.
- ➢ A user manual on Internet Banking & New Maha Mobile functionality is sent to field staff for ready reference & marketing of the technology based products.

5.6 Tie Ups

5.6.1 Payment Gateway Services:

- ➢ Presently, Bank is providing the facility of Payment Gateway to all the customers through online aggregators as under:

Sr	Particular	Sr	Particular
1	M/s Atom Technologies	7	M/s CC Avenues
2	M/s BILL DESK	8	M/s Citrus Payment Solutions Pvt Ltd

3	मे. ईबीएस सोल्युशन्स लि.	9	मे. पे टीएम
4	मे. आईबीबो यथा पीएवायू	10	मे. टेकप्रोसेस पेमेंट सोल्युशन्स
5	मे.टाईम्सऑफमनी लिमिटेड	11	मे. एसबीआई ई पे
6	मे. एअरपे		

6. निगमित सामाजिक दायित्व :

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पुणे जिले के हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ वर्मी कंपोज्ड, खारी मिट्टी का पुनर्विकास, मिट्टी की जांच इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं. बैंक ने ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) भिगवण में मार्डेफ ट्रस्ट के माध्यम से मिट्टी जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है. वर्ष 2017-18 में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में 5506 मिट्टी तथा जल नमूनों का परीक्षण किया गया और तदनुसार परामर्श दिया गया. पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं.

बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है. मारडेफ कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है. मार्डेफ ट्रस्ट ने ग्रामीण विकास केंद्र आरडीसी भिगवण और हड़पसर के किसानों हेतु 156 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक 10753 किसान लाभान्वित हुए.

बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एम-सेटी) की स्थापना की है. संस्थान के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे तथा नाशिक में सात प्रशिक्षण केंद्र हैं. संस्थान ने अब तक 1203 प्रशिक्षण बैंचों को आयोजन किया है तथा अब तक 30307 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है. सेटलमेंट दर 70% है.

बैंक और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है. यह संगठन स्व-सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें बैंक ऋण से सम्बद्ध करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है.

बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सात अग्रणी जिलों यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना, ठाणे व पालघर में वित्तीय साक्षरता ऋण परामर्श केन्द्रों (एफएलसीसी) का शुभारंभ किया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एफएलसीसी द्वारा 77141 लाभार्थियों से संपर्क किया गया.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आर-सेटी) द्वारा 198 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए तथा 5061 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया.

7. अग्रणी बैंक योजना

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे व पालघर में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है. प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधीश के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है.

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है और राज्य की वार्षिक ऋण योजना बनाता है. वर्ष 2017-18 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र योजना ₹ 2,90,829/- करोड़ की थी जो देश में सबसे बड़ी योजना में से एक थी. महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक

3	M/s EBS solutions limited	9	M/s PayTm
4	M/s Ibibo i.e. PAYU	10	M/s Techprocess Payment Solutions
5	M/s TimesofMoney Limited	11	M/s SBI e pay
6	M/s Airpay		

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Rural Development Centers at Hadapsar- Pune and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the benefit of farmers' viz. Vermi compost, Re-development of Saline Soils, Soil Testing etc. Bank has established Soil Testing Lab (STL) through MARDEF Trust at RDC Bhigwan. The Soil Testing Laboratory analyzed 5506 Soil and Water samples in the year 2017-18 and accordingly counseling was done. Farmers from the districts of Pune, Ahmednagar, Solapur and Satara are taking benefit of the lab.

A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) established by the Bank, undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in Agriculture. Trust has conducted 156 training programmes for farmers at RDC Bhigwan and Hadapsar, which has benefited 10753 farmers from April 2017 to March, 2018.

The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has seven centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik. The Institute has so far conducted 1203 training batches & imparted training to 30307 educated unemployed youths. The settlement rate is 70%.

Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit.

The Bank has opened Financial Literacy and Credit Counselling Centers (FLCC) in Seven Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna,Thane and Palghar for creating awareness about banking schemes. FLCCs have contacted 77141 beneficiaries during FY 2017-18.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) have conducted 198 training batches and trained 5061 candidates during FY 2017-18.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year district credit plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other banks as well as in coordination with District Collectors of respective Districts.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convenor of State Level bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra and prepares State Annual Credit Plan. The Priority Sector plan for the year 2017-18 was for ₹ 2,90,829/- crore which is one of the highest in the country. The same was approved in a special meeting held under the

में योजना का अनुमोदन हुआ था. राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति करती है. राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा विभिन्न सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है. राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में 15,400 से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है.

राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) प्राकृतिक विपदाओं के समय, यदि कोई हो, राहत उपायों के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देशों को जारी करने, विशेष बैठकों के आयोजन और जहां आवश्यक हुआ वहां सदस्यों का मार्गदर्शन करने में बहुत ही सक्रिय रही है.

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाय) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है. राज्य में कुल 221 लाख खाते खोले गए. खाता खोलने के उद्देश्य से राज्य को पहले ही संतृप्त घोषित किया गया है. तथापि खाता खोलने की प्रक्रिया जारी है. एसएलबीसी राज्य में केंद्र सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करती है.

एसएलबीसी महाराष्ट्र को पीएमजेडीवाय खातों का सर्वाधिक आधार सीडिंग करने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

7.3 वित्तीय समावेशन योजना/प्रधानमंत्री जन-धन योजना

योजना	विवरण	2017-18	2016-17
एफआई योजना	बीसीए द्वारा संव्यवहारों की संख्या (लाख में)	110.74	109.75
	संव्यवहारों की राशि (₹ करोड़ में)	5764.23	4702.81
पीएमजेडीवाय	पीएमजेडीवाय खातों की संख्या (लाख में)	51.57	42.28
	जिनमें से आधार सीडेड	42.57	33.18
	आधार सीडिंग का %	82.55%	78.48
	जिनमें से मोबाइल सीडिंग	38.97	32.16
	मोबाइल सीडिंग का %	75.57%	76.06
	पीएमजेडीवाय खातों में शेष (करोड़ में)	1148.93	932.05
	प्रति खाता औसत शेष वास्तविक	2228	2205
	शून्य शेष पीएमजेडीवाय खाते	16.02	16.34
बीएसबीडी खाते	कुल बीएसबीडी खाते	79.60	71.28
	बीएसबीडी खातों में ओ/ एस शेष (करोड़ में)	1687.18	1410.85
	प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक)	2120	1979
	बीसी सेवाओं के लिए देय कमीशन (करोड़ में)	25.86	23.07

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक का 1800-102-2636 टोल फ्री क्रमांक वाला पूर्ण विकसित कॉल सेंटर है.

स्थानीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता की सामग्री तैयार कर शाखाओं और बैंक मित्रों को उपलब्ध की गई है ताकि वित्तीय साक्षरता कैंपों के दौरान इन्हे खाताधारकों में वितरित किया जा सके.

Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra. SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plans, Priority Sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings, various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between various member Banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC coordinates a network of more than 15,400 bank branches in the state.

SLBC has always been very proactive in the event of natural calamities if any, by issuing necessary guidelines in respect of relief measures, organizing special meetings and guiding the members whenever necessary.

As SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the State of Maharashtra. A total of 221 lakh accounts were opened in the State. The State has already been declared as saturated for the purpose of opening of accounts. However, the process of opening of accounts is continued. SLBC also coordinates implementation of other Social Security schemes of the Central Government in the State.

S L B C Maharashtra has received award for highest Adhar seeding of PMJDY accounts from Department of Financial Services, MOF, New Delhi.

7.3. FINANCIAL INCLUSION / PMJDY:

Scheme	Particulars	2017-18	2016-17
FI Plan	No of Transactions by BCA (in lakhs)	110.74	109.75
	Amount of transactions (₹ in crore)	5764.23	4702.81
PMJDY	No. of PMJDY accounts (in lakhs)	51.57	42.28
	Of Which Aadhaar Seeded	42.57	33.18
	% of Aadhaar Seeding	82.55%	78.48
	Of Which Mobile Seeding	38.97	32.16
	% of Mobile Seeding	75.57%	76.06
	Balance in PMJDY A/c (in crore)	1148.93	932.05
	Average Balance per account actual	2228	2205
	Zero Balance PMJDY Accounts	16.02	16.34
BSBD Accounts	Total BSBD Accounts	79.60	71.28
	O/S Balance in BSBD A/c (in crore)	1687.18	1410.85
	Average balance per account (actual)	2120	1979
	Commission Paid for BC Services (in Crore)	25.86	23.07

Bank has a full-fledged call centre with toll free number 1800-102-2636 for redressal of PMJDY grievances.

The Financial Literacy Material has been prepared in vernacular languages and supplied to all Branches / Bank Mitrs for supplying the same to accountholders during FLC camps.

वित्तीय साक्षरता शिबिरों का आयोजन महाराष्ट्र के जिलो के विभिन्न विदयालयों में किया जा रहा है. सभी कौशल केंद्रों / आईटीआई को वित्तीय साक्षरता परियोजना के अधीन चिन्हित किया गया है.

बैंक को भारतीय बैंकिंग संस्थान, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा इकोनॉमिक टाईम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया गया है.

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है. दिनांक 31.03.2018 बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल शाखाएं 409 हैं जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं.

सभी 409 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय सीबीएस के अधीन हैं. वर्ष 2017-18 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 01 नई शाखाएं खोली हैं.

कार्यनिष्पादन विशेषताएं निम्नलिखित है:

- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक द्वारा कुल व्यवसाय ₹ 13047.92 करोड़ प्राप्त किया गया.
- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक द्वारा परिचालन लाभ ₹ 227.29 करोड़ तथा निवल लाभ ₹ 131.27 करोड़ दर्ज किया गया.
- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन बिंदु मानदंडों में प्रायोजक बैंक द्वारा दिए गए एमओयू डीएपी के अंतर्गत अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

अनु.	कार्यनिष्पादन मानदंड	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लक्ष्य	31.03.2018 को वास्तविक उपलब्धि
1	कुल जमा में वृद्धि (%)	14.63	18.07
2	जमा की लागत (%)	5.49	5.03
3	पूंजी की लागत	5.73	5.20
4	परिचालन लाभ	153.00	227.29
5	निवल लाभ	58.00	131.27
6	गैर ब्याज आय	55.00	92.22
7	प्रति कर्मचारी परिचालनगत लाभ	0.10	0.15
8	प्रति शाखा परिचालनगत लाभ	0.37	0.56
9	प्रति कर्मचारी निवल लाभ	0.04	0.09
10	प्रति शाखा निवल लाभ	0.14	0.32
11	औसत आय की लागत	56	44
12	निवल ब्याज मार्जिन	3.51	3.74
13	एनपीए समापन	390.00	319.89
14	बट्टे खातों में वसूली	0.67	3.37

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आबंटित 898 उप सेवा क्षेत्र और 80 वार्डों का सर्वेक्षण बैंक खाता रहित परिवारों के अभिनिर्धारण हेतु किया गया. बैंक ने सभी आबंटित उप सेवा क्षेत्रों में बीसीए तैनात किए. 31.03.2018 तक कुल 9.38 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए तथा पीएमजेडीवाई खाता धारकों को 7.98 लाख रूपे एटीएम डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने पीएमजेजेबीवाय, पीएमएसबीवाय तथा एपीवाय तथा पीएमएमवाय योजना में सक्रियता से भाग लिया.

Financial Literacy camps are organized different schools in districts of Maharashtra. All skilling centers/ITIs are mapped under financial literacy project

Bank has been awarded for excellent performance in the field of financial inclusion by DFS, MOF, GOI and from prestigious institutes like IBA and Economic Times.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Aurangabad, Maharashtra State. Total no of branches as on 31.3.2018 stood at 409 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra State.

All 409 branches and controlling offices are now under CBS. MGB opened 1 new branch during the year 2017-18.

Performance highlights are as under:

- Maharashtra Gramin Bank has achieved total business of ₹ 13047.92 crore.
- Maharashtra Gramin Bank recorded Oprating Profit of ₹ 227.29 crore and Net Profit of ₹ 131.27 crore.
- Maharashtra Gramin Bank has achieved most of the target under MoU DAP given by sponsor Bank for the financial year 2017-18 The major key performance parameters are as under:

(Amount in Crore)

Sr	Performance Parameter	Target FY 2017-18	Actual as on 31.03.2018
1	Growth in Total Deposit (%)	14.63	18.07
2	Cost of Deposit (%)	5.49	5.03
3	Cost of Funds	5.73	5.20
4	Operating Profit	153.00	227.29
5	Net Profit	58.00	131.27
6	Non interest income	55.00	92.22
7	Operating Profit per employee	0.10	0.15
8	Operating Profit per Branch	0.37	0.56
9	Net Profit per employee	0.04	0.09
10	Net profit per branch	0.14	0.32
11	Cost to Income Ratio	56	44
12	Net Interest Margin	3.51	3.74
13	Closing NPA	390.00	319.89
14	Recovery in Write off	0.67	3.37

Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, surveys of all allotted 898 SSAs and 80 wards were conducted for identification of households having no bank account. The Bank has covered all allotted SSAs by engaging BCAs. Total 9.38 lakh PMJDY accounts have been opened till 31.03.2018 and 7.98 lakh RuPay ATM debit cards have been issued to PMJDY account holders. Maharashtra Gramin Bank has actively participated in the PMJJBY, PMSBY, APY and PMMY schemes.

8.2 मेटको का कार्यनिष्पादन

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100% अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

- ➢ वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना
- ➢ निजी न्यासों / सार्वजनिक न्यासों का मसौदा तैयार करना, प्रबंधन और परामर्श देना
- ➢ एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- ➢ अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- ➢ संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना
- ➢ व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

यह कंपनी पुणे में स्थित है और पुणे, वाशी-मुंबई, ठाणे और नागपुर में इसकी शाखा इकाईयां हैं. कंपनी लगभग 1090 निजी और सार्वजनिक न्यासों का प्रबंधन करती है. वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 32 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1151 हो गई है.

कंपनी द्वारा वर्तमान में 71 ग्राहकों की संपत्तियों का प्रबंधन किया है. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी 101 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 3 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मेटको का निवल लाभ ₹ 76.58 लाख है.

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष **2017-18** के दौरान, बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं -

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई को हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से **तृतीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ। मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल के कर-कमलों से समिति को पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारा बैंक इस समिति का संयोजक बैंक है।

हमारे बैंक को मुंबई स्थित प्रतिष्ठित संस्थान ''**आशीर्वाद**'' द्वारा वर्ष के दौरान हिन्दी के बेहतर उपयोग हेतु **द्वितीय पुरस्कार** प्रदान किया गया।

प्रधान कार्यालय, पुणे में 20 सितंबर, 2017 को हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ **श्री आर. पी. मराठे** ने की। प्रख्यात कवि और भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक **श्री लीलाधर मंडलोई** इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यपालक निदेशक **श्री आर. के. गुप्ता** तथा महाप्रबंधक **श्री एम. सी. कुलकर्णी** भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। बैंक की अखिल भारतीय आंतरिक राजभाषा ट्रॉफी योजना के विजेताओं को समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किए गए।

बैंक के सभी राजभाषा अधिकारियों के लिए पुणे में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ **श्री आर. पी. मराठे** ने सेमिनार का उद्घाटन किया। **श्री राजकिरण भोईर,** महाप्रबंधक, मासंप्र व राजभाषा ने कार्यनिष्पादन की समीक्षा की और सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। सेमिनार में गृह पत्रिका ''महाबैंक प्रगति'' के राजभाषा विशेषांक का विमोचन प्रबंध निदेशक और सीईओ **श्री आर. पी. मराठे** के कर-कमलों से किया गया।

प्रत्येक माह नियमित रूप से **मासिक राजभाषा ई-पत्रिका ''राजभाषा ई-प्रगति''** का प्रकाशन किया जा रहा है। नवोन्मेषी प्रयास के अंतर्गत बैंक के दिव्यांग कर्मचारियों के लाभार्थ मासिक राजभाषा ई-पत्रिका का ब्रेल लिप्यांतरण भी प्रकाशित किया जा रहा है।

8.2 Performance of METCO

Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO), the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- ➢ Consultation, Drafting & Execution of will
- ➢ Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts
- ➢ Management of investments & house properties as attorney
- ➢ Guardianship of minor's property
- ➢ Consultation for sale/purchase of property
- ➢ Filing of I-Tax Returns for individuals

The Company is located at Pune having its branch units at Pune, Vashi-Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1090 Public & Private Trusts. During the year, additional 32 Wills were added making total 1151 Will in its custody for execution.

At present, the Company manages properties both movable and immovable of 71 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 101 policies under Married Women's Property Act and as Court appointed Guardian of minor's property in 3 cases. The net profit of METCO for F.Y. 2017-18 is ₹ 76.58 lakh.

9. IMPLEMENTION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year **2017-18**, the Bank has achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

The Town Official Language Implementation Committee, Mumbai has secured **Third Prize** from the Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs, Government of India for better implementation of Hindi at the hands of Hon. Governor, Maharashtra State in a grand function held at Mumbai. Our Bank is the convenor Bank for the committee.

Our Bank was awarded **Second Prize** by the Mumbai based prestigious Institution **'Aashirvad'** for better use of Hindi during the year.

Hindi day function was arranged at Head Office, Pune on 20th September 2017. **Shri R. P. Marathe**, MD & CEO of the Bank presided over the function. **Shri Leeladhar Mandloi**, renowned Poet and Director of Bharatiya Jnanpith was the Chief Guest. **Shri R. K. Gupta**, Executive Director & **Shri M. C. Kulkarni**, General Manager were also present in the function. Winners of the All India Internal Rajbhasha Trophy Scheme of the Bank were awarded during the function.

An All India Rajbhasha Seminar was organized in **Pune** for all the Hindi Officers of the Bank. **Shri R. P. Marathe**, Managing Director & CEO of the Bank inaugurated the seminar. **Shri Rajkiran Bhoir**, General Manager, HRM & Rajbhasha reviewed the performance and guided all the participants. A special issue on Rajbhasha of House magazine "Mahabank Pragati" was released in the seminar at the hands of Hon'ble MD & CEO **Shri R. P. Marathe**.

Monthly Rajbhasha E-Magazine 'Rajbhasha E-Pragati' is being regularly published every month. As a new initiative Rajbhasha E-Pragati in Brail script is also published for the benefit of differently able employees of the Bank.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर व जळगांव नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक बैंक है। वर्ष के दौरान इन समितियों की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की गईं और निर्धारित अनुसूची के अनुसार संपूर्ण वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।

संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष के दौरान हमारी **नोएडा शाखा, फरीदाबाद शाखा, जोधपुर शाखा और दिल्ली अंचल कार्यालय** को भेंट दी तथा बैंक के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की। समिति के माननीय सदस्यों ने बैंक द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग और नई पहलों के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।

हमारे बैंक को वर्ष के दौरान राजभाषा के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटना द्वारा ''**प्रथम पुरस्कार**'', नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोटा द्वारा ''**प्रथम पुरस्कार**'', नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति अमरावती द्वारा ''**प्रथम पुरस्कार**'', नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अहमदाबाद द्वारा ''**तृतीय पुरस्कार**'' और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर द्वारा ''**तृतीय पुरस्कार**'' से पुरस्कृत किया गया।

10. सुरक्षा :

खतरे की संकल्पना, चालू अपराध परिदृश्य, अपराध के तरीकों, बैंक डकैती की कार्य प्रणाली, सुरक्षा भंग, आग की घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद शाखाओं में सुरक्षा की आवश्यकताओं के दृष्टीकोण से सक्रिय कदम उठाए गए साथ ही ऐसी परिस्थितियों के लिए सुरक्षा कार्मिकों एवं अन्य बैंक कर्मचारियों को तैयार एवं प्रशिक्षित किया जाता है ।

11. निदेशकों के दायित्व का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनको सतत आधार पर लागू किया गया. यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है.
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और वर्ष के लिए लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए.
- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए.

12. निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2017-18 के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं.

- श्रीमती वंदिता कौल को भारत सरकार द्वारा श्री अतीश सिंह के स्थान पर दिनांक 11.05.2017 से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
- श्री प्रेमचंद्र अमोलकचंद सेठी, अपने तीन वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति पर दिनांक 27.06.2017 से बैंक के शेयरधारक निदेशक पद पर नहीं रहे.

Bank of Maharashtra is the convenor Bank for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly during the year and various activities of the committees were organized throughout the year as per the schedule.

Committee of Parliament on Official Language visited our **Noida Branch, Faridabad Branch, Jodhpur Branch and Delhi Zonal Office** during the year and reviewed Official Language Implementation work of the Bank. The honorable members of the Committee expressed their satisfaction regarding progressive use of Hindi and the implementation of new initiatives by the Bank.

Our bank was awarded **First Prize** by Town official Language Implementation Committee, Patna, **First Prize** by Town official Language Implementation Committee, Kota, **First Prize** by Town official Language Implementation Committee, Amravati, **Third Prize** by Town official Language Implementation Committee, Ahmedabad and **Third Prize** by Town official Language Implementation Committee, Jaipur for better use of Hindi during the year.

10. SECURITY.

Proactive steps were taken in view of the security requirements at the branches after analysis of the threat perception, current crime scenario, crime pattern, modus operandi of Bank robberies, the breaches of security and fire incidents besides equipping and training the security personnel and other bank staff to counter any such eventuality.

11. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2018:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and profit of the Bank for the year.
- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

12. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

During the year 2017-18, the following changes took place in the Board of Directors:

- Smt. Vandita Kaul was appointed as Director of the Bank by the Government of India w.e.f 11.05.2017 in place of Shri Ateesh singh.
- Shri Premchandra Amolakchand Sethi, ceased to be the Shareholder Director of the Bank w.e.f 27.06.2017 on completion of his tenure of three years.

13. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनिमय 2015 के अनुसार बैंक की व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) 2017-18 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर प्रदर्शित की गई है. इसकी भौतिक प्रति प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैंक के कंपनी सचिव को लिख सकते हैं।

14. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और सीडीएसएल से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और ''महाबैंक परिवार'' के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और बैंक के समग्र विकास में उनके योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान : पुणे

दिनांक : 04 मई, 2018

(आर. पी. मराठे)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

13. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Business Responsibility Report (BRR) 2017-18 of the Bank has been hosted on the Bank's website i.e www.bankofmaharashtra.in. Any member interested in obtaining a physical copy of the same may write to the Company Secretary of the Bank.

14. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges and CDSL for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Pune

Date : 04th May, 2018

(R. P. Marathe)

Managing Director and CEO

वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पद्धतियों को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा हरसंभव प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक पद्धतियां और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक संवर्धित करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार शासित होता है।

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व सांविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना।

31 मार्च 2018 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार रही:

Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2017-18

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

2.1. The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended from time to time.

2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, and supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2018 is as under:

अ. क्र. Sr. No.	नाम Name	धारित पद Position held	31.03.2018 को धारित बैंक शेयरों / परिवर्तनीय लिखितों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2018	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता No. of member ship in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अभ्युक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री आर. पी. मराठे Shri R.P.Marathe	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO	शून्य NIL	10 10	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 26.09.2016 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए Appointed as the Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 26.09.2016 by the Central Government.

2	श्री आर. के. गुप्ता Shri R.K. Gupta	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	13 13	01 01	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। आप महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष/ निदेशक भी हैं। Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.12.2013 by the Central Government. He is also the Chairman/Director of the Board of the Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
3.	श्री ए. सी. राउत Shri A.C.Rout	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य NIL	12 12	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2017 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। Appointed as the Executive Director w.e.f. 31.03.2017 by the Central Government.
4	श्रीमती वंदिता कौल Smt. Vandita Kaul	निदेशक (गैर- कार्यपालक) सरकार द्वारा नामित Director(Non-Executive) Government Nominee	शून्य NIL	09 09	01 01	केन्द्र सरकार द्वारा 11.05.2017 से निदेशक के रूप में नामित की गईं। आप भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। Nominated as a Director w.e.f. 11.05.2017 by the Central Government. She is Director on the Board of Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India.
5	श्री जी. श्रीकुमार Shri G. Sreekumar	निदेशक (गैर- कार्यपालक) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित Director (Non-Executive) RBI Nominee	शून्य NIL	05 05	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 10.06.2014 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। Nominated as a Director w.e.f. 10.06.2014 by the Central Government.
6	श्री आर. तामोधरन Shri R. Thamodharan	निदेशक (गैर- कार्यपालक) शेयरधारक प्रतिनिधि Director (Non-Executive) Representing Shareholders	100 100	06 06	01 01	दिनांक 30.06.2015 से शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए। वे मेसर्स टिडेल पार्क लिमिटेड के निदेशक मंडल में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि नामित निदेशक हैं। Elected as Shareholder Director w.e.f. 30.06.2015. He is Nominee Director on the Board of Tidel Park Ltd., representing LIC of India.
7	डॉ. अर्चना रविन्द्रराय धोलकिया Dr. Archana Ravindrarai Dholakia	निदेशक (गैर- कार्यपालक) Director (Non-Executive)	शून्य NIL	07 07	शून्य NIL	केन्द्र सरकार द्वारा 28.01.2016 से निदेशक के रूप में नामित की गईं। Nominated as a Director w.e.f. 28.01.2016 by the Central Government.
8	श्री दीनदयाल अग्रवाल Shri Deendayal Agrawal	निदेशक (गैर- कार्यपालक) Director (Non-Executive)	शून्य NIL	07 07	02 02	केन्द्र सरकार द्वारा 26.07.2016 से निदेशक के रूप में नामित किए गए। वे दो फाउंडेशनों के निदेशक मंडल में निदेशक हैं। Nominated as a Director w.e.f. 26.07.2016 by the Central Government. He is Director on the Board of two Foundations.

2.3 वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/अवसान:

➢ श्रीमती वंदिता कौल को 11.05.2017 से श्री अतीश सिंह के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

➢ श्री प्रेमचंद्र अमोलकचंद सेठी तीन वर्षों के अपने कार्यकाल के समापन पर दिनांक 27.06.2017 से बैंक के निदेशक के पद पर नहीं रहे।

2.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल:

2.4.1 श्रीमती वंदिता कौल

नाम	श्रीमती वंदिता कौल
पता	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग, तीसरी मंजिल जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001
जन्म दिनांक	15.05.1966
आयु	51 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.एससी. (प्राणीशास्त्र) और एनआईआईटी से प्रणाली प्रबंधन में डिप्लोमा
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(बी) के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त नामित निदेशक
अनुभव	• 05 अप्रैल, 2017 से, कर्जवसूली से संबंधित नीतिगत व विनियामक मामलों का प्रभार सहित वर्तमान में संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के रूप में सेवारत • वित्त, बजटिंग, आईटी उत्पाद प्रबंधन, परिचालन तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन, सामाजिक सहयोग, पिछड़े क्षेत्रों और सीमा क्षेत्रों का विकास, सिंचाई, शहरी विकास, ई-गवर्नेन्स, प्रशासन इत्यादि के क्षेत्र में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव • मंत्रालयों के विभिन्न विभागों यथा वित्तीय सेवाएं विभाग, पर्यावरण व वन मंत्रालय, सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा डाक विभाग के अंतर्गत कार्य • वे वर्ष 1989 में भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) में नियुक्त हुईं। 11.05.2017 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में नियुक्त
अन्य कंपनियों में धारित निदेशकत्व	वे भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं।

2.5 निदेशक मंडल की बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 13 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें निर्धारित हैं।

04.05.2017	17.06.2017	10.07.2017	31.07.2017	11.08.2017	16.09.2017	10.11.2017
28.12.2017	03.01.2018	31.01.2018	06.02.2018	28.02.2018	27.03.2018	--

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :

2.3 Appointment / Cessation of Directors during the year 2017-18:

➢ Smt. Vandita Kaul was appointed as Director of the Bank by the Central Government w.e.f 11.05.2017 in place of Shri Ateesh singh.

➢ Shri Premchandra Amolakchand Sethi, ceased to be the Shareholder Director of the Bank w.e.f 27.06.2017 on completion of his tenure of three years.

2.4 Profile of Director appointed during the financial year 2017-18:

2.4.1 Smt. Vandita Kaul

Name	Smt. Vandita Kaul
Address	Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, 3rd floor, Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi 110 001
Date of Birth	15.05.1966
Age	51 years
Qualification	M.Sc. (Zoology) from the University of Delhi and a Diploma in Systems Management from NIIT
Nature of appointment as Director	Government Nominee Director appointed under Section 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
Experience	• Presently, serving as Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance w.e.f 5th April, 2017 holding the charge of policy and regulatory matters relating to debt recovery. • More than 27 years of experience in the area of Finance, budgeting, IT Project Management, Operations and Customer Relations Management, Social assistance, Development of backward areas and border areas, Irrigation, Urban development, E-Governance, Administration etc., • Worked under various Departments of Ministries such as Department of Financial Services, Ministry of Environment & Forests Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Home Affairs and Department of Posts. • She joined the Indian Postal Service (IPoS) in the year 1989. Appointed as Director of Bank of Maharashtra w.e.f 11.05.2017.
Directorship held in other Companies	She is also a Director on the Board of Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India.

2.5 Board Meetings:

During the Financial Year 2017-18, 13 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980.

04.05.2017	17.06.2017	10.07.2017	31.07.2017	11.08.2017	16.09.2017	10.11.2017
28.12.2017	03.01.2018	31.01.2018	06.02.2018	28.02.2018	27.03.2018	–

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13
श्री अतीश सिंह	01.04.2017 से 11.05.2017	01	00
श्रीमती वंदिता कौल	11.05.2017 से 31.03.2018	12	09
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2017 से 31.03.2018	13	07
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2017 से 26.06.2017	02	02
श्री आर. तामोधरन	01.04.2017 से 31.03.2018	13	09
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2017 से 31.03.2018	13	12
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13

2.6 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचारसंहिता निदेशक मंडल द्वारा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है। बोर्ड के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

2.7 बैंक के पास उनके निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

2.8 बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई रिश्ता नहीं है।

3. वार्षिक साधारण बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 16 जून, 2017 को अप्पासाहेब जोग हॉल, प्रधान कार्यालय, 'लोकमंगल',1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे :

1	श्री आर. पी. मराठे	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
2	श्री आर. के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक
3	श्री ए. सी. राउत	कार्यपालक निदेशक
4	श्री दीनदयाल अग्रवाल	भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक और निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
5	श्री पी. ए. सेठी	शेयर धारकों के प्रतिनिधि निदेशक
6	श्री आर. तामोधरन	शेयर धारकों के प्रतिनिधि निदेशक

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13
Shri R.K.Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13
Shri A.C. Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13
Shri Ateesh Singh	01.04.2017 to 11.05.2017	01	00
Smt Vandita Kaul	11.05.2017 to 31.03.2018	12	09
Shri G. Sreekumar	01.04.2017 to 31.03.2018	13	07
Shri P. A.Sethi	01.04.2017 to 26.06.2017	02	02
Shri R. Thamodharan	01.04.2017 to 31.03.2018	13	09
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2017 to 31.03.2018	13	12
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13

2.6 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website *www.bankofmaharashtra.in*. All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.

2.7 The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2017-18 are available on the Bank's website *www.bankofmaharashtra.in*.

2.8 None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se.

3. Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 16th June, 2017 at Appasaheb Joag Hall, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune – 411 005 where following Directors were present.

1	Shri R. P. Marathe	Managing Director and CEO
2	Shri R. K. Gupta	Executive Director
3	Shri A. C. Rout	Executive Director
4	Shri Deendayal Agrawal	Director appointed by Govt. of India and Chairman of Audit Committee of the Board
5	Shri P. A. Sethi	Director representing Shareholders
6	Shri R. Thamodharan	Director representing Shareholders

4. निदेशक मंडल की समितियां:

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है।

4.1 प्रबंधन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की पांच सदस्यीय प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी देना

ख) ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना

ग) परिसर/क्वार्टर्स व अन्य वस्तुओं को अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना तथा

घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय।

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 13 बैठकें हुईं:

17.04.2017	30.05.2017	16.06.2017	10.07.2017	01.08.2017	15.09.2017	09.10.2017
16.11.2017	13.12.2017	28.12.2017	05.02.2018	15.03.2018	28.03.2018	-

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	13	13
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2017 से 31.03.2018	13	09
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2017 से 26.06.2017	03	03
श्री आर. तामोधरन	01.04.2017 से 31.03.2018	12	09

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i	श्री आर. पी. मराठे	अध्यक्ष
ii	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iv	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य
v	श्री आर. तामोधरन	सदस्य

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है। समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/ सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा

4. Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with five members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. Functions and duties of the Management Committee are as under:

a) Sanction of credit and investment proposals,

b) Sanction of loan compromise / write off proposals,

c) Approve proposals relating to acquiring of premises/ quarters and other procurements

d) Any other matter referred by the Board.

The Committee met 13 times during the period under review on the following dates:

17.04.2017	30.05.2017	16.06.2017	10.07.2017	01.08.2017	15.09.2017	09.10.2017
16.11.2017	13.12.2017	28.12.2017	05.02.2018	15.03.2018	28.03.2018	–

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13
Shri R.K.Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13
Shri A.C. Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	13	13
Shri G. Sreekumar	01.04.2017 to 31.03.2018	13	09
Shir P.A. Sethi	01.04.2017 to 26.06.2017	03	03
Shri.R.Thamodharan	01.04.2017 to 31.03.2018	12	09

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i	Shri R.P.Marathe	Chairman
ii	Shri R.K. Gupta	Member
iii	Shri A.C. Rout	Member
iv	Shri G. Sreekumar	Member
v.	Shri R.Thamodharan	Member

4.2. Audit Committee of the Board:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation, quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.

b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of

कार्य की गुणवत्ता, पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नोस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।

घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से विभिन्न सरकारी और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।

ड.) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य पर निगरानी रखती है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अवलोकनों का अनुपालन करती है।

च) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक/ अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है। यह समिति लॉंग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है।

छ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है।

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 10 बैठकें हुईं. बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:

03.05.2017	19.05.2017	11.07.2017	31.07.2017	15.09.2017
09.11.2017	05.12.2017	19.12.2017	05.02.2018	26.03.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2017 से 31.03.2018	10	10
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	10	10
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	10	10
श्री अतीश सिंह	01.04.2017 से 11.05.2017	01	00
श्रीमती वंदिता कौल	11.05.2017 से 31.03.2018	09	08
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2017 से 31.03.2018	10	06
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2017 से 31.03.2018	10	10

* श्री ए. सी. राउत ने आमंत्रित सदस्य के रूप में एसीबी बैठक में सहभाग लिया।

श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री दीनदयाल अग्रवाल	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii.	श्रीमती वंदिता कौल	सदस्य
iv.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य
v.	डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	सदस्य

follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

c) It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.

d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.

e) ACB monitors the reports under concurrent audit, compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.

f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly / quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

g) ACB to take care of other issues entrusted to it under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the year, the ACB met 10 times and the dates of the meetings are as under:

03.05.2017	19.05.2017	11.07.2017	31.07.2017	15.09.2017
09.11.2017	05.12.2017	19.12.2017	05.02.2018	26.03.2018

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2017 to 31.03.2018	10	10
Shri R.K. Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	10	10
Shri A.C. Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	10	10
Shri Ateesh Singh	01.04.2017 to 11.05.2017	01	00
Smt Vandita Kaul	11.05.2017 to 31.03.2018	09	08
Shri G. Sreekumar	01.04.2017 to 31.03.2018	10	06
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2017 to 31.03.2018	10	10

*Shri A.C. Rout attended the ACB Meetings as invitee member.

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i.	Shri Deendayal Agrawal	Chairman
ii.	Shri R.K. Gupta	Member
iii.	Smt. Vandita Kaul	Member
iv.	Shri G. Sreekumar	Member
v.	Dr. Archana R. Dholakia	Member

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, इस समिति में चार निदेशक सदस्य हैं। समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम विगोपन शामिल हैं, नीति और रणनीति तैयार करती है।

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं।

16.06.2017	07.09.2017	09.11.2017	15.03.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2017 से 26.06.2017	01	01
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री आर. पी. मराठे	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iv.	श्री दीनदयाल अग्रवाल	सदस्य

4.4 हितधारकों की संबंध समिति:

निदेशक मंडल द्वारा बैंक के शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण की देखरेख के लिए 'हितधारकों की संबंध समिति' का गठन किया गया। समिति के चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं।

16.06.2017	16.09.2017	19.12.2017	28.02.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	**अवधि**	**समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें**	**बैठकों में उपस्थिति**
श्री आर. तामोधरन	01.04.2017 से 31.03.2018	04	03
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2017 से 26.06.2017	01	01
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2017 से 31.03.2018	04	03

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with four Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The Committee met 04 times during the year as under.

16.06.2017	07.09.2017	09.11.2017	15.03.2018

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri R.K.Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri P.A. Sethi	01.04.2017 to 26.06.2017	01	01
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i.	Shri R.P.Marathe	Chairman
ii.	Shri R.K.Gupta	Member
iii.	Shri A.C. Rout	Member
iv.	Shri Deendayal Agrawal	Member

4.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee was formed by the Board to oversee the grievances redressal of Shareholders/ Investors of the Bank. The Committee consist of four members.

The Committee met 04 times during the year as under.

16.06.2017	16.09.2017	19.12.2017	28.02.2018

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R Thamodharan	01.04.2017 to 31.03.2018	04	03
Shri R.K.Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri P.A. Sethi	01.04.2017 to 26.06.2017	01	01
Dr. Archana R.Dholakia	01.04.2017 to 31.03.2018	04	03

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री आर. तामोधरन	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iv.	डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	सदस्य

वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

01.04.2017 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	187
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	187
31.03.2018 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

4.5 शेयर अंतरण समिति:

निदेशक मंडल ने 'हितधारकों की संबंध समिति' के साथ ही 'शेयर अंतरण समिति' का गठन किया है, जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रान्समिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन करती है। समिति के 3 सदस्य हैं। बोर्ड ने आवेदनों के तत्काल निपटान हेतु 05.11.2016 से कार्यपालकों की शेयर अंतरण संवीक्षा समिति को शेयरों के संबंध में अंतरण के आवेदनों, हस्तांतरण और नाम हटाने इत्यादि के अनुमोदित आवेदनों हेतु प्राधिकारी प्रत्यायोजित किया है।

निम्नलिखित तारीखों को समिति की 05 बैठकों का आयोजन किया गया।

17.04.2017	16.06.2017	16.09.2017	09.11.2017	19.03.2018

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2017 से 31.03.2018	05	05
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	05	05
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	05	05
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2017 से 26.06.2017	02	02

31 मार्च, 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

i.	श्री आर. पी. मराठे	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य

4.6 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु यह समिति गठित की गई है। समिति में सदस्य के रुप में 5 निदेशक हैं। समिति का मुख्य कार्य रु.1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i.	Shri R Thamodharan	Chairman
ii.	Shri R.K. Gupta	Member
iii.	Shri A.C. Rout	Member
iv.	Dr. Archana R.Dholakia	Member

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2017	0
Number of complaints received during the year	187
Number of complaints resolved during the year	187
Number of complaints pending as on 31.03.2018	0

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the stock exchanges and investor grievances of the Bank.

4.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve/ note applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee consist of three members. The Board has delegated the authority to approve applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares to Share Transfer Scrutiny Committee of Executives w.e.f 05.11.2016 for speedy disposal of applications.

The Committee met 05 times on following dates as under.

17.04.2017	16.06.2017	16.09.2017	09.11.2017	19.03.2018

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2017 to 31.03.2018	05	05
Shri R.K. Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	05	05
Shri A.C. Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	05	05
Shri P.A. Sethi	01.04.2017 to 26.06.2017	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i.	Shri R.P. Marathe	Chairman
ii.	Shri R.K. Gupta	Member
iii.	Shri A.C. Rout	Member

4.6 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above.

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

16.06.2017	07.09.2017	09.11.2017	05.02.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्रीमती वंदिता कौल	11.05.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री दीनदयाल अग्रवाल	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री आर. पी. मराठे — अध्यक्ष
ii. श्री आर. के. गुप्ता — सदस्य
iii. श्री ए. सी. राउत — सदस्य
iv. श्रीमती वंदिता कौल — सदस्य
v. श्री दीनदयाल अग्रवाल — सदस्य

4.7 निदेशकों की पदोन्नति समिति:

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में पांच सदस्य हैं और यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशकगण भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

17.04.2017	15.09.2017	08.12.2017	26.03.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री अतीश सिंह	01.04.2017 से 11.05.2017	01	01
श्रीमती वंदिता कौल	11.05.2017 से 31.03.2018	03	03
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2017 से 31.03.2018	04	02

The Committee met 04 times during the year as under:

16.06.2017	07.09.2017	09.11.2017	05.02.2018

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri R.K. Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Smt Vandita Kaul	11.05.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri Deendayal Agrawal	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i. Shri R.P.Marathe — Chairman
ii. Shri R.K. Gupta — Member
iii. Shri A.C. Rout — Member
iv. Smt Vandita Kaul — Member
v. Shri Deendayal Agrawal — Member

4.7 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Managing Director and CEO, the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee consist of five member's and also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Directors are also associated with this committee

The Committee met 04 times during the year as under:

17.04.2017	15.09.2017	08.12.2017	26.03.2018

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.P. Marathe	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri R.K. Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri A.C. Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri Ateesh Singh	01.04.2017 to 11.05.2017	01	01
Smt. Vandita Kaul	11.05.2017 to 31.03.2018	03	03
Shri G. Sreekumar	01.04.2017 to 31.03.2018	04	02

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री आर. पी. मराठे	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iv.	श्रीमती वंदिता कौल	सदस्य
v.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य

4.8 ग्राहक सेवा समितिः

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति में चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

17.06.2017	05.09.2017	19.12.2017	22.03.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2017 से 26.06.2017	01	01
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2017 से 31.03.2018	04	03

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री आर. पी. मराठे	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iv.	डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	सदस्य

4.9 पारिश्रमिक समितिः

समिति का गठन पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने तथा उन्हें देय कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को अनुमोदित करने के लिए किया गया था। समिति ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन से जुडी प्रोत्साहन राशि पर निर्णय लेने हेतु दिए गए मानदंडों पर बैंक के मात्रात्मक व गुणात्मक कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया। वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्रीमती वंदिता कौल	अध्यक्ष
ii.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य
iii.	श्री आर. तामोधरन	सदस्य
iv.	श्री दीनदयाल अग्रवाल	सदस्य

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under.

i.	Shri R.P. Marathe	Chairman
ii.	Shri R.K. Gupta	Member
iii.	Shri A.C. Rout	Member
iv.	Smt. Vandita Kaul	Member
v.	Shri G. Sreekumar	Member

4.8 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank. The Committee consist of four members.

The Committee met 04 times during the year as under:

17.06.2017	05.09.2017	19.12.2017	22.03.2018

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri R.K. Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri A.C.Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri P.A. Sethi	01.04.2017 to 26.06.2017	01	01
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2017 to 31.03.2018	04	03

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i.	Shri R.P.Marathe	Chairman
ii.	Shri R. K.Gupta	Member
iii.	Shri A.C. Rout	Member
iv.	Dr. Archana R.Dholakia	Member

4.9 Remuneration Committee:

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for determining the performance-linked incentive payable to them. The Committee evaluates the qualitative and quantitative performance of the Bank on the given parameters, to decide on the performance linked incentive, admissible to the Whole Time Directors of the Bank. No such meeting of Committee was held during the year 2017-18.

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i.	Smt. Vandita Kaul	Chairman
ii.	Shri G. Sreekumar	Member
iii.	Shri R. Thamodharan	Member
iv.	Shri Deendayal Agrawal	Member

4.10 नामांकन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति में चार गैर-कार्यपालक निदेशक हैं श्रीमती वंदिता कौल, श्री जी. श्रीकुमार, डॉ. अर्चना आर. धोलकिया और श्री आर. तामोधरन। श्री आर. तामोधरन को दिनांक 17.06.2017 से समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई:

03.06.2017	15.06.2017

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्रीमती वंदिता कौल	11.05.2017 से 31.03.2018	02	02
श्री जी. श्रीकुमार	01.04.2017 से 31.03.2018	02	02
डॉ. अर्चना धोलकिया	01.04.2017 से 31.03.2018	02	02

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्रीमती वंदिता कौल	अध्यक्ष
ii.	श्री जी. श्रीकुमार	सदस्य
iii.	डॉ. अर्चना धोलकिया	सदस्य
iv.	श्री आर. तामोधरन	सदस्य

4.11 प्रौद्योगिकी समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी की उचित रणनीति का चयन करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के सभी पहलुओं की देखरेख हेतु बैंक में निदेशक मंडल की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया था। समिति के चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुई :

04.05.2017	10.07.2017	13.12.2017	28.02.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. तामोधरन	01.04.2017 से 31.03.2018	04	03
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04
श्री पी. ए. सेठी	01.04.2017 से 26.06.2017	01	01
डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	01.04.2017 से 31.03.2018	04	04

4.10 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and accord 'fit and proper' status in respect of the elected Shareholder Directors. The Committee comprised of four non-executive directors, i.e. Smt. Vandita Kaul, Shri G. Sreekumar, Dr. Archana R. Dholakia and Shri R. Thamodharan. Shri R. Thamodharan was appointed as member of the committee w.e.f 17.06.2017.

The Committee met 02 times during the year as under:

03.06.2017	15.06.2017

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Smt. Vandita Kaul	11.05.2017 to 31.03.2018	02	02
Shri G.Sreekumar	01.04.2017 to 31.03.2018	02	02
Dr. Archana Dholakia	01.04.2017 to 31.03.2018	02	02

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under.

i.	Smt. Vandita Kaul	Chairman
ii.	Shri G.Sreekumar	Member
iii.	Dr. Archana Dholakia	Member
iv.	Shri R. Thamodharan	Member

4.11 Technology Committee:

The Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans. The Committee consist of four members.

The Committee met 04 times during the year as under:

04.05.2017	10.07.2017	13.12.2017	28.02.2018

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R. Thamodharan	01.04.2017 to 31.03.2018	04	03
Shri R.K. Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri A.C.Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04
Shri P.A. Sethi	01.04.2017 to 26.06.2017	01	01
Dr. Archana R. Dholakia	01.04.2017 to 31.03.2018	04	04

31 मार्च 2018 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i.	श्री आर. तामोधरन	अध्यक्ष
ii.	श्री आर. के. गुप्ता	सदस्य
iii.	श्री ए. सी. राउत	सदस्य
iv.	डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	सदस्य

4.12 ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी 2012 को किया गया। समिति को व्यक्तिगत रु.250.00 करोड़ तक के, समूह विगोपन हेतु रु.500.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकार प्रदान किए गए हैं। प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

ii. कार्यपालक निदेशक/निदेशकगण

iii. महाप्रबंधक, ऋण

iv. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

v. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा

vi. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता

vii.महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं

वर्ष के दौरान समिति की 30 बैठकें निम्नानुसार दिनांकों को हुईं।

क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक	क्र.	दिनांक
01	07.04.2017	11	19.08.2017	21	29.12.2017
02	13.04.2017	12	06.09.2017	22	09.01.2018
03	27.04.2017	13	12.09.2017	23	30.01.2018
04	13.05.2017	14	28.09.2017	24	03.02.2018
05	24.05.2017	15	11.10.2017	25	16.02.2018
06	15.06.2017	16	25.10.2017	26	01.03.2018
07	22.06.2017	17	07.11.2017	27	03.03.2018
08	04.07.2017	18	30.11.2017	28	21.03.2018
09	15.07.2017	19	04.12.2017	29	27.03.2018
10	02.08.2017	20	16.12.2017	30	31.03.2018

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	समिति में उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री आर. पी. मराठे	01.04.2017 से 31.03.2018	30	30
श्री आर. के. गुप्ता	01.04.2017 से 31.03.2018	30	30
श्री ए. सी. राउत	01.04.2017 से 31.03.2018	30	29

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

i. महाप्रबंधक, ऋण

ii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

iii. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा

iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार

v. महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

The composition of the Committee as on 31st March, 2018 is as under:

i.	Shri. R.Thamodharan	Chairman
ii.	Shri. R.K.Gupta	Member
iii.	Shri. A.C.Rout	Member
iv.	Dr. Archana R. Dholakia	Member

4.12 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to Rs.250.00 crore for individual, Rs.500.00 crore for group exposure and loan compromise/write off proposals as delegated by the Board. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

i. Chairman & Managing Director/ MD & CEO

ii. Executive Director/s

iii. General Manager, Credit

iv. General Manager, Integrated Risk Management

v. General Manager, Financial Management & Accounts

vi. General Manager, Credit Priority

vii. General Manager, Recovery and Legal Services.

The Committee met 30 times during the year on the dates given below.

Sr. No	Date	Sr. No	Date	Sr. No	Date
01	07.04.2017	11	19.08.2017	21	29.12.2017
02	13.04.2017	12	06.09.2017	22	09.01.2018
03	27.04.2017	13	12.09.2017	23	30.01.2018
04	13.05.2017	14	28.09.2017	24	03.02.2018
05	24.05.2017	15	11.10.2017	25	16.02.2018
06	15.06.2017	16	25.10.2017	26	01.03.2018
07	22.06.2017	17	07.11.2017	27	03.03.2018
08	04.07.2017	18	30.11.2017	28	21.03.2018
09	15.07.2017	19	04.12.2017	29	27.03.2018
10	02.08.2017	20	16.12.2017	30	31.03.2018

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as Under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri R.P.Marathe	01.04.2017 to 31.03.2018	30	30
Shri R.K. Gupta	01.04.2017 to 31.03.2018	30	30
Shri A.C.Rout	01.04.2017 to 31.03.2018	30	29

The meetings were also attended by the following executives.

i. General Manager, Credit

ii. General Manager, Integrated Risk Management

iii. General Manager, Financial Management & Accounts

iv. General Manager, Credit Priority – As per requirement

v. General Manager, Recovery- As per requirement

4.13 वर्ष के दौरान वसूली निगरानी समिति (04), इरादतन चूक पहचान की समीक्षा हेतु निदेशक मंडल समिति (04), मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति (04) और भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना की प्रगति की निगरानी व पुनरीक्षा हेतु समिति (04) तथा अपीलीय/ समीक्षा प्राधिकरण के रूप में निदेशक मंडल समिति (03) की बैठकें भी आयोजित हुई।

(कोष्टक के आंकड़े वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या दर्शाते हैं)

4.14 अन्य समितियां:

विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और परिचालनगत मार्गदर्शन/मंजूरियों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, उच्च प्रबंधन समिति, उच्च स्तरीय ऋण समिति तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि समितियां भी हैं।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक:

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन होता है। बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

क) वर्ष 2017-18 के दौरान प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है -

क्रमांक	नाम	पदनाम	राशि (रु)
1	श्री आर. पी. मराठे	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	26,52,792.00
2	श्री आर. के. गुप्ता	कार्यपालक निदेशक	24,02,934.67
3	श्री ए. सी. राउत	कार्यपालक निदेशक	23,00,121.65

ख) वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशकों को कार्यनिष्पादन से जुडी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ग) बैंक की कोई स्टॉक विकल्प नीति नहीं है।

वर्ष 2017-18 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है)।

अनु. क्र	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (रु.)
01	श्री आर. तामोधरन (भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रदत्त)	3,50,000
02	डॉ. अर्चना आर. धोलकिया	4,90,000
03	श्री दीनदयाल अग्रवाल	5,70,000
04	श्री पी. ए. सेठी	1,40,000
	कुल	**15,50,000**

इसके अलावा क्रमशः दिनांक 17.04.2017, 15.09.2017, 08.12.2017 और 26.03.2018 को मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की बैठक में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे और श्रीमती गितिका कपूर को प्रति व्यक्ति रू.10,000/- बैठक शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।

4.13 The meetings of Committee for Monitoring Recovery (04), Committee of the Board for review of identification of willful default (04), Steering Committee of the Board on HR (04), Committee to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India (04) and Committee of Board as Appellate/Reviewing Authority (03) were also held during the year.

(Figures in bracket denote number of meetings held during the year)

4.14 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee, High Level Credit Committee and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/sanctions.

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Managing Director & CEO and two Executive Directors (3 whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Govt. of India.

A) The details of salaries paid to the Managing Director & CEO and Executive Directors during the year 2017-18 are as under:

Sr. No.	Name	Designation	Amount (in Rs.)
1	Shri R.P. Marathe	Managing Director & CEO	26,52,792.00
2	Shri R.K. Gupta	Executive Director	24,02,934.67
3	Shri A.C. Rout	Executive Director	23,00,121.65

B) No Performance linked Incentive was paid to the Directors during the Financial Year 2017-18:

C) The Bank does not have any stock options policy.

The total Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors during the year 2017-18 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India and official Director representing Reserve Bank of India).

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (Rs.)
01	Shri R. Thamodharan (paid to LIC of India)	3,50,000
02	Dr. Archana R. Dholakia	4,90,000
03	Shri Deendayal Agrawal	5,70,000
04	Shri P. A Sethi	1,40,000
	Total	**15,50,000**

Besides this sitting fees of Rs.10,000/- each is paid to External experts i.e. Mrs. S.A. Panse and Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 17.04.2017, 15.09.2017, 08.12.2017 and 26.03.2018 respectively.

6. सर्वसाधारण बैठकें :

6.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	उद्देश्य
बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक	29 जून 2015 को प्रात: 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे -411005	i) वर्ष 2014-2015 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना और वर्ष 2014-2015 के लिए लाभांश की घोषणा ii) एफपीओ/ राईट्स/ क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से उगाही गई पूंजी (विशेष संकल्प) iii) एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव
असाधारण सामान्य बैठक	06 अक्तूबर, 2015 को प्रात: 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आधार पर आबंटन का अनुमोदन (विशेष संकल्प)
तेरहवीं वार्षिक साधारण बैठक	29 जून 2016 को प्रात: 10.00 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर पुणे -411005	i) वर्ष 2015-16 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट्स इश्यू /क्यूआईपी आदि द्वारा पूंजी उगाहने के लिए (विशेष संकल्प)
असाधारण सामान्य बैठक	03 मई, 2017 को प्रात: 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आधार पर आबंटन का अनुमोदन (विशेष संकल्प)
चौदहवीं वार्षिक साधारण बैठक	16 जून, 2017 को प्रात: 10.45 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	i) वर्ष 2016-17 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना। ii) एफपीओ/ राईट्स इश्यू /क्यूआईपी आदि द्वारा पूंजी उगाहने के लिए (विशेष संकल्प) iii) एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन (केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ था जो उपयुक्त व उचित नहीं पाया गया)
असाधारण सामान्य बैठक	16 फरवरी, 2018 को प्रात: 10.30 बजे	अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर पुणे - 411005	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आधार पर आबंटन का अनुमोदन (विशेष संकल्प)

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below:

Nature	Date & Time	Venue	Purpose
Twelfth Annual General Meeting	At 10.30 a.m. on 29th June, 2015	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of audited Annual accounts for the year 2014-15 and declaration of dividend for the year 2014-15. ii) To raise capital through FPO/ Rights/ QIP etc., (Special Resolution). iii) Election of one Shareholder director.
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 06th October, 2015	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	Approval for issue of equity shares on preferential basis to Government of India by (Special Resolution).
Thirteenth Annual General Meeting	At 10.00 a. on 29th June, 2016	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of audited Annual accounts for the year 2015-16. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP etc., (Special Resolution).
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 03rd May, 2017	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	Approval for issue of equity shares on preferential basis to Government of India by (Special Resolution).
Fourteenth Annual General Meeting	At 10.45 a.m on 16th June, 2017	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	i) Adoption of audited Annual accounts for the year 2016-17. ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). iii) Election of one Shareholder director. (Only one nomination was received, which was not found to be Fit and Proper).
Extra Ordinary General Meeting	At 10.30 a.m. on 16th February, 2018	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005.	Approval for issue of equity shares on preferential basis to Government of India by (Special Resolution).

6.2 दिनांक 16.06.2017 को संपन्न चौदहवीं वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित हुए।

क. रू.2000/- करोड़ तक एफपीओ/ राईट्स इश्यू/ क्यूआईपी इत्यादि से पूंजी उगाहना।

6.3 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान डाक मतपत्र के द्वारा कोई विशेष संकल्प जारी नहीं करना।

6.4 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने समय-समय पर भारत के राष्ट्रपति का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा।

7. प्रकटीकरण:

7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष टकराव हुआ हो। संबंधित पार्टी लेनदेन तथा सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण पर बैंक द्वारा नीति अपनायी गयी है तथा यह बैंक की वेबसाईटः www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया। विनियामक प्राधिकारियों नामतः सेबी, स्टॉक एक्स्चेंज और अन्य विधिक प्राधिकारी द्वारा किसी कानून, दिशानिर्देश और निदेशों या पूंजी बाजार से संबंधित मामलों का अनुपालन न करने पर, बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला निदेशक की गैर-नियुक्ति के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) द्वारा उनके संप्रेषण दिनांक 06/05 अक्तूबर, 2015 के अनुसार रू.1,42,000/- की धनराशि के अलावा कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तथापि केंद्र सरकार द्वारा दि. 28.01.2016 से महिला निदेशक की नियुक्ति की गयी थी।

7.3 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण निदेशकों की रिपोर्ट के अंग है।

7.4 सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन।

बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक सभी अनिवार्य आवश्यकताओं सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम भी उठाए।

क) निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया-

i. सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार सीईओ/सीएफओ प्रमाणन, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं महाप्रबंधक-वित्तीय प्रबंधन व लेखा (मुख्य वित्तीय अधिकारी) ने निदेशक मंडल को प्रमाणित किया है कि बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई अवास्तविक कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छोडी नहीं गई है कि बैंक के वित्तीय विवरणों में कोई अवास्तविक कथन नहीं है अथवा कोई भ्रामक विवरण नहीं दिया गया है। सभी विवरण मिलकर बैंक के कार्यकलापों का सही और वास्तविक ब्योरा प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान लेखा मानकों, लागू कानून और विनियमावलियों का अनुपालन सिद्ध करते हैं। प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का अंग हैं।

ii ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी संव्यवहार नहीं है जिससे बैंक के हितों के साथ बड़े पैमाने पर संभावित टकराव हो। इस संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर नोट्स में संबंधित पार्टी संव्यवहारों का प्रकटन किया है।

iii व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति का भाग बनाया गया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह भी बताया गया कि किसी भी कर्मचारी को समुचित प्राधिकारियों से संपर्क से मना नहीं किया गया।

6.2 In the Fourteenth Annual General Meeting held on 16.06.2017, following Special Resolution was passed:

a. To raise capital through FPO/ Rights issue/ QIP/ Preferential issue etc., upto Rs.2,000/- Crore.

6.3 No special Resolution was passed through Postal Ballot during the financial year 2017-18.

6.4 The Ministry of Finance, Government of India had sent an authorized representative of President of India, to attend the General Meetings of the Bank from time to time.

7. Disclosures:

7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. Bank has adopted the policy on Related Party Transactions and Determination of Material subsidiaries and same are available on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

7.2 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the BSE Ltd and National Stock Exchange of India Ltd., vide their communication dated 06th/05th October, 2015 to the tune of Rs.1,42,000/- for non-appointment of Woman Director. However, Woman Director was appointed by the Central Government w.e.f 28.01.2016.

7.3 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

7.4 Compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Bank has complied with all the mandatory requirements of provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non-mandatory requirements.

a) Following mandatory requirements are complied with:

i. CEO/CFO Certification as per provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Managing Director and Chief Executive Officer & General Manager FM&A (Chief Financial Officer) of the Bank have certified to the Board that the financial statements do not contain an materially untrue statement or omit any material fact or contains statement that might be misleading and that the statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing Accounting Standards, applicable Laws and Regulations. The certificate forms part of the Annual Report.

ii. There is no materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

iii. Whistle Blower policy is made a part of the Fraud Risk Management Policy approved by the Board. It is further stated that no employee has been denied access to the Appropriate authorities.

iv. संबंधित पार्टी संव्यवहार पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर पोस्ट की गई है। संबंधित पार्टी संव्यवहारों के विवरण का उल्लेख एएस -18 के अंतर्गत किया गया है।

v. बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर पोस्ट किया है।

vi. निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर पोस्ट की गई है।

vii बैंक ने मटेरियल सब्सिडीयरी नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर पोस्ट किया है तथापि वर्तमान में बैंक की कोई मटेरियल सब्सिडीयरी नहीं है।

viii. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण :

अनु. क्र.	निदेशक का नाम	प्रशिक्षण /स्थान/ कार्यक्रम की जानकारी	अवधि	व्यतीत किए गए घंटे
1	श्री दीनदयाल अग्रवाल	हैदराबाद में आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित बैंकिंग टेक्नॉलॉजी पर सेमिनार	21.07.2017 से 22.07.2017	16 घंटे
2	श्री दीनदयाल अग्रवाल	मानेसर में आईआईसीए द्वारा आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका व उत्तरदायित्व	10.01.2018 से 11.01.2018	16 घंटे
3	श्री दीनदयाल अग्रवाल	मुंबई में सीएएफआरएएल द्वारा आयोजित गैर कार्यपालक निदेशकों के लिए कार्यक्रम	16.03.2018 से 17.03.2018	16 घंटे

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा जारी प्रमाणपत्र उस सीमा तक लागू हैं जो वार्षिक रिपोर्ट का अंग बनाते हैं।

ख) निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुसरण किया गया-

अनु.क्र.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
क.	**निदेशक मंडल** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय का पात्र हो सकता है और उसे उसके दायित्वों के निष्पादन हेतु उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जा सकती है।	बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के माध्यम से नियंत्रित होता है जिसमें कि सभी निदेशक अधिनियम के 9 (3)(i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चयनित निदेशकों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित निदेशक होते हैं।
ख.	**शेयरधारक अधिकार** प्रत्येक शेयरधारक को पिछले छह माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए	तिमाही / दिनांक तक वर्ष / वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं और समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं और बैंक की वेबसाइट पर रखे जाते हैं। जैसे, शेयरधारकों को जानकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजी जाती है।

iv. The Bank's policy on Related Party transactions is posted on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. The details of related party transactions are mentioned under AS-18.

v. Bank had formulated Dividend Distribution Policy and same is posted on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in

vi. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

vii. Bank had formulated Material Subsidiary Policy and same is posted on Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in. However, Bank does not have any material subsidiary at present.

viii. Training of Board members:

Sr. No.	Name of Director	Particulars of Program/ Training/ Venue	Period	No. of Hours spent
1	Shri Deendayal Agrawal	Seminar on Banking Technology organized by IDRBT at Hyderabad	21.07.2017 to 22.07.2017	16 hours
2	Shri Deendayal Agrawal	Role & responsibilities of independent directors organized by IICA at Manesar.	10.01.2018 to 11.01.2018	16 hours
3	Shri Deendayal Agrawal	Program for Non Executive Directors organized by CAFRAL at Mumbai	16.03.2018 to 17.03.2018	16 hours

The Certificate issued by Statutory Central Auditors (SCAs) in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent applicable forms part of the Annual Report.

b) Following non-mandatory requirements are complied with:

Sr. No.	Non-mandatory Requirements	Status of compliance
A.	**The Board** A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, where all the Directors are appointed / nominated by Government of India except Directors to be elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3)(i) of the Act.
B.	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website. As such, information to Shareholders is not sent individually.

ग.	**लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित दृष्टिकोण** सूचीबद्ध इकाई असंशोधित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के साथ वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अंतरित हो सकती है।	बैंक की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है
घ.	**अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के विशिष्ट पद** सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है।	बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के माध्यम से नियंत्रित होता है जिसमें कि सभी निदेशक अधिनियम के 9 (3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से चयनित निदेशकों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित निदेशक होते हैं।
ड.	**आंतरिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति को सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं।	आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य/ इसकी संदर्भाधीन शर्तें तथा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन व इसकी संदर्भाधीन शर्तें विनियामक अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों / परिपत्रों के माध्यम से अभिशासित होती हैं, जिनका बैंक अनुपालन करता है।

8. संप्रेषण के साधन:

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अलावा बैंक द्वारा वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए गए। परिणामों को बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी साथ-साथ ही उपलब्ध किया जाता है और शेयर बाजार को प्रस्तुत किया जाता है। बैंक के वित्तीय परिणामों और भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए बैंक विश्लेषक/ संस्थागत निवेशक सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति/कॉन्फ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/ अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

को समाप्त अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन का दिनांक
	मराठी	अंग्रेजी	
जून 2017	लोकसत्ता	फिनांशियल एक्स्प्रेस	01.08.2017
सितंबर 2017	लोकसत्ता	फिनांशियल एक्स्प्रेस	11.11.2017
दिसंबर 2017	लोकसत्ता	फिनांशियल एक्स्प्रेस	07.02.2018
मार्च 2018	लोकसत्ता	फिनांशियल एक्स्प्रेस	05.05.2018

9. सामान्य शेयरधारकों का ब्यौरा:

9.1 पंद्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:

लेखों पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	दिनांक 04 मई 2018
पंद्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय	गुरूवार, दिनांक 21 जून, 2018 को प्रातः 10.30 बजे, अप्पा साहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 में.
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	30 मई, 2018
बहियों के बंद होने का दिनांक	15 जून 2018 से 21जून 2018

C.	**Modified opinion(s) in audit report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There is no qualification in the Auditors report of the Bank.
D.	**Separate posts of chairperson and chief executive officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The composition of the Board of Directors of the Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, where all the Directors are appointed / nominated by Government of India except Directors to be elected from amongst Shareholders other than Central Government u/s 9(3) (i) of the Act.
E.	**Reporting of Internal auditor** The internal auditor may report directly to the audit committee.	The Internal Audit function / its terms of reference and composition of the Audit Committee of the Board & its terms of reference are governed through the guidelines / circulars issued by the Regulator i.e. Reserve Bank of India from time to time, which the Bank complied.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily. The results are simultaneously displayed on the Bank's website _www.bankofmaharashtra.in_ and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Analysts/Institutional Investor meets, press conference/releases etc., for announcing bank's financial results and its future plans.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the Newspaper		Date of publication
	Marathi	English	
June 2017	Loksatta	Financial Express	01.08.2017
September 2017	Loksatta	Financial Express	11.11.2017
December 2017	Loksatta	Financial Express	07.02.2018
March 2018	Loksatta	Financial Express	05.05.2018

9. General Shareholder Information:

9.1 Particulars of the Fifteenth Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts	04th May, 2018
Date, Time and Venue of Fifteenth AGM.	At 10.30 am on Thursday, the 21st June, 2018 at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.
Posting of Annual Report	30th May, 2018
Dates of Book Closure	15th June, 2018 to 21st June, 2018

9.2 वित्तीय कैलेंडर 2018-19 (अनंतिम):

निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2018	14 अगस्त 2018 को या इससे पूर्व
30 सितंबर, 2018	14 नवंबर 2018 को या इससे पूर्व
31 दिसंबर, 2018	14 फरवरी 2019 को या इससे पूर्व
31 मार्च, 2019 (वार्षिक)	18 मई 2019 को या इससे पूर्व

9.3 स्टॉक एक्सचेजों पर सूचीबध्द शेयरों के ब्योरे:

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबध्द किए गए हैं:

बीएसई लिमिटेड पताः फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पताः एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

9.4 स्टॉक कोड :

बीएसई लिमिटेड (बीएसई) : 532525

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) : MAHABANK EQ

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान क्रमांक (आईएसआईएन) : INE457A01014

स्टॉक एक्सचेंजों को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

बैंक विभिन्न बॉण्ड (टीयर I और टीयर II पूंजी) तथा समय-समय पर इंफ्रा बॉण्ड जारी करता है। 31.03.2018 को बकाया बॉण्ड्स के ब्यौरे निम्नानुसार है

क्र.	बॉण्ड्स के प्रकार	आईएसआईएन	आंबटन/ जारी करने का दिनांक	मूलधन राशि (रु. करोड़ में)	अवधि (माह में)	कूपन दर % (प्रति वर्ष)
1	बेमियादी टीयर 1	INE457A09165	30.09.2009	70.00	बेमियादी	9.25
2	गौण टीयर 2	INE457A09132	15.01.2008	200.00	123	9.20
3	गौण टीयर 2	INE457A09140	30.09.2009	130.00	115	8.74
4	गौण टीयर 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00
5	बेसल III टीयर 2	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20
6	उच्च टीयर 2	INE457A09157	30.09.2009	100.00	180	8.95
7	उच्च टीयर 2	INE457A09173	01.02.2010	300.00	180	8.65
8	इंफ्रा बॉण्ड	INE457A09207	20.10.2014	1000.00	84	9.40
		कुल		3,300.00		

9.5 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:-

(बाजार मूल्य डाटा रुपए में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

माह	बीएसई			एनएसई			सेंसेक्स	
	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून	मात्रा	उच्च	न्यून
अप्रैल, 2017	37.00	33.30	1267263	37.05	33.30	8307684	30184	29241
मई, 2017	40.70	29.80	2826179	40.75	29.75	17383219	31255	29804

9.2 Financial Calendar 2018-19 (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2018	On or Before 14th August 2018
30th September 2018	On or Before 14th November 2018
31st December 2018	On or Before 14th February 2019
31st March 2019 (Annual)	On or Before 18th May 2019

9.3 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

BSE Limited Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001	National Stock Exchange of India Limited Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra (E), Mumbai - 400051

9.4 Stock code:

BSE Limited (BSE): 532525

National Stock Exchange of India Limited (NSE): MAHABANK EQ

International Security Identification Number (ISIN): INE457A01014

The annual listing fees for the financial year 2017-18 has been paid to the Stock Exchanges.

The Bank has issued various bonds (Tier I and II capital) and Infra bonds from time to time. The details of outstanding Bonds as on 31.03.2018 are given as below:

Sr. No.	Type of Bonds	ISIN	Date of Allotment/ Issue	Principal Amount (Rs. In cr)	Tenor (in Months)	Coupon Rate% (p.a)
1	Perpetual Tier 1	INE457A09165	30.09.2009	70.00	Perpetual	9.25
2	Subordinate Tier 2	INE457A09132	15.01.2008	200.00	123	9.20
3	Subordinate Tier 2	INE457A09140	30.09.2009	130.00	115	8.74
4	Subordinate Tier 2	INE457A09199	31.12.2012	1000.00	120	9.00
5	Basel III Tier 2	INE457A08035	27.06.2016	500.00	123	9.20
6	Upper Tier 2	INE457A09157	30.09.2009	100.00	180	8.95
7	Upper Tier 2	INE457A09173	01.02.2010	300.00	180	8.65
8	Infra Bond	INE457A09207	20.10.2014	1000.00	84	9.40
		Total		3,300.00		

9.5 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

Month	BSE			NSE			SENSEX	
	High	Low	Volume	High	Low	Volume	High	Low
April, 2017	37.00	33.30	1267263	37.05	33.30	8307684	30184	29241
May, 2017	40.70	29.80	2826179	40.75	29.75	17383219	31255	29804

जून, 2017	31.60	27.50	584984	31.50	27.40	3817524	31430	30681
जुलाई, 2017	30.00	26.90	683826	30.15	26.85	4095439	32673	31017
अगस्त, 2017	29.10	25.10	425143	29.30	25.00	2308418	32686	31128
सितंबर, 2017	27.00	25.00	474012	27.00	25.00	2464532	32524	31082
अक्तूबर, 2017	30.25	24.50	1228537	30.20	24.50	6697523	33340	31440
नवंबर, 2017	29.90	26.40	1088996	29.40	26.05	5531791	33866	32684
दिसंबर, 2017	27.25	20.80	3487252	27.40	20.60	30121499	34137	32565
जनवरी, 2018	24.75	19.40	4743691	25.00	19.40	32700091	36444	33703
फरवरी, 2018	20.45	16.00	3327431	20.20	16.00	20920614	36257	33554
मार्च, 2018	16.95	13.50	4130278	16.95	13.35	26246196	34279	32484

9.6 प्रति शेयर डाटा:

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
अंकित मूल्य (रु.)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (रु.)	(8.98)	(11.75)
लाभांश (%)	शून्य	शून्य
बही मूल्य (रु.)	23.73	46.96
निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में लाभांश पे-आउट (लाभांश कर को छोड़कर)	शून्य	शून्य

9.7 ईश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट का ब्यौरा:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, (इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र), कार्यालय क्र. 002, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी. डि'मेलो रोड, (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई -400009

9.8 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहायता:

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, मुंबई, बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं। शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) ऑफिस क्रमांक 002 तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी डि'मेलो रोड, (घड़ियाल गोदी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400009 टेलीफोन: (022) - 40206022 / 23 /24 फैक्स: (022) - 40206021 ई-मेल : subodh@mcsregistrars.com mparase@mcsregistrars.com	बैंक ऑफ महाराष्ट्र निवेशक सेवाएं विभाग लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर पुणे - 411 005 फोन : (020) 25511360 ई-मेल : compsec@mahabank.co.in investor_services@mahabank.co.in

June, 2017	31.60	27.50	584984	31.50	27.40	3817524	31430	30681
July, 2017	30.00	26.90	683826	30.15	26.85	4095439	32673	31017
August, 2017	29.10	25.10	425143	29.30	25.00	2308418	32686	31128
September, 2017	27.00	25.00	474012	27.00	25.00	2464532	32524	31082
October, 2017	30.25	24.50	1228537	30.20	24.50	6697523	33340	31440
November, 2017	29.90	26.40	1088996	29.40	26.05	5531791	33866	32684
December, 2017	27.25	20.80	3487252	27.40	20.60	30121499	34137	32565
January, 2018	24.75	19.40	4743691	25.00	19.40	32700091	36444	33703
February, 2018	20.45	16.00	3327431	20.20	16.00	20920614	36257	33554
March, 2018	16.95	13.50	4130278	16.95	13.35	26246196	34279	32484

9.6 Per Share Data:

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Face Value (Rs.)	10/-	10/-
EPS (Rs.)	(8.98)	(11.75)
Dividend (%)	Nil	Nil
Book Value (Rs.)	23.73	46.96
Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit	Nil	Nil

9.7 Details of Registrar to an issue and Share Transfer Agents:

MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai – 400 009.

9.8 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Share Transfer Agent Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai – 400 009. Tel: (022) 40206022/23/24 Fax: (022) 40206021 Email: subodh@mcsregistrars.com/ mparase@mcsregistrars.com	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020) 25511360 Email: compsec@mahabank.co.in investor_services@mahabank.co.in

बैंक द्वारा जारी बॉण्डों के ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)
पता	जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलनी (राइट) कोथरूड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत
फोन क्र.	020-25280081
फैक्स क्र.	020-25280275
ई-मेल	dt@gdatrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी का नाम	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.
पता	एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनैशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई - 400 025, महाराष्ट्र, भारत
फोन नं.	022- 62260054/50
ई-मेल	debenturetrustee@axistrustee.com

9.9 शेयरधारिता का वितरण:

31.03.2018 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	161085	87.78	22116170	0.85
501-1000	11235	6.12	9358093	0.36
1001-2000	5634	3.07	8673843	0.33
2001-3000	1830	1.00	4728526	0.18
3001-4000	878	0.48	3177087	0.12
4001-5000	712	0.39	3395793	0.13
5001-10000	1142	0.62	8564817	0.33
10000* से अधिक	996	0.54	2538440078	97.70
कुल	**183512**	**100.00**	**2598454407**	**100.00**
(* भारत सरकार द्वारा धारित 226,09,23,433 शेयरों का समावेश है)				

9.10 शेयरों का डी-मैटीकरण:

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपाजिटरी को भुगतान कर दिया गया है।

The details of the Trustee for the bonds issued by the Bank are as under.

Name of the debenture trustee	Catalyst Trusteeship Limited (Formerly known as GDA Trusteeship Limited
Address	GDA House, S. No 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune 411038, Maharashtra, India
Phone Number	020-25280081
Fax Number	020-25280275
E -mail	dt@gdatrustee.com

Name of the debenture trustee	Axis Trustee Services Ltd
Address	Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg,Worli Mumbai – 400 025, Maharashtra, India
Phone Number	022- 62260054/50
E -mail	debenturetrustee@axistrustee.com

9.9 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.03.2018 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Up to 500	161085	87.78	22116170	0.85
501 -1000	11235	6.12	9358093	0.36
1001-2000	5634	3.07	8673843	0.33
2001-3000	1830	1.00	4728526	0.18
3001-4000	878	0.48	3177087	0.12
4001-5000	712	0.39	3395793	0.13
5001-10000	1142	0.62	8564817	0.33
Above 10000*	996	0.54	2538440078	97.70
Total	183512	100.00	2598454407	100.00
[* Includes 226,09,23,433 shares held by the Government of India]				

9.10 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2017-18 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

31.03.2018 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार हैं:-

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	46559	25.37	6768977	0.26
डीमैट:				
1. एनएसडीएल	91587	49.91	298122914	11.47
2. डीएसएल*	45366	24.72	2293562516	88.27
उप जोड़	136953	74.63	2591685430	99.74
कुल	183512	100.00	2598454407	100.00

(*भारत सरकार द्वारा धारित 226,09,23,433 शेयरों सहित)

9.11 आउटस्टैंडिंग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन दिनांक और ईक्विटी पर संभावित प्रभाव : लागू नहीं

9.12 पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां:

अनुसूची क्र.18 - खातों पर टिप्पणियां में विगोपन उपलब्ध है।

9.13 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस):

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। तथापि शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/कोर बैंकिंग सोल्युशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की नोटिस के साथ संलग्न है, जिसे शेयरधारकों, भौतिक रूप में शेयरों का धारण करने वाले, द्वारा भरकर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाए। डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से उनके बैंक खाते ब्यौरे अद्यतित करने के लिए संपर्क करें।

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक को लाभांश का भुगतान जमा करने हेतु अपने सीबीएस खातों का विवरण सूचित करें ।

9.14 अदत्त लाभांश:

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्षों 2010-2011, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण न किया हो, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए उक्त पते पर रजिस्ट्रार/बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान या बिना दावे के खाते में पडी है, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी (1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित ''निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि'' (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा ।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 से अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया गया तथा इसका ब्यौरा बैंक के वेबसाईट में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2010-11 हेतु दावा न किया गया/ अदत्त लाभांश को विनिर्दिष्ट समय सीमा में उक्त निधि को अंतरित किया जाएगा।

Particulars of shares held by the shareholders as on 31.03.2018 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	46559	25.37	6768977	0.26
Demat:				
1. NSDL	91587	49.91	298122914	11.47
2. DSL*	45366	24.72	2293562516	88.27
Sub-total	136953	74.63	2591685430	99.74
Total	183512	100.00	2598454407	100.00

(* Including 226,09,23,433 shares held by the Government of India)

9.11 Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: *Not applicable*

9.12 Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:

Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.

9.13 National Electronic Clearing Services (NECS):

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards payment of dividend

9.14 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 and 2009-10 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The details are displayed on the Bank's website. The dividend for the year 2010-11 remaining unclaimed/ unpaid will be transferred to the said fund within the prescribed time limits.

9.15 शेयरधारिता का स्वरूप:

दिनांक 31.03.2018 तथा 31.03.2017 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयर धारक की श्रेणी	31.03.2018 को		31.3.2017 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	226,09,23,433	87.01	95,35,24,561	81.61
म्युच्युअल फंड/यूटीआई	1,81,900	0.01	28,426	0.00
बैंक/वित्तीय संस्थान	7,65,86,297	2.95	4,39,117	0.04
बीमा कंपनियां	16,15,98,754	6.22	15,26,90,471	13.07
विदेशी संस्थागत निवेशक	25,73,027	0.10	29,65,209	0.25
घरेलू कंपनियां	1,25,70,583	0.48	35,82,983	0.31
न्यास (ट्रस्ट)	1,12,125	0.00	1,12,025	0.01
भारतीय निवासी व्यक्ति	8,03,93,302	3.09	5,27,03,339	4.51
अनिवासी व्यक्ति	35,14,886	0.14	22,87,477	0.20
विदेशी निगमित निकाय	100	0.00	100	0.00
कुल	259,84,54,407	100.00	116,83,33,708	100.00

9.16 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल:

'हरित पहल' के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95 /2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की बैंक को जानकारी दें / अद्यतित करें ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/ संप्रेषण/ दस्तावेज इलेक्ट्रानिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 16 जून 2017 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 71997 शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से भेजी गई।

9.15 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank's shares as on 31.03.2018 and 31.03.2017 was as under:

Category of shareholder	As on 31.03.2018		As on 31.03.2017	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	226,09,23,433	87.01	95,35,24,561	81.61
Mutual Fund/ UTI	1,81,900	0.01	28,426	0.00
Banks/Financial Institutions	7,65,86,297	2.95	4,39,117	0.04
Insurance Companies	16,15,98,754	6.22	15,26,90,471	13.07
Foreign Institutional Investors	25,73,027	0.10	29,65,209	0.25
Domestic Companies	1,25,70,583	0.48	35,82,983	0.31
Trusts	1,12,125	0.00	1,12,025	0.01
Resident Individuals	8,03,93,302	3.09	5,27,03,339	4.51
Non Resident Individuals	35,14,886	0.14	22,87,477	0.20
Overseas Corporate Bodies	100	0.00	100	0.00
Total	259,84,54,407	100.00	116,83,33,708	100.00

9.16 Green Initiatives in communication to the Shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/mails to the shareholders, requesting them to inform/update their email Ids to enable the Bank to send the notices/communications/documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the Fourteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank, held on 16th June, 2017 were sent to 71,997 shareholders by electronic mode.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के पालन की पुष्टि की है।

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(आर. पी. मराठे)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 04 मई, 2018
स्थान : पुणे

Certificate / Declaration of the Managing Director and CEO

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2018.

For Bank of Maharashtra

(R.P. Marathe)
Managing Director and CEO

Date: 04th May, 2018
Place: Pune

सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र
[विनियम 17(8)]

सेवा में,
निदेशक मंडल
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पुणे
हम प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(1) इन विवरणों में कोई गंभीर असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.

(2) ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरूद्ध हो.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन.

(2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है.

(3) हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत.

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
(वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा
और मुख्य वित्तीय अधिकारी)

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं
सीईओ

दिनांक : 04 मई 2018
स्थान : पुणे

CEO/ CFO Certificate
[Regulation 17(8)]

To the Board of Directors,
Bank of Maharashtra,
Pune

This is to certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2018 and that to the best of our knowledge and belief:

(1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

(1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V. P. Srivastava
General Manager
(FM&A & CFO)

R. P. Marathe
Managing Director & CEO

Date: 04th May, 2018
Place: Pune

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों के लिए लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्यों के लिए

हमने यथा लागू सीमा तक सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) की शर्तों के अनुसार 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके कार्यान्वयन तथा कार्यविधि तक हमारी जांच सीमित थी. यह न तो लेखा परीक्षा है तथा न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत की अभिव्यक्ति है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण और निदेशकों और प्रबंध तंत्र के प्रतिवेदन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 (लिस्टिंग विनियम) में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदंडों का बैंक ने अनुपालन किया है.

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यकलापों की कार्यक्षमता या उसके प्रभावी होने का भावी आश्वासन है.

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

To the Members of Bank of Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.03.2018 as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the Directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations)".

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते कोठारी एंड कंपनी एफआरएन - 301178ई सनदी लेखाकार **For KOTHARI & Co** FRN - 301178E Chartered Accountants	**कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी** एफआरएन - 101678 डब्ल्यू / डब्ल्यू 100068 सनदी लेखाकार **For CMRS & Associates,LLP** FRN - 101678 W/ W100068 Chartered Accountants	**कृते पी पारिख एंड एसोसिएट्स** एफआरएन - 107564डब्ल्यू सनदी लेखाकार **For P Parikh & Associates** FRN - 107564W Chartered Accountants	**कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी** एफआरएन - 005301एन सनदी लेखाकार **For M D Gujrati & Co** FRN - 005301N Chartered Accountants
सीए अमिताव कोठारी भागीदार सदस्यता क्र. - 016639 **CA Amitav Kothari** Partner Membership No - 016639	**सीए महेश्वर एम. मराठे** भागीदार सदस्यता क्र. - 212175 **CA Maheshwar M. Marathe** Partner Membership No -212175	**सीए अशोक बी. राजागिरि** भागीदार सदस्यता क्र. - 046070 **CA Ashok B. Rajagiri** Partner Membership No -046070	**सीए मनोहर दास गुजराती** भागीदार सदस्यता क्र. - 081552 **CA Manohar Das Gujrati** Partner Membership No - 081552

स्थान : पुणे
दिनांक : 04 मई, 2018

Place : Pune
Date : 04th May, 2018

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2017 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**2598,45,44**	1168,33,37
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**7345,50,80**	6211,19,05
जमाराशियां Deposits	3	**138981,17,70**	139052,83,79
उधारियां Borrowings	4	**4063,71,48**	8136,65,21
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**3339,89,28**	4754,96,65
कुल TOTAL		**156328,74,70**	**159323,98,07**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**15809,06,25**	15274,71,92
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**74,89,91**	1367,30,17
निवेश Investments	8	**43622,79,88**	38590,18,48
अग्रिम Advances	9	**85797,27,75**	95515,22,99
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**1516,67,60**	1586,08,00
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**9508,03,31**	6990,46,51
कुल TOTAL		**156328,74,70**	**159323,98,07**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**23584,23,91**	29329,20,74
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**4196,85,28**	4021,46,55
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं.
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

ए. सी. राउत कार्यपालक निदेशक **A.C. ROUT** EXECUTIVE DIRECTOR	**आर. के. गुप्ता** कार्यपालक निदेशक **R. K. GUPTA** EXECUTIVE DIRECTOR	**आर. पी. मराठे** प्रबंध निदेशक एवं सीईओ **R.P. MARATHE** MANAGING DIRECTOR & CEO

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया निदेशक **Dr. ARCHANA R. DHOLAKIA** Director	**आर. तामोधरन** निदेशक **R. THAMODHARAN** Director	**वंदिता कौल** निदेशक **VANDITA KAUL** Director	**दीनदयाल अग्रवाल** निदेशक **DEENDAYAL AGRAWAL** Director	**जी. श्रीकुमार** निदेशक **G. SREEKUMAR** Director

प्रदीप मिश्रा सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा **PRADEEP MISHRA** Asst.Gen. Manager, FM&A	**संजय रूद्र** उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा **SANJAY RUDRA** Dy. Gen. Manager, FM&A	**वी. पी. श्रीवास्तव** महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा **V. P. SRIVASTAVA** Gen. Manager, FM&A

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2018

Place : Pune
Date : 4th May, 2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Previous Year)
I. **आय INCOME**			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**11096,40,99**	12061,95,97
अन्य आय Other Income	14	**1506,05,48**	1508,07,46
कुल TOTAL		**12602,46,47**	**13570,03,43**
II. **व्यय EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**7706,67,86**	8887,27,12
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**2704,38,79**	2855,69,51
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**3337,04,63**	3199,57,61
कुल TOTAL		**13748,11,28**	**14942,54,24**
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		**-1145,64,81**	-1372,50,81
जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**-1391,99,83**	59,63,96
जोड़े : निवेश आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Investment Reserve		**20,48,15**	8,12,29
कुल TOTAL		**-2517,16,49**	**-1304,74,56**
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**-**	-
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**26,49,37**	87,25,27
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**-**	-
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**-**	-
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		**-**	-
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		**-**	-
लाभांश पर कर Tax on Dividend		**-**	-
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		**-2543,65,86**	-1391,99,83
कुल TOTAL		**-2517,16,49**	**-1304,74,56**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (Rupees)		**-8.98**	-11.75

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ व हानि खाते के अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

सीए अमिताव कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 016639
CA Amitav Kothari
Parther
Membership No: 016639

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates,LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए महेश्वर एम मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M Marathe
Parther
Membership No. 212175

कृते पी. पारिख एंड एसोसिएट्स
एफआरएन: 107564 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for P. Parikh & Associates
FRN: 107564W
Chartered Accountants

सीए अशोक बी राजागिरि
भागीदार
सदस्यता क्र.: 046070
CA Ashok B Rajagiri
Parther
Membership No: 046070

कृते एम.डी.गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन:005301एन
सनदी लेखाकार
for M. D. Gujrati & Co.
FRN: 005301N
Chartered Accountants

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Parther
Membership No. 081552

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2018

Place : Pune
Date : 4th May, 2018

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
₹10/-के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each		**3000,00,00**		**3000,00,00**
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
₹10/- के 259,84,54,407 (पिछले वर्ष 116,83,33,708) ईक्विटी शेयर 259,84,54,407 Equity Shares (Previous year 116,83,33,708) of ₹10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1168,33,37**		1168,33,37	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	**1430,12,07**	**2598,45,44**	–	1168,33,37
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	**2260,92,34**		953,52,46	
₹10/- के 226,09,23,433 (पिछले वर्ष 95,35,24,561) ईक्विटी शेयर 226,09,23,433 (Previous year 95,35,24,561) Equity shares of ₹10/- each				
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others	**337,53,10**		214,80,91	
₹ 10/- के 33,75,30,974 (पिछले वर्ष 21,48,09,147) ईक्विटी शेयर 33,75,30,974 (Previous year 21,48,09,147) Equity Shares of ₹10/- each				
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	**–**	2598,45,44	–	1168,33,37
कुल TOTAL		**2598,45,44**		**1168,33,37**

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I. **सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1252,49,29**		1252,49,29	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**	**1252,49,29**	–	1252,49,29
II. **पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**304,14,61**		216,89,35	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**26,49,37**		87,25,27	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**330,63,98**	**–**	304,14,62
III. **शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**2937,28,26**		2937,28,26	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**2356,43,36**	**5293,71,62**	–	2937,28,26
IV. **राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**				
क) **राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE**				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1384,32,63**		1330,11,34	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**		54,21,28	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**1384,32,63**	–	1384,32,62

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
ख) **विशेष आरक्षितियां** b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	498,00,00		498,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	–		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	–	498,00,00	–	498,00,00
ग) **पुनर्मूल्यन आरक्षितियां** c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	1206,45,94		1295,78,35	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	–		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	76,46,80	1129,99,14	89,32,41	1206,45,94
घ) **निवेश आरक्षिति खाता** d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	20,48,15		28,60,44	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	–		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	20,48,15	–	8,12,29	20,48,15
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT	-2543,65,86	-2543,65,86	-1391,99,83	-1391,99,83
कुल TOTAL		7345,50,80		6211,19,05

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
क A. I. **मांग जमाराशियां** **DEMAND DEPOSITS**				
i) बैंकों से From Banks	203,15,70		215,71,33	
ii) अन्यों से From others	11549,64,61	11752,80,31	11313,77,93	11529,49,26
II. **बचत बैंक जमाराशियां** **SAVINGS BANK DEPOSITS**		54592,63,54		50889,09,61
III. **मीयादी जमाराशियां** **TERM DEPOSITS**				
i) बैंकों से From Banks	1130,83,91		1592,40,12	
ii) अन्यों से From others	71504,89,94	72635,73,85	75041,84,80	76634,24,92
कुल **TOTAL (I, II व III)**		138981,17,70		139052,83,79
ख B. (i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India		138981,17,70		139052,83,79
(ii) भारत बाहर की शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches outside India		–		–
कुल TOTAL		138981,17,70		139052,83,79

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)
I. **भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA**		
i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank Of India	–	–
ii) अन्य बैंक Other Banks	–	–

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
iii)	अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies	**715,40,87**		2892,99,98	
iv)	अन्य उधारियां Other Borrowings				
	क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	**70,00,00**		1795,00,00	
	ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	**400,00,00**		600,00,00	
	ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds	**1830,00,00**		1830,00,00	
	घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds	**1000,00,00**	**4015,40,87**	1000,00,00	8117,99,98
II.	भारत बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA**		**48,30,61**		18,65,23
	कुल TOTAL (I व II)		**4063,71,48**		8136,65,21
III.	उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE**		**–**		–

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I.	देय बिल Bills Payable		**498,90,27**		457,17,85
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		**–**		502,35,64
III.	उपचित ब्याज Interest Accrued		**188,96,70**		197,65,99
IV.	अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
	i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	**549,85,02**		657,47,88	
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	**2102,17,29**	**2652,02,31**	2940,29,29	3597,77,17
	कुल TOTAL		**3339,89,28**		4754,96,65

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes)		**764,39,63**		659,26,06
II.	भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खातों में In Current Accounts	**6644,66,62**		7165,45,86	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	**8400,00,00**	**15044,66,62**	7450,00,00	14615,45,86
	कुल TOTAL (I व II)		**15809,06,25**		15274,71,92

अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खाते (a) Current Accounts	**11,54,92**		29,24,09	
(ख) अन्य जमा खाते (b) Other Deposit Accounts	**15,18,56**	**26,73,48**	15,18,56	44,42,65
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास (a) With Banks	**–**		–	
(ख) अन्य संस्थानों के पास (b) With Other Institutions	**–**	–	–	–
कुल TOTAL (i व ii)		**26,73,48**		44,42,65
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खाते (a) Current Accounts	**–**		—	
(ख) अन्य जमा खाते (b) Other Deposit Accounts	**48,16,43**		1322,87,52	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन (c) Money at Call & Short Notice	**–**	**48,16,43**	–	1322,87,52
कुल TOTAL		**48,16,43**		1322,87,52
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		**74,89,91**		1367,30,17

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)
क I भारत में निवेश A.I Investments in India in		
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों व जीरो कूपन बांडों सहित) a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)	**38108,70,31**	33104,39,62
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां b) Other approved securities	–	–
ग) शेयर्स c) Shares	**356,80,21**	362,35,78
घ) डिबेंचर्स और बांड d) Debentures and Bonds	**1909,99,18**	1672,82,27
ड़) सहायक कंपनी और / या संयुक्त उद्यम e) Subsidiaries and/or Joint Ventures	**73,42,11**	73,42,11

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
	च) अन्य f) Others				
	i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	**275,88,69**		129,37,00	
	ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**2611,48,61**		3125,61,38	
	iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**286,50,77**		122,20,32	
	iv) पीटीसी PTCs	**–**		–	
	v) अन्य Others	**–**	**3173,88,07**	–	3377,18,70
	कुल TOTAL		**43622,79,88**		38590,18,48
II.	**भारत से बाहर निवेश** Investments outside India		**–**		–
	कुल TOTAL		**–**		–
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)		**43622,79,88**		38590,18,48
ख B.	क) भारत में सकल निवेश a) Gross Investments in India	**44162,85,89**		38841,56,32	
	घटाएं : निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment	**80,36,77**		24,19,99	
	घटाएं : निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Investment	**459,69,24**	**43622,79,88**	227,17,85	38590,18,48
	निवल निवेश Net Investment		**43622,79,88**		38590,18,48
	ख) **भारत के बाहर सकल निवेश** b) Gross Investments outside India		**–**		–
	कुल TOTAL (क एवं ख) (a & b)		**43622,79,88**		38590,18,48

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
क A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**534,35,91**		552,60,10	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**39857,84,48**		42414,49,69	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	**45405,07,36**	**85797,27,75**	52548,13,20	95515,22,99
	कुल TOTAL		**85797,27,75**		95515,22,99
ख B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**80257,35,70**		85954,73,70	
	ii) बैंक / सरकारी गांरटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**2,34,71**		14,12,34	
	iii) अप्रत्याभूत Unsecured	**5537,57,34**	**85797,27,75**	9546,36,95	95515,22,99
	कुल TOTAL		**85797,27,75**		95515,22,99

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
ग C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	**34882,77,74**		34883,69,15	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**4723,79,78**		5561,36,73	
	iii) बैंक Banks	**56,31**		14,91,42	
	iv) अन्य Others	**46190,13,92**	**85797,27,75**	55055,25,69	95515,22,99
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		**–**		–
कुल TOTAL (ग C.I एवं ग C.II)			**85797,27,75**		95515,22,99

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I	**परिसर Premises**				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	**1562,01,55**		1556,74,68	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**–**		5,26,88	
	3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	**–**		–	
		1562,01,55		1562,01,55	
	4. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	**71,58**		–	
		1561,29,97		1562,01,55	
	5 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**338,79,60**	**1222,50,37**	259,46,04	1302,55,52
II	प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in Progress		**30,07,39**		22,05,42
III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1115,93,04**		1064,20,65	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**131,68,55**		75,42,73	
		1247,61,59		1139,63,38	
	3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	**21,52,09**		23,70,34	
		1226,09,50		1115,93,04	
	4 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**961,99,66**	**264,09,83**	854,45,98	261,47,06
जोड़ TOTAL (I व II)			**1516,67,60**		**1586,08,00**

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	**340,39,03**	–
II. उपचित ब्याज Interest accrued	**937,58,87**	926,57,45
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्त्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	**1517,69,17**	1381,78,99
IV. लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	**3,70,50**	3,28,33
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**–**	–
VI. अन्य Others * (incl. RIDF)	**6708,65,74**	4678,81,74
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)	**9508,03,31**	6990,46,51

* नोट: ₹ हजार में 261,69,459 (पिछले वर्ष निवल डीटीए के ₹ हजार में 64,82,900 तिवल आस्थगित कर आस्ति सहित अन्य आस्तियां

* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of ₹ in thousands 261,69,459 (Previous Year Net DTA ₹ in thousands 64,82,900)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I. बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		**1387,43,47**		1858,23,68
II. आंशिक चुकता निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		**–**		–
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		**9781,97,60**		12997,65,05
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
(क) भारत में (a) In India	**8837,63,70**		8668,60,91	
(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	**546,63,27**	**9384,26,97**	1635,57,87	10304,18,78
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और बाध्यताएं Acceptances,endorsements and obligations		**2705,92,47**		3971,31,98
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मित रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable		**324,63,40**		197,81,25
कुल TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)		**23584,23,91**		29329,20,74

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		**7072,70,61**		8469,95,77
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	**3069,36,49**		2892,02,31	
घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	**106,95,63**	**2962,40,86**	62,54,95	2829,47,36
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		**589,67,93**		401,91,29
IV. अन्य Others		**471,61,59**		360,61,55
कुल TOTAL (I, II, III व IV)		**11096,40,99**		12061,95,97

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year Ended 31st March 2017 (Previous Year)	
I.	कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage		**766,88,79**		733,93,07
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**416,08,88**		594,55,15	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**7,45,03**	**408,63,85**	13,85,81	580,69,34
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**–**		–	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**–**	**–**	–	–
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**3,20,33**		1,63,87	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**1,98,51**	**1,21,82**	1,77,42	-13,55
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**110,05,09**		101,90,75	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	**–**	**110,05,09**	2	101,90,73
VI.	भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों औ/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**4,10,13**		2,48,69
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**215,15,80**		89,19,18
	कुल TOTAL (I, II, III, IV, V, VI व VII)		**1506,05,48**		1508,07,46

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year Ended 31st March 2017 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**7133,17,28**	8075,59,16
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**11,48,75**	11,61,45
III.	अन्य Others	**562,01,83**	800,06,51
	कुल TOTAL (I, II, III)	**7706,67,86**	8887,27,12

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year Ended 31st March 2017 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	**1618,06,28**	1807,29,24
II.	किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	**201,57,35**	197,55,95
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**18,25,84**	21,81,86
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**13,39,71**	16,02,86
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित मूल्यहास निवल) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	**128,59,13**	117,61,78
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**54,03**	91,78
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	**15,69,44**	16,83,58
VIII.	विधि प्रभार Law Charges	**17,87,44**	16,63,55
IX.	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**40,64,40**	40,91,86
X.	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	**106,62,99**	88,89,83
XI.	बीमा Insurance	**134,84,62**	131,70,87
XII.	अन्य व्यय Other expenditure	**408,27,56**	399,46,35
कुल	**TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII)**	**2704,38,79**	2855,69,51

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।

1.2 **अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है।

1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार है।

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अन्तिम दरों पर किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ/ हानि का लेखांकन लाभ व हानि खाते में किया गया है।

2.2 बकाया वायदा विदेशी विनिमय करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं तथा तिमाही आधार पर और तुलनपत्र दिनांक को भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (फिम्डा) - रियूटर द्वारा प्रकाशित लागू एमआईएफओआर दरें अर्थात पीवी01 आधार पर कटौती की गई और फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए प्रकाशित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यित/ बाज़ार को अंकित की गई। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ/ हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक/ फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है और इसके प्रभाव को लाभ की दशा में 'अन्य आस्तियां' और हानि की दशा में 'अन्य देयताओं' में प्रभारित किया गया है।

2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को फेडाई द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है।

2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार घटकों के गैर-रक्षित विदेशी मुद्रा ऋण विगोपन यदि कोई है, पर प्रावधान और पूंजी आवश्यकताएं लागू होती हैं।

3. निवेश:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

3.2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए की आवश्यकता के साथ अनुसरण में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation of Financial Statements:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India , the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.

1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1 Investments are classified in the following categories:

a. Held to Maturity (HTM)

b. Available for sale (AFS)

c. Held for trading (HFT)

3.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

क. सरकारी प्रतिभूतियां
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग. शेयर्स
घ. डिबेंचर तथा बांड
ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है। निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार व्यापार हेतु धारित श्रेणी (एचटीएफ) से विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में अंतरण करने के अलावा प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में, अंतरण के दिनांक पर बाजार मूल्य/ बही मूल्य/ अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का बहीमूल्य तदनुसार समायोजित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में मिली अनुमति के अनुसार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में किया जाता है। अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कि तरलता की जटिल स्थिति के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों को बेचने में सक्षम नहीं होने के कारण या गंभीर उतार-चढ़ाव या बाजार के दिशाहीन हो जाने की स्थिति में ही निवेशों का अंतरण/ परिवर्तन व्यापार हेतु धारित श्रेणी (एचटीएफ) से विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी में किया जाता है।

3.4 **रेपो/ रिवर्स रेपो**

बैंक ने मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट एकसमान लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीदी करार के साथ सहायक उधारी/ उधारी परिचालनों के रूप में माना गया है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है। बकाया रेपो/ टर्म रेपो को उधारी के रूप में दर्शाया गया है और बकाया रिवर्स रेपो को ऋणदान के रूप में दर्शाया गया है। लागत और राजस्व का लेखांकन यथाप्रसंग ब्याज व्यय/ आय के रूप में किया गया है।

3.5 लागत भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है।

खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/ खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा।

निवेश की राशि से ब्रोकरेज/ निवेश के समय प्राप्त प्रोत्साहन की कटौती की गई है।

3.6 **निवेशों का मूल्यन :**

क. परिपक्वता तक धारित:

(i) 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत अधिग्रहण लागत पर किया गया है। जब कभी प्रतिभूति की लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। निवेश की दशा में जब भी लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तो अंतर पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मामले में निवेश मूल्य में आई स्थायी कमी के अभिनिर्धारण पर उसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है।

(iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि खाते में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को 'पूंजी आरक्षिति खाते' में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

ख. ब्रिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार को अंकित किया गया है। केंद्र/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन फिम्डा

a. Government Securities
b. Other approved Securities
c. Shares
d. Debentures and Bonds
e. Subsidiaries and Joint Ventures
f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

3.4 **REPO / Reverse REPO**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received at the time of investment is deducted from the amount of investment.

3.6 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

(i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

(ii) In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for investment in RRB is valued at carrying cost.

(iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/ State Government

द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों और बॉन्डों का मूल्यन लाभ कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिम्डा द्वारा सुझायी गई पद्धति के अनुसार किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यन बाजार दरों पर किया गया है। कोट न किए गए शेयरों का मूल्यन उपलब्ध नवीनतम तुलनपत्र अर्थात एकदम पिछले वर्ष की तुलनपत्र में अंकित विश्लेषित मूल्य के अनुसार किया गया है और यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो इसका मूल्यन रु.1/- प्रति कंपनी/ स्क्रिप पर किया गया है।

बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा जारी पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी)/ प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।

"बिक्री हेतु उपलब्ध" छह उप-श्रेणी में से प्रत्येक के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि इसका परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ii) यदि इसके कारण निवल मूल्यह्रास होता है तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है और देयता पक्ष में निवेश (विक्रय हेतु उपलब्ध) पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान में जमा किया गया है।

बशर्ते कि रणनीतिक कर्ज पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के अनुवर्ती आबंटित ईक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास, यदि कोई है, ईक्विटी में कर्ज के परिवर्तन के दिनांक से स्ट्रेट लाईन आधार पर अधिकतम 4 कैलेण्डर तिमाही के लिए प्रदान किया जाए।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकताओं को छोड़कर बाजार को अंकित (एमटीएम) प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को नहीं बदला गया है।

(iv) इस संवर्ग में निवेशों के विक्रय पर लाभ या हानि का लेखांकन लाभ-हानि खाते में किया गया है।

ग. व्यापार हेतु धारित :

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है। राज्य/ केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन भारतीय स्थिर आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिम्डा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है।

(ii) बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। प्रतिभूति रसीद/ प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।

(iii) निवल समूहवार मूल्यह्रास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश (व्यापार हेतु धारित) पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान को जमा किया गया है। यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को बदला नहीं गया है।

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

(i) If it results in appreciation, the same is ignored.

(ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.

(iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

(i) The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

(ii) Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

(iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

घ. पुनर्गठित निवेशों पर शामिल निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।

ङ. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि दलाली, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है।

च. **ब्याज दर स्वैप :**

(i) मूल्यांकन :

(क) **हेजिंग स्वैप :** आस्ति और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वैप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है।

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वैप को बाजार को अंकित किया गया है।

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

(क) **हेजिंग स्वैप:** आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है। यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है।

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है।

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखा:

(क) **हेजिंग स्वैप :** समाप्त हुए स्वैप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है।

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है।

4. अग्रिम:

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भाजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है।

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष में दर्शाया गया है।

4.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।

4.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर हुआ है तो अधिशेष बचाकर रखा जाता है और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री के खाते में कमी/ हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर हुआ है, (बकाया घटाएं धारित प्रावधान) तो कमी को लाभ और हानि खाते से नामे किया जाता है। तथापि अगर अधिशेष उपलब्ध है तो इन कमियों को अधिशेष द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। एनपीए की बिक्री के कारण किसीप्रकार की कमी को अधिशेष द्वारा अवशोषित न के जाने पर उसे 2 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री के कारण किए जानेवाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी उलटा जाता है जब प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल/ एसआर/ पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) आस्ति के विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक हो। आस्तियों के एनबीवी से अधिक की नकदी के लिए ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन किया जाएगा।

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:

5.1 पुनर्मूल्यांकित और पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है।

d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized.

f. **Interest Rate Swaps:**

(i) Valuation:

(a) **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) **Trading Swaps:** Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4. Advances:

4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head “Other liabilities and provisions”.

4.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

5. Fixed Assets and Depreciation:

5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

5.2 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों, जिनके संबंध में उच्च मूल्यहास इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लगाया जाता है, को छोड़कर स्थिर आस्तियों (नीचे उल्लिखित अनुच्छेद 5.3 और 5.4 में उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर) पर मूल्यहास, ह्रासमान शेष पध्दति से नीचे उल्लिखित दरों पर लगाया गया है।

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)
1	भवन और परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य मदें	18.10
3	इलेक्ट्रिकल उपकरण	13.91
4	ऑफिस मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	बाईसिकल	20.00

5.3 कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सरल रेखा पध्दति (एसएलएम) से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए। कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं।

5.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई/ त्यागी गई संपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।

5.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत के ऊपर पुनर्मूल्यांकित रकम से संबंधित मूल्यह्रास स्थिर संपत्ति के बचे हुए जीवन के आधार पर ह्रासमान शेष पद्धति के आधार पर लगाया गया है जैसा कि उपरोक्त पैरा 5.2 में उल्लेख किया गया है और उसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में समायोजित किया गया है। पूरी तरह से मूल्यह्रासित संपत्तियों पर पुनर्मूल्यन आरक्षिति का परिशोधन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रमाणित उनके शेष बचे जीवन के आधार पर किया गया है।

5.6 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पध्दति (एसएलएम) पर किया गया है।

6. राजस्व अभिनिर्धारण :

6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबध्द किया गया है :-

क. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज।

ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचअल फण्ड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया।

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज।

घ. बीमा दावे।

च. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक।

छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क।

ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय।

झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क।

6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है।

7. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

5.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 5.3 and 5.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00

5.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method (SLM) so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.

5.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.

5.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 5.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.

5.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on SLM basis.

6. Revenue Recognition

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz., on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Loan Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण प्रत्येक तिमाही/ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है। बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है।

8. आस्तियों की क्षति:

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति, के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 - "प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो। यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो।

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, आशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित) और धोखाधड़ी और आकस्मिक व्यय/ अन्य सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

11. आयकर :

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं पर कर दरों में परिवर्तिन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्ति और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि तुलन पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से लागू किए गए हैं।

आस्थगित कर आस्ति का अभिनिर्धारण उस सीमा तक किया है, जब तक कि भविष्य में आस्ति की वसूली होने की उचित निश्चितता है। कराधान कानूनों के तहत असंतुलित अवमूल्यन या आगे की हानि के मामलों में, सभी आस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, जब इस तरह की परिसंपत्तियों की पूर्ति की आभासी निश्चितता साक्ष्य के आधार पर समर्थित होती है। तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख को आस्थगित कर आस्ति की समीक्षा की जाती है और राशि को प्रतिबिंबित करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है जो कि यथोचित/ वास्तविक रूप से निश्चित होना चाहिए।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग उस पर ब्याज सहित तब प्रदान की गई जब ऐसी मांग को दूसरी अपील (अर्थात आईटीएटी द्वारा) में कायम रखा गया।

12. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) - "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर मूल और कम किए गए अर्जन की रिपोर्ट दी गई है। प्रति शेयर मूल कमाई का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है। प्रति इक्विटी शेयर कम किए गए अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव पोटेन्शियल इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर की गई है।

अवधि के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए यदि प्रतिभूति या अन्य संविदाओं का उपयोग किया जाता है तो प्रति शेयर कम किया गया अर्जन संभावित मन्दन को प्रतिबिंबित करता है जो अर्जन में प्रदर्शित हो सकता है।

Defined Benefit Plans: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

8. Impairment of Assets:

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28-Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account.

9. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

11. Income Tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future. In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT).

12. Earnings per Share:

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the period.

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(नोट - कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. **पूंजी:** (रु. करोड़ में)

	मदें	31.03.2018	31.03.2017
i)	सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर- 1 पूंजी का अनुपात(%)	8.97	7.28
ii)	टियर- 1 पूंजी का अनुपात (%)	9.01	9.01
iii)	टियर- 2 पूंजी का अनुपात(%)	2.00	2.17
iv)	कुल पूंजी का अनुपात - (सीआरएआर) (%)	11.00	11.18
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	87.01	81.61
vi)	उगाही गई/ भारत सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	3486.55	0.00
vii)	अतिरिक्त टियर- 1 पूंजी की राशि (बेमीयादी ऋण लिखतों के माध्यम से)	0.00	500.00
viii)	उगाही गई टियर- 2 पूंजी की राशि	0.00	500.00

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने क्यूआईपी द्वारा रु.313.55 करोड़ की उगाही की और भारत सरकार ने रु.3173.00 करोड़ की पूंजी प्रदान की।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने मांग विकल्प लागू करते हुए रु.1925.00 करोड़ की राशि के लिए बेसल II/बेसल III अनुपालक बॉन्डों का मोचन किया। इसकी जानकारी निम्नानुसार है :

प्रकार	आईएसआईएन क्रमांक	जारी करने का दिनांक	बॉन्डों की संख्या	प्रति बॉन्ड अंकित मूल्य रु.	कूपन दर %	मांग दिनांक/ मोचन दिनांक
अपर टियर 2 श्रेणी IV	INE457A09116	19.07.2007	2000	रु. 10.00 लाख	10.35	19.07.2017
बेसल II टियर 1 श्रेणी I	INE457A09124	31.07.2007	2250	रु. 10.00 लाख	10.65	31.07.2017
बेसल III एटी 1 श्रेणी I	INE457A09215	12.01.2015	10000	रु. 10.00 लाख	9.48	17.03.2018*
बेसल III एटी 1 श्रेणी II	INE457A08043	15.12.2016	5000	रु. 10.00 लाख	11.60	17.03.2018*

*नोट : बेसल III अनुपालक एटी 1 श्रेणी I और श्रेणी II बॉन्डों पर मांग विकल्प विनियामक घटना क्रम के अंतर्गत लागू किया गया था (अर्थात जून, 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई - पीसीए के अंतर्गत बैंक को लाना।

2. **निवेश:**

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः "परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम), 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफएस) और 'व्यापार हेतु धारित' (एचएफटी) तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यन किया है।

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2018	31.03.2017
परिपक्वता तक धारित	30838.17	29973.12
बिक्री हेतु उपलब्ध	12784.13	8616.81
व्यापार हेतु धारित	0.50	0.25
कुल निवेश	43622.80	38590.18

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं। सभी निवेश भारत में किए गए हैं और भारत के बाहर निवेश नहीं हैं।

(रु. करोड़ में)

मदें	31.03.2018	31.03.2017
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	44162.86	38841.56
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	540.06	251.38
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	43622.80	38590.18
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
(i) प्रारंभिक शेष	251.38	101.05
(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	296.33	158.89
(iii) घटाइए : वर्ष के दौरान पुनर्लेखांकित किए गए /बट्टे खाते डाले गए अधिक प्रावधान	7.65	8.56
(iv) बट्टे खाते हेतु प्रयुक्त प्रावधान	0.00	0.00
(v) अंतिम शेष	540.06	251.38

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. **Capital:** (Rs.in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio including CCB (%)	8.97	7.28
ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	9.01	9.01
iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.00	2.17
iv)	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	11.00	11.18
v)	Percentage of the shareholding of Government of India	87.01	81.61
vi)	Amount of Equity Capital raised /Infused by GoI	3486.55	0.00
vii)	Amount of Additional Tier 1 capital (through Perpetual Debt Instruments)	0.00	500.00
viii)	Amount of Tier 2 Capital raised	0.00	500.00

During the FY 2017-18, the Bank had raised Rs.313.55 crore via QIP and Government of India had infused a capital of Rs. 3173.00 crore.

During the FY 2017-18, Bank has redeemed Basel II /Basel III Compliant Bonds for an amount of Rs 1925.00 crore by exercising call option. Details are as under:

Type	ISIN No	Date of Issue	No. of Bonds	Face Value per bond	Coupon Rate (%)	Call Date/ redemption Date
Upper Tier 2 Sr IV	INE457A09116	19.07.2007	2000	₹ 10.00 lakh	10.35	19.07.2017
Basel II Tier 1 Sr I	INE457A09124	31.07.2007	2250	₹ 10.00 lakh	10.65	31.07.2017
Basel III AT1 Sr I	INE457A09215	12.01.2015	10000	₹ 10.00 lakh	9.48	17.03.2018*
Basel III AT1 Sr II	INE457A08043	15.12.2016	5000	₹ 10.00 lakh	11.60	17.03.2018*

* Note: Call option on Basel III Compliant AT1 Sr I & Sr II bonds was exercised under regulatory event (i.e. placement of Bank under Prompt Corrective Action-PCA by RBI in June, 2017)

2. **Investments:**

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity (HTM)", "Available for Sale (AFS)", and "Held for Trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

(Rs in Crore)

Category	31.03.2018	31.03.2017
HTM	30838.17	29973.12
AFS	12784.13	8616.81
HFT	0.50	0.25
Total Investment	43622.80	38590.18

2.1 The Total Investments of the Bank, as under, are made in India and no Investments are made outside India:

(Rs.in Crore)

Items	31.03.2018	31.03.2017
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	44162.86	38841.56
(ii) Provisions for Depreciation	540.06	251.38
(iii) Net Value of Investments	43622.80	38590.18
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	251.38	101.05
(ii) Add: Provisions made during the year	296.33	158.89
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	7.65	8.56
(iv) Provision used for Written-off	0.00	0.00
(v) Closing balance	540.06	251.38

2.1.1 वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2016-17 के लिए एचटीएम हेतु एचटीएफ तथा एएफएस से प्रतिभूतियां और एचएफसी से एएफएस तक प्रतिभूति के परिवर्तन के संबंध में ब्यौरे :
Details regarding shifting of security from HFT to AFS category and securities from AFS & HFT to HTM category for FY 2017-18 and 2016-17

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 FY 2016-17
एएफएस से एचएफटी HFT to AFS	484.64	शून्य Nil
एचटीएम हेतु एचटीएफ तथा एएफएस AFS & HFT to HTM	शून्य Nil	शून्य Nil

2.1.2 वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2016-17 के लिए एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित प्रतिभूतियों के संबंध में ब्यौरे :
Details regarding securities transferred from HTM category to AFS for FY 2017-18 and 2016-17

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	वित्तीय वर्ष 2016-17 FY 2016-17
एचटीएम से एएफएस HTM to AFS	5849.17*	4038.33

*बैंक ने निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात एचटीएम से एएफएस हेतु रु.5432.53 करोड़ (रु.3158.65 करोड़) (12.05.2017 को बही मूल्य) की प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया। साथ ही बैंक ने निवेश समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात एचटीएम संविभाग के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों में धारिताओं की सीमा में कमी के कारण एचटीएम से एएफएस के लिए रु.416.64 करोड़ (रु.879.68 करोड़) (27.12.2017 को बही मूल्य) की प्रतिभूतियों का अंतरण किया।

*Bank made one time transfer of securities from HTM to AFS for Rs. 5432.53 crore (Rs. 3158.65 crore) (book value as on 12.05.2017) after obtaining approval of the Board. Further, Bank transferred securities from HTM to AFS for Rs. 416.64 crore (Rs.879.68) (book value as on 27.12.2017) due to reduction in ceiling of holdings in SLR securities under HTM portfolio after obtaining approval of In-vestment Committee.

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में) **Repo Transactions** (In face value terms)

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

ब्यौरे Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities				
a) रेपो उधारियां (एलएएफ) Repo Borrowing (LAF)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	325.00 (300.00)	20.00 (53.00)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
b) रेपो उधारियां (मीयादी) Repo Borrowing(Term)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (5000.00)	शून्य Nil (21.00)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	340 (शून्य) (Nil)	13650.00 (19480.00)	7294.00 (3494.00)	8400.00 (7450.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)

त्रि-पक्षीय रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के क्रम में) Tri-Party Repo transactions (in face value terms)

ब्यौरे Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum out-standing during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum out-standing during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily average outstanding during the year	31 मार्च, 2018 को As on March 31, 2018
बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)
खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)	शून्य Nil (शून्य) (Nil)

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग: Non-SLR Investment Portfolio

2.3.1 गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र Issuer composition of Non-SLR Investments

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

क्र. No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैर क्रम वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबध्द प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	163.16 (394.12)	150.95 (379.25)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाए FIs	370.01 (56.69)	320.19 (6.86)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बैंक Banks	2704.92 (3233.85)	2703.50 (3224.63)	15.00 (15.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी निगमित निकाय Private Corporate	1406.34 (931.47)	1384.87 (897.41)	663.03 (179.91)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	83.53 (83.53)	83.53 (83.53)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
(vi)	अन्य Others	4965.15 (2528.88)	4936.27 (2494.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	उप जोड़ SUB TOTAL	**9693.11** **(7228.54)**	**9579.31** **(7085.68)**	**678.03** **(194.91)**	**0.00** **(0.00)**	**0.00** **(0.00)**
(vii)	के लिए धारित प्रावधान Provision held towards (i) मूल्यह्रास Depreciation (ii) एनपीआई NPI (iii) पुनर्संरचित खाते एफआईटीएल इत्यादि Restructured Account FITL etc (iv) एसडीआर खातों में एमटीएम मूल्यह्रास पर किया गया प्रावधान Provision Made on MTM Depreciation in SDR Accounts	 13.77 (13.60) 316.88 (187.66) 67.20 (15.01) 73.27 (20.94)	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल TOTAL	**9221.99** **(6991.33)**	**9579.31** **(7085.68)**	**678.03** **(194.91)**	**0.00** **(0.00)**	**0.00** **(0.00)**

टिप्पणी :

i) उक्त (v) में 'सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम' होने के कारण तथा (vi) में 'अन्य' होने के कारण निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेटिंग व लिस्टिंग आवश्यकताओं से मुक्त हैं।

ii) कॉलम 4, 5, 6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबध्द नहीं है।

iii) कुल रु.9221.99 करोड़ (रु.6991.33 करोड़) के कुल निवेश में रु.875.41 करोड़ (रु.875.61 करोड़) के राजस्थान स्पेशल बॉण्ड और रु.96.32 करोड़ (रु.153.76 करोड़) के यूपी स्टेट पॉवर बॉण्डस, रु.89.67 करोड़ (रू. 199.59 करोड़) के हरियाणा स्टेट स्पेशल बॉन्ड, रु.123.49 करोड़ (रु.276.58 करोड़) के पंजाब स्टेट स्पेशल बॉन्ड और रु.2523.00 करोड़ (शून्य) के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड शामिल हैं।

तुलन पत्र की अनुसूची 8 में इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है।

Note:

(i) Investments as in (v) being "Subsidiaries / Joint Ventures, & (vi) being "Others" are exempt from rating & listing requirements as per RBI guidelines.

(ii) Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 may not be mutually exclusive.

(iii) The total investment of Rs. 9221.99 crore (Rs. 6991.33 crore) includes : Rajasthan Special Bonds of Rs. 875.41 crore (Rs. 875.61 crore), UP state Power Bonds of Rs. 96.32 crore (Rs. 153.76 crore), Haryana State Special Bonds Rs. 89.67 crore (Rs. 199.59 crore), Punjab State Special bonds Rs. 123.49 crore (Rs. 276.58 crore) and Recapitalisation Bonds Rs.2523.00 crore (Nil)

The same have been included in Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

2.3.2 अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश (रु. करोड़ में)

ब्यौरे	31.03.2018	31.03.2017
प्रारंभिक शेष	655.45	102.31
वर्ष के दौरान परिवर्धन	112.52	569.15
वर्ष के दौरान कमी	29.87	16.01
अंतिम शेष	738.10	655.45
किए गए कुल प्रावधान	316.88	187.66

2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश के विक्रय पर लाभ के रूप में करों और विनियामक आरक्षितियों का निवल रू.26.49 करोड़ (रु.87.25 करोड़) की एक राशि पूंजी आरक्षिती के लिए अंतरित की गई है।

बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत रु.106.96 करोड़ (रु.62.55 करोड़) की प्रतिभूतियों का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने रु.484.64 करोड़ (रु. शून्य) के लिए एएफएस श्रेणी हेतु एचएफटी श्रेणी से प्रतिभूतियों को परिवर्तित किया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी हेतु एएफएस और एचएफटी श्रेणियों से प्रतिभूतियों को परिवर्तित नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी को रु.5432.53 करोड़ (रु.3158.65 करोड़) की राशि की प्रतिभूतियां अंतरित की और लाभ व हानि को प्रभारित किया, दिनांक 01.07.2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों भा.रि.बैंक/ 2015-16/ 97 डीबीआर क्र. बीपी.बीसी.6/21.04.141/2015-16 के अनुसार इस अंतरण के दौरान मूल्यह्रास की राशि रु. शून्य (रु. शून्य) रही।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल के अनुमोदन से एकबारगी अंतरण को छोड़कर एचटीएम श्रेणी से/ को प्रतिभूतियों के विक्रय और अंतरण का मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किए अनुसार और ओएमओ नीलामियों में पूर्व घोषित के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को विक्रय, वित्तीय वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

एचटीएम श्रेणी में निवेशों के विक्रय पर लाभ को पहले लाभ व हानि खाते में लिया जाना चाहिए और उसके बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जनवरी, 2014 के परिपत्र क्र. आरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.बीसी.क्र.74 / 03.05.33 / 2013-14 के अनुसार सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित किए जाने हेतु अपेक्षित राशि और करों का समायोजन (नेटिंग ऑफ) करने के पश्चात पूंजी आरक्षिति खाते को समायोजित किया जाए।

2.5 चालू वित्तीय वर्ष दौरान करों के निवल की रु.20.84 करोड़ की राशि एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत धारित निवेश के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित मूल्यह्रास के कारण निवेश आरक्षिति खाते से आहरित की गई।

विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में, करों के निवल रू.8.12 करोड़ की राशि तथा सांविधिक आरक्षित के उपयुक्त अंतरण एएफएस और एसटीएफ श्रेणियों के अंतर्गत धारित निवेश के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित मूल्यह्रास के कारण आरक्षित निवेश खाते से आहरित की गई।

3 डेरिवेटिव्ज:

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (रु. करोड़ में)

मदें	31.03.2018	31.03.2017
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	100.00	100.00
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
v) स्वैप बही का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय	(-) 0.85	(-) 0.46

2.3.2 Non performing Non-SLR investments (Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance	655.45	102.31
Additions during the year	112.52	569.15
Reductions during the year	29.87	16.01
Closing balance	738.10	655.45
Total provisions held	316.88	187.66

2.4 As per RBI guidelines an amount of Rs.26.49 crore (Rs. 87.25 crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in "Held to Maturity' category is transferred to Capital reserve.

The Bank has amortized Rs. 106.96 crore during the year (Rs. 62.55 crore) for securities classified under 'Held to Maturity' category and the amount has been charged to Profit & loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

During the FY 2017-18, the Bank has shifted securities from HFT category to AFS category for Rs. 484.64 crore (Rs. Nil). Also during FY 2017-18, Bank has not shifted securities from AFS and HFT categories to HTM category.

During the FY 2017-18, the Bank has transferred securities from HTM category to AFS category amounting to Rs. 5432.53 crore (Rs. 3158.65 crore) and charged to Profit & Loss, depreciation amounting to Rs. Nil (Rs. Nil) due to such transfer taking in terms of RBI guidelines RBI/2015-16/97 DBR No BP.BC.6/21.04.141/2015-16 dated 01.07.2015

The value of the sales and transfer of securities to/from HTM category during the financial year 2017-18, excluding onetime transfer with the approval of the Board, sales to RBI under pre announced OMO auctions and as permitted by RBI does not exceed 5 percent of the book value of investments in HTM category at the beginning of financial year.

Profit on sale of investments in HTM category should be first taken to Profit & loss Account and thereafter be appropriated to the 'Capital Reserve Account' after netting off taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves as per RBI circular RPCD.CO.RRB.BC.No.74/03.05.33/2013-14 dated 7th January 2014.

2.5. During the current financial year, an amount of Rs. 20.84 crore net of taxes has been drawn down from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories.

In the previous FY i.e. 2016-17, amount of Rs. 8.12 crore net of taxes and appropriate transfer to statutory reserve had been drawn down from Investment Reserve on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories

3 Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in Crore)

Items	31.03.2018	31.03.2017
i) The notional principal of swap agreements	100.00	100.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	(-) 0.85	(-) 0.46

बैंक ने आईआरएस/ एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/ एफआरए की अनुमोदित सीमा रु.2000 करोड़ है। 31 मार्च 2018 के अनुसार बैंक के कल्पित मूलधन के 4 बकाया स्वैप रहे, जिनकी सांकेतिक मूल राशि रु.100.00 करोड़ रही जो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए थी। बकाया क्रय-विक्रय स्वैप का बाजार हेतु चिह्नित (एमटीएम) मूल्यांकन रु. (-) 0.85 करोड़ रहा।

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर: (रु.करोड़ में)

क्र.सं.	ब्यौरे	2017-18	2016-17
1	वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन क) भविष्य ब्याजदर	827.62	587.57
2	31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन का प्रकटन

3.3.1 गुणात्मक प्रकटन:

(i) डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।

(ii) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।

(iii) तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।

(iv) डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।

(v) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.5 (एफ) (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबध्द करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, व्यय, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटन : (रु.करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याज दर डेरिवेटिव	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन राशि)	9781.98	12997.65	100.00	100.00
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए	4999.39	7065.81	0.00	0.00
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए	4782.59	5931.84	100.00	100.00
(ii)	बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां [1]				
	(क) आस्ति (+)	35.39	175.81		0.00
	(ख) देयताएं (-)			(-) 0.85	(-) 0.46

The Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRAs. The approved ceiling for IRS / FRAs in terms of notional principal is Rs 2000 crore. As on 31st March 2018, the Bank had 4 outstanding swaps for notional principal of Rs 100.00 crore which were for trading purpose. MTM valuation for outstanding trading swaps is Rs. (-) 0.85 crore.

3.2 Exchange Traded Interest Rate: (Rs in Crore)

S.N.	Particulars	2017-18	2016-17
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) Interest Rate Future	827.62	587.57
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives out-standing and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil	Nil

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosure:

(i) Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.

(ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.

(iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.

(iv) Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Head Office. The swaps are tracked on regular basis.

(v) Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which in-cludes recognition of income, expenditure, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.

(vi) The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

3.3.2 Quantitative Disclosures: (Rs. in Crore)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate deriva-tives	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
(i)	Derivatives (Notional Princi-pal amount)	9781.98	12997.65	100.00	100.00
	(a) For hedging	4999.39	7065.81	0.00	0.00
	(b) For Trading	4782.59	5931.84	100.00	100.00
(ii)	Marked to Market Position [1]				
	(a) Asset (+)	35.39	175.81		0.00
	(b) Liability (-)			(-) 0.85	(-) 0.46

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याज दर डेरिवेटिव	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
(iii)	ऋण विगोपन [2]	231.03	435.76	1.00	0.75
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	1.82	0.37	0.00	0.00
	(ख)व्यापार डेरिवेटिव पर	0.05	1.08	0.04	0.02
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर				
	(क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर	अधि. :2.06 न्यून. :0.31	अधि. :3.37 न्यून. :0.02	अधि. :ला.न. न्यून. : ला.न.	अधि. : ला.न. न्यून. : ला.न.
	(ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर	अधि. :1.02 न्यून. :0.05	अधि. :1.98 न्यून. :0.05	अधि.:0.04 न्यून. :0.02	अधि.:0.11 न्यून. :0.02

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान*: (रु.करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	
		ऋण विगोपन	31.03.2018 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	1.00	0.004
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	35.39	0.14
3	स्वर्ण संविदा	शून्य	शून्य
4	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य
	कुल	**36.39**	**0.144**

* ऋण विगोपन की गणना बेसल III - के जोखिम भारित आस्ति (आरड्ब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार।

3.5 ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) :

31 मार्च 2018 को या वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वैप नहीं है।

3.6 केन्द्रीय व राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश के लिए एएफएस संविभाग में मूल्यह्रास हेतु एमटीएम हानियों के लिए प्रावधान के ब्यौरे

बैंक ने 31 दिसंबर, 2017 और 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस में धारित निवेशों पर बाजार हेतु चिह्नित (एमटीएम) हानियों के लिए प्रावधानीकरण विस्तार का विकल्प लिया है। यह प्रावधानीकरण जिस तिमाही में हानि उत्पन्न हुई है उस तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर समान रूप से विस्तारित किया गया है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क) 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए अपेक्षित प्रावधानीकरण रु.105.82 करोड़ रहा जिसे 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर समान रूप से विस्तार किया जाना है। तदनुसार 31 मार्च, 2018 को 2 तिमाहियों के लिए प्रावधान के रूप में रु.52.91 करोड़ हेतु प्रावधान किया गया है और शेष प्रावधान को अगली 2 तिमाहियों अर्थात जून, 2018 और सितंबर, 2018 में समान रूप से किया जाएगा।

ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए अपेक्षित प्रावधानीकरण रु.64.08 करोड़ रहा जिसे 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर समान रूप से विस्तार किया जाना है। तदनुसार 31 मार्च, 2018 को 1 तिमाही के लिए प्रावधान के रूप में रु.16.02 करोड़ हेतु प्रावधान किया गया है और शेष प्रावधान को अगली 3 तिमाहियों अर्थात जून, 2018, सितंबर, 2018 और दिसंबर, 2018 में समान रूप से किया जाएगा।

S. N.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate derivatives	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
(iii)	Credit Exposure [2]	231.03	435.76	1.00	0.75
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(a) On hedging derivatives	1.82	0.37	0.00	0.00
	(b) On trading derivatives	0.05	1.08	0.04	0.02
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	(a) On hedging	Max :2.06 Min :0.31	Max :3.37 Min :0.02	Max :NA Min : NA	Max :NA Min :NA
	(b) On trading	Max :1.02 Min :0.05	Max :1.98 Min :0.05	Max :0.04 Min :0.02	Max :0.11 Min :0.02

3.4 Standard provision on derivative exposure*:

(Rs. in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2018	
		Credit Exposure	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2018
1	Interest Rate Derivative	1.00	0.004
2	Foreign Exchange Derivative	35.39	0.14
3	Gold Contract	NIL	NIL
4	Credit Default Swaps	NIL	NIL
	Total	**36.39**	**0.144**

*Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III.

3.5 Credit Default Swaps (CDS):

The Bank has no credit default swaps during the year2017-18 or as on March 31,2018.

3.6 Details of Provision for MTM losses for depreciation in AFS portfolio for investment in Central and State Govt. Securities

The Bank has opted to spread provisioning for mark to market (MTM) losses on investments held in AFS for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018. The provisioning has been spread equally over four quarters, commencing with the quarter in which loss is incurred. The details are as under:

a) Provisioning requirement for quarter ended 31st December 2017 stood at Rs. 105.82 crore, to be spread equally over four quarter commencing from quarter ended 31st Dec 2017. Accordingly, provision has been made for Rs. 52.91 crore being provision for two quarters as on 31st March 2018 and remaining provision shall be made in next two quarters equally. i.e. June 2018 & Sept 2018.

b) Provisioning requirement for quarter ended 31st March 2018 stood at Rs. 64.08 crore, to be spread equally over four quarter commencing from quarter ended 31st March 2018. Accordingly, provision has been made for Rs. 16.02 crore being provision for one quarter as on 31st March 2018 and remaining provision shall be made in next three quarters equally i.e. June 2018, Sept 2018 & Dec 2018.

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	11.24	11.76
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	17188.71	10385.85
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5734.87	9119.05
(ग) वर्ष के दौरान कमी	4490.35	2316.19
(घ) अंतिम शेष	18433.23	17188.71
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) प्रारंभिक शेष	11229.56	6832.03
जोडें - ईसीजीसी/डीआईसीजीसी द्वारा निपटाये गये खाते	101.63	87.30
सकल प्रारंभिक शेष	11331.19	6919.33
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	4443.31	7101.09
(ग) वर्ष के दौरान कमी	6046.71	2689.23
(घ) सकल अंतिम शेष	9727.79	11331.19
घटायें - इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	86.60	101.63
निवल अंतिम शेष	9641.19	11229.56
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	5794.85	3425.61
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान*	5330.89	3688.34
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते डालना	2463.40	1319.10
(घ) अंतिम शेष	8662.34	5794.85

4.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण में अंतर और अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान

(रु. करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	राशि
1	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए	17188.71
2	31 मार्च 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के रूप में सकल एनपीए	17422.31
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	233.60
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 को निवल एनपीए	11229.56
5	31 मार्च 2017 तक निवल एनपीए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार	11338.45
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	108.89
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 को एनपीए के लिए प्रावधान	5794.85
8	31 मार्च 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान	5919.55
9	प्रावधान में विचलन (8-7)	124.70
10	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद रिपोर्ट किया गया निवल लाभ (पीएटी)	(1372.51)
11	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समायोजित (काल्पनिक) कर के बाद निवल लाभ (पीटीए) समायोजन में विचलन को ध्यान में रखते हुए	(1497.21)

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1.	खातों की संख्या	3	6
2.	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	4.26	86.97
3.	कुल प्रतिफल	8.96	168.90
4.	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
5.	निवल खाता बही मूल्य पर सकल प्राप्ति/ हानि	4.70	81.93

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(Rs.in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(i) **Net NPAs to Net Advances (%)**	11.24	11.76
(ii) **Movement of NPAs (Gross)**		
(a) Opening balance	17188.71	10385.85
(b) Additions during the year	5734.87	9119.05
(c) Reductions during the year	4490.35	2316.19
(d) Closing balance	18433.23	17188.71
(iii) **Movement of Net NPAs**		
(a) Opening balance	11229.56	6832.03
Add: ECGC/DICGC Settled amount	101.63	87.30
Gross: Opening Balance	11331.19	6919.33
(b) Additions during the year	4443.31	7101.09
(vc) Reductions during the year	6046.71	2689.23
(d) Gross closing balance	9727.79	11331.19
Less ECGC/DICGC Settled amount	86.60	101.63
Net closing Balance	9641.19	11229.56
(iv) **Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	5794.85	3425.61
(b) Provisions made during the year*	5330.89	3688.34
(c) Write-back/write off of excess provisions	2463.40	1319.10
(d) Closing balance	8662.34	5794.85

4.2 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs

(Rs in Crores)

S N	Particulars	Amount
1	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	17188.71
2	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	17422.31
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	233.60
4	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	11229.56
5	Net NPAs as of March 31, 2017 as assessed by RBI	11338.45
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	108.89
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the bank	5794.85
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	5919.55
9	Divergence in provisioning (8-7)	124.70
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	(1372.51)
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence in provisioning	(1497.21)

4.3 Details of financial assets sold to securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Rs. in Crore)

S.N.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	No. of accounts	3	6
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	4.26	86.97
3	Aggregate consideration	8.96	168.90
4	Additional consideration realized in respect of accounts trans-ferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/loss over net book value.	4.70	81.93

वर्ष 2017 - 18 के दौरान, बैंक ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान रु.शून्य (रू.86.97 करोड़) सहित, रु.4.26 करोड़ (रू.86.97 करोड़) बही मूल्य की अनर्जक आस्तियां बेचीं, जिसके परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियों में कमी आई।

4.4 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री और संबंधित मुद्दे

(रु.करोड़ में)

विवरण	बैंक द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अंतर्निहित अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	130.43*	0.00	0.00	0.00	130.43*	0.00

*** टिप्पणी :** बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017 - 18 के दौरान रू.12.77 करोड़ की राशि प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के अंशदान हेतु आवेदन किया है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रतिभूति आबंटित नहीं थी। अतः बैंक ने इसे निवेश के भाग के रूप में नहीं माना। साथ ही रु.38.53 करोड़ की मानक आस्तियों के विक्रय से प्रतिभूति रसीदों में निवेश को शामिल नहीं किया गया।

प्रतिभूति रसीदों में वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवेशों के बही मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2018 को	31.03.2017 को
i) अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	215.44*	102.28
ii) अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	0.00	0.00
कुल	**215.44**	**102.28**

*रु.38.00 करोड़ हेतु मेसर्स आधुनिक पॉवर एंड नैच्युरल रिसोर्सेस लिमिटेड की मानक आस्तियों के विक्रय से प्रतिभूति रसीदों में निवेश को प्रतिभूति रसीदों में वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवेशों के बही मूल्य में शामिल नहीं किया गया।

प्रतिभूति रसीदों में निवेश का प्रकटीकरण (रु.करोड़ में)

विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई एसआर	5 वर्षों से अधिक से पूर्व में परंतु पिछले 8 वर्षों से भीतर जारी की गयी एसआर	8 वर्षों से अधिक से पहले जारी की गयी एसआर
i) बैंक द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	212.69	0.00	2.75
के लिए धारित प्रावधान (i)	3.68**	0.00	2.75*
ii) अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाएं/ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा बेची गई एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
के लिए धारित प्रावधान (ii)	0.00	0.00	0.00
कुल i) + ii)	215.44	0.00	2.75

*एमटीएम मूल्यह्रास हेतु प्रावधान सहित

**रु.2.72 करोड़ के लिए बैंक की बहियों में जारी अनुमानित ऋण मानते हुए अंतर्निहित ऋणों के प्रति और रु.0.96 करोड़ के लिए एमटीएम मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान सहित

During the year 2017-18, the Bank has sold non-performing assets of the book value of Rs.4.26crore (Rs.86.97 crore) including Rs.Nil (Rs.86.97 crore), during the quarter ended March 31, 2018 resulting in reduction of NPAs.

4.4 Sale of financial assets to Securitization Company / Reconstruction Company and related issues

(Rs. in Crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-financial companies as underlying		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2017
Book Value of Invest-ment in Security Re-ceipts	130.43*	0.00	0.00	0.00	130.43*	0.00

***Note:** Bank has applied for subscription of Security Receipts amounting to Rs. 12.77 crores during FY 2017-18. As the security were not allotted during FY 2017-18, the bank has not considered the same as part of investment. Further, investment in security receipts from sale of standard assets of Rs. 38.53 crore has been excluded.

The details of the book value of investments outstanding at the end of the year in security receipts are as under:

(Rs. in Crore)

Particulars	As on 31.3.2018	As on 31.3.2017
i) Backed by NPAs sold by Bank as underlying	215.44*	102.28
ii) Backed by NPAs sold by other Banks /financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00
Total	**215.44**	**102.28**

* Investment in security receipt from sale of standard asset of M/s Adhunik Power & Natural Resources Ltd. for Rs.38.00 crore has been excluded from book value of investments outstanding at the end of the year in security receipts.

Disclosure of investment in Security Receipts

(Rs in Crore)

Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i) Book Value of SRs Backed by NPAs sold by the bank as underlying	212.69	0.00	2.75
Provision held against (i)	3.68**	0.00	2.75*
ii) Book Value of SRs Backed by NPAs sold by other banks / financial institu-tions / non-banking financial compa-nies as underlying	0.00	0.00	0.00
Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
TOTAL i) + ii)	215.44	0.00	2.75

*Includes provision towards MTM depreciation

** Includes provision towards MTM depreciation for Rs. 0.96 crore and towards underlying loans, assuming the loans notionally continued in the books of the bank for Rs. 2.72 crore.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 13.06.2016 के परिपत्र डीबीआर.क्र. बीपी.बीसी.102/21.04.048/2015-16 के अनुसार, शून्य प्रावधान वर्ष के दौरान प्रतिभूति कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए शून्य प्रावधान किया गया।

4.5 अन्य बैंकों से खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

(रु.करोड़ में)

विवरण			31.03.2018	31.03.2017
1.	(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख)	सकल बकाया	0.00	0.00
2.	(क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(ख)	सकल बकाया	0.00	0.00

4.6 अन्य बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1.	वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	सकल बकाया	0.00	0.00
3.	प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.7 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण:

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.			विवरण	सं. / राशि
1			बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों हेतु प्रायोजित एसपीवी की संख्या*	
2			बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	
3			तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर अनुपालन के प्रति बैंक द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि	
	क)		तुलनपत्र बाह्य विगोपन	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
	ख)		तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
4			एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि	
	क)		तुलनपत्र बाह्य विगोपन	
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	शून्य
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
	ख)		तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन	
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन	
			प्रथम हानि	
			अन्य	

** यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों से संबंधित एसपीवी ही रिपोर्ट किए जाएं।*

4.8 पुनर्संरचीकृत खातों के विवरण

As per RBI circular DBR No. BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated 13.06.2016, Nil provision was made during the year to meet the shortfall in sale of NPA's to Securitization Company/ Reconstruction Company.

4.5 Details of non-performing financial assets purchased from other Banks

(Rs. in Crore)

Particulars			31.03.2018	31.03.2017
1	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	0.00	0.00
2	(a)	Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.6 Details of non-performing financial assets sold to other Banks

(Rs. in Crore)

Particulars		31.03.2018	31.03.2017
1.	No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	0.00	0.00
3.	Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.7 Disclosure relating to Securitization:

(Rs. In Crore)

S. N.			Particulars	No. / Amount
1			No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions*	
2			Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank	
3			Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet	
	a)		Off-balance sheet exposures	
			First loss	
			Others	
	b)		On-balance sheet exposures	
			First loss	
			Others	
4			Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	
	a)		Off-balance sheet exposures	Nil
		i)	Exposure to own securitizations	
			First loss	
			Loss	
		ii)	Exposure to third party securitizations	
			First loss	
			Others	
	b)		On-balance sheet exposures	
		i)	Exposure to own securitizations	
			First loss	
			Others	
		ii)	Exposure to third party securitizations	
			First loss	
			Others	

**Only the SPVs relating to outstanding securitization transactions may be reported here*

4.8 Particulars of Accounts Restructured

31.03.2018 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन Disclosure of Restructured Accounts as on 31.03.2018

बैंक का नाम - बैंक ऑफ महाराष्ट्र NAME OF THE BANK : Bank of Maharashtra

(रु. करोड़ में) (Rs. in Crore)

क्र.सं. Sr No	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring → / आस्ति वर्गीकरण Asset Classification → / विवरण Details →		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत Under CDR Mechanism: मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	एसएमई ऋण पुनर्संरचना तंत्र के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism: मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	अन्य Others: मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	कुल Total: मानक Stand-ard	अव मानक Sub-Stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total
1	1 अप्रैल 2017 को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकडे)* Restructured Accounts as on April 1 , 2017 (opening figures)*	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	3	4	18	0	25	155	77	141	8	381	26516	6770	3781	272	37339	26674	6851	3940	280	37745
		बकाया रकम Amount outstanding	206.77	188.07	2080.56	0.00	2475.40	113.64	184.42	177.52	10.52	486.10	2074.69	185.65	1456.19	43.53	3760.07	2395.10	558.15	3714.27	54.05	6721.57
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	16.35	7.09	40.74	0.00	64.19	2.51	2.35	1.59	0.00	6.44	25.00	4.94	5.96	0.00	35.90	43.86	14.38	48.29	0.00	106.53
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएं Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	1	2	2	0	5	553	181	22	0	756	554	183	24	0	761
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.02	5.02	0.00	8.65	10.18	2.56	23.16	0.00	35.90	13.79	2.58	28.18	0.00	44.55
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.51	0.13	1.00	0.00	1.64	0.51	0.13	1.01	0.00	1.65
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी का कोटिउन्नयन Upgradations to restructured standard cat-egory during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	0	0	0	2	-2	0	0	0	15	-9	1	-7	0	17	-11	1	-7	0
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	-1.67	0.00	0.00	0.00	0.18	-0.13	0.05	-0.10	0.00	1.85	-1.79	0.05	-0.10	0.00
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00
4	पुनर्संरचित मानक खाते जिनमें उच्च प्रावधान जरूरी नहीं और/या वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार अत: अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाना जरूरी नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and /or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-1				-1	-110				-110	-9883				-9883	-9994				-9994
		बकाया रकम Amount outstanding	-101.62				-101.62	-50.19				-50.19	-372.95				-372.95	-524.76				-524.76
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	-15.79				-15.79	-1.29				-1.29	-8.40				-8.40	-25.48				-25.48
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का कोटिअवनयन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	-1	-2	3	0	0	-15	-28	42	0	-1	-2253	1539	697	18	1	-2269	1509	742	18	0
		बकाया रकम Amount outstanding	-83.72	-88.69	172.42	0.00	0.00	-23.75	-128.13	151.82	0.00	-0.06	-120.84	-25.20	145.85	0.25	0.06	-228.31	-242.03	470.09	0.25	0.00
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.00	-7.09	7.09	0.00	0.00	-0.75	-1.30	2.04	0.00	0.00	-4.19	1.51	2.67	0.01	0.00	-4.94	-6.88	11.81	0.01	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	0	-6	0	-6	-5	-30	-100	-8	-143	0	-6147	-3551	-249	-9947	-5	-6177	-3657	-257	-10096
		बकाया रकम Amount outstanding	0.00	0.00	-807.15	0.00	-807.15	-6.18	-13.60	-55.30	-10.52	-85.60	0.00	-83.68	-260.34	-43.31	-387.33	-6.18	-97.28	-1122.79	-53.83	-1280.08
7	31 मार्च 2018 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकडे)* Restructured Accounts as on 31st March 2018 (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	1	2	19	0	22	29	18	85	0	132	15013	2333	950	34	18330	15043	2353	1054	34	18484
		बकाया रकम Amount outstanding	19.85	96.63	1652.35	0.00	1768.83	36.38	31.09	269.03	0.00	336.49	1304.49	56.13	945.80	0.29	2306.71	1360.72	183.84	2867.17	0.29	4412.03
		उन पर प्रावधान Provi-sion thereon	0.45	0.00	30.67	0.00	31.12	0.35	0.32	2.25	0.00	2.93	22.38	2.44	7.43	0.00	32.24	23.18	2.76	40.35	0.00	66.29

*मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के आकड़ों को छोड कर, जिनमें उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) जरूरी नहीं है. *Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

4.9 31.03.2018 को दबावग्रस्त आस्तियां (एस 4 ए) की सतत संरचना

(रु.करोड़ में)

आस्ति वर्गीकरण	खातों की संख्या जहां (एस4ए) लागू किया गया है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग ए में	भाग बी में	
मानक	5	779.48	385.38	394.10	180.21
एनपीए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.10 विद्यमान ऋणों की लचीली संरचना

(रु.करोड़ में)

अवधि	लचीलेपन की संरचना के लिए लिए गए उधारकर्ताओं की संख्या	लचीलेपन की संरचना के लिए ली गई ऋण की राशि		लचीली संरचना के लिए उठाए गए ऋणों की अवधि का क्सपोजर भारित औसत	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना लागू करने से पहले	लचीली संरचना लागू करने के पश्चात
विगत वित्तीय वर्ष - 2016 - 17	1	0.18	शून्य	9.13	9.18
चालू वित्तीय वर्ष - 2017 - 18	1	222.82	शून्य	8.53	9.89

4.9 Sustainable structuring of stressed assets (S4A), as on 31.03.2018

(Rs in Crore)

Asset Classification	No of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
			In Part A	In Part B	
Standard	5	779.48	385.38	394.10	180.21
NPA	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.10 Flexible structuring of Existing Loans

(Rs in Crore)

Period	No. of borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous financial year - 2016-17	1	0.18	Nil	9.13	9.18
Current financial year - 2017-18	1	222.82	Nil	8.53	9.89

4.11 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (जो खाते वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)
Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand still period)

(रु.करोड़ में)
(Rs in Crore)

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू किया गया है No of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार Amount Outstanding as on the reporting date		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का रूपांतरण लंबित है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी के लिए ऋण का रूपांतरण हुआ है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य - भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया है Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018						

4.12 एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन (जो खाते वर्तमान में स्थिर अवधि के अंतर्गत हैं)
Change in ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under stand still period)

(रु.करोड़ में)
(Rs in Crore)

खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन का फैसला किया है No of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग दिनांक को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		खातों के संबंध रिपोर्टिंग की दिनांक के रूप में बकाया राशि जहां इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति / इक्विटी के प्रतिभूति का रूपांतरण लंबित है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि के रूप में बकाया राशि, जहां इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति / इक्विटी के प्रति समर्पण के लिए रूपांतरण किया गया है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि के रूप में बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करने या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री के द्वारा स्वामित्व में बदलाव की परिकल्पना की गई है Amount outstanding as on reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as		के रूप में वर्गीकृत Classified as	
	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA	मानक Standard	एनपीए NPA
शून्य - भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया है Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018								

4.13 कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (जो खाते अभी भी स्थिर खातों के अंतर्गत हैं)

(रु.करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग दिनांक के अनुसार बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत पुनर्संरचना	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य - भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 से एसडीआर योजना को निरस्त किया है			

4.14 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु.करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	549.71	655.57
2	फॉरेक्स मानक आस्तियों (डेरिवेटिव विगोपन) हेतु प्रावधान	0.14	1.91
3	अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन हेतु प्रावधान	4.93	7.68
4	डेरिवेटिव ब्याज दर	0.00	0.00
	कुल	554.78	665.16

4.15 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(रु.करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
क.	अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
ख.	लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
ग.	लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	0.00
घ.	अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

बैंक का रु.21.06 करोड़ (रु.21.06 करोड़) का सामान्य प्रावधान है, जो बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है।

4.16 एनपीए व प्रावधानों पर भारिबैं के दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र डीबीआर क्र. बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18 का प्रभाव

(रु.करोड़ में)

भारिबैं परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि (i)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जानेवाले ऋणों की राशि (ii)	31.03.2018 को (ii) में से एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि (iii)	भारिबैं परिपत्र प्रभाव के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान (iv)	31.03.2018 द्वारा पहले ही किए गये प्रावधान (iv) में से (v)
227.89	227.89	227.89	34.09	34.09

5. कारोबारी अनुपात:

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i	कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	7.03%	7.55%
ii	कार्यकारी निधियों से गैरब्याजी आय का प्रतिशत	0.95%	0.94%
iii	कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.39%	1.14%
iv	आस्तियों पर आय	(0.73)	(0.86)
v	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (रूपये करोड़ में)	18.07	18.54
vi	प्रति कर्मचारी लाभ (रूपये लाख में)	(11.81)	(10.58)

4.13 Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand still period)

(Rs in Crore)

No of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as Standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
Nil- as RBI has repealed the SDR Scheme with effect from 12.02.2018			

4.14 Provisions on Standard Assets

(Rs. in Crore)

S.N	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	Provisions towards Standard Advances	549.71	655.57
2	Provisions towards Standard Assets (Derivative exposure) Forex	0.14	1.91
3	Provision towards Un-hedged Foreign Currency Exposure	4.93	7.68
4	Interest rate derivative	0.00	0.00
	Total	554.78	665.16

4.15 Details of floating provision

(Rs. in Crore)

SN	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
a	Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
b	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d	Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

The Bank is holding a general provision of Rs.21.06 crore (Rs.21.06 crore) which has been reckoned while computing the provision coverage ratio (PCR) as per RBI permission.

4.16 Impact of RBI circular DBR No. BP.BC.101/21.04.048/2017-18 dated 12.02.2018 on NPAs & provisions

(Rs. in Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (i)	Amount of Loans to be classified as NPA (ii)	As on 31.03.2018 amount of loans out of (ii) classified as NPA (iii)	Additional Provision required for loans classified as NPA as per RBI Circular impact (iv)	Provision out of (iv) already made by 31.03.2018 (v)
227.89	227.89	227.89	34.09	34.09

5. Business Ratios

S N	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i	Interest Income as a percentage to Working Funds.	7.03%	7.55%
ii	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	0.95%	0.94%
iii	Operating Profit as a percentage to Working Funds.	1.39%	1.14%
iv	Return on Assets	(0.73)	(0.86)
v	Business (Deposits + Advances) per employee (Rs. in Crore)	18.07	18.54
vi	Profit per Employee (Rs. in Lakh)	(11.81)	(10.58)

6. आस्ति देयता प्रबंधन:
Asset Liability Management:

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति (रु.करोड़ में)
Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह 31 days to 2months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months and up to 3 months	3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	1003.91	2385.40	2466.80	5238.05	7548.37	8278.83	18830.69	30400.57	59100.74	2475.80	1252.02	138981.18
अग्रिम Advances	729.72	997.91	1080.33	5613.49	2988.75	2295.98	7409.09	6521.84	34560.95	12274.59	20172.55	94645.20
निवेश Investments	5.00	138.35	0.00	459.08	103.03	994.22	229.34	5399.55	2335.51	3396.85	31101.93	44162.86
उधारियां Borrowings	48.31	0.00	0.00	200.00	192.95	0.00	158.41	136.00	828.00	2000.00	586.65	4150.32
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	105.32	1377.30	80.94	1652.73	669.29	1094.44	840.12	838.23	0.00	0.00	0.00	6658.37
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	108.72	1785.19	60.94	1620.33	589.48	905.29	766.42	600.48	198.04	25.30	0.00	6660.19

6.1 तरलता कवरेज अनुपात :
Liquidity Coverage Ratio:

मात्रात्मक प्रकटन: (रु.करोड़ में)
Quantitative Disclosure: (Rs in Crore)

		2017-18		2016-17	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) Total Un-weighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां High Quality Liquid Assets (HQLAs)					
1	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां Total High Quality Liquid Assets		22538.72		18596.48
नकदी बहिर्गमन Cash outflows					
2	रिटेल जमाराशियां और छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियां Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	110071.86	9423.44	107266.86	9067.68
(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	31674.91	1583.75	33180.06	1659.00
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	78396.95	7839.70	74086.80	7408.68
3	अरक्षित थोक निधियन, जिनमें से : Unsecure wholesale funding, of which:	21146.07	12331.89	21877.24	13388.50
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties)	80.31	20.08	167.41	41.85
(ii)	अपरिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties)	21065.77	12311.81	21709.83	13346.64
(iii)	अरक्षित ऋण Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	रक्षित थोक निधियन Secured wholesale funding	236.85	0.00	236.85	0.00

5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से : Additional requirements, of which:	15760.49	1841.35	16944.35	2014.84
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य सहायक आवश्यकताओं संबंधी बहिर्गमन Outflows related to derivatives exposure and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि संबंधी बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products	15760.49	1841.35	16944.35	2014.84
6	अन्य अनुबंधात्मक निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations	261.87	261.87	150.35	150.35
7	अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations	13330.16	426.21	14634.09	476.07
8	कुल नकदी बहिर्गमन Total cash outflows		24284.76		25097.44
नकदी अंतर्वाह Cash inflows					
9	रक्षित उधारी (उदा.प्रतिवर्तित रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	9079.50	0.00	2950.65	0.00
10	पूर्ण निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	12918.05	12150.28	9473.86	8863.02
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	1852.22	1746.12	523.36	367.21
12	कुल नकदी अंतर्वाह TOTAL CASH INFLOWS	23849.77	13896.40	12947.87	9230.23
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	कुल उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां TOTAL HQLA		22538.72		18596.48
14	कुल निवल नकदी अंतर्वाह TOTAL NET CASH OUTFLOWS		10388.36		15867.21
15	तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity coverage ratio (%)		216.96%		117.20%

गुणात्मक

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टाक है, जोकि तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित कया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को विभक्त कर किया जाता है। निवल नकदी बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैर प्रत्याभूत थोक उधारियां) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम 90.00% की आवश्यकता की तुलना में 216.93% रहा है।

7. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

7.1 जमाराशियों का संकेन्द्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	8700.22	7849.10
बैंक की कुल जमाराशियों से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	6.26%	5.64%

Qualitative

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

Average LCR on a daily basis for the year ended 31st March 2018 was 216.93%, above RBI prescribed minimum requirement of 90.00%.

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Deposits of Twenty largest Depositors	8700.22	7849.10
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.26%	5.64%

7.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	12290.00	14524.85
बैंक के कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	12.99%	14.31%

7.3 विगोपनों का संकेन्द्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	14744.89	20842.46
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	11.99%	15.26%

7.4 अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	3068.45	3566.33

7.5 सकल अनर्जक आस्तियों का संचलन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
दिनांक 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (आरंभिक शेष)*	17188.71	10385.85
वर्ष के दौरान (नई अनर्जक आस्तियों में) वृद्धि, भिन्नताओं सहित	5734.87	9119.05
उप जोड़ (क)	22923.58	19504.90
घटाएं :		
(i) कोटि उन्नयन	265.09	149.36
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नत खातों में हुई वसूलियों को छोड़कर)	1764.93	809.72
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	2306.01	1119.04
(iv) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत दर्शाए गए बट्टे खातों को छोड़कर	154.32	238.07
उप जोड़ (ख)	4490.35	2316.19
31 मार्च को (लेखाबंदी शेष) सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	18433.23	17188.71

*दिनांक 24 सितंबर, 2009 के डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.क्र. 46/21.04.048/2009-10 के अनुलग्नक की मद 2 के अनुसार सकल एनपीए

7.6 तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का संचलन

(रु.करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
1 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण बट्टे खातों का आरंभिक शेष	3068.68	2007.56
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते + परिवर्तन	2307.77	1136.25
उप जोड़ (क)	5376.45	3143.81
घटाएं : वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों में हुई वसूलियां (ख)	121.81	75.12
31 मार्च को लेखाबंदी शेष (क-ख)	5254.64	3068.69

7.2 Concentration of Advances

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Advances of Twenty largest borrowers	12290.00	14524.85
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	12.99%	14.31%

7.3 Concentration of Exposure

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	14744.89	20842.46
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	11.99%	15.26%

7.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposure to top four NPA accounts	3068.45	3566.33

7.5 Movement of Gross NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)*	17188.71	10385.85
Additions (Fresh NPA) during the year including variations	5734.87	9119.05
Sub-total (A)	22923.58	19504.90
Less:		
(i) Up gradations	265.09	149.36
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1764.93	809.72
(iii)Technical / Prudential write-off	2306.01	1119.04
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	154.32	238.07
Sub-Total (B)	4490.35	2316.19
Gross NPAs as on 31st March (Closing Balance) (A-B)	18433.23	17188.71

* Gross NPA as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD.BP.BC. No.46/21.04.048/2009-10 dated September 24,2009.

7.6 Movement of Technical / Prudential Write off

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 1st April	3068.68	2007.56
Add: Technical / Prudential write –offs during the year + variation	2307.77	1136.25
Sub-Total (A)	5376.45	3143.81
Less: Recoveries made from previous technical / prudential written-off accounts during the year (B)	121.81	75.12
Closing balance as at 31st March (A-B)	5254.64	3068.69

7.7 क्षेत्रवार अग्रिम
Sector-Wise Advances:

(रु.करोड़ में)
(Rs. in Crore)

क्रमांक S.N.		क्षेत्र Sector	2017-18			2016-17		
			बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का (%) Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
क A		**प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector**						
	1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	14861.48	2284.87	15.37	15290.78	1728	11.30
	2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5229.95	1527.33	29.20	5965.21	1927.19	32.31
	3	सेवाएं Services	10710.15	1936.00	18.08	9180.9	1595.55	17.38
	4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	6719.54	434.87	6.47	7005.01	364.61	5.20
		उप-जोड़ (क) Sub-total (A)	**37521.12**	**6183.07**	**16.48**	**37441.95**	**5615.35**	**15.00**
ख B		**गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non-Priority Sector**						
	1	कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities	205.15	205.15	100	200.67	147.49	73.50
	2	उद्योग Industry	21542.86	9597.47	44.55	26415.63	8319.05	31.49
	3	सेवाएं Services	20137.83	1526.87	7.58	24711.66	2677.19	10.83
	4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	15238.24	920.68	6.04	12766.85	429.63	3.37
		उप-जोड़ (ख) Sub-total (B)	**57124.08**	**12250.17**	**21.44**	**64094.81**	**11573.36**	**18.06**
		कुल (क+ख) Total (A+B)	**94645.20**	**18433.24**	**19.48**	**101536.76**	**17188.71**	**16.93**

7.8 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कुल आस्तियां	48.16	1469.03
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	0.00	2.59

7.9 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	**विदेशी**
शून्य	शून्य

7.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Assets	48.16	1469.03
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	0.00	2.59

7.9 Off-balance sheet SPVs sponsored

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
Nil	Nil

8. विगोपन:

8.1 स्थावर संपदा (रीयल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन

(रु.करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	31.03.2018	31.03.2017
क)	प्रत्यक्ष विगोपन	18179.94	20414.56
i)	आवासीय बंधक - जिसमें से रु.25.00 लाख तक के ऋण उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं. (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए)	14871.31 7204.38	14370.45 6982.71
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं।	3308.63	6044.11
iii)	बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश- क) आवासीय ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य शून्य	शून्य शून्य
ख)	*अप्रत्यक्ष निवेश* राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	2247.61	1763.32
	रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	20427.55	22177.88

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(रु. करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	ईक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	58.48	83.08
ii)	व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	शून्य	शून्य
iii)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.46	0.69

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

S N	Category	31.03.2018	31.03.2017
a)	Direct exposure	18179.94	20414.56
i)	Residential Mortgages – Out of which Loans up to Rs. 25lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately)	14871.31 7204.38	14370.45 6982.71
ii)	Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Expo sure also includes non-fund based (NFB) limits.	3308.63	6044.11
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures – a. Residential, b. Commercial Real Estate.	Nil Nil	Nil Nil
b)	*Indirect Exposure* Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2247.61	1763.32
	Total Exposure to Real Estate Sector	20427.55	22177.88

8.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in Crore)

S N	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	58.48	83.08
ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds	Nil	Nil
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	0.46	0.69

iv)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	50.39	62.70
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	107.00	106.02
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबध्दताएं	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
x)	उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी विगोपन	27.08	30.17
	पूंजी बाजार में कुल विगोपन	**243.41**	**282.66**

31.03.2018 को समाप्त वर्ष को ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
ऋण के रणनीति पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन के कारण प्राप्त/आबंटित इक्विटी शेयरों में निवेश	14	129.91	12	126.57

8.3 बैंक द्वारा पार की गईं एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

उधारकर्ता खाते के लिए राष्ट्रीय को.ऑपरेटिव विकास कार्पोरेशन एक उधारकर्ता हेतु विगोपन मानदंड दिसंबर, 2017 तिमाही के दौरान एक बार पार किए गए।

उधारकर्ता खाते को यह सुविधा आंतरिक सीमा से अधिक मंजूर की गई जो नीतिगत दिशानिर्देशों की व्याप्ति के भीतर है जिसमें यह देखा गया है कि इकाई 100 है और एए रेटिंग के साथ केन्द्र सरकार के स्वामित्व की है। रु.1500 करोड़ की मंजूरी फरवरी, 2017 में इकाई को प्रदान की गई जो मार्च, 2016 की पूंजी स्थिति पर आधारित थी। अनुवर्ती रूप से मार्च, 2017 में वित्तीय वर्ष 17 में उपचित हानियों के कारण बैंक की पूंजी में कमी हुई जिसके कारण सीमा घटी। उक्त उधारकर्ता को सुविधा एफडीसीएल के लिए उपयोग की जानी थी जो आईएनआर/ यूएसडी परिवर्तन में अस्थिरता के कारण रही, सारांशतः कम किए गए विगोपन मानदंडों से पार हुई। अनुवर्ती रूप से 28 मार्च, 2018 को सीमाओं का

iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	50.39	62.70
v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	107.00	106.02
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/ bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	Nil	Nil
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues	Nil	Nil
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	27.08	30.17
	Total Exposure to Capital Market	**243.41**	**282.66**

As on the year ended 31.03.2018, the details of Bank's direct investment in equity shares, on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits, is as under:

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
	No. of accounts	Amount	No. of accounts	Amount
Investment in equity shares received / allotted on account of conversion of debt into equity as part of a strategic debt restructuring which are exempt from Capital Market Exposure limits	14	129.91	12	126.57

8.3 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

For borrower account, National Co-Op Development Corporation, exposure norm for single borrower was exceeded once during Dec 2017 quarter.

The facility to borrower account was sanctioned exceeding the internal limit within the scope of policy guidelines in consideration that the entity is 100 & owned by Central Government with Rating AA. Sanction of Rs. 1500 crore was accorded to entity in Feb 2017 which was based on capital position of March 2016. Subsequently in March 2017, capital of the bank reduced due to losses incurred in FY 17 due to which the ceiling was reduced. The facility to said borrower was to be used for FCDL which due to volatility in INR/USD

उपयोग (10% की प्रतिस्थापन लागत के साथ रु.1350 का फॉरवर्ड कवर को छोड़कर अर्थात रु.135 करोड़) रु.1000 करोड़ से कम हुआ ताकि अनुमत्य मानदंडों के भीतर विगोपन सुनिश्चित किया जा सके।

8.4 अंतर-समूह विगोपन:

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है -

(रु. करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2017-18	2016-17
1	अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि	872.11	472.11
2	20 शीर्ष अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि	872.11	472.11
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत	0.81%	0.46%
4	अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई यदि कोई हो	शून्य	शून्य

8.5 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन:

(रु. करोड़ में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	यूएफसीई पर किया गया अतिरिक्त प्रावधान	4.93	7.68
2	यूएफसीई पर धारित पूंजी	8.70	37.53

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाले करेंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों (यूएफसीई) को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधानीकरण के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है।

क) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धति:

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु रु.10 करोड एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले 5 वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मदों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/या प्राकृतिक रूप से संरक्षित को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (डेरिवेटिव संविदा (अर्थात वायदा संरक्षा) के माध्यम से वित्तीय रक्षित और प्राकृतिक रूप से रक्षित पर भी विचार किया जा सकता है, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करंसी विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई हो। अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी लेखांकन वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो/ या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

ख) संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धति:

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होनेवाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

ग) अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान:

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

conversion, briefly exceeded the reduced exposure norms. The limit utilization (excluding forward cover of Rs. 1350, with replacement cost of 10% i.e. Rs. 135 crore) is subsequently curtailed to Rs. 1000 crore on 28.03.2018 to ensure exposure within permissible norms.

8.4 Intra-Group Exposures:

The details of the intra-group exposures of the bank are as under;

(Rs. in Crore)

S.N.	Particulars	2017-18	2016-17
1	Total amount of intra-group exposures	872.11	472.11
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	872.11	472.11
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.81%	0.46%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

8.5 Unhedged Foreign Currency Exposure:

(Rs. In Crore)

S N	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	Provisioning held on account of UFCE	4.93	7.68
2	Capital held on account of UFCE	8.70	37.53

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

a) Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of Rs.10 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

b) Method to estimate the extent of likely loss:

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

c) Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:

The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन को भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाईल पर आधारित है।

8.6 गैर जमानती अग्रिम:

दिनांक 31.03.2018 को गैर जमानती अग्रिमों में रु.845.90 करोड़ (रु.837.38 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे। इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2018 को अनुमानित मूल्य रु. 1753.85 करोड़ (रु.1892.12 करोड़) है।

8.7 जोखिम श्रेणीवार देश विगोपन

(रु.करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2018 को विगोपन (निवल)	31.03.2018 को धारित प्रावधान	31.03.2017 को विगोपन (निवल)	31.03.2017 को धारित प्रावधान
नगण्य जोखिम	1176.88	0.00	2184.32	0.00
कम जोखिम	436.30	0.00	1004.03	0.00
साधारण जोखिम	22.75	0.00	25.75	0.00
साधारणत: कम जोखिम	18.80	0.00	0.00	0.00
साधारणत: उच्च जोखिम	13.66	0.00	0.00	0.00
उच्च जोखिम	9.00	0.00	38.03	0.00
अति उच्च जोखिम	0.02	0.00	0.34	0.00
ऋणेतर जोखिम	0	0.00	0.02	0.00
कुल	**1677.41**	**0.00**	**3252.49**	**0.00**

8.8 प्रावधान कवरेज अनुपात:

दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.क्र.बीपी.बीसी. 64/21.04.048/2009-10 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात का परिकलन किया है जो 58.71% है। इस अनुपात का परिकलन 31.03.2018 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है।

9 विविध:

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(रु.करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
आयकर हेतु प्रावधान	शून्य	128.02

9.2 लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

(रु.करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	5330.89	3800.20
2	एएफएस/एचएफटी में निवेश पर मूल्यहास	54.12	0.00
3	अनर्जक निवेश पर प्रावधान	129.22	147.55
4	निवेश पर प्रावधान सीडीआर/पुनर्संरचित	46.74	0.00
5	अरक्षित विदेश विनिमय विगोपन का प्रावधान	0.00	0.00
6	आयकर पर प्रावधान	0.00	81.36
7	आस्थगित कर आस्ति/देयता (निवल)	0.00	0.00

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

8.6 Unsecured Advances:

Unsecured advances includesRs 845.90 crore (Rs.837.38 crore) as on 31.03.2018 which is collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authorities etc. The estimated value of such intangible collateral is Rs.1753.85 crore (Rs.1892.12 crore) as on 31.03.2018.

8.7 Risk Category wise Country Exposure

(Rs.in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2018	Provision held as at March 31, 2018	Exposure (net) as at March 31, 2017	Provision held as at March 31, 2017
Insignificant Risk	1176.88	0.00	2184.32	0.00
Low Risk	436.30	0.00	1004.03	0.00
Moderate Risk	22.75	0.00	25.75	0.00
Moderately Low Risk	18.80	0.00	0.00	0.00
Moderately High Risk	13.66	0.00	0.00	0.00
High Risk	9.00	0.00	38.03	0.00
Very High Risk	0.02	0.00	0.34	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.02	0.00
Total	**1677.41**	**0.00**	**3252.49**	**0.00**

8.8 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the provision coverage ratio (PCR) as required vide circular No.DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010, dated December 1,2009, which is 58.71%. This ratio has been calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2018.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(Rs. in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Provision for Income Tax	Nil	128.02

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crore)

S. N.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	Provision towards NPA	5330.89	3800.20
2	Depreciation on investments in AFS/HFT	54.12	0.00
3	Provision for Non Performing Investment	129.22	147.55
4	Provision for Investment – CDR/ Restructure	46.74	0.00
5	Provision for un-hedged foreign currency exposure	0.00	0.00
6	Provision for Income tax	0.00	81.36
7	Deferred Tax Asset /Liability(Net)	0.00	0.00

8	धोखाधड़ी (गैर- उधारकर्ता) के लिए प्रावधान	8.25	23.06
9	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	38.20	95.96
	उप जोड़ (क)	5607.42	4148.13
	घटायें : प्रतिलेखन/समायोजन		
1	निवेश पर मूल्यह्रास का प्रतिलेखन	0.00	7.70
2	आयकर प्रावधान पर प्रतिलेखन	151.49	0.00
3	आस्थगित कर आस्ति/देयता	1968.65	851.92
4	पुनर्संरचित निवेश प्रावधान पर प्रतिलेखन	0.00	27.14
5	मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	105.86	4.60
6	पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन	26.07	39.65
7	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	2.75	0.00
8	अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं	15.54	17.55
	उप जोड़ (ख)	2270.36	948.56
	कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं (क - ख)	3337.06	3199.57

9.3 स्थिर आस्तियां:

9.3.1 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष हेतु मूल्यह्रास की राशि रु.75.75 करोड़ (रु.89.32 करोड़) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते के समक्ष समायोजित किया गया। 31.03.2018 को अंतिम पुनर्मूल्यांकन आरक्षित रू.1129.99 करोड़ (रू.1206.46 करोड़) है।

9.3.2 रु.6.54 करोड़ (रु.6.54 करोड़) की लागत वाली 4(4) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों/परिसरों के संबंध में हक विलेखों को कतिपय लंबित/प्रलंबित औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अब तक निष्पादित/पंजीकृत नहीं किया गया था।

9.3.3 पूंजीगत कार्य-प्रगति में निश्चित परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो अभी तक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। प्रगतिधीन पूंजी कार्य में रु.30.07 करोड़ (रु.22.05 करोड़) में किदवई नगर, नई दिल्ली के निर्माण का निर्माण शामिल है। यह संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदी गई है और वर्तमान में निर्माणाधीन है और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भुगतान काम पूरा करने के चरण से जुड़ा हुआ है। संपत्ति और भुगतान की शर्तों की प्रकृति के विचार को देखते हुए निर्माणाधीन संपत्ति के तहत पूंजी कार्य की प्रगति में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार प्रकट किया गया है।

9.4 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई कालातीत गारंटियों की रकम रु.903.55 करोड़ (रु.1635.13 करोड़) शामिल है, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है।

9.5 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में रु.0.43 करोड़ (रु.0.43 करोड़) की रकम शामिल है।

9.6 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत जुर्माना निम्नानुसार लगाया गया है:

(रु.करोड़ में)

अ.क्र.	दंडों की प्रकृति/ विवरण	राशि
1	भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड	शून्य
2	बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत दंड	शून्य
3	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों पर लगाया गया दंड	0.22

8	Provision for fraud (Non Borrowal)	8.25	23.06
9	Other provision and contingencies	38.20	95.96
	Sub-total (A)	5607.42	4148.13
	Less: Write back /adjustments		
1	Write-back of depreciation on Investment	0.00	7.70
2	Write-back of provision for Income Tax& Wealth Tax	151.49	0.00
3	Deferred Tax Assets/ Liability	1968.65	851.92
4	Write back of Provision for restructured Investment	0.00	27.14
5	Write back of Provisions for Standard Advances	105.86	4.60
6	Write back of Provisions for Restructured Advances	26.07	39.65
7	Provision for un-hedged foreign currency exposure	2.75	0.00
8	Other provision and contingencies	15.54	17.55
	Sub-total (B)	2270.36	948.56
	Total Provisions & Contingencies (A-B)	3337.06	3199.57

9.3 Fixed Assets:

9.3.1 Depreciation for the current year amounting to Rs.75.75 crore (Rs.89.32 crore) on revalued assets has been adjusted against Revaluation Reserve Account. The closing Revaluation Reserve as on 31.03.2018 is Rs.1129.99 crore (Rs.1206.46 crore).

9.3.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of Rs. 6.54 crores (Rs. 6.54 crore) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

9.3.3 Capital work-in-progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to Rs. 30.07 crore (Rs. 22.05 crore) includes construction of building at Kidwai Nagar, New Delhi. This property has been purchased from the NBCC Ltd and currently under construction, and payment to Ministry of Urban Development, GOI, is linked with stage of completion of work. Considering the substance of the nature of asset and payment terms, said under construction property is classified as Capital Work in progress and disclosed accordingly.

9.4 Contingent Liabilities include expired guarantees amounting to Rs.903.55 crore (Rs.1635.13 crore) which have not been cancelled because of pending completion formalities.

9.5 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 include Rs.0.43 crore (Rs.0.43 crore) towards unclaimed Share Application Money.

9.6 During the Financial year 2017-2018, Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007has been imposed as under:

(Rs in Crore)

S. N.	Particulars/nature of penalties	Amount
1	Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007	NIL
2	Penalty under section 46(4) of the Banking Regulation Act,1949	NIL
3	Penalty levied by RBI on currency chests	0.22

9.7 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2017-18	2016-17
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	54	73
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	8348	3246
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	8014	3265
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	388	54

बैंक ने अब मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस) का कार्यान्वयन किया है जो शिकायत प्रबंधन के लिए एक समन्वित प्रणाली है। यह ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें शिकायत की स्थिति अद्यतन, ऑटो टाइम बाउंड एक्सेलेशन, रिपोर्टिंग इत्यादि जैसी विशेषताएं हैं :

9.8 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	2017-18	2016-17
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	3	14
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	3	14
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.9 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने रु.1140.74 करोड़ के 938 ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष के दौरान रु.1838.00 करोड़ के 1035 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को रु.309.72 करोड़ के 312 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31 मार्च, 2017 को रु.334.97 करोड़ के 340 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे.

9.10 बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय

बैंक एश्योरेन्स के अधीन रु.15.40 करोड़ (रु.10.93 करोड़) की आय और रु.1.80 करोड़ (रु.1.71 करोड़) की अन्य आय अर्जित की गई। बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	आय का स्वरूप	2017-18	2016-17
1	जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	5.93	6.04
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु	9.47	4.81
3	म्युच्युअल फंड उत्पाद विक्रय हेतु	0.08	0.08
4	अन्य	1.80	1.71
	कुल	17.28	12.64

9.11 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ)

(रु.करोड़ में)

ब्यौरे	2017-18	2016-17
डीईएएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष	102.33	66.49
जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित रकम	131.94	38.68
घटाएं - डीईएएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम	3.38	2.84
डीईएएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष	230.89	102.33

9.7 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

S. N.	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	54	73
(b)	No. of complaints received during the year	8348	3246
(c)	No. of complaints redressed during the year	8014	3265
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	388	54

Now the bank has implemented Standardised Public Grievances Redress System (SPGRS), which is an integrated system for complaint management. It is an online portal for registering customer complaints with features like complaint status update, auto time bound escalation, reporting etc.

9.8 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

S. N.	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	3	14
(c)	No. of Awards implemented during the year.	3	14
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0	0

9.9 Letters of Comfort (LOCs)

During the current year, 938 Trade credits amounting to Rs.1140.74 crore (previous year 1035 trade credits amounting to Rs.1838.00 crore) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favour of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st March 2018, 312 trade credits amounting to Rs.309.72 crore were outstanding as against 340 trade credits amounting to Rs. 334.97 crore as on 31st March, 2017

9.10 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is Rs.15.40 crore (Rs 10.93 crore) and other income of Rs. 1.80 crore (Rs. 1.71 crore).The details of Bancassurance income is as under:

(Rs. in Crore)

S. N.	Nature of Income	2017-18	2016-17
1	For selling life insurance policies	5.93	6.04
2	For selling non-life insurance policies	9.47	4.81
3	For selling mutual fund products	0.08	0.08
4	Others	1.80	1.71
	Total	17.28	12.64

9.11 Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs in Crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening balance of amount transferred to DEAF	102.33	66.49
Add: Amount transferred to DEAF during the year	131.94	38.68
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	3.38	2.84
Closing balance of amount transferred to DEAF	230.89	102.33

9.12 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/ समाधान/ समापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/ देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है। राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता। प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूली है।

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है :

10.1 लेखा मानक 3 - नकद प्रवाह विवरण

बैंक अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए एएस-3 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नकद प्रवाह विवरण तैयार करता है।

10.2 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुध्द लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय / व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अत: उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबद्ध किया है।

10.3 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.1 के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है।

10.4 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय रु.110.05 करोड़ (रु.101.91 करोड़) रही।

10.5 लेखा मानक (एएस) -15 (संशोधित 2005) " कर्मचारी लाभ "

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
क) भविष्य निधि	0.54	0.33
ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	0.00	0.00

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

क) **पेंशन योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह गैरनिधि योजना है।

9.12 Work is in progress for adjustment / reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material.

10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 3- Cash Flow Statement

The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

10.2 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts

10.3 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.4 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credit to in the Profit and Loss account for the year is Rs.110.05 crore (Rs.101.91 crore)

10.5 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) - “Employee Benefits”

(A) Defined Contribution Plans:

(Rs.in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
a) Provident Fund	0.54	0.33
b) Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

(B) Defined Benefit Plans:

a) **Pension Plan**- This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company’s Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences**-This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव:
Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

(रु. करोड़ में)
(Rs.in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	4793.48	4182.24	482.21	483.82	301.62	270.23
2	ब्याज लागत Interest Cost	350.03	290.55	33.74	31.68	21.73	18.21
3	चालू सेवा लागत Current Service Cost	92.16	483.13	25.95	40.24	18.52	29.13
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00
5	प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(375.62)	(349.20)	(90.26)	(93.76)	(40.27)	(37.75)
6	वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	430.24	186.76	(19.79)	20.23	(12.44)	21.80
7	परिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	5290.29	4793.48	579.71*	482.21	289.16	301.62

*दिनांक 27.04.2018 के आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को रु.20 लाख हेतु सीमा में वृद्धि के कारण उपदान पर अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित करने की अनुमति है। तदनुसार बैंक ने मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही से आरंभ कर 4 तिमाहियों पर परिशोधन करने हेतु रु.147.86 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त देयता का प्रक्रमण किया है।

*As per IBA guidelines dated 27.04.2018 the Bank is allowed to amortize additional provision on Gratuity due to increase in limit to Rs. 20 Lakhs. Accordingly the Bank has assessed additional liability to the extent of Rs. 147.86 Crore to be amortized over four quarters starting from quarter ended March 2018

II. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:
Change in the Fair Value of Plan Assets:

(रु. करोड़ में)
(Rs. in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	4769.00	4180.48	466.80	481.86
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan assets	375.80	332.35	41.69	38.79
3	किया गया अंशदान Contributions made	569.70	595.40	26.00	42.00
4	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(375.62)	(349.20)	(90.26)	(93.76)
5	उपचित (लाभ) / हानि Actuarial gains/losses	22.62	9.97	(2.86)	(2.09)
6	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	5361.50	4769.00	441.37	466.80

III. तुलन पत्र में निर्धारित रकम
Amount recognized in the Balance Sheet:

(रु.करोड़ में)
(Rs. in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	5290.29	4793.48	579.71	482.21	5870.00	5275.69	289.16	301.62
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(5361.50)	(4769.00)	(441.37)	(466.80)	(5802.87)	(5235.80)	0.00	(0.00)

3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	(71.21)	24.48	138.34	15.41	67.13	39.89	289.16	301.62
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	(71.21)	24.48	138.34	15.41	67.13	39.89	289.16	301.62

IV. लाभ और हानि खाते में निर्धारित रकम:
Amount recognized in the Profit & Loss Account:

(रु.करोड़ में)
(Rs.in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	92.16	483.13	25.95	40.24	18.52	29.13
2	ब्याज लागत Interest Cost	350.03	290.55	33.74	31.68	21.73	18.22
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(375.80)	(332.35)	(41.69)	(38.79)	0.00	0.00
4	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	407.61	176.78	(16.94)	22.32	(12.44)	21.80
5	सेवा पश्चात लागत Past Service Cost	0.00	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00
6	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	474.00	618.12	148.93	55.45	27.81	69.15
7	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	474.00	618.12	148.93*	55.45	27.81	69.15

*आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 4 तिमाहियों में उपदान में सीमा की वृद्धि के कारण उपदान पर अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित करने की अनुमति है। तदनुसार निर्धारित किया गया वास्तविक खर्च रु.47.56 करोड़ है।

*As per IBA guidelines the Bank is allowed to amortize the additional provision on Gratuity due to increase limit in Gratuity over four quarters; accordingly, the actual expense recognized is Rs. 47.56 Crore

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान
Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet

(रु. करोड़ में)
(Rs.in Crore)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability	24.48	1.76	15.41	1.96	301.62	270.23
2	निर्धारित व्यय Expense recognized	474.00	618.12	148.93	55.45	27.81	69.14
3	प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/Benefits paid	(569.70)	(595.40)	(26.00)	(42.00)	(40.27)	(37.75)
4	समापन निवल देयता Closing Net Liability	(71.22)	24.48	138.34*	15.41	289.16	301.62

* आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 4 तिमाहियों में उपदान में सीमा की वृद्धि के कारण उपदान पर अतिरिक्त प्रावधान को परिशोधित करने की अनुमति है। तदनुसार वास्तविक समापन निवल देयता रु.36.97 करोड़ है।

*As per IBA guidelines the Bank is allowed to amortize the additional provision on Gratuity due to increase limit in Gratuity over four quarters; accordingly, the actual closing net liability is Rs. 36.97 Crore

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय
Actual Return on Plan Assets

(रु. करोड़ में)
(Rs. in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	375.80	332.35	41.69	54.95
2	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	22.62	9.97	(2.68)	(18.25)
3	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets	398.42	342.32	39.01	36.70

VII. मूल जीवनांकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)
Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

(रु. करोड़ में)
(Rs. in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	भांजित दर Discount rate	7.60%	7.25%	7.72%	7.25%	7.72%	7.25%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	7.88%	7.95%	8.93%	8.05%	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि लाभ :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	लाभ व हानि खाते में निर्धारित	
		31.03.2018	31.03.2017
1	पुनर्स्थापन भत्ता	0.10	0.15
2	छुट्टी किराया रियायत	11.68	43.91
3	रजत जयंती पुरस्कार	(0.12)	0.09
	कुल	**11.66**	**44.15**

C. Other Long Term Benefits:

(Rs.in Crore)

S N	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2018	31.03.2017
1	Resettlement Allowance	0.10	0.15
2	Leave Fare Concession	11.68	43.91
3	Silver Jubilee Award	(0.12)	0.09
	Total	**11.66**	**44.15**

10.6 लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग
Accounting Standard 17- Segment Reporting

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है :
Bank has identified its primary reportable segments as under:

भाग क : व्यवसाय क्षेत्र
Part A: Business segments

(रु.करोड़ में)
(Rs in crore)

व्यवसाय क्षेत्र > Business Segments >	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	**2017-18**	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**
राजस्व Revenue	4205.45	4079.07	3664.35	5147.54	4229.37	3992.21	503.31	351.21	12602.47	13570.03
परिणाम Result	1342.42	1317.49	(3946.29)	(2617.02)	(838.02)	(897.12)	176.11	53.58	(3265.78)	(2143.07)
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating profit									(3265.78)	(2143.07)
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									(2120.14)	(770.56)
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									(1145.64)	(1372.51)
अन्य जानकारियां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	52772.29	48024.30	51366.48	58617.74	36761.07	39219.77	11294.27	11432.09	152194.11	157293.90
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									4134.64	2030.08
कुल आस्तियां Total assets									**156328.75**	**159323.98**
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	52086.15	47378.24	50086.37	55545.34	35708.42	36979.63	8503.84	12041.24	146384.79	151944.46
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									9943.96	7379.52
कुल देयताएं Total liabilities									**156328.75**	**159323.98**

क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।

ख) संस्थागत / थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मो, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।

ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में संस्था/ संबंधित को विगोपन शामिल है जहां

i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त रु.50 करोड़ से कम है और

ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और

iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र निवेश रु.5 करोड़ तक है।

घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र

चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अत: भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.

b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where

i) Total average annual turnover less than Rs.50 crore and

ii) No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii) The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs.5 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.7 लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं

(क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंधः

(क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

(ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

(ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

1) श्री आर. पी. मराठे, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (26.09.2016 से अब तक)

2) श्री आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से अब तक)

3) श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक (31.03.2017 से अब तक)

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार -

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.18	31.03.17
वेतन व भत्ते (परिलब्धियों सहित)	0.74	0.67
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण व अग्रिम	0.22	0.43
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की जमाराशि	0.36	1.35
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा जमाराशियों का नियोजन	0.03	0.00
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों को चुकता ब्याज	0.03	0.02
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त ब्याज	0.05	0.05

एएस 18 संबंधित पक्ष प्रकटन के परिच्छेद 9 के मद्देनजर बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्ष जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित है, उनके संव्यवहारों से संबंधित किसी भी प्रकटन से छूट देता है।

10.8 लेखा मानक-19 - पट्टा

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टे की शुरुआत में पट्टे के भुगतान द्वारा, जो भी कम हो, पूँजीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा :

पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि रू.138.51 करोड़ (पिछले वर्ष रू.131.95 करोड़) है।

10.9 लेखा मानक-20 --प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.18	31.03.17
मूल प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)	रु.(8.98)	रु. (11.75)
अनुकृत प्रति शेयर अर्जन	रु. (8.98)	रु. (11.75)
मूल / अनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना.		
क) कर उपरांत निवल लाभ (रु. लाख में)	(114564.81)	(137250.77)
ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	12754	11683.34
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा]	रु. (8.98)	रु. (11.75)
ङ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	रु.10.00	रु.10.00

10.10 लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों को मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों में क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में समेकित किया गया है।

10.7 Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are asunder:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

1) Shri R. P. Marathe, Managing Director and CEO (from 26.09.2016 to till date)

2) Shri R K Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to till date)

3) Shri A C Rout, Executive Director (from 31.03.2017 to till date)

(B) Transactions with Related parties (Rs. in Crore)

Particulars	31.03.18	31.03.17
Salary & Allowances (including perquisites)	0.74	0.67
Loans & Advances to Key Management Personnel	0.22	0.43
Deposits of Key Management Personnel	0.36	1.35
Placement of Deposits by Key Management Personnel	0.03	0.00
Interest paid to Key Management Personnel	0.03	0.02
Interest received from Key Management Personnel	0.05	0.05

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

10.8 Accounting Standard 19 - Leases

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified has finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases:

Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases is Rs. 138.51 crore (Previous year Rs. 131.95 crore)

10.9 Accounting Standard 20- Earnings per Share

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Basic E.P.S.	Rs. (8.98)	Rs. (11.75)
Diluted E.P.S.	Rs.(8.98)	Rs. (11.75)
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax (Rs. in Lakhs)	(114564.81)	(137250.77)
b) Weighted Average number of Equity Shares (in Lakhs)	12754	11683.34
c) Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	Rs. (8.98)	Rs (11.75)
d) Nominal Value per Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

10.10 Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10.11 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने रु.1152.96 करोड़ की संचयी हानि के कारण सहित रु.1968.65 करोड़ के आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण किया है।

बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए कर का लेखांकन किया है. तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं : (रु.करोड में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानियों के कारण	1152.96	0.00
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में	259.06	144.58
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है.	1491.02*	860.78
4) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	46.67	**7.82**
उप जोड़ (क)	**2949.71**	**1013.18**
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	171.68	171.68
2) निवेश पर मूल्यह्रास के रूप में	161.08	161.08
3) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में	0.00	3.29
4) अन्य प्रावधान जहाँ डीटीएल तैयार किया गया	0.00	28.84
उप जोड (ख)	**332.76**	**364.89**
निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)	**2616.95**	**648.29**

*रु.607.73 करोड़ की सीमा हेतु खराब और दबावग्रस्त ऋणों के लिए प्रावधान के कारण डीटीए सहित

10.12 लेखा मानक 24 - परिचालनों का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचलनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.13 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि - 3 वर्ष

परिशोधन दर - 33.33%

परिशोधन पध्दति - लागत पर सरल रेखा पद्धति (रूपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	17.82	33.70
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	58.23	9.64
वर्ष के दौरान परिशोधन	38.95	25.52
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	37.10	17.82

नोट : सॉफ्टवेयर के पिछले साल के आंकड़ों को सही संतुलन पर पहुंचाने के लिए पुनर्मूल्यांकित किया गया और सुधारा गया है।

10.14 लेखा मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई है। इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

10.15 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है।

10.11 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

Based on the thorough review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized and accordingly during the year 2017-18, the bank has recognized deferred tax assets of Rs. 1968.65 crore including on account of accumulated losses of Rs. 1152.96 crore

The bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under: (Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	1152.96	0.00
2) On account of provisions for Employees benefits	259.06	144.58
3) Other Provisions where DTA is created	1491.02*	860.78
4) On account of depreciation on fixed assets	46.67	**7.82**
Sub-Total (A)	**2949.71**	**1013.18**
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1)(viii)	171.68	171.68
2) On account of Depreciation on Investment	161.08	161.08
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	0.00	3.29
4) Other Provisions where DTL is created	0.00	28.84
Sub-Total (B)	**332.76**	**364.89**
Net Deferred Tax Asset (A-B)	**2616.95**	**648.29**

* Includes DTA on account of provision for bad and doubtful debts to the tune of Rs. 607.73 crore

10.12 Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The Bank, during the financial year 2017-18, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.13 Accounting Standard 26 - Accounting for Intangible Assets

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.

Amortization Rate - 33.33 %

Amortization Method - Straight line at cost

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Software at the beginning of the year	17.82	33.70
Software acquired during the year	58.23	9.64
Amortization during the year	38.95	25.52
Net carrying amount at the end of the year	37.10	17.82

Note: Previous Year figures of software have been regrouped and rectified to arrive at the correct balance

10.14 Accounting Standard 28- Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

10.15 Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11. ऋणों और अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामले हेतु प्रावधान:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को जालसाजी की पहचान के दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिती को प्रभारित की जानी है।

(रु. करोड़ में)

31.03.2018 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2018 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष तक (राशि)	31.03.2018 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षिती को नामे परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि)
4085	102	2963.00	770.22	770.22	0.00

बैंक ने वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधड़ी के संबंध में रू.967.04 करोड़ (रु.303.76 करोड़) का पूर्ण प्रावधान किया है और वर्ष के दौरान पाई गई धोखाधडियों के लिए कोई अपरिशोधित प्रावधान नहीं है।

12. वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के खिलाफ दावे

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	2017-18	2016-17
बकाया राशि	530.09	359.55
धारित प्रावधान	1.33	1.33

13. बैंक द्वारा भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के साथ सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के कार्यान्वयन की स्थिति

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन के लिए तीन समितियां 1. स्टीयरिंग समिति, 2. कोर समिति, 3. कोर ग्रुप है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना वित्तीय विवरणों पर चर्चा/ अनुमोदन करने, आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन में चुनौतियों को उन अंतरालों को भरने के लिए किए गए उपायों, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कोर समूह और कोर समिति के सदस्यों की 36 बैठकें और स्टीयरिंग समिति के सदस्यों की 3 बैठकें आयोजित की गई। बैंक में आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु बैंक के वित्तीय सलाहकार मेसर्स केपीएमजी हैं।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 सितंबर, 2017 के परिपत्र क्र. डीओ.डीबीआर.बीपी.क्र.2535/ 21.07.001/ 2017-18 के अनुसार बैंक ने जून, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए और अप्रैल, 2017 के अनुसार खुले तुलनपत्र के लिए नमूना वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए हैं।
3. इसके अलावा बैंक ने वित्तीय विवरणों पर आईएनडी-एएस के प्रभाव का विश्लेषण करने और पद्धतियों को सहज बनाने तथा नमूना वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाए गए अनुमानों का विश्लेषण करने हेतु सितंबर, 2017 को समाप्त अवधि के लिए प्रारूप वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया है।
4. आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन पर नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तनों को तैयार किया गया है तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रगति स्थिति का निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया है।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 05.04.2018 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रारूप में आवश्यक परिवर्तनों/ संशोधनों एक वर्ष से बैंक में आईएनडी-एएस के आस्थगित कार्यान्वयन, आईएनडी-एएस के अंतर्गत खातों के अनुरूप बैंकिंग विनियमन अधिनियम के की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया है। ऐसे परिवर्तन/ संशोधन सरकार के पास विचाराधीन है। कार्यान्वयन का संशोधित प्रभावी दिनांक 01.04.2019 है जिसकी तुलनात्मक समाप्ति 31.03.2019 है।

14. वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबध्द/ पुनःवर्गीकृत किया गया।

11 Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortise the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(Rs. in crore)

Up to the year ended 31.03.2018 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2018 (No. of Cases)	Up to the year ended 31.03.2018 (Amount)	During the quarter ending 31.03.2018 (Amount)	Quantum of provision made during the year ended 31.03.2018 (Amount)	Quantum of amortised provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2018 (Amount)
4085	102	2963.00	770.22	770.22	0.00

During the year ,the Bank has made full provision for the frauds of Rs.967.04 (Rs. 303.76) crore detected during the year and there is no un-amortised provision for frauds detected during the year.

12 Claims against the bank not acknowledged as debts as on Year End (Rs in Crore)

Category	2017-18	2016-17
Balance Outstanding	530.09	359.55
Provision Held	1.33	1.33

13 Status of implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) converged with Indian Accounting Standards (Ind-AS) by Bank

1. As per RBI directives, Bank is having 3 committees 1. Steering Committee, 2. Core Committee,3. Core Group for implementation of Ind-AS in Bank. During the financial year 2017-18, 36 meetings with membersofCore Group and Core Committee and 3 meetings of Steering Committee members have been held to discuss issues, challenges in implementation of Ind-AS and measures to be taken for bridging those gaps, also to discuss / approve proforma financial statements. M/s KPMG is financial consultant of the Bank to assist implementation of Ind-AS in the Bank.
2. As per RBI circular number DO.DBR.BP.No 2535/21.07.001/2017-18 dated September 13, 2017, Bank has prepared proforma financial statements for the quarter ended June 2017 and opening balance sheet as of April 2017 and submitted to RBI after approval of Board of Directors.
3. Further, Bank has prepared proforma financial statements for the period ended September 2017 to analyze impact of Ind-AS on financial statements and to smoothening the methodologies and assumptions adopted for preparation of proforma financial statements and the same is submitted to RBI.
4. Changes in policies and procedures on Ind-AS implementation have been prepared and approved by Board of Directors of the Bank.
5. As per RBI guidelines, progress status has been appraised to the Audit committee of the Board and Board of Directors.
6. RBI vide its press release dated 05/04/2018, deferred implementation of Ind-AS in Bank by one year to make necessary changes / amendments in the format of financial statements, prescribed in the Third Schedule to Banking Regulation Act, compatible with accounts under Ind-AS. Such changes / amendments are under consideration with Government. Revised effective date of implementation is 01/04/2019 with comparatives ending on 31/03/2019.

14 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

विवरण Particulars		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018		31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
A. Cash Flow From Operating Activities:					
आय Income					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.		11096,40,99		12061,95,97	
अन्य आय Other Income		1506,05,48	12602,46,47	1508,07,46	13570,03,43
घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions					
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings		7706,67,86		8887,27,12	
परिचालन व्यय Operating Expenses		2704,38,79		2855,69,51	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		3337,04,63	13748,11,28	3199,57,60	14942,54,23
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			**-1145,64,81**		**-1372,50,80**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		3337,04,63		3199,57,60	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		128,59,13		117,61,78	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets		-1,21,82		13,55	
राजस्व आरक्षिति निधि में वृद्धि Addition to revenue reserve		-		54,21,28	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		461,78,29	3926,20,23	502,49,08	3874,03,29
			2780,55,42		2501,52,49
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			225,00,00		508,10,00
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	(I)		**2555,55,42**		**1993,42,49**
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:					
जमाराशियां Deposits		-71,66,09		63,02,01	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings		-2147,93,73		-1216,45,08	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-4452,12,01		-2696,86,83	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities		**-6671,71,83**		**-3850,29,90**	
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments		5032,61,40		2359,31,24	
अग्रिम Advances		-9717,95,24		-12047,44,07	
अन्य आस्तियां Other Assets		2292,56,78		333,14,91	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets		**-2392,77,06**		**-9354,97,92**	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	(II)		**-4278,94,77**		**5504,68,02**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	(क (A) = I+II)		**-1723,39,35**		**7498,10,51**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. Cash Flow From Investing Activities					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		5,26,80		4,00,80	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-139,70,52		-102,75,03	
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates		-		-	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	(ख) (B)		**-134,43,72**		**-98,74,23**

ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
C. Cash Flow From Financing Activities:			
i) बांडो को जारी /(मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		-1925,00,00	125,00,00
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS		-	-
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		-	-
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		-461,78,29	-502,49,08
v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना / (शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares /(Share Aplication Money)		3486,55,43	300,00,00
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		**1099,77,14**	**-77,49,08**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**(क+ख+ग) (A+B+C)**	**-758,05,93**	**7321,87,20**

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	**31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष** Year Ended 31-03-2017
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	**15274,71,92**	8382,28,66
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	**1367,30,17**	937,86,23
	16642,02,09	**9320,14,89**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	**15809,06,25**	15274,71,92
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	**74,89,91**	1367,30,17
	15883,96,16	**16642,02,09**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**-758,05,93**	**7321,87,20**

प्रदीप मिश्रा
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
PRADEEP MISHRA
Asst. Gen Manager, FM&A

संजय रूद्र
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SANJAY RUDRA
Dy. Gen. Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
V. P. SRIVASTAVA
Gen. Manager, FM&A

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
Executive Director

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R. K. GUPTA
Executive Director

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
R.P. MARATHE
Managing Director & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates,LLP
FRN: 101678 W/W100068
Chartered Accountants

कृते पी पारिख एंड एसोसिएट्स
एफआरएन - 107564डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for P Parikh & Associates
FRN - 107564W
Chartered Accountants

कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन: 005301एन
सनदी लेखाकार
for M D Gujrati & Co
FRN: 005301N
Chartered Accountants

सीए अमिताव कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 016639
CA Amitav Kothari
Parther
Membership No: 016639

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M. Marathe
Parther
Membership No. 212175

सीए अशोक बी. राजागिरि
भागीदार
सदस्यता क्र.: 046070
CA Ashok B. Rajagiri
Parther
Membership No. 046070

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Parther
Membership No. 081552

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : 04 मई, 2018 Date : 04th May, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सदस्य

1. **वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट:**

   बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2018 के संलग्न वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2018 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और खातों पर टिप्पणियां शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग और 20 शाखाओं की विवरणियां तथा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित 956 शाखाओं और संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित 38 शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं।

   हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता विवरण में 875 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नही हैं की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 3.10%, जमाराशियों में 23.91%, ब्याज आय में 13.05% और ब्याज खर्च में 22.93% हिस्सा है।

2. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:**

   इन वित्तीय विवरणों को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसरण में तैयार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कि जालसाजी या किसी भी अन्य गलती के कारण से किए गए भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं।

3. **लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी:**

   हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में लेखा परीक्षा की है। इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं।

4. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए इकाई की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दें। उपयोग में लाई गई लेखांकन नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है।

5. हम विश्वास करते हैं कि प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

6. **अभिमत :**

   हमारी राय में, बैंक की खाता-बहियों में दर्शाए गये अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि :

   क. समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों सहित पठित, परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च, 2018 के व्यवहारों का सही और उचित चित्र सामने आ सके।

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

Members of Bank of Maharashtra

1. **Report on Financial Statements:**

   We have audited the accompanying Financial Statements of Bank of Maharashtra as at 31st March 2018 which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2018 Profit and Loss Account and the cash Flow Statement for the year ended and a summary of significant accounting policies and Notes on Accounts. Incorporated in these financial statements the return of 20 branches, and also Treasury & International Banking Division, audited by us and 956 branches audited by branch auditors & 38 branches by concurrent auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit & Loss account and the return from 875 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 3.10 % per cent of the advances, 23.91 % per cent of deposits, 13.05 % per cent of interest income and 22.93 % per cent of interest expenses.

2. **Management's responsibility for the Financial Statements:**

   Management is responsible for the preparation of these Financial Statements in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India Guidelines issued from time to time. This responsibility includes the design implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. **Auditors' Responsibility:**

   Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of exercising an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our Audit opinion.

6. **Opinion:**

   In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us, we hereby report that:

   a. The Balance Sheet read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of the affairs of the Bank as at 31st March 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India.

ख. समेकित हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियों के साथ पठित, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप लाभ/ हानि का सही तुलन दर्शाती हैं; और

ग. समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है।

7. **मामले का महत्व:**

रू. 1152.96 करोड़ की राशि की संचयी हानियों के कारण आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता के संबंध में वित्तीय विवरणों हेतु खातों पर टिप्पणियां अनुसूची 18 में नोट क्रमांक 10.11

8. **अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:**

तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म 'ए' तथा 'बी' के अनुसार तैयार किया गया है।

9. उपर्युक्त परिच्छेद 1 से 5 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया।

ख) बैंक के संव्यवहार जो हमारे ध्यान में आए हैं, वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं।

ग) बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

10. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि ;

क) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता, विवरणियों और लेखा बहियों के अनुसरण में है।

ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा, कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उसका समुचित उपयोग किया गया है।

ग) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

b. Profit and loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

7. **Emphasis of Matter:**

Note number 10.11 in Schedule 18 of Notes to Accounts to the Financial Statements regarding recognition of Deferred Tax Assets on account of accumulated losses amounting to Rs. 1152.96 crore.

8. **Report on Other Legal and Regulatory Requirements:**

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the third Schedule to the Banking Regulation Act 1949.

9. Subject to the limitation of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, and also subject to the limitations of disclosure required therein we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit and have found them to be satisfactory.

b) The transactions of the bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

10. **We further report that;**

a) The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

b) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act,1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते कोठारी एंड कंपनी एफआरएन - 301178 ई सनदी लेखाकार **for KOTHARI & Co** FRN - 301178E Chartered Accountants	**कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी** एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068 सनदी लेखाकार **for CMRS & Associates,LLP** FRN: 101678 W/W100068 Chartered Accountants	**कृते पी पारिख एंड एसोसिएट्स** एफआरएन - 107564डब्ल्यू सनदी लेखाकार **for P Parikh & Associates** FRN - 107564W Chartered Accountants	**कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी** एफआरएन: 005301एन सनदी लेखाकार **for M. D. Gujrati & Co** FRN: 005301N Chartered Accountants
सीए अमिताव कोठारी भागीदार सदस्यता क्र.: 016639 **CA Amitav Kothari** Parther Membership No: 016639	**सीए महेश्वर एम. मराठे** भागीदार सदस्यता क्र.: 212175 **CA Maheshwar M. Marathe** Parther Membership No. 212175	**सीए अशोक बी. राजागिरि** भागीदार सदस्यता क्र.: 046070 **CA Ashok B. Rajagiri** Parther Membership No. 046070	**सीए मनोहर दास गुजराती** भागीदार सदस्यता क्र.: 081552 **CA Manohar Das Gujrati** Parther Membership No. 081552

स्थान : पुणे
दिनांक : 04 मई, 2018

Place : Pune
Date : 04th May, 2018

बेसल III - 31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु पिलर 3 प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2013 से बेसल III दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशानिर्देश 31.03.2019 तक बेसल III के कार्यान्वयन हेतु संक्रमण अनुसूची उपलब्ध कराते हैं. बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन पर न्यूनतम पूंजी, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की 11.50% होगी, न्यूनतम सामान्य इक्विटि टियर-1 अनुपात 8.00% होगा और न्यूनतम इक्विटि टियर-1 अनुपात 9.50% होगा.

बेसल III ढांचे में तीन आपसी सुदृढ़ पिलर्स शामिल हैं -

(i) पिलर 1 : न्यूनतम पूंजी आवश्यकता (ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम)

(ii) पिलर 2 : पर्यवेक्षकीय समीक्षा और मूल्यांकन (Evaluation) प्रकिया

(iii) पिलर 3 : बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (पिलर 3) में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे के प्रकटन शामिल हैं. ये प्रकटन निम्नलिखित खण्डों में दिए गए हैं.

सारणी डीएफ-1 : अनुप्रयोजन का विस्तार

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर संरचना लागू हो - **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

(i) गुणात्मक प्रकटन :

BASEL III – PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

RBI issued Basel III guidelines, applicable w.e.f. 01.04.2013. These guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till 31.03.2019. Upon full implementation, Basel III guidelines target minimum capital to risk-weighted assets ratio (CRAR) would be 11.50%, minimum Common Equity Tier -1 ratio would be 8.00% and minimum Tier 1 ratio would be 9.50%.

Basel III framework consists of three mutually reinforcing pillars:

(i) Pillar 1 : Minimum Capital Requirement (Credit Risk, Market Risk and Operational Risk)

(ii) Pillar 2 : Supervisory Review and Evaluation Process

(iii) Pillar 3 : Market Discipline

Market Discipline (Pillar 3) consists of set of disclosures on capital adequacy and risk management framework of Bank. These disclosures have been set out as under:

TABLE DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of head of the banking group to which framework applies: **BANK OF MAHARASHTRA**

(i) Qualitative Disclosures:

संस्था का नाम / निगमन देश Name of entity/ Country of incorporation	क्या संस्था समेकन की लेखांकन व्याप्ति में शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	क्या संस्था समेकन के विनियामक व्याप्ति के अंतर्गत शामिल है (हां/नहीं) Whether entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	समेकन की पद्धति Method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण Reasons for difference in method of consolidation	यदि समेकन की केवल एक व्याप्ति के अंतर्गत समेकित की गई है तो समेकन के कारण Reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको) / इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-21 के अनुसार पंक्ति-दर-पंक्ति आधार Line by Line basis as per AS-21 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	चूंकि यह संस्था बैंकिंग कंपनी नहीं है, अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार के बाहर है. बैंक की सीईटी1 पूंजी से पूंजी निवेश घटाया है. Entity is not a banking company, hence outside the purview of regulatory consolidation. Capital Investment is deducted from CET1 capital of Bank.
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)/ इंडिया Maharashtra Gramin Bank (MGB)/ India	हां Yes	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार Equity method Basis as per AS-23 issued by ICAI	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	यह संस्था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहायक संस्था है. अतः विनियामक समेकन के क्षेत्राधिकार से बाहर है. निवेश 250% जोखिम भारित है Entity is RRB, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%.

क. समेकन हेतु विचारणीय समूह इकाईयों की सूची

1. दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)
2. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)

ख. समेकन के लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न की गई समूह संस्थाओं की सूची

a. List of group entities considered for consolidation

1. The Maharashtra Executors & Trustee Company Private Limited (METCO)
2. Maharashtra Gramin Bank (MGB)

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/ निगमन का देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की मूल गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity	संस्था के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश की विनियामक आवश्यकता Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य NIL					

(ii) मात्रात्मक प्रकटन

ग. समेकन हेतु विचारणीय सामूहिक संस्थाओं की सूची (लेखांकन)

(ii) Quantitative Disclosures

c. List of group entities considered for consolidation (accounting)

(राशि ₹ मिलियन में) (Amount in ₹ million)

संस्था का नाम/निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलनपत्र आस्तियां (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)/ इंडिया The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt Ltd (METCO)/ India	न्यासधारिता Trusteeship	35.78 (बीओएम शेयर 100%) (BOM share 100%)	156.41
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) Maharashtra Gramin Bank (MGB)/India	बैंकिंग Banking	4700.07 (बीओएम शेयर 35%) (BOM share 35%)	102308.07

घ. सभी अनुषंगी कंपनियों, जो समेकन के विनियामक विस्तार में शामिल नहीं हैं, में कुल पूंजी कमी की राशि अर्थात, जिनकी कटौति की गई.

बैंक की किसी भी अनुषंगी कंपनी में कोई पूंजी कमी नहीं है जिन्हें 31 मार्च 2018 को समेकन के विनियामक विस्तार हेतु शामिल नहीं किया गया है,

ड. बीमा इकाईयां, जो जोखिम भारित हैं, में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य)

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in the subsidiary of Bank which is not included in regulatory scope of consolidation as of March 31, 2018.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted

संस्था का नाम / निगमन देश Name of the insurance entity/ Country of incorporation	संस्था की प्रमुख गतिविधि Principle activity of the entity	कुल तुलनपत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलनपत्र में यथा सूचित) Total Balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	वोटिंग अधिकार के अनुपात में/ कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	पूर्ण कटौति पद्धति विरुद्ध जोखिम भारित पद्धति का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
बैंक की बीमा व्यवसाय वाली कोई सहायक संस्था नहीं है. Bank is not having any subsidiary having insurance business.				

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध

बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर दिनांक 31 मार्च, 2018 को कोई प्रतिबंध अथवा अवरोध नहीं है.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2018.

सारणी डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क. पूंजी प्रबंधन

बैंक की जोखिम रूपरेखा के संबंध में इसकी समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया एवं इसके पूंजी स्तरों को बनाये रखने की रणनीति बैंक के पास है. इस प्रक्रिया से यह आश्वासन मिलता है कि बैंक के व्यवसाय में अन्तर्निहित समग्र जोखिमों को वहन करने हेतु बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है. बैंक नियामक मानकों को प्राप्त करने के लिए पूंजी की उगाही के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर अपनी पूंजी का सक्रियता से प्रबंधन करता है.

संगठनात्मक ढांचा:

बैंक के पूंजी प्रबंधन का प्रशासन समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के समन्वय से बैंक के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण में किया जाता है. बैंक ने मार्गदर्शन देने हेतु पूंजी आयोजना समिति भी गठित की है.

पूंजी का आंतरिक मूल्यांकन:

बैंक के पूंजी प्रबंधन ढांचे में व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का समावेश है जो वार्षिक आधार पर किया जाता है जिससे नियामक मानकों एवं वर्तमान तथा भविष्य की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए, जिसमें दबाब परिदृश्य के अंतर्गत की स्थितियां शामिल है, को प्राप्त करने हेतु बैंक के लिए पूंजीकरण के पर्याप्त स्तर का निर्धारण होता है. व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) में बैंक के समक्ष आने वाले समस्त जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं महत्व के पश्चात दो वर्षों की समय सीमा के लिए पूंजी आयोजना शामिल होती है जिसका इसकी वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. बैंक द्वारा निम्नलिखित को जोखिम माना जाता है जो बैंक के व्यवसाय हेतु सामान्य कामकाज के दौरान प्रतिपादित होता है और पूंजी आयोजना के लिए विचारणीय होता है:

♦ ऋण जोखिम - अवशिष्ट जोखिम सहित	♦ निपटान जोखिम
♦ बाजार जोखिम	♦ बैंकिंग बहियों पर ब्याज दर जोखिम
♦ परिचालन जोखिम	♦ प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
♦ ऋण केन्द्रीकरण जोखिम	♦ रणनीतिक जोखिम
♦ तरलता जोखिम	♦ पेंशन प्रतिबद्धता जोखिम
♦ देश जोखिम	♦ कानूनी जोखिम
♦ अनुपालन जोखिम	♦ मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के कम आकलन का जोखिम

बैंक द्वारा आवधिक रूप से इसके दबाब जांच का मूल्यांकन एवं निर्धारण एक प्रयास के रुप में यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि दबाब परिदृश्य व्यापक जोखिमों का पता लगाने के साथ-साथ संभावित चरम बाजार संचलन, जो व्यवसाय वातावरण के परिणामस्वरुप उत्पन्न हो सकता है, को प्रदर्शित करता है. पूंजी आयोजना के उद्देश्य से बैंक की व्यवसाय आयोजना के अनुरूप दबाब जांच की जाती है.

निगरानी एवं रिपोर्टिंग :

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्तरों की निगरानी की जाती है. पूंजी पर्याप्तता स्थिति और जोखिम धारित आस्तियों का विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाता है और पूंजी एवं जोखिम प्रबंधन पर बेसल III के विभिन्न पहलुओं का निदेशक मंडल द्वारा मूल्यांकन किया जाता है.

मात्रात्मक प्रकटन

ख. पूंजी आवश्यकता

ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक का प्रयोग करते हुए बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का परिकलन किया जाता है. ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी 10.875% की आवश्यकता होती है जो निम्नानुसार है:

TABLE DF – 2: CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

a. Capital Management

Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. Process provides an assurance that Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business. Bank actively manages its capital to meet regulatory norms by considering available options of raising capital.

Organisational Set-up:

Capital Management is administered by Financial Management and Accounts Department in co-ordination with Integrated Risk Management Department under the supervision of Board of Directors. Bank has also formed Capital Planning Committee to provide guidance.

Internal Assessment of Capital:

Bank's Capital Management framework includes a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually which determines adequate level of capitalisation for Bank to meet regulatory norms and current and future business need, including under stressed scenarios. ICAAP encompasses capital planning for two years time horizon, after identification and evaluation of significance of all risks that Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. Bank considers following as risks it is exposed to in the normal course of its business and considers them for capital planning:

♦ Credit Risk – including residuary risk	♦ Settlement Risk
♦ Market Risk	♦ Interest Rate Risk on Banking Book
♦ Operational Risk	♦ Reputational Risk
♦ Credit Concentration Risk	♦ Strategic Risk
♦ Liquidity Risk	♦ Pension Obligation Risk
♦ Country Risk	♦ Legal Risk
♦ Compliance Risk	♦ Risk of underestimation of Credit Risk under the Standardized approach

Bank periodically assesses and refines its stress tests in an effort to ensure that stress scenarios capture material risks as well as reflect possible extreme market moves that could arise as a result of business environment conditions. Stress tests are used in conjunction with Bank's business plans for the purpose of capital planning.

Monitoring and Reporting:

The Board of Directors of Bank monitors capital adequacy levels of Bank. On a quarterly basis an analysis of the capital adequacy position and risk weighted assets and an assessment of various aspects of Basel III on capital and risk management are undertaken by Board.

Quantitative Disclosures

b. Capital Requirement

Bank's capital requirements have been computed using Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Minimum capital required to be held at 10.875% for credit, market and operational risks is given below:

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	विवरण	राशि	राशि
(क)	**ऋण जोखिम के लिए वांछित पूंजी**		
(i)	मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग	72395.96	
(ii)	प्रतिभूतिकरण विगोपन के लिए	0.00	
	मानक दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii)		**72395.96**
(ख)	**बाजार जोखिम**		
(i)	ब्याज दर जोखिम	4056.89	
(ii)	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00	
(iii)	इक्विटी जोखिम	1010.66	
	मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)		***5112.55**
(ग)	**परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार**		
	मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत		***7020.51**
	मानक दृष्टिकोण के तहत (समानांतर)		***6822.90**
(घ)	**पूंजी अनुपात**		**स्टैंडअलोन (% में)**
	सामान्य इक्विटी टीयर I पूंजी अनुपात (सीसीबी रहित)		**7.099%**
	पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)		**1.875%**
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)		**8.974%**
	टीयर I पूंजी अनुपात (सीसीबी सहित)		**9.008%**
	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) सीसीबी सहित		**11.003%**

(* भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएआर की प्राप्ति हेतु लिए बाजार और परिचालन जोखिम पूंजीगत शुल्क का 12.50% की दर से आरएडब्लूए में अंतरण किया जाता है। डीएफ 7 और डीएफ 8 का विवरण)

सारणी-डीएफ-3 -- ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

प्रतिपक्षों अथवा उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आई कमी से उत्पन्न हानियों की संभावनाओं के रूप में ऋण जोखिम परिभाषित है. बैंक के संविभाग में ग्राहकों अथवा प्रतिपक्षों की उधारी, ट्रेडिंग, निपटान और अन्य वित्तीय संव्यवहारों में प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की अक्षमता अथवा अनिच्छा के कारण सीधे चूक से हानि उत्पन्न होती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन का संघटनात्मक ढांचा

बैंक में व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन संरचना है. बैंक के निदेशक मंडल ऋण जोखिम रणनीति का समर्थन और बैंक की ऋण जोखिम नीतियों को अनुमोदित करते हैं. बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, कार्यविधि और प्रणाली को देखने के लिए निदेशक मंडल ने समितियां गठित की हैं. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) ऋण जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीति बनाने हेतु उत्तरदायी है. इस हेतु यह समिति बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के साथ समन्वय करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के कार्यान्वयन को देखने और जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की सिफारिशों को लागू करने की उत्तरदायी है.

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Amount	Amount
(A)	**Capital Required for Credit Risk**		
(i)	Portfolios subject to Standardised Approach	72395.96	
(ii)	For Securitisation Exposure	0.00	
	Total capital charge for credit risks under standardized approach (i+ii)		**72395.96**
(B)	**Market Risk**		
(i)	Interest Rate Risk	4056.89	
(ii)	Foreign Exchange Risk (including Gold)	45.00	
(iii)	Equity Risk	1010.66	
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)		***5112.55**
(C)	**Capital Charge for Operational Risk**		
	Under Basic Indicator Approach		***7020.51**
	Under The Standardized Approach (Parallel run)		***6822.90**
(D)	**Capital Ratios**		**Standalone (In %)**
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Excl CCB)		**7.099%**
	Capital Conservation Buffer (CCB)		**1.875%**
	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)		**8.974%**
	Tier 1 Capital Ratio (Incl CCB)		**9.008%**
	Total Capital Ratio(CRAR) – Including CCB		**11.003%**

(*For market and operational risks capital charge is converted in RWA @ 12.50 to arrive at CRAR as per RBI guidelines. Details in DF7 and DF 8)

TABLE DF-3: CREDIT RISK - GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

Credit Risk is defined as possibility of losses associated with diminution in credit quality of borrowers or counterparties. In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions.

Organizational Structure for Credit Risk Management

Bank has comprehensive credit risk management architecture. Board of Directors of Bank endorses its Credit Risk strategy and approves credit risk policies. The Board has formed committees to oversee risk management processes, procedures and systems. Risk Management Committee (RMC) is responsible for devising policy and strategy for credit risk management. For this purpose, committee co-ordinates with Credit Risk Management Committee (CRMC) of Bank. CRMC is responsible for overseeing implementation of credit risk management framework across Bank and providing recommendations to RMC.

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है. जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है. उठाए गए विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, प्रतियोगिता, बाजार परिदृश्य और लाभप्रदता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं. बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है.

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

I. उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
II. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति
III. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
IV. निवेश प्रबंधन नीति
V. रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति
VI. बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति
VII. एनबीएफसी के वित्तीयन हेतु नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनकी सहायता से बैंक द्वारा उठाए जा रहे ऋण जोखिम और उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेटाइट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है. नीतियों में विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण किया गया है. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल III फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है. निवेश प्रबंधन नीति, निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, रियल इस्टेट को विगोपन हेतु नीति और बैंक गारंटियों के जारीकरण हेतु नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानक : ऋण प्रदान करने के एकरूप मानक, ऑफ बैलेन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु बैंक की अपनी अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं.

विगोपन सीमाएं : एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं. विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है.

ऋण अनुमोदन समिति : बड़ी शाखाओं / अंचल कार्यालय / प्रधान कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृध्दि या बिना वृध्दि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है. विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक के ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बैंक ने केंद्रीयकृत प्रसंस्करण कक्ष स्थापित किए है.

मंजूरी अधिकार : बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है. उच्च मूल्य के ऋणों के संबंध में, समिति दृष्टिकोण को अपनाया गया है.

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया : बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमापण एवं निगरानी के जरिये करता है. बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं. ऋण जोखिम रेटिंग से बैंक को किसी ऋण प्रस्ताव में अन्तर्निहित जोखिम के सटीक निर्धारण और किसी भी ऋण प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने में सहायता मिलती है. यह ऋण सुविधाओं के लिए जोखिम आधारित समझौताकारी तालमेल के अनुसार यथोचित जोखिम मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है.

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजूद है. हर उधारकर्ता की रेटिंग की वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा की जाती है. ऋण जोखिम रेटिंग को एक संकल्पना के रूप में बैंक में भली-भांति रूप से आत्मसात किया गया है.

ऋण पुनरीक्षण तंत्र - बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं -

i) बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना.

Policy & Strategy

Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and strategy of Bank are decided taking into account profit considerations, level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

Bank has put in place following policies approved by Board.

i) Lending & Loan Review Policy
ii) Credit Risk Management Policy
iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
iv) Investment Management Policy
v) Policy for Exposure to Real Estate
vi) Policy for Issuance of Bank Guarantees
vii) Policy for Financing of NBFC

Lending & Loan Review Policy, Credit Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, processes and tools whereby credit risks carried by Bank can be identified, quantified and managed within framework that Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel III framework. The Investment Management Policy, Policy on Exposure to Real Estate and Policy for issuance of Bank Guarantee forms an integral part of credit risk.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored.

Credit Approval Committees: Credit Approval committees have been constituted at various levels covering very large branches / Zonal offices / Head Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. Bank has also setup centralized processing cells for considering credit proposals above specified limit.

Sanctioning Powers: Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanctioning of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines. In respect of high value loans, committee approach is adopted.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardized credit appraisal / approval processes. Credit risk rating enables Bank to accurately assess risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject proposal based on risk appetite of Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off.

As a measure of robust credit risk management practices, Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in Bank.

Loan review Mechanism: Objectives of Loan Review Mechanism are:

i) To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with Bank's Lending Policy and delegated lending powers.

ii) मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना.

iii) सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.

iv) आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.

v) बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय-समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित की गई हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय-समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव के सतत नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विनियामक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां -

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/ सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन या अधिक अनियमित रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के संबंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के संबंध में ब्याज और/ या मूलधन की किश्त 2 फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के संबंध में) और 1 फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के संबंध में) अतिदेय रही हो.
- अन्य खातों के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम.

अनियमित स्थिति : एक खाता तब '**अनियमित**' माना जाता है जब खाते में बकाया शेष लगातार मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से अधिक बना रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूरी सीमा / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को '**अनियमित**' माना जाएगा.

अतिदेय : किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक हेतु देय कोई भी राशि अतिदेय होती है यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत दिनांक पर न किया जाए.

मीयादी जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और जीवन बीमा पॉलिसियों को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो.

मात्रात्मक प्रकटन:

1. **कुल सकल ऋण विगोपन**

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2018
निधिक	1092046.90
गैर-निधिक	149074.80

2. **ऋण विगोपनों का भौगोलिक वितरण:**

(₹ मिलियन में)

श्रेणी	31.03.2018	
	समुद्रपारीय	घरेलू
निधिक	शून्य	1092046.90
गैर-निधिक	शून्य	149074.80

ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by Bank are adhered to.

iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.

iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and up gradation in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.

v) To assess health of credit portfolio of Bank and to apprise Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, validation of ratings, mechanism to price credit facilities depending on risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired:

Regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning. Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- Account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC) for 90 days or more
- Bill remains overdue for a period of more than 90 days in case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit/drawing power. In cases where outstanding balance in the principal operating account is less than sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on date of Balance Sheet or credits are not enough to cover interest debited during same period, these accounts are also treated as **'out of order'**.

Overdue: Any amount due to Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on due date fixed by Bank.

Advances against term deposits, National Savings Certificates, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra and Life insurance policies need not be treated as NPAs, provided adequate margin is available in the accounts.

Quantitative Disclosures

1. **Total Gross Credit exposure:**

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2018
Fund Based	1092046.90
Non-Fund Based	149074.80

2. **Geographic Distribution of credit exposure :**

(Amount in ₹ million)

Category	31.03.2018	
	Overseas	Domestic
Fund Based	NIL	1092046.90
Non-Fund Based	NIL	149074.80

3. उद्योगवार वितरण

(₹ मिलियन में)

क्र.	उद्योग	निधिक विगोपन		गैर-निधिक विगोपन	
3.1	**खनन व उत्खनन (कोयला सहित)**		**9725.50**		**885.10**
3.2	**खाद्य प्रसंस्करण**		**3826.40**		**52.00**
3.2.1	चीनी	2479.80		29.60	
3.2.2	खाद्य तेल व वनस्पति	94.60		0.10	
3.2.3	चाय	0.70		0.00	
3.2.4	अन्य	1251.30		22.30	
3.3	**पेय (Beverage) व तंबाखू**		**148.10**		**4.70**
3.4	**वस्त्र**		**26353.30**		**3703.40**
3.4.1	सूती वस्त्र	9586.80		1406.50	
3.4.2	पटसन वस्त्र	38.50		0.00	
3.4.3	मानव निर्मित वस्त्र	20.80		0.80	
3.4.4	अन्य वस्त्र	16707.20		2296.10	
3.5	**चमड़ा व चर्म उत्पाद**		**590.90**		**39.30**
3.6	**लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद**		**1792.70**		**137.30**
3.7	**कागज व कागज उत्पाद**		**4483.00**		**367.90**
3.8	**पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व न्यूक्लियर इंधन जिसमें से:**		**7747.90**		**174.70**
3.8.1	पेट्रोलियम	4874.00		1.40	
3.9	**केमिकल व केमिकल उत्पाद**		**24347.40**		**2493.10**
3.9.1	उर्वरक	7022.70		459.80	
3.9.2	औषध व भेषज	9953.60		1256.20	
3.9.3	पेट्रो केमिकल्स	5967.30		629.00	
3.9.4	अन्य	1403.80		148.10	
3.10	**रबर, प्लास्टिक व उनके उत्पाद**		**5305.30**		**601.70**
3.11	**कांच और कांच की वस्तुएं**		**1298.60**		**274.50**
3.12	**सीमेंट व सीमेंट उत्पाद**		**10096.50**		**392.50**
3.13	**मूल धातु व धातु उत्पाद**		**51118.40**		**4724.40**
3.13.1	लोहा व इस्पात	28289.50		1291.20	
3.13.2	अन्य धातु व धातु उत्पाद	22828.90		3433.20	
3.14	**सभी अभियांत्रिकी**		**39061.10**		**19764.70**
3.14.1	इलेक्ट्रॉनिक्स	8440.80		875.00	
3.14.2	अन्य	30620.30		18889.70	
3.15	**वाहन एवं वाहन के पुर्जे तथा परिवहन उपकरण**		**20228.70**		**792.70**
3.16	**रत्न और जेवरात**		**4291.50**		**473.80**
3.17	**निर्माण (मूलभूत संरचना के अलावा)**		**51.10**		**0.70**
3.18	**मूलभूत संरचना**		**94470.10**		**41866.60**
3.18.1	पावर	38520.00		5327.90	
3.18.2	टेलीकम्यूनीकेशन	6441.70		10568.00	
3.18.3	रास्ते	28481.90		16265.10	
3.18.4	हवाई अड्डा	1.00		0.20	
3.18.5	पोर्ट	3333.90		0.10	
3.18.6	रेल्वे (भारतीय रेल्वे के अलावा)	209.50		1108.50	
3.18.7	अन्य मूलभूत संरचना	17482.10		8596.80	
3.19	**अन्य उद्योग**		**6937.40**		**665.50**
3.20	**अवशिष्ट अन्य अग्रिम**		**780173.10**		**71660.20**
	कुल		**1092046.90**		**149074.80**

3. Industry-wise Distribution:

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Industry	Funded Exposure		Non-Fund Exposure	
3.1	**Mining and Quarrying (incl. Coal)**		**9725.50**		**885.10**
3.2	**Food Processing**		**3826.40**		**52.00**
3.2.1	Sugar	2479.80		29.60	
3.2.2	Edible Oil and Vanaspati	94.60		0.10	
3.2.3	Tea	0.70		0.00	
3.2.4	Others	1251.30		22.30	
3.3	**Beverage and Tobacco**		**148.10**		**4.70**
3.4	**Textiles**		**26353.30**		**3703.40**
3.4.1	Cotton Textiles	9586.80		1406.50	
3.4.2	Jute Textiles	38.50		0.00	
3.4.3	Man-Made Textiles	20.80		0.80	
3.4.4	Other Textiles	16707.20		2296.10	
3.5	**Leather and Leather Products**		**590.90**		**39.30**
3.6	**Wood and Wood Products**		**1792.70**		**137.30**
3.7	**Paper and Paper Products**		**4483.00**		**367.90**
3.8	**Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels of which:**		**7747.90**		**174.70**
3.8.1	Petroleum	4874.00		1.40	
3.9	**Chemicals and Chemical Products**		**24347.40**		**2493.10**
3.9.1	Fertiliser	7022.70		459.80	
3.9.2	Drugs & Pharmaceuticals	9953.60		1256.20	
3.9.3	Petro Chemicals	5967.30		629.00	
3.9.4	Others	1403.80		148.10	
3.10	**Rubber, Plastic & their Products**		**5305.30**		**601.70**
3.11	**Glass & Glassware**		**1298.60**		**274.50**
3.12	**Cement & Cement Products**		**10096.50**		**392.50**
3.13	**Basic Metal & Metal Product**		**51118.40**		**4724.40**
3.13.1	Iron & Steel	28289.50		1291.20	
3.13.2	Other Metal & Metal Product	22828.90		3433.20	
3.14	**All Engineering**		**39061.10**		**19764.70**
3.14.1	Electronics	8440.80		875.00	
3.14.2	Others	30620.30		18889.70	
3.15	**Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment**		**20228.70**		**792.70**
3.16	**Gems & Jewellery**		**4291.50**		**473.80**
3.17	**Construction (other than Infrastructure)**		**51.10**		**0.70**
3.18	**Infrastructure**		**94470.10**		**41866.60**
3.18.1	Power	38520.00		5327.90	
3.18.2	Telecommunication	6441.70		10568.00	
3.18.3	Roads	28481.90		16265.10	
3.18.4	Airports	1.00		0.20	
3.18.5	Ports	3333.90		0.10	
3.18.6	Railways (other than Indian Railways)	209.50		1108.50	
3.18.7	Other Infrastructure	17482.10		8596.80	
3.19	**Other Industries**		**6937.40**		**665.50**
3.20	**Residuary Other Advances**		**780173.10**		**71660.20**
	Total		**1092046.90**		**149074.80**

उद्योग जिनमें सकल ऋण विगोपन 5% से अधिक है

उद्योग	विगोपन का %
अवसंरचना	10.98%

4. आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

(₹ मिलियन में)

परिपक्वता स्वरूप	निवेश	अग्रिम	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	50.00	7297.24	1053.20
2 से 7 दिन	1383.50	9979.05	13772.99
8 से 14 दिन	0.00	10803.26	809.38
15 से 30 दिन	4590.78	56134.91	16527.34
31 दिन से 2 महीने	1030.32	29887.51	6692.88
2 महीने से अधिक व 3 महीने तक	9942.21	22959.84	10944.42
3 महीने से अधिक व 6 महीने तक	2293.44	74090.94	8401.17
6 महीने से अधिक व 1 वर्ष तक	53995.45	65218.39	8382.27
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	23355.05	345609.47	0.00
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	33968.51	122745.88	0.00
5 वर्ष से अधिक	311019.33	201725.54	0.00
कुल	**441628.59**	**946452.02**	**66583.65**

5. अनर्जक आस्तियों और अनर्जक निवेश हेतु प्रकटन

घरेलू :

(₹ मिलियन में)

		31.03.2018
(क)	सकल अनर्जक आस्तियाँ	
	अवमानक	42199.79
	संदिग्ध 1	39485.79
	संदिग्ध 2	85044.74
	संदिग्ध 3	6725.15
	हानि	11776.87
	कुल	**184332.35**
(ख)	**निवल अजर्नक आस्तियां**	**96411.90**
(ग)	अनर्जक आस्ति अनुपात	
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां (%)	19.48%
	निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	11.24%
(घ)	अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल)	
I	प्रारंभिक शेष	171887.14
II	जोड़ें-अवधि के दौरान वृध्दि	57348.67
III	घटाएं- अवधि के दौरान कमी	44903.46
	वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष(i+ii-iii)	**184332.35**
(च)	**प्रावधानों की गतिशीलता**	
च1	**विशिष्ट प्रावधान**	
i.	प्रारंभिक शेष	56358.68
ii.	अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	53308.84
iii.	अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	24634.00
iv.	अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित अन्य कोई समायोजन	0.00
vi.	अंतिम शेष (i+ii-iii-iv(+/-v)	**85033.52**

Industry having more than 5% of gross credit exposure

Industry	% of Exposure
Infrastructure	10.98%

4. Residual Maturity break down of Assets:

(Amount in ₹ million)

Maturity Pattern	Investments	Advances	Foreign Currency Assets
1 day	50.00	7297.24	1053.20
2 to 7 days	1383.50	9979.05	13772.99
8 to 14 days	0.00	10803.26	809.38
15 to 30 days	4590.78	56134.91	16527.34
31 days to 2 months	1030.32	29887.51	6692.88
Over 2 months to 3 months	9942.21	22959.84	10944.42
Over 3 months and up to 6 months	2293.44	74090.94	8401.17
Over 6 months and up to 1 year	53995.45	65218.39	8382.27
Over 1 year and upto 3 years	23355.05	345609.47	0.00
Over 3 years and upto 5 years	33968.51	122745.88	0.00
Over 5 years	311019.33	201725.54	0.00
Total	**441628.59**	**946452.02**	**66583.65**

5. Disclosures for NPAs & NPIs :

Domestic:

(Amount in ₹ million)

		31.03.2018
(A)	**Gross NPA**	
	Sub-standard	42199.79
	Doubtful 1	39485.79
	Doubtful 2	85044.74
	Doubtful 3	6725.15
	Loss	11776.87
	Total	**184332.35**
(B)	**Net NPA**	**96411.90**
(C)	**NPA Ratios**	
	% of Gross NPAs to Gross Advances	19.48%
	% of Net NPAs to Net Advances	11.24%
(D)	**Movement of Gross NPA**	
I	Opening Balance	171887.14
II	Add:-Addition during the period	57348.67
III	Less:- Reduction during the period	44903.46
	Closing balance as at the end of period (i +ii-iii)	**184332.35**
(E)	**Movement of provision**	
E1	**Specific Provision**	
i.	Opening Balance	56358.68
ii.	Provisions made during the period	53308.84
iii.	Write-off made during the period	24634.00
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v)	**85033.52**

(₹ मिलियन में)

		31.03.2018
च2	**सामान्य प्रावधान**	
i.	आरंभिक शेष	1589.88
ii.	अवधि के दौरान किए प्रावधान	0.00
iii.	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	0.00
iv.	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	0.00
v.	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	0.00
vi.	समापन शेष (i+ii-iii-iv(+/-v)	1589.88
(छ)	**वर्ष के दौरान बट्टे खाते**	**23061.51**
(ज)	**वर्ष के दौरान बट्टे डाले गए खातों में वसूली**	**1411.30**
(झ)	**अनर्जक निवेश (एनपीआई)**	**7381.05**
(ञ)	**अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान**	**3168.83**
(ट)	**निवेशों के लिए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान का संचलन (अनर्जक निवेशों, एमटीएम मूल्यह्रास और पुनर्संरचित निवेशों के प्रावधान सहित)**	
I	आरंभिक शेष	2513.78
II	अवधि के दौरान किए प्रावधान	2963.35
III	अवधि के दौरान किए गए बट्टे खाते	0.00
IV	वर्ष के दौरान किए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेख	76.53
V	स्थानांतरण के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	0.00
	समापन शेष (i+ii-iii-iv-v)	**5400.60**

(ठ)	**उद्योग**	
	अनर्जक आस्ति की राशि	111248.30
	विनिर्दिष्ट प्रावधान	54115.00
	सामान्य प्रावधान	0.00
	वर्ष के दौरान किए गए विनिर्दिष्ट प्रावधान	0.00
	वर्ष के दौरान बट्टे खाते	0.00

समुद्रपारीय - शून्य

पांच प्रमुख उद्योगों के उद्योगवार प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(₹ मिलियन में)

		एनपीए	प्रावधान
क	**मूल धातू व धातू उत्पाद (लोहे व स्टील सहित)**	**36254.20**	**16295.40**
ख	**सभी इंजीनियरिंग**	**17950.30**	**9972.20**
ग	**अवसंरचना**	**18728.30**	**7781.20**
	सड़क	8715.00	3508.60
	ऊर्जा	4159.40	1450.40
घ	**वाहन, वाहन के कलपूर्जे व परिवहन उपकरण**	**12379.60**	**4723.10**
ड.	**कपड़ा**	**6536.00**	**4511.00**

6. अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	विवरण	31.03.2018
1.	यूएफसीई के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान	49.30
2.	यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी	87.02

(Amount in ₹ million)

		31.03.2018
E2	**General Provisions**	
i.	Opening Balance	1589.88
ii.	Provisions made during the period	0.00
iii.	Write-off made during the period	0.00
iv.	Write-back of excess provisions	0.00
v.	Any other adjustments including transfer between provisions	0.00
vi.	Closing Balance (i+ii-iii-iv(+/-v)	1589.88
(F)	**Write off during the year**	**23061.51**
(G)	**Recovery in the written off accounts during year**	**1411.30**
(H)	**Non Performing Investments (NPI)**	**7381.05**
(I)	**Provisions for NPI**	**3168.83**
(J)	**Movement of provision for depreciation on investments (including provision of Non Performing Investments, MTM depreciation and Restructured Investments)**	
I	Opening balance	2513.78
II	Provisions made during the year	2963.35
III	Write-off made during the year	0.00
IV	Write – back of excess provision made during the year	76.53
V	Provisions used during shifting	0.00
	Closing balance (i+ii-iii-iv-v)	**5400.60**

(K)	**Industries**	
	Amount of NPAs	111248.30
	Specific Provisions	54115.00
	General Provisions	0.00
	Specific Provisions made during the year	0.00
	Write offs during the year	0.00

Overseas - NIL

The Industry-wise Provision of five major industries is as below

(Amount in ₹ million)

		NPA	Provision
A	**Basic Metal & Metal Product (Incl Iron and Steel)**	**36254.20**	**16295.40**
B	**All Engineering**	**17950.30**	**9972.20**
C	**Infrastructure**	**18728.30**	**7781.20**
	Roads	8715.00	3508.60
	Power	4159.40	1450.40
D	**Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment**	**12379.60**	**4723.10**
E	**Textiles**	**6536.00**	**4511.00**

6. Disclosures of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) :

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018
1.	Additional provisioning made on account of UFCE	49.30
2.	Incremental Capital held on account of UFCE	87.02

सारणी-डीएफ-4 - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग हेतु ऋण जोखिम प्रकटन:

क. गुणात्मक प्रकटन:

मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए:

बैंक, ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं के मापन हेतु मानक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है. मानक दृष्टिकोण के अनुसार बैंक ऋण जोखिम रेटिंग के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित ईसीएआई रेटिंग (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था) स्वीकार करता है और जहां यह रेटिंग उपलब्ध हैं वहां जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंग का उपयोग करता है.

1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केअर)
3. इंडिया रेटिंग
4. ईक्रा लिमिटेड
5. ब्रिकवर्क
6. भारतीय एसएमई रेटिंग एजेन्सी लिमि. (एसएमईआरए)
7. इनफोमेरिक्स मूल्यांकन और रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड

विगोपन के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक रेटिंग एजेंसी का प्रयोग किया गया है:

बैंक ने सभी पात्र विगोपनों के लिए उक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग किया है. बैंक ने इन एजेंसियों द्वारा समनुदेशित रेटिंग में कोई पक्षपात नहीं किया है और न ही इन्हें किसी विशेष प्रकार के विगोपन में इनके प्रयोग के लिए बाधित किया है.

बैंक की बाह्य रेटिंग को लागू करने हेतु मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं -

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा ऋणकर्ताओं द्वारा मांगी गई और स्वीकार्य उक्त किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा समनुदेशित रेटिंग का प्रयोग करेगा.
- जहाँ भी उपलब्ध हो, बैंक ऋणकर्ताओं के ₹ 5 करोड़ से अधिक के जोखिम भारित विगोपन का निर्धारण करने के लिए सुविधा रेटिंग अथवा बैंक ऋण रेटिंग का उपयोग करता है. जहां जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध होती है बैंक वहाँ इसका प्रयोग करता है बशर्ते कि बैंक ऋण की विशिष्ट रेटिंग नहीं हुई हो.
- जब उधारकर्ता का रेटिंग निर्धारण 150% जोखिम भार को दर्शाता है तो उधारकर्ता की बिना रेटिंग वाली सभी सुविधाओं पर भी यह रेटिंग लागू होती है और उनका जोखिम भार भी 150% होता है.
- भारतीय रिजर्व बैंक ने एकाधिक रेटिंग वाली सुविधाओं के लिए विशेष परिस्थितियाँ सूचित की हैं. इस संदर्भ में प्रदत्त सुविधाओं के लिए जब दो रेटिंग दी गई हों तो निम्नतर रेटिंग और जब दो या अधिक रेटिंग दी गई हो तो दूसरी निम्नतम रेटिंग (सेकेंड लोएस्ट रेटिंग) का प्रयोग होता है.
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का प्रयोग/ लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है.

अनाहरित विगोपनों से व्यवहार :

विनियामक मानदंडों की अपेक्षानुसार बैंक ऋण सुविधाओं के अनाहरित भाग के लिए भी पूंजी धारित करता है जो प्रयोज्य ऋण परिवर्तनकारक (सीसीएफ) पर आधारित समकक्ष ऋण प्रकटन में इन ऋणों को परिवर्तित कर बैंक द्वारा पूर्वसूचना के बिना शर्तहीन रूप से निरस्त करनेयोग्य होते हैं.

ख. मात्रात्मक प्रकटन

निम्नलिखित प्रमुख जोखिम बकेट्स के अंतर्गत प्रकट बैंक की बकाया (रेट की गई और रेट न की गई) राशियां, मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त 31.03.2018 को विगोपनों राशियाँ निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र.	विवरण	शेष विगोपन
i	100% जोखिम भार से कम	1291548.68
ii	100% जोखिम भार	284362.70
iii	100% जोखिम भार से अधिक	119385.32
	उप जोड	**1695296.70**
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य	63014.02
	कुल विगोपन	**1758310.72**

TABLE DF-4 - CREDIT RISK DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

a. Qualitative Disclosures:

For portfolios under Standardised Approach:

Bank uses standardized approach to measure capital requirements for credit risk. As per Standardised Approach, Bank accepts rating of following RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) for credit risk rating and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. India Ratings,
4. ICRA Limited,
5. Brickwork,
6. SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)
7. INFOMERICS Valuation and Rating Private Limited

Types of exposures for which each agency is used:

Bank has used solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures. Bank has neither made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.

Key aspects of Bank's External Ratings application framework are as follows:

- Bank uses ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by borrowers in line with RBI guidelines.
- Wherever available, Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting borrower's exposures above ₹ 5 crore. Where issuer rating is available Bank uses such ratings unless bank loan is specifically rated.
- When a borrower is assigned a rating that maps to a risk weight of 150%, then this rating is applied on all the unrated facilities of the borrower and risk weighted at 150%.
- RBI guidelines outline specific conditions for facilities that have multiple ratings. In this context, lower rating, where there are two ratings and second-lowest rating where there are two or more ratings are used for a given facility.
- While mapping/applying the ratings assigned by credit rating agencies, Bank is guided by Regulatory guidelines.

Treatment of undrawn exposures:

As required by the regulatory norms, Bank holds capital even for the undrawn portion of credit facilities which are not unconditionally cancellable without prior notice by Bank, by converting such exposures into a credit exposure equivalent based on the applicable Credit Conversion Factor (CCF).

b. Quantitative Disclosures:

Exposure amounts as of 31.03.2018 after risk mitigation subject to Standardized Approach, amount of a Bank's outstandings (rated and unrated) disclosed under following major risk buckets:-

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	Exposure Outstanding
i	Below 100 % risk weight	1291548.68
ii	100 % risk weight	284362.70
iii	More than 100 % risk weight	119385.32
	sub total	**1695296.70**
iv	Deducted CRM Value	63014.02
	Total Exposure	**1758310.72**

सारणी-डीएफ-5-- ऋण जोखिम प्रशमन - मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

- **ऋण जोखिम प्रशमन हेतु नीतियाँ**

  बैंक में संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों की निरंतर निगरानी और निगरानी की बारंबारता तथा उनके मूल्यांकन का आधार और ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक को लागू करना सम्मिलित है.

- **संपार्श्विक प्रबंधन**

  बैंक को दी गई प्राथमिक प्रतिभूति या उसके स्थान पर दी गई प्रतिभूति के ऊपर या अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति को परिभाषित किया है. यह चूक की स्थिति में बैंक को ऋण की वसूली में अतिरिक्त सुविधा/अनुकूल स्थिति प्रदान करती है. कई बार ये प्रतिभूतियाँ ऋणकर्ता के मुख्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखतीं अथवा ऋणकर्ता द्वारा क्रय नहीं की गई होतीं. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी पूर्वाधिकार दस्तावेज बैंक को प्रतिपक्ष द्वारा चूक की स्थिति में उस प्रतिभूति अथवा ऋण संवर्धन के अन्य प्रकारों पर उपयुक्त अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें निर्धारित समय में परिसमापन करना अथवा विधिक कब्जा करना सम्मिलित है.

- **संपार्श्विक मूल्यांकन**

  भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है. इस दृष्टिकोण में बैंक बेसल - III द्वारा विनिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूति के द्वारा प्रदान किए गए ऋण जोखिम प्रशमन की सीमा तक अपनी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय अपने प्रतिपक्ष पर विगोपन को कम कर देता है. बैंक उपयुक्त मार्जिन भी लागू करता है. बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित ऋण नीति भी कार्यान्वित की है जिसमें ऋण देते समय बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियों, उनके प्रशासन / निगरानी के बारे में उल्लेख किया गया है ताकि बैंक का हित सुरक्षित रह सके तथा इससे जुड़ा जोखिम न्यूनतम हो सके. बैंक निर्धारित नीति के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों को सुरक्षित करने के लिए जिन चल और अचल आस्तियों को प्राप्त करता है, उन सभी का मूल्यांकन बैंक द्वारा पैनल में शामिल बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है. उच्च मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दो या उससे अधिक मूल्यांकनकर्ताओं से कराया जाए.

- **बैंक द्वारा ली गई संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों का विवरण**

  ऋण जोखिम की पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए बैंक केवल उन्हीं संपार्श्विक प्रतिभूतियों को स्वीकार करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत जोखिम को कम करने हेतु पात्र हैं. ये प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित हैं -

  - बैंकों में नकद जमा
  - स्वर्ण, बुलियन और आभूषणों सहित
  - केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
  - किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
  - बीमा क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियामित बीमा कंपनी द्वारा घोषित समर्पण मूल्य की जीवन बीमा पॉलिसियाँ
  - कम-से-कम एए, ए1 की रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियाँ.
  - म्युच्युअल फंड के यूनिट जिसका निवेश उक्त उल्लिखित लिखतों में से एक है.

- **प्रतिपक्ष के गारंटीदाता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण साख**

  जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, बैंक ऋण जोखिम को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशन के रूप में व्यक्तिगत अथवा निगमित गारंटी प्राप्त करता है जिससे गारंटीदाता पर सीधे दावा किया जा सकता है और जो बिना शर्त और अविकल्पी होती है. बैंक सुरक्षा कवच के रूप में राज्य/ केंद्रीय सरकार /ईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई द्वारा दी गई गारंटी भी स्वीकार करता है.

TABLE DF-5 – CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

- **Policies for Credit Risk Mitigation:**

  Bank has a Board approved policy framework for collateral management and credit risk mitigation techniques, which include among other aspects guidelines on acceptable types of collateral, ongoing monitoring of collateral including frequency and basis of valuation and application of credit risk mitigation techniques.

- **Collateral Management**

  Bank defines collateral as it is an additional security given, over and above primary security or in substitution thereof. It serves as an additional comfort to Bank for recovery of loans in default situations. At times, these securities are not connected to main business of the borrower or may not be owned by the borrower. Bank ensures that underlying documentation for collateral provides Bank appropriate rights over collateral or other forms of credit enhancement including right to liquidate/retain or take legal possession of it in a timely manner in the event of default by counterparty.

- **Collateral Valuation**

  As stipulated by RBI guidelines, Bank uses comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, Bank reduces its exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by eligible financial collateral as specified in Basel III guidelines. Bank also applies appropriate haircuts. Bank has also put in place Lending Policy duly approved by Board, which lay down the types of securities normally accepted by Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of Bank so as to minimize risk associated with it. Both fixed and current assets obtained to secure loans granted by Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by Bank. In respect of high value of collateral, valuation from two or more valuers is obtained.

- **Description of main types of collateral taken by Bank**

  For computation of capital requirement for Credit Risk, Bank recognizes only those collaterals that are considered as eligible for risk mitigation in RBI guidelines, which are as under:

  - Cash Deposit with bank
  - Gold, including bullion and Jewellery
  - Securities issued by Central and State Governments
  - Kisan Vikas Patra and National Savings Certificate
  - Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator
  - Debt securities including Certificate of Deposit rated at least AA,A1
  - Units of Mutual Funds, where the investment is in instruments mentioned above

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness**

  Wherever required Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. Bank also accepts guarantee given by State / Central Government/ECGC/CGTMSE/NCGTC as a security comfort.

- **ऋण जोखिम प्रशमन में केंद्रीकरण**

  भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंुसार पात्र ऋण जोखिम प्रशमन हेतु शर्तों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि उधारकर्ता के ऋण की गुणवत्ता और स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में कोई तात्विक सकारात्मक सह-संबंध नहीं है. सीआरएम (ऋण जोखिम प्रशमन)/ गारंटीपूर्ण विगोपन किसी भी बाजार संबंधी उतार-चढाव के अधीन नहीं हैं और ये विगोपन वैविध्यपूर्ण हैं. वर्तमान में, बैंक के पास ऋण जोखिम प्रशमन के अंतर्गत कोई केंद्रीकृत जोखिम नहीं है.

मात्रात्मक प्रकटन:

क) अलग-अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या ऑन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)

(₹ मिलियन में)

	31.03.2018
मार्जिन लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन (तुलनपत्र पूर्व या तुलनपत्र पश्चात समायोजन करने के बाद, जहां कहीं लागू हो)	63014.02

ख) अलग -अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

(₹ मिलियन में)

	31.03.2018
गारंटियों द्वारा कवर किए गए कुल विगोपन	21694.09

सारणी-डीएफ-6-- प्रतिभूतिकरण विगोपन

गुणात्मक प्रकटन:

बैंक ने वर्ष 31.03.2018 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

मात्रात्मक प्रकटन:

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए मात्रात्मक प्रकटन **लागू नहीं है.**

सारणी-डीएफ-7-- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम:

बैंक को बाजार के व्युत्पन्नों जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रुप में बाजार जोखिम को परिभाषित किया जाता है. बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनो श्रेणियां) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है. बैंक वस्तुओं में व्यापार नही करता है. बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम से उत्पन्न आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम करना है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां, रणनीतियां और कार्यपद्धतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएमएल) विद्यमान है. उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यो हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमापन, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरुप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो. नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी निगरानी हेतु रिपोंटिंग संरचना का भी समावेश है. नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु रिपोर्टिंग ढांचा है और विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है. प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनकी निगरानी दैनिक आधार पर की जाती है.

- **Concentrations within Credit Risk Mitigation**

  RBI guidelines, among its conditions for eligible credit risk mitigants, require that there should not be a material positive correlation between the credit quality of the counterparty and the value of the collateral being considered. The CRM (Credit Risk Mitigation)/ Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are well diverse. Currently, Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures:

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts.

(Amount in ₹ million)

	31.03.2018
Total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after application of haircuts	63014.02

(b) For each separately disclosed portfolio total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Amount in ₹ million)

	31.03.2018
Total exposure that is covered by Guarantees	21694.09

TABLE DF-6 SECURITIZATION EXPOSURE

Qualitative Disclosures:

The Bank does not have any case of securitization of its assets as on 31st March 2018.

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Standardized Approaches is **Not Applicable.**

TABLE DF-7 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

Bank has put in place Board approved Investment Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby market risks carried by Bank are identified, measured, monitored and controlled within policy framework consistent with Bank's risk tolerance. Policies deal with reporting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for counterparty banks and exposures are monitored on daily basis.

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रुप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है. बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है. प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं. तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबावों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं. बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति लागू की है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के संबंध में आवधिक रुप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है.

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसेस के जरिये किया जाता है और निगरानी की जाती है.. बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु डयूरेशन गैप एनालिसस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है. बैंक निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों (ईएआर) और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुध्द संशोधित डयूरेशन गैप (जीजीएपी) का प्राक्कलन करता है.

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/निदेशक मंडल बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और बाजार की स्थितियों के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है. डीलिंग रुम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रुम के कार्यो पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है. खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीआईबीडी) का मिड-ऑफिस भी सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है.

बाजार जोखिम प्रबंधन नीति - यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाजार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय या बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाजार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे.

बैंक की बाजार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों का प्रबंध किया जा सके अर्थात इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सह्य सीमाओं के भीतर हो. इस नीति की व्यापकता 'बैंकिंग बही' के निवेश भाग और बैंक की 'व्यापार बही' के कारण उत्पन्न हो रहे बाजार जोखिम को कवर करती है.

मात्रात्मक प्रकटन:

बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(राशि ₹ मिलियन में)

	जोखिम श्रेणी	31.03.2018	
		पूंजी प्रभार	जोखिम भारित आस्तियां
i.	ब्याज दर जोखिम	4056.89	50711.13
ii.	इक्विटी स्थिति जोखिम	1010.66	12633.25
iii.	विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	45.00	562.50
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाजार जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार (i+ii+iii)	**5112.55***	**63906.88**

(* बाजार जोखिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी प्रभार को सीआरएआर पर पहुंचने के लिए 12.50 की दर से आरडब्ल्यूए में परिवर्तित किया गया है)

सारणी डीएफ-8--परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरुप होने वाली हानियों का जोखिम होता है. परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है.

ALM Policy deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Interest rate risk is monitored through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities. Bank has also put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by Bank and determines strategy in light of market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor dealing room activities. Mid-Office at Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Market Risk Management Policy - To ensure that Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that Bank has a defined set of principles and processes in place for articulating how it plans to manage market risks it faces, in Trading or Banking Book.

Bank's Market Risk Management Policy aims to set out broad outlines of processes by which market risks carried by Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of this policy covers market risks arising from Bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book".

Quantitative Disclosure:

Capital requirement for Market Risk is as under:

(Amount in ₹ million)

	Risk Category	31.03.2018	
		Capital Charge	Risk Weighted Assets
i	Interest Rate Risk	4056.89	50711.13
ii	Equity Position Risk	1010.66	12633.25
iii	Foreign Exchange Risk (including gold)	45.00	562.50
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)	**5112.55***	**63906.88**

(*For market risks capital charge is converted in RWA @ 12.50 to arrive at CRAR as per RBI guidelines.)

TABLE DF-8 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting out of inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

परिचालन जोखिम के प्रबंधन पर नीतियां -

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों (टीसीए एवं एएमए) हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है. परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु अन्य नीतियों यथा क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति घ) बाह्यस्त्रोत-उपयोग नीति और ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन का समावेश है.

रणनीतियां और प्रक्रियाएं - बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है जिसमें प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल किया गया है. बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां लागू की हैं.

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रुप से पुनरीक्षा करता है. जोखिम अंतरण के उपाय के रुप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रुप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रुप से बीमांकित हैं. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रियाओं की रुपरेखा दी गई है . नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन,निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रुप से भूमिकायें तय करने के द्वारा बैंक की दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है.

सूचना प्रौद्योगिक से संबंधित जोखिमों और बाहरी घटनाओं से जोखिमों अनुभूति में बढ़ोत्तरी हुई है और इसलिए, बैंक ने 'सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति' स्थापित की है, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापार निरंतरता योजना भी स्थापित की गई है. संबंधित कार्यात्मक विभागों के अधिकारियों को सतत आधार पर प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) और जोखिम नियंत्रण और आत्म आकलन (आरसीएसए) पर प्रशिक्षण दिया जाता है.

बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिए किया जाता है.

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण:

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है. बैंक को परिचालन जोखिम हेतु पूँजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए समकक्ष विकल्प के तौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) में प्रस्थापन हेतु समानांतर संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है. तथापि, बैंक को विनियामक उद्देश्य हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत गणना किए अनुसार पूँजी प्रभार के रखरखाव की अनुमति दी गई है.

गुणात्मक प्रकटन:

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार ₹ **7020.51 मिलियन** है .

सारणी डीएफ-9 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव का संदर्भ लेता है. ऋण पूर्व भुगतान और गैर-परिपक्वता जमा से संबंधित धारणाओं का भी ध्यान रखा जाता है. ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है.

i. **जोखिम पर आय** - आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए एक वर्ष के लिए किया गया है.

ii. **इक्विटी का आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस)** - बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गई पद्धति के अनुसार इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रूप में) ड्यूरेशन गॅप एनालिसस को अपनाया है.

Policies on management of Operational Risk:

Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with RBI Guidelines for Advanced Approaches for Operational Risk (TSA & AMA). Other policies which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy.

Strategies and processes: Operational Risk Management process of Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in Bank.

Bank has been constantly reviewing legal documents to ensure that legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk transfer, Bank has obtained insurance cover for all assets owned by Bank. It is also ensured that assets financed by Bank are also adequately insured, as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. Basic objective of policy is to closely integrate operational risk management system into day-to-day risk management processes of Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses.

There has been an increasing threat perception from Information Technology related risks and risks from external events and hence Bank has put in place 'Information System Security Policy'. Business Continuity Plan duly approved by the Board is also put in place. Training on Key Risk Indicators (KRI) & Risk Control & Self Assessment (RCSA) is given to the officers of the concerned functional departments on an ongoing basis.

Operational risks in Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. Bank has received approval for migration to 'The Standardised Approach' (TSA) for calculating Operational Risk Capital Charge as a parallel run. However, Bank has been allowed to maintain capital charge as per Basic Indicator Approach (BIA) for regulatory purpose.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is ₹ **7020.51 Million.**

TABLE DF-9 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to potential adverse financial impact on Bank's Banking Book from changes in interest rates. The assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits are also taken care of. Interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

(i) **Earnings at Risk:** Impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps) for a period of one year.

(ii) **Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):** Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing impact (as a percentage) on economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with the method suggested by RBI.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इंगित 200 बीपीएस रेट शॉक हेतु इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है. इक्विटी का आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है.

मात्रात्मक प्रकटन: जोखिम पर अर्जन:

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर में परिवर्तन	1 वर्ष के लिए 100 बीपीएस का समांतर अंतरण	
	31.03.2018	
	(+)100 आधार पॉईंट	(-)100 आधार पॉईंट
निवल ब्याज आय पर प्रभाव	1828.27	- 1828.27

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव	31.03.2018	
	(+)200 आधार पॉईंट	(-)200 आधार पॉईंट
	-19167.37	19167.37

सारणी डीएफ 10 : काउंटर पक्ष ऋण जोखिम संबंधी विगोपन हेतु सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक व्युत्पन्न बाजार में अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के रेखांकित विगोपन के बचाव के लिए उपयोगकर्ता के रूप में भाग लेता है. बैंक के व्यावसायिक घटक, ग्राहकों के मिश्रण और स्वरूप, पूंजी आवश्यकता के साथ-साथ जोखिम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक निम्नलिखित व्युत्पन्न उत्पादों का लेन-देन करता है :

- मुद्रा वायदा
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा क्रय-विक्रय
- ब्याज दर क्रय-विक्रय - ओआईएस एवं आईआरएस

वर्तमान में बैंक ऋण डिफॉल्ट सेट स्वैप और मुद्रा विकल्प के अंतर्गत लेन-देन नहीं कर रहा है.

विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लिमिट्स जैसे, काउंटर पक्ष लिमिट्स, स्टॉप लॉस लिमिट्स, डे-लाईट लिमिट, ओवर नाईट लिमिट्स, और विगोपन लिमिट्स इत्यादि का निर्धारण करते हुए विभिन्न जोखिमों का आंकलन और प्रबंधन किया जाता है. इन लिमिट्स का उपयोग निवेश प्रबंधन नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी/विनिमय केन्द्रों के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

विनिमय की ओर से विनिर्दिष्ट लिमिट्स (1) आरंभिक मार्जिन (2) बाजार हेतु चिन्हित मार्जिन (3) मुक्त ब्याज हैं. बैंक द्वारा इन लिमिटस का अनुपालन किया गया है.

मुद्रा वायदा लेन-देनों के मामले में बैंक ने विनिमय केंद्र द्वारा अनुमोदित बैंक में समाशोधन और लेन-देनों के निपटान हेतु खाता रखा है साथ ही, बैंक नकदी/बैंक जमाराशियों/बैंक गारंटियों/सरकारी प्रतिभूतियों अथवा किसी अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन भी रखता है.

वायदा संविदाओं की बुकिंग का उद्देश्य विनिमय जोखिम संबंधी लेन-देन के विगोपन से बचाव है, जिसके लिए फेमा 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खरीदने और/अथवा बिक्री की अनुमति है. अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम से बचाव के लिए बैंक अपने ग्राहकों को वायदा संविदा एक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करता है.

बैंक केवल उन काउंटर पक्ष बैंकों के साथ आईआरएस/ एफआरए संव्यवहार करता है जिन्होंने आईएसडीए मास्टर समझौता/ सीएसए किया है और जिसके लिए बैंक ने काउंटर पक्ष विगोपन सीमा निर्धारित की है.

बैंक ने वर्तमान विगोपन पद्धति और भारतीय रिजर्व बैंक तथा निवेश प्रबंधन नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार आकलित व्युत्पन्न संविदाओं के ऋण विगोपन के लिए अपेक्षित प्रावधान किए हैं.

- जब कभी बैंक जोखिम और तत्संबंधी पूंजी आवश्यकता के आंकलन हेतु उन्नत दृष्टिकोण में अंतरित होगा, तदनुसार बैंक द्वारा प्रतिपक्ष ऋण विगोपन हेतु पद्धतियां और आर्थिक पूंजी का निर्धारण करता है.

Impact on Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI. The Economic Value of Equity is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosure: Earning at Risk:

(Amount in ₹ Million)

Change in Interest rate	Parallel shift of 100 bps for 1 Year period	
	31.03.2018	
	(+) 100 basis point	(-) 100 basis point
Impact on Net Interest Income	1828.27	- 1828.27

Economic Value of Equity:

Impact on economic value of equity	31.03.2018	
	(+) 200 basis point	(-) 200 basis point
	-19167.37	19167.37

TABLE DF-10: GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures:

Bank is participating in derivative market as a user to hedge risk of underlying exposure of its own and that of its customers. Keeping in view business composition of Bank, nature and mix of clients, capital requirement as also risk appetite, Bank is dealing in following derivative products:

- Currency futures
- Foreign Exchange Forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps – OIS & IRS.

Bank at present is not undertaking transactions under Credit Default Swaps and Currency options.

Measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, Day light Limits, Overnight limit, Stop Loss Limits and exposure limits etc. at various levels. Utilization of such limits would be subject to guidelines of Investment Management Policy and RBI/SEBI/Exchanges.

From exchange side, limits stipulated are (1) initial margin (2) mark to market margins (3) open interest. Bank is complying with these limits.

In respect of currency futures transactions, Bank is maintaining account with exchange approved Bank for purpose of clearing and settlement of transactions and also maintains margin in the form of cash/bank deposits/bank guarantees/ G-Sec or any other approved securities.

Purpose of booking forward contracts is to hedge an exposure to exchange risk in respect of transaction for which sale and/or purchase of foreign exchange is permitted under FEMA 1999. Bank offers to its customers, forward contract as a product for hedging their foreign currency exchange risk.

Bank is doing IRS/FRA deals only with those counterparty banks which have executed ISDA Master agreement/CSAs and for whom Bank has set up counterparty exposure limits.

Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines and Investment Management Policy.

- Bank will describe methodology and will assign economic capital for counter party credit exposure, as and when Bank migrates to Advanced Approach of measurement of Risk and related Capital requirement.

(क) मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ मिलियन में)

अ.क्र.	विवरण	31.03.2018
1	प्रतिस्थापित लागत	353.90
2	संभावित वायदा विगोपन	1340.46
3	सकल ऋण तुल्य	1694.36
	समाविष्ट :	
3.1	ब्याज दर संविदा	10.00
3.2	ऋण व्युत्पन्न संविदा	0.00
3.3	ईक्विटी संविदाएं	0.00
3.4	विदेशी मुद्रा संविदाएं और स्वर्ण	1684.36
3.5	वस्तु संविदाएं	0.00
4	सकल ऋण तुल्य राशि	1694.36
5	घटाएं : निवल व्यवस्था का प्रभाव	0.00
6	**निवल उपरांत ऋण तुल्य राशि (4-5)**	**1694.36**
7	**घटाएं : संपार्श्विक राशि**	0.00
7.1	पात्र वित्तीय संपार्श्विक	0.00
7.2	अन्य पात्र संपार्श्विक	0.00
8	**निवल ऋण तुल्य राशि**	**1694.36**

आईएसडीए समझौतों और पात्र संपार्श्विक की पहचान के माध्यम से विगोपन निवल द्वारा काउंटर पक्ष ऋण विगोपन का न्यूनीकरण किया गया, जिसके प्रभाव यथोचित रूप से विनियामक पूंजी गणनाओं में शामिल किए गए हैं.

(ख) ऋण व्युत्पन्न लेन-देन -

(₹ मिलियन में)

विवरण	खरीदा गया सुरक्षा अनुमानित अंश	बेची गई ऋण व्युत्पन्न सुरक्षा
.		
स्वयं का ऋण संविभाग	शून्य	शून्य
ग्राहक की मध्यस्थता गतिविधियां	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
ऋण चूक अदलाबदली	शून्य	शून्य
कुल अदलाबदलियों की वापसी	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

(a) Quantitative Disclosures

(Amount in ₹ million)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018
1	Replacement Cost	353.90
2	Potential Future Exposure	1340.46
3	Gross Credit Equivalent	1694.36
	Comprising:	
3.1	Interest Rate Contract	10.00
3.2	Credit Derivatives Contract	0.00
3.3	Equity Contracts	0.00
3.4	Foreign Exchange Contracts and Gold	1684.36
3.5	Commodities Contracts	0.00
4	Gross Credit Equivalent Amount	1694.36
5	Less: Effect of Netting Arrangements	0.00
6	**Credit Equivalent Amount after netting (4-5)**	**1694.36**
7	**Less: Collateral Amount**	0.00
7.1	Eligible Financial Collateral	0.00
7.2	Other Eligible Collateral	0.00
8	**Net Credit Equivalent Amount**	**1694.36**

Counterparty credit exposure is mitigated by exposure netting through ISDA agreements and recognition of eligible collateral, effect of which have been included in regulatory capital calculations where appropriate.

(b) Credit Derivatives Transactions-

(Amount in ₹ Million)

Particulars	Notional of Protection Bought	Credit Derivatives Protection Sold
.		
Own Credit Portfolio	NIL	NIL
Client Intermediation Activities	NIL	NIL
Total	NIL	NIL
Credit default swaps	NIL	NIL
Total return swaps	NIL	NIL
Total	NIL	NIL

सारणी डीएफ -11 : पूंजी संमिश्र

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.18 को	संदर्भ क्रमांक
	कॉमन ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां		
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम)*	78921.70	ए1 + बी1
2	रोकी गई आय	-25436.59	बी8(a)
3	अन्य समाविष्ट संचयी आय (और अन्य आरक्षितियां, मूल्यांकन आरक्षितियाँ एवं डीटीए)	39739.55	बी2 + बी3 + बी4 + बी5 + बी6(a)
4	सीईटी 1 से फेज आउट होने के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
	दिनांक 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी प्रत्यारोपण	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी**	**93224.67**	
	सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
9	बंधक सेवी अधिकारों के अतिरिक्त अमूर्तताएं (संबंधित कर देयता को घटाकर)	371.00	के1(b)
10	आस्थगित कर आस्तियां	26169.46	
11	नकदी-प्रवाह बचाव आरक्षिति	0.00	
12	संभावित हानियों के प्रावधानों में कमी	0.00	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि सूचित तुलनपत्र में अदा पूंजी पहले से कम न की गई हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिताएं	0.00	
18	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)		0.00
19	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर सामान्य बैंकिंग स्टॉक, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों के बाद) उल्लेखनीय निवेश (प्रारंभिक10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00	
20	बंधक सेवी अधिकार (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00	
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता के बाद प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00	
22	प्रारंभिक 15 प्रतिशत से अधिक राशि	0.00	
23	जिसमें से : वित्तीय इकाईयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
24	जिसमें से : बंधक सेवी अधिकार	0.00	
25	जिसमें से : अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1.50	

TABLE DF-11- COMPOSITION OF CAPITAL

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.18	Ref. No.
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	78921.70	A1+B1
2	Retained earnings	-25436.59	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (other reserves, revaluation reserves and DTA)	39739.55	B2 + B3 + B4+ B5 + B6(a)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**93224.67**	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	371.00	K1(b)
10	Deferred tax assets	26169.46	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital in reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		0.00
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from timing differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financials entities	0.00	
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	1.50	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.18 को	संदर्भ क्रमांक
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश	1.50	
26ग	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की ईक्विटी पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अतिरिक्त टीयर I और टीयर II की अपर्याप्तता के कारण सामान्य ईक्विटी टीयर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**सामान्य ईक्विटी टीयर I की तुलना में कुल विनियामक समायोजन**	**26541.96**	
	समय अंतरों के साथ जुड़े डीटीए को (सीईटी 1 के अधिकतम 10 % तक) वापस शामिल किया गया	6668.27	
29	**सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी (सीईटी 1)**	**73350.98**	
	अतिरिक्त टीयर I पूंजी : लिखतें		
30	प्रत्यक्ष जारी संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित पात्र अतिरिक्त टीयर I लिखतें (31+32)	700.00	
31	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (निरंतर गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (निरंतर ऋण लिखतें)	700.00	
33	अतिरिक्त टीयर I से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	420.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (एटी 1 समूह में अनुमत्य राशि) अतिरिक्त टीयर I लिखतें (और पंक्ति 5 में शामिल न की गई सीईटी 1 लिखतें)	0.00	
35	जिसमें से : फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
36	**विनियामक समायोजनों से पूर्व अतिरिक्त टीयर I पूंजी**	**280.00**	
	अतिरिक्त टीयर I पूंजी : विनियामक समायोजन		
37	स्वयं की अतिरिक्त टीयर I लिखतों में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टीयर I लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
39	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश, जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व जारी कॉमन शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)	0.00	
40	बैंकिंग पूंजी, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	
41क	जिसमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टीयर I पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की अतिरिक्त टीयर I पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
42	कटौतियों को कवर करने के लिए टीयर II की अपर्याप्तता के कारण अतिरिक्त टीयर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.18	Ref. No.
26a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	1.50	
26c	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	Of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common Equity Tier 1**	**26541.96**	
	DTA associated with timing differences (max up to 10% of CET) added back	6668.27	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**73350.98**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	700.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	700.00	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	420.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**280.00**	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Of which: Investments in the Additional Tier 1 Capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	*Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank*	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.18 को	संदर्भ क्रमांक
43	**अतिरिक्त टीयर I पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**	
44	**अतिरिक्त टीयर I पूंजी (एटी 1)**	**280.00**	
45	**टीयर I पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44)**	**73630.98**	
	टीयर II पूंजी : लिखतें और प्रावधान		
46	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र टीयर II लिखतें	5000.00	
47	टीयर II से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	5860.00	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित (टीयर II समूह में अनुमत्य राशि) टीयर II लिखतें (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न की गई सीईटी 1 और एटी1 लिखतें)	0.00	
49	जिसमें से : फेज आउट शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
50	प्रावधान और अन्य आरक्षितियां	5546.36	
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टीयर II पूंजी**	**16406.36**	
	टीयर II पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	स्वयं की टीयर II लिखतों में निवेश	0.00	
53	टीयर II लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाईयों की पूंजी में निवेश जहां पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर बैंक का स्वामित्व इकाई की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक न हो (प्रारंभिक 10 प्रतिशत से अधिक राशि)		101.10
55	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग पूंजी, वित्तीय और बीमा इकाईयों में (पात्र अल्पकालीन स्थितियों को घटाकर) उल्लेखनीय निवेश	0.00	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क + 56ख)	0.00	
56क	जिसमें से : असमायोजित अनुषंगियों का टीअर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56ख	जिसमें से : प्रमुख स्वामित्व वित्तीय इकाईयों की टीअर 2 पूंजी में कमी, जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया हो	0.00	
	राशि के संबंध में टीअर 2 हेतु प्रयुक्त विनियामक समायोजन जो कि ह्द्द्र-ख्र्र्रुऱ्‍ III अनुप्रयोग के अध्यधीन है		
57	**टीयर II पूंजी हेतु कुल विनियामक समायोजन**	**101.10**	
58	**टीयर II पूंजी (टी 2)**	**16305.26**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45+58)**	**89936.24**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)**	817373.28	
60क	जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	665710.00	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	63906.86	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	87756.42	
	पूंजी अनुपात तथा बफर्स		
61	सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	8.974%	
62	टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	9.008%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	11.003%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप दर्शाया गया पूंजी संरक्षण और प्रति चक्रीय बफर आवश्यकताओं सहित न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता)	7.375%	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.18	Ref. No.
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**00.00**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**280.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44)**	**73630.98**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	5000.00	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	5860.00	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions & Other Reserves	5546.36	
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**16406.36**	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		101.10
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	Of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	Of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE- BASEL III TREATMENT		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**101.10**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	**16305.26**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45+ 58)**	**89936.24**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	817373.28	
60a	of which: total credit risk weighted assets	665710.00	
60b	of which: total market risk weighted assets	63906.86	
60c	of which: total operational risk weighted assets	87756.42	
	Capital ratios and Buffers		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.974%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.008%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.003%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	

(₹ मिलियन में)

	विनियामक समायोजनों के अंतरण (अर्थात 31 मार्च, 2017) के दौरान उपयोगार्थ बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट	दिनांक 31.03.18 को	संदर्भ क्रमांक
65	जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसमें से : बैंक विशिष्ट प्रति चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें से : जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.00	
68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टीयर I (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत स्वरूप)	1.60%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा (यदि बेसल III से भिन्न हो)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	7.375%	
70	राष्ट्रीय टीयर I न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	8.875%	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बेसल III से भिन्न हो)	10.875%	
	कटौती हेतु प्रारंभिक राशियों से कम राशियां (जोखिम भार से पूर्व)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश	0.00	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश	0.00	
74	बंधक सेवी अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
75	अस्थायी अंतरों के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
	टीयर 2 में प्रावधानों को शामिल करने हेतु लागू सीमाएं		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	5546.36	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	8321.38	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन विगोपन के मामले में टीयर II में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने से पूर्व)	लागू नहीं	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर II में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	लागू नहीं	
	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 से 31 मार्च 2022 तक लागू)	लागू नहीं	
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों हेतु वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
83	सीमा के कारण एटी 1 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान सीमा	लागू नहीं	
85	सीमा के कारण टी 2 से बाहर राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा के अतिरिक्त अधिशेष)	लागू नहीं	

(₹ in Million)

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2017)	As on 31.03.18	Ref. No.
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	1.60%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	5546.36	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	8321.38	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)	N.A	
80	**Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements**	N.A	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	N.A	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	N.A	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	N.A	

टेम्पलेट नोट

टेम्पलेट पंक्ति क्रमांक	ब्यौरे	₹ मिलियन में
10	संचयी हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	0.00
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर (संचयी हानियों से संबद्ध के अतिरिक्त) आस्थगित कर आस्तियां	26169.46
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार जोड़	26169.46
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूंजी से पूर्ण कटौती न की गई हो और इसके बजाय कटौती के प्रारंभिक 10 प्रतिशत के अंतर्गत विचार किया गया हो तो परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें से : सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : अतिरिक्त टीयर I पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टीयर II पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित वित्तीय/गैर-वित्तीय सहायक/संबद्ध कंपनियों की ईक्विटी पूंजी के निवेशों की कटौती न की गई हो, जिसके कारण जोखिम भार	
	i) सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी में वृद्धि	732.71
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	1831.78
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु गैर-अभिनिर्धारित अधिशेष अतिरिक्त टीयर I पूंजी (पंक्ति 44 में रिपोर्ट किए गए एटी1 और पंक्ति 44क में रिपोर्ट किए गए अनुमत्य एटी1 के बीच अंतर)	0.00
	जिसमें से : अधिशेष एटी 1, जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत विचारित टीयर II पूंजी माना गया	0.00
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	5546.36
	टीयर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल	5546.36

सारणी : डीएफ-12 : पूंजी संमिश्र - समाधान आवश्यकता

चरण 1

(₹ मिलियन में)

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
		31.03.2018 को	31.03.2018 को
क	**पूंजी व देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	25984.54	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	73455.08	
	अल्प ब्याज	0.00	
	कुल पूंजी	**99439.62**	
ii	जमाराशियां जिसमें से :	**1389811.77**	
	बैंकों से जमाराशियां	13339.96	
	ग्राहक जमाराशियां (बचत खाता)	545926.35	
	अन्य जमाराशियां	830545.46	

Notes to Template

Row No. of Template	Particulars	₹ In Million
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	26169.46
	Total as indicated in row 10	26169.46
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If Investments in the Equity Capital of unconsolidated financial/non-financial subsidiaries/ Associates are not deducted and hence, risk weighted then,	
	i) Increase in Common Equity Tier 1 Capital	732.71
	ii) Increase in Risk Weighted Assets	1831.78
44a	Excess Additional Tier 1 Capital not reckoned for capital adequacy (difference between AT1 as reported in row 44 and admissible AT1 as reported in 44a	0.00
	of which: Excess AT1 which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	5546.36
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of Row 50	5546.36

TABLE DF-12: COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENT

Step 1

(₹ In Million)

		Balance sheet as in published financial statements	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2018	As on 31.03.2018
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	25984.54	
	Reserves & Surplus	73455.08	
	Minority Interest	0.00	
	Total Capital	**99439.62**	
ii	Deposits of which:	**1389811.77**	
	Deposits from banks	13339.96	
	Customer deposits (SB)	545926.35	
	Other deposits	830545.46	

(₹ मिलियन में)

		प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	तुलन पत्र - समेकन के विनियामक दायरे के अधीन
		31.03.2018 को	31.03.2018 को
iii	उधारियां जिसमें से:	**40637.15**	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	
	बैंकों से	0.00	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	7154.09	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां	23000.00	
	भारत के बाहर से उधारियां	483.06	
iv	अन्य देयताएं व प्रावधान	**33398.93**	
	कुल पूंजी एवं देयताएं	**1563287.47**	
ख	**आस्तियां**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और खाता शेष**	**158090.63**	
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**748.99**	
ii	**निवेश जिसमें से:**	**436227.99**	
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	381087.03	
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	
	जिसमें से : शेयर्स	3568.02	
	जिसमें से : डिबेंचर एवं बॉण्ड	19099.92	
	जिसमें से : सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी प्रतिष्ठान	734.21	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इत्यादि)	31738.81	
iii	**ऋण और अग्रिम जिसमें से :**	**857972.76**	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	5.63	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	**857967.13**	
iv	**स्थिर आस्तियां**	**15166.76**	
v	**अन्य आस्तियां जिसमें से :**	**95080.33**	
	साख और अमूर्त आस्तियां	371.00	
	आस्थगित कर आस्तियां	26169.46	
vi	समेकन पर साख	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	
	कुल आस्तियां	**1563287.47**	

(₹ In Million)

		Balance sheet as in published financial statements	Balance Sheet Under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2018	**As on 31.03.2018**
iii	Borrowings of which:	**40637.15**	
	From RBI	0.00	
	From Banks	0.00	
	From other institutions & agencies	7154.09	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments	23000.00	
	Borrowings from outside India	483.06	
iv	Other Liabilities and Provision	**33398.93**	
	Total Capital & Liabilities	**1563287.47**	
B	**Assets**		
i	**Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India**	**158090.63**	
	Balance with banks and money at call and short notice	**748.99**	
ii	**Investments of which:**	**436227.99**	
	of which: Government securities	381087.03	
	of which: Other approved securities	0.00	
	of which: Shares	3568.02	
	of which: Debentures & Bonds	19099.92	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	734.21	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	31738.81	
iii	**Loans and Advances of which:**	**857972.76**	
	Loans and Advances to banks	5.63	
	Loan and Advances to Customers	857967.13	
iv	**Fixed Assets**	**15166.76**	
v	**Other Assets of which:**	**95080.33**	
	Goodwill and Intangible Assets	371.00	
	Deferred Tax Assets	26169.46	
vi	Goodwill on Consolidation	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	0.00	
	Total Assets	**1563287.47**	

चरण 2

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.18 को	31.03.18 को
क	पूंजी और देयताएं			
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से	ए	25984.54	
	सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	ए1	25984.54	
	एटी 1 हेतु पात्र राशि	ए2	0.00	
	आरक्षितियां एवं अधिशेष जिसमें से :	बी	73455.08	
	ईक्विटी शेयर प्रीमियम	बी 1	52937.16	
	सांविधिक आरक्षितियां	बी 2	12524.93	
	पूंजी आरक्षितियां	बी 3	3306.40	
	राजस्व आरक्षितियां और अन्य आरक्षितियां	बी 4	13843.26	
	विशेष आरक्षितियां	बी 5	4980.00	
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां जिसमें से:	बी 6	11299.91	
	सीईटी 1 के लिए पात्र	बी 6(क)	5084.96	
	निवेश आरक्षितियां	बी 7	0.00	
	लाभ और हानि खाते में शेष जिसमें से :	बी 8	-25436.59	
	सीईटी 1 हेतु पात्र	बी 8 (ए)	-25436.59	
	अल्प ब्याज	बी 9	0.00	
	कुल पूंजी	ए+बी	**99439.62**	
ii	जमाराशियां जिसमें से :	सी	**1389811.77**	
	बैंकों से जमाराशियां	सी 1	13339.96	
	ग्राहक जमाराशियां	सी 2	545926.35	
	अन्य जमाराशियां	सी 3	830545.46	
iii	उधारियां जिसमें से :	डी	**40637.15**	
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	डी1	0.00	
	बैंकों से	डी2	0.00	
	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	डी3	7154.09	
	बॉण्डस एवं डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां, जिसमें से	डी4	23000.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व एटी1 हेतु पात्र	डी4(ए)	700.00	
	विनियामक समायोजन से पूर्व टीयर II हेतु पात्र	डी4(बी)	22300.00	
	अन्य देयताएं और प्रावधान जिसमें से :	ई	**33398.93**	
	साख संबंधी डीटीएल	ई1	0.00	
	अमूर्त आस्तियों संबंधी डीटीएल	ई2	0.00	
	कुल		**1563287.47**	
ख	**आस्तियां**			
i	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं खाता शेष	एफ	**158090.63**	
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	जी	**748.99**	
ii	निवेश जिसमें से :	एच	**436227.99**	
	सरकारी प्रतिभूतियां	एच 1	381087.03	
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	एच 2	0.00	
	शेयर्स	एच 3	3568.02	
	डिबेंचर एवं बॉण्ड	एच 4	19099.92	
	सहायक/संयुक्त उद्यम	एच 5	734.21	
	अन्य (म्युचुअल फंड, सीओडी, आरआईडीएफ, पीटीसी)	एच 6	31738.81	
iii	ऋण और अग्रिम जिसमें से :	आई	**857972.76**	
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	आई 1	5.63	
	ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	आई 2	857967.13	

Step 2

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2018	As on 31.03.2018
A	Capital & Liabilities			
I	Paid-up Capital of which	A	25984.54	
	Amount eligible for CET 1	A1	25984.54	
	Amount eligible for AT1	A2	0.00	
	Reserves & Surplus of which:	B	73455.08	
	Equity Share Premium	B1	52937.16	
	Statutory Reserve	B2	12524.93	
	Capital Reserve	B3	3306.40	
	Revenue Reserve and Other Reserves	B4	13843.26	
	Special Reserve	B5	4980.00	
	Revaluation Reserve of which:	B6	11299.91	
	Eligible for CET 1	B6(a)	5084.96	
	Investment Reserve	B7	0.00	
	Balance in Profit and Loss Account of which	B8	-25436.59	
	Eligible for CET 1	B8(a)	-25436.59	
	Minority Interest	B9	0.00	
	Total Capital	A+B	**99439.62**	
ii	Deposits Of which:	C	**1389811.77**	
	Deposits from banks	C1	13339.96	
	Customer deposits (SB)	C2	545926.35	
	Other deposits	C3	830545.46	
iii	Borrowings Of which:	D	**40637.15**	
	From RBI	D1	0.00	
	From banks	D2	0.00	
	From other institutions & agencies	D3	7154.09	
	Borrowings in the form of bonds & debentures capital instruments of which:	D4	23000.00	
	Eligible for AT1 before regulatory adjustments	D4(a)	700.00	
	Eligible for Tier 2 before regulatory adjustments	D4(b)	22300.00	
	Other Liabilities and Provision of which	E	**33398.93**	
	DTLs related to Goodwill	E1	0.00	
	DTLs related to Intangible Assets	E2	0.00	
	Total		**1563287.47**	
B	**Assets**			
i	Cash and Bank Balance with Reserve Bank of India	F	**158090.63**	
	Balance with banks and money at call and short notice	G	**748.99**	
ii	Investments of which:	H	**436227.99**	
	Government Securities	H1	381087.03	
	Other Approved Securities	H2	0.00	
	Shares	H3	3568.02	
	Debentures and Bonds	H4	19099.92	
	Subsidiaries/Joint Ventures	H5	734.21	
	Others(Mutual Funds, CoDs, RIDF, PTCs)	H6	31738.81	
iii	Loans and Advances of which:	I	**857972.76**	
	Loans and Advances to banks	I1	5.63	
	Loan and Advances to Customers	I2	857967.13	

		संदर्भ क्रमांक	प्रकाशित वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलनपत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत
			31.03.18 को	31.03.18 को
iv	स्थिर आस्तियां	जे	**15166.76**	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से :	के	**95080.33**	
	साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से :	के 1	371.00	
	साख	के 1(ए)		
	अन्य अमूर्त (एमएसआर के अतिरिक्त)	के 1(बी)	371.00	
	आस्थगित कर आस्तियां	के1 (सी)	26169.46	
	अपरिशोधित पेंशन	के1 (डी)	0.00	
vi	समेकन पर साख	एल	0.00	
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	एम	0.00	
	कुल आस्तियां		**1563287.47**	

चरण 3

बेसल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट सार (जोड़े गए कॉलम सहित) - डीएफ11			
सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी : लिखतें और आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी संमिश्र	**चरण 2 के समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के पत्रों/ संदर्भ क्रमांकों पर आधारित स्रोत**
1	संबंधित स्टॉक अधिशेष सहित प्रत्यक्ष जारी पात्र सामान्य शेयर पूंजी (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समरूप)	78921.70	ए1+बी1
2	रोकी गई आय	-25436.59	बी 8 (ए)
3	अन्य समाविष्ट आय संचयी (और अन्य आरक्षितियां)	39739.55	बी2 + बी3 + बी4 + बी5 + बी6(a)
4	सीईटी 1 से फेज आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों हेतु लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तृतीय पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत्य राशि)	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर I पूंजी (सीईटी में शामिल करने के लिए मान्यता प्राप्त डीटीए को छोड़कर)**	**93224.67**	
	समय अंतरों के साथ जुड़े डीटीए को (सीईटी 1 के अधिकतम 10 % तक) सीईटी 1 में शामिल किया गया	6668.27	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता के बाद)	0.00	

		Ref. No.	Balance sheet as in published financial statements	Under regulatory scope of consolidation
			As on 31.03.2018	As on 31.03.2018
iv	Fixed Assets	J	**15166.76**	
v	Other Assets of which:	K	**95080.33**	
	Goodwill and Intangible Assets out of which	K1	371.00	
	Goodwill	K1(a)		
	Other Intangibles (Excluding MSRs)	K1(b)	371.00	
	Deferred Tax Assets	K1 (c)	26169.46	
	Unamortised Pension	K 1 (d)	0.00	
vi	Goodwill on Consolidation	L	0.00	
vii	Debit Balance in Profit and Loss Account	M	0.00	
	Total Assets		**1563287.47**	

Step 3

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – DF 11			
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letter s of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	78921.70	A1+B1
2	Retained earnings	-25436.59	B8(a)
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	39739.55	B2 + B3 + B4 + B5 + B6(a)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments (Excl DTA Recognized for inclusion in CET)**	**93224.67**	
	DTA associated with timing differences (max up to 10% of CET) included in CET 1	6668.27	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

डीएफ-13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं DF-13: Main Features of the Regulatory Capital Instruments

		एटी1 AT1	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds				
1	जारीकर्ता Issuer	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra	बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
2	विशिष्ट पहचान कर्ता अर्थात (जैसे निजी स्थापन हेतु क्यूसिप, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता) Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE457A09165	INE457A09157	INE457A09173	INE457A09140	INE457A09199	INE457A08035
3	लिखत हेतु शासकीय नियम Governing law(s) of the instrument	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws	भारतीय कानून Indian Laws
	नियामक प्रतिपादन ***Regulatory treatment***						
4	परिवर्ती बेसल III नियम Transitional Basel III rules	अतिरिक्त टीयर I Additional Tier I	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds	टीयर II बॉण्डस Tier II Bonds
5	उत्तर परिवर्ती बेसल III नियम Post-transitional Basel III rules	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	अपात्र Ineligible	पात्र Eligible
6	एकल/समूह/एकल एवं समूहमें पात्र Eligible at solo/group/ group & solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo	एकल Solo
7	लिखत का प्रकार Instrument type	निरंतर ऋण लिखत Perpetual Debt Instruments	उपरी टीयर 2 - ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	उपरी टीयर 2 - ऋण लिखत Upper Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर 2 ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर 2 ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments	गौण टीयर 2 ऋण लिखत Subordinated Tier II-Debt Instruments
8	विनियामक पूंजी के रूप में पहचानी गई राशि (हालकी रिपोर्टिंग दिनांक को ₹ मिलियन में) Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	280	400	1200	260	4000	5000
9	लिखत का सममूल्य (₹ मिलियन में) Par value of instrument (₹ in million)	1	1	1	1	1	1
10	लेखा वर्गीकरण Accounting classification	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing	देयता-उधारियां Liability-borrowing
11	जारी करने का मूल दिनांक Original date of issuance	30.09.2009	30.09.2009	01.02.2010	30.09.2009	31.12.2012	27.06.2016
12	निरंतर अथवा दिनांकित Perpetual or dated	निरंतर Perpetual	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated	दिनांकित Dated
13	मूल परिपक्वता दिनांक Original maturity date	कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	30.09.2024	01.02.2025	30.04.2019	31.12.2022	27.09.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन अधीन जारीकर्ता कॉल Issuer call subject to prior supervisory approval	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No

		एटी1 **AT1**	टीयर II बॉण्डस **Tier II Bonds**				
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि Optional call date, contingent call dates and redemption amount	30.09.2019	30.09.2019	01.02.2020	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
16	Subsequent call dates, if applicable	On each anniversery after 30.09.2019 subject to RBI Approval	नहीं No	नहीं No	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
	कूपन / लाभांश ***Coupons / dividends***						
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन Fixed or floating dividend/ coupon	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed	स्थिर Fixed
18	कूपन दर और संबंधित कोई सूचकांक Coupon rate and any related index	09.25% वार्षिक 9.25% pa	8.95% वार्षिक 8.95% pa	8.65% वार्षिक 8.65% pa	8.74% वार्षिक 8.74% pa	9.00% वार्षिक 9.00% pa	9.20% वार्षिक 9.20% pa
19	लाभांश स्टॉपर की उपस्थिति Existence of a dividend stopper	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No	हां Yes
20	पूर्णतः विवेकाधीन / अंशतः विवेकाधीन अथवा अनिवार्य Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अंशतः विवेकाधीन Partially Discretionary	अनिवार्य Mandatory	अनिवार्य Mandatory	पूर्ण विवेकाधीन Full Discretionary
21	उन्मोचन हेतु कोटिउन्नयन अथवा अन्य प्रोत्साहन की उपलब्धता Existence of step up or other incentive to redeem	हां Yes	हां Yes	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No
22	असंचयी अथवा संचयी Noncumulative or cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative	असंचयी Non Cumulative
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय Convertible or non-convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible	अपरिवर्तनीय Non Convertible
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन उत्प्रेरक If convertible, conversion trigger (s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः अथवा आंशिक If convertible, fully or partially	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
26	यदि परिवर्तनीय, परिवर्तन दर If convertible, conversion rate	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन If convertible, mandatory or optional conversion	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
28	यदि परिवर्तनीय तो यह स्वरूप जिसमें लिखत परिवर्तित हुआ If convertible, specify instrument type convertible into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

		एटी1 **AT1**	टीयर II बॉण्डस **Tier II Bonds**				
29	यदि परिवर्तनीय लिखत जिसमें परिवर्तित हुआ, के जारीकर्ता का उल्लेख If convertible, specify issuer of instrument it converts into	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
30	अवलेखन विशेषता Write-down feature	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	नहीं No	हां Yes
31	यदि अवलेखन हुआ तो अवलेखन के उत्प्रेरक If write-down, write-down trigger(s)	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	अक्षमता का प्रारंभिक बिंदु Point of Non-viability trigger
32	यदि अवलेखन हुआ तो पूर्णतः अथवा आंशिक If write-down, full or partial	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	पूर्ण Full
33	यदि अवलेखन हुआ तो स्थायी अथवा अस्थायी If write-down, permanent or temporary	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	स्थायी Permanent
34	यदि अस्थायी अवलेखन तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा If temporary write-down, description of write-up mechanism	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
35	परिसमापन में गौण वरिष्ठता की स्थिति (तत्काल वरिष्ठ लिखत का स्वरूप विर्निर्दिष्ट करें) Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता, लेनदार और टीयर II बॉण्डधारक All other Depositors, Creditors and Tier II Bond holders of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank	बैंक के अन्य सभी जमाकर्ता और लेनदार All other Depositors and Creditors of the Bank
36	गैर-अनुपालित परिवर्ती विशेषताएं Non-compliant transitioned features	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	हां Yes	नहीं No
37	अगर हां तो गैर-अनुपालन विशेषताओं का उल्लेख करें If yes, specify non-compliant features	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	हानि वहनीय विशेषता Loss-absorption feature	लागू नहीं NA

सारणी : डीएफ-14 : पूंजी लिखतों की पूर्ण विनियामक शर्तें एवं निबंधन

डीएफ 14 बैंक की वैब साईट www.bankofmaharashtra.in की बेसल III प्रकटन मद के अंतर्गत उपलब्ध है.

सारणी : डीएफ-15 : पारिश्रमिक हेतु प्रकटन आवश्यकताएं

मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रकटन : लागू नही.

सारणी : डीएफ-16 : इक्विटी : बैंक बहि स्थिति हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

इक्विटी जोखिम के संबंध में आवश्यक सामान्य गुणात्मक प्रकटन.

- निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक की निवेश प्रबंधन नीति के अनुरूप दिशानिर्देशों के अनुसरण में क्रय की तारीख पर निवेशों का वर्गीकरण 'ट्रेडिंग के धारित- (एचएफटी), 'विक्रय हेतु उपलब्धट (एएफएस) तथा 'परिपक्वता के लिए धारित- (एचटीएम) श्रेणीयों में किया जाता है. परिपक्वता तक धारित करने हेतु बैंक के प्रयोजन के निवेशों को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार सहायक एवं संयुक्त कंपनियों की इक्विटी में निवेश को एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत करना आवश्यक है. इन्हें रणनितीक संबंध बनाए रखने अथवा रणनितीक व्यवसाय प्रयोजन के उद्देश्यों से धारित किया जाता है.
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश उनके अधिग्रहण लागत पर लिए गये है और उन्हे बाजार पर चिन्हित नहीं किया गया है. इक्विटी निवेशों के मूल्य में गिरावट, अस्थाई गिरावट को छोडकर, का प्रावधान किया गया है. एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर किसी भी हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है. एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशो की बिक्री से किसी भी लाभ को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में 'पूंजी आरक्षितिट के प्रति सांविधिक आरक्षिति और करों के निवल के रुप में समायोजित किया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशनुसार, प्रारम्भिक 3 वर्षों की अवधि के लिए तथा इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश को बैंकिंग बही (एचटीएम श्रेणी) में धारित करने की अनुमति है.

मात्रात्मक प्रकटन

1. निवेशों के मूल्य

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	तुलनपत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्य (यदि उचित मूल्य से भौतिक रूप से अलग हैं
बिना भाव वाले	878.96	878.96	लागू नहीं
भाव वाले	शून्य	शून्य	शून्य

2. निवेशों का प्रकार एवं स्वरूप

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	सार्वजनिक रूप से व्यापारित	निजी रूप से धारित
सहायक, संबद्ध और संयुक्त कंपनियां	शून्य	734.21
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य
उद्यम पूंजी निधि	शून्य	144.75

TABLE DF 14 – FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

DF 14 is available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in under the line "Basel III Disclosures"

TABLE DF – 15: DISCLOSURE REQUIREMENT FOR REMUNERATION

Quantitative and Qualitative Disclosures: Not Applicable

TABLE DF – 16: EQUITIES: DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS

Qualitative Disclosure:

General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.

- In accordance with RBI guidelines and in line with Bank's Investment Management Policy on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classify under HTM category in accordance with RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.
- As per RBI guidelines, Bank is allowed to hold investments in units of Venture Capital Fund (VCF) under Banking Book (HTM category) for initial period of 3 years and valued at cost during this period.

Quantitative Disclosures

1. Value of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value
Unquoted	878.96	878.96	N.A
Quoted	NIL	NIL	NIL

2. Type and Nature of Investments

(Amount in ₹ million)

Investments	Publicly Traded	Privately Held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures	NIL	734.21
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL
Venture Capital Funds	NIL	144.75

3. लाभ/हानि विवरण

(रकम ₹ मिलियन में)

विवरण	रकम
वसूले गए संचयी लाभ (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री एवं नकदीकरण से उद्भूत हानियां)	शून्य
वसूले न गए कुल लाभ (हानियां)	शून्य
कुल अप्रकटित मूल्यांकन लाभ (हानियां)	शून्य
उपर्युक्त में से कोई भी रकम टीयर I एवं टीयर II पूंजी में सम्मिलित है	शून्य

4. बैंकिंग बही हेतु पूंजी आवश्यकता

(रकम ₹ मिलियन में)

निवेश	बेसल III के अधीन व्यवहार	विगोपन	जोखिम आधारित आस्तियां	पूंजी आवश्यकता 10.875% की दर से
सहायक, संबद्ध और संयुक्त उद्यम कंपनियां, उद्यम पूंजी निधियां	250% पर जोखिम भारित	732.71	1831.78	199.21
	150% पर जोखिम भारित	144.75	217.13	23.61
पीएसयू/कंपनियों के अन्य शेयर जो कि 02.09.2004 को बैंक की बहियों में एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत थे तथा जिन्हें आरबीआई दिशानिर्देशानुसार जिन्हें प्रतिधारित किया जा सकता है.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

लिवरेज अनुपात प्रकटन

सारणी डीएफ - 17 - लेखांकन आस्तियों बनाम लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय का तुलनात्मक सार

क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	**1563287.47**
2	बैंकिंग, वित्तपोषण, बीमा तथा वाणिज्यिक इकाईयों में निवेशों का समायोजन जिन्हें लेखांकन प्रयोजनों हेतु समेकित किया है किंतु वे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर है (उपर्युक्त 1 में से)	**(0.00)**
3	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त, प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन, जिन्हें लिवरेज अनुपात विगोपन उपाय में शामिल नहीं किया है	**0.00**
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	**2496.50**
5	प्रतिभूति वित्तीय व्यवहारों के लिए समायोजन (यथा रैपो एवं सामान्य प्रतिभूतित उधारी)	**0.00**
6	तुलनपत्र में शामिल न किए गए मदों का समायोजन (यथा तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की राशि के समकक्ष ऋण का परिवर्तन)	**81519.31**
7	अन्य समायोजन (टीयर 1 पूंजी से कटौती की गई अमूर्त आस्तियां)	**(26541.90)**
8	**लिवरेज अनुपात विगोपन**	**1620761.38**

3. Gain/ Loss Statement

(Amount in ₹ million)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.	NIL
Total unrealized gains (losses)	NIL
Total latent revaluation gains (losses)	NIL
Any amount of the above included in Tier I and Tier II capital	NIL

4. Capital Requirement for Banking Book

(Amount in ₹ million)

Investments	Treatment under Basel III	Exposure	Risk Weighted Assets	Capital Requirement @10.875%
Subsidiary, Associate and Joint Ventures, Venture Capital Funds	Risk weighted at 250%	732.71	1831.78	199.21
	Risk weighted at 150%	144.75	217.13	23.61
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 02.09.2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	NIL	NIL	NIL	NIL

LEVERAGE RATIO DISCLOSURE

Table DF-17 – Summary Comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

Sr. No.	Item	(₹ in millions)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	**1563287.47**
2	Adjustments for Investments in Banking, Financial, Insurance and Commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation (Out of 1 above)	**(0.00)**
3	Adjustments for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	**0.00**
4	Adjustments for derivative financial instruments	**2496.50**
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	**0.00**
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	**81519.31**
7	Other adjustments	**(26541.90)**
8	**Leverage Ratio Exposure**	**1620761.38**

सारणी डीएफ-18 - लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन ढांचा		
क्र. सं.	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलनपत्र में शामिल विगोपन	
1	तुलनपत्र में शामिल मदें (व्युत्पन्न एवं एसएफटी को छोड़कर परंतु समर्थक को शामिल करते हुए)	**1563287.47**
2	(बेसल III टीयर 1 पूंजी निर्धारित करने हेतु कटौती की गई आस्तियों की रकम)	**(26541.90)**
3	**तुलनपत्र में शामिल कुल विगोपन** (व्युत्पन्न एवं एसएफटी के अलावा) (पंक्ति क्र. 1 एवं 2 का जोड़)	**1536745.57**
	व्युत्पन्न विगोपन	
4	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध बदली की लागत (यथा पात्र नकद विचलन मार्जिन का निवल)	**353.90**
5	सभी व्युत्पन्न व्यवहारों से संबद्ध पीएफई की ॲड-ऑन रकम	**2142.60**
6	प्रचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुसरण में जहां तुलनपत्र आस्तियों से प्रदत्त व्युत्पन्न समर्थक मदों के सकल जोड़ की कटौती की गई है	**0.00**
7	(व्युत्पन्न व्यवहारों में प्रदान किए गए नकद विचलन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों की कटौती)	**0.00**
8	(ग्राहक द्वारा स्पष्ट किए गए व्यापार विगोपनों में सीसीपी का छूट प्राप्त अंश)	**0.00**
9	बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	**0.00**
10	(बट्टे खाते डाले ऋण व्युत्पन्नों के समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ-सेट एवं ॲड-ऑन)	**0.00**
11	**कुल व्युत्पन्न विगोपन (पंक्ति क्र. 4 से 10 का जोड़)**	**2496.50**
	प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार विगोपन	
12	विक्री लेखांकन व्यवहारों का समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियों (निवल जोड़ को मान्यता न देते हुए)	**0.00**
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय एवं नकद प्राप्यों की निवल रकम)	**0.00**
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर विगोपन	**0.00**
15	एजेंट व्यवहार विगोपन	**0.00**
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण व्यवहार विगोपन (पंक्ति क्र. 12 से 15 का जोड़)**	**0.00**
	तुलनपत्र में शामिल न किए गए अन्य विगोपन	
17	तुलनपत्र में शामिल न किए गए विगोपनों की सकल अनुमानित रकम	**187432.10**
18	(ऋण की समकक्ष रकमों में परिवर्तित हेतु समायोजन)	**(105912.79)**
19	**तुलनपत्र में शामिल न की गई मदें (पंक्ति क्र. 17 एवं 18 को जोड़)**	**81519.31**
	पूंजी एवं कुल विगोपन	
20	**टीयर 1 पूंजी**	**73630.98**
21	**कुल विगोपन (पंक्ति क्र. 3, 11, 16 एवं 19 को जोड़)**	**1620761.38**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**4.54%**

31 मार्च, 2018 को बैंक का बेसल III लिवरेज अनुपात सांकेतिक विनियामक न्यूनतम 4.50% की तुलना में 4.54.% रहा ।

Table DF-18 – Leverage Ratio Common Disclosure Template		
Sr. No.	Item	(₹ in million)
	On-Balance Sheet Exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	**1563287.47**
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	**(26541.90)**
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**1536745.57**
	Derivative Exposure	
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	**353.90**
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	**2142.60**
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	**0.00**
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	**0.00**
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	**0.00**
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	**0.00**
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	**0.00**
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**2496.50**
	Securities Financing Transaction Exposures	
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	**0.00**
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	**0.00**
14	CCR exposure for SFT assets	**0.00**
15	Agent transaction exposures	**0.00**
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**0.00**
	Other Off-Balance Sheet Exposure	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	**187432.10**
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	**(105912.79)**
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**81519.31**
	Capital and total Exposures	
20	**Tier 1 Capital**	**73630.98**
21	**Total Exposures (sum of lines 3,11,16 and 19)**	**1620761.38**
	Leverage Ratio	
22	**Basel III Leverage Ratio**	**4.54%**

Basel III Leverage ratio as of 31st March 2018 is 4.54% above the indicative regulatory minimum of 4.50%.

तरलता कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

		वित्तीय वर्ष 2017- 2018		वित्तीय वर्ष 2016 - 2017	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलएएस)		22538.72		18596.48
नकद बहिर्वाह					
2	रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशिया, जिनमें से :	110071.86	9423.44	107266.86	9067.68
(i)	स्थिर जमाराशियां	31674.91	1583.75	33180.06	1659
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	78396.95	7839.7	74086.8	7408.68
3	अप्रत्याभूत थोक निधियन, जिसमें से :	21146.07	12331.89	21877.24	13388.5
(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	80.31	20.08	167.41	41.85
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष)	21065.77	12311.81	21709.83	13346.64
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0
4	प्रत्याभूत थोक निधियन	236.85	0	236.85	0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से :	15760.49	1841.35	16944.35	2014.84
(i)	डेरिवेटिव विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0
(iii)	ऋण और तरलता उत्पाद	15760.49	1841.35	16944.35	2014.84
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	261.87	261.87	150.35	150.35
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	13330.16	426.21	14634.09	476.07
8	**कुल नकद बहिर्वाह**		**24284.76**		**25097.44**
नकद अंतर्वाह					
9	प्रत्याभूत उधारी (उदाहरणार्थ - प्रति रेपो)	9079.5	0	2950.65	0
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक विगोपन से अंतर्वाह	12918.05	12150.28	9473.86	8863.02
11	अन्य नकद अंतर्वाह	1852.22	1746.12	523.36	367.21
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**23849.77**	**13896.4**	**12947.87**	**9230.23**
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
21	**कुल एचक्यूएलए**		22538.72		18596.48
22	**कुल निवल नकद बहिर्वाह**		10388.36		15867.21
23	**तरलता कवरेज अनुपात (%)**		**216.96%**		**117.20%**

LIQUIDITY COVERAGE RATIO

(Amount ₹ in crore)

		FY 2017- 2018		FY 2016- 2017	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High quality Liquid assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLAs)		22538.72		18596.48
Cash outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	110071.86	9423.44	107266.86	9067.68
(i)	Stable deposits	31674.91	1583.75	33180.06	1659.00
(ii)	Less stable deposits	78396.95	7839.70	74086.80	7408.68
3	Unsecure wholesale funding, of which:	21146.07	12331.89	21877.24	13388.50
(i)	Operational deposits (all counterparties)	80.31	20.08	167.41	41.85
(ii)	Non operational deposits (all counterparties)	21065.77	12311.81	21709.83	13346.64
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding	236.85	0.00	236.85	0.00
5	Additional requirements, of which:	15760.49	1841.35	16944.35	2014.84
(i)	*Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	*Outflows related to loss of funding on debt products*	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	*Credit and liquidity products*	15760.49	1841.35	16944.35	2014.84
6	Other contractual funding obligations	261.87	261.87	150.35	150.35
7	Other contingent funding obligtations	13330.16	426.21	14634.09	476.07
8	**Total Cash Outflows**		**24284.76**		**25097.44**
Cash inflows					
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	9079.50	0.00	2950.65	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	12918.05	12150.28	9473.86	8863.02
11	Other cash inflows	1852.22	1746.12	523.36	367.21
12	**Total Cash Inflows**	**23849.77**	**13896.40**	**12947.87**	**9230.23**
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	**Total HQLA**		22538.72		18596.48
22	**Total Net Cash Outflows**		10388.36		15867.21
23	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**216.96%**		**117.20%**

गुणात्मकता

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक में भाररहित उच्च-गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएसए) का पर्याप्त स्टॉक है, जो कि तरलता अनुपात परिदृष्य में 30 कैलेण्डर दिनों की समय सीमा के लिए अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे तत्काल और सरलता से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर का परिकलन 30 कैलेण्डर दिनों की दबावग्रस्त अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएसए) की राशि को विभाजित किया जाता है। निवल नकद बहिर्वाह का परिकलन देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमाराशियों, प्रत्याभूत व गैरप्रत्याभूत थोक उधारियां) के साथ ही 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से होने वाले अंतर्वाह द्वारा समायोजित अनाहरित प्रतिबद्धताओं और व्युत्पन्न संबंधित विगोपनों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बहिर्वाह घटकों को लागू कर किया जाता है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 216.93% है, भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर 90.00% की न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित है।

Qualitative

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days.

Average LCR on a daily basis for the year ended 31st March 2018 is 216.96%, above RBI prescribed minimum requirement of 90.00%.

समेकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements

31मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2017 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**2598,45,44**	1168,33,37
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**7468,51,96**	6300,58,19
जमाराशियां Deposits	3	**138966,60,84**	139040,19,93
उधारियां Borrowings	4	**4063,71,48**	8136,65,21
अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**3351,26,78**	4765,29,75
जोड़ TOTAL		**156448,56,50**	**159411,06,45**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**15809,06,35**	15274,72,18
बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**74,95,09**	1367,35,95
निवेश Investments	8	**43742,47,49**	38677,00,66
अग्रिम Advances	9	**85797,27,75**	95515,22,99
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**1516,68,42**	1586,08,96
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**9508,11,40**	6990,65,71
जोड़ TOTAL		**156448,56,50**	**159411,06,45**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**23584,23,91**	29329,20,74
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**4196,85,28**	4021,46,55
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं.
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

ए. सी. राउत कार्यपालक निदेशक **A.C. ROUT** EXECUTIVE DIRECTOR	आर. के. गुप्ता कार्यपालक निदेशक **R. K. GUPTA** EXECUTIVE DIRECTOR	आर. पी. मराठे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ **R.P. MARATHE** MANAGING DIRECTOR & CEO

डॉ. अर्चना आर. धोलकिया निदेशक **Dr. ARCHANA R. DHOLAKIA** Director	आर. तामोधरन निदेशक **R. THAMODHARAN** Director	वंदिता कौल निदेशक **VANDITA KAUL** Director	दीनदयाल अग्रवाल निदेशक **DEENDAYAL AGRAWAL** Director	जी. श्रीकुमार निदेशक **G. SREEKUMAR** Director

प्रदीप मिश्रा सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा **PRADEEP MISHRA** Asst.Gen. Manager, FM&A	संजय रूद्र उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा **SANJAY RUDRA** Dy. Gen. Manager, FM&A	वी. पी. श्रीवास्तव महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा **V. P. SRIVASTAVA** Gen. Manager, FM&A

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2018

Place : Pune
Date : 4th May, 2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	**11096,42,54**	12061,98,03
सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates		**32,85,43**	15,96,10
अन्य आय Other Income	14	**1506,87,67**	1508,85,20
जोड़ TOTAL		**12636,15,64**	13586,79,33
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**7705,77,39**	8886,32,34
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**2705,11,18**	2856,77,91
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**3337,29,87**	3199,78,20
जोड़ TOTAL		**13748,18,44**	14942,88,45
लाभ/हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year		**-1112,02,80**	-1356,09,12
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**-1361,92,07**	73,30,44
जोड़ें : निवेश आरक्षिति से आहरण Add: Drawing from Investment Reserve		**20,48,15**	8,12,29
जोड़ TOTAL		**-2453,46,72**	**-1274,66,39**
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**–**	**–**
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**26,49,37**	87,25,27
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**–**	–
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**–**	–
निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Reserve		**–**	–
लाभांश पर कर Tax on Dividend		**–**	**–**
लाभांश पर कर (अनुषंगी) Tax on Dividend (Subsidary)		**–**	41
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		**-2479,96,09**	-1361,92,07
जोड़ TOTAL		**-2453,46,72**	**-1274,66,39**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाईल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)		**-8.72**	-11.61

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ / हानि खाते के अभिन्न भाग हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached.

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफआरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

सीए अमिताव कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 016639
CA Amitav Kothari
Parther
Membership No: 016639

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates,LLP
FRN: 101678 W/ W100068
Chartered Accountants

सीए महेश्वर एम मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M Marathe
Parther
Membership No. 212175

कृते पी. पारिख एंड एसोसिएट्स
एफआरएन: 107564 डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for P. Parikh & Associates
FRN: 107564W
Chartered Accountants

सीए अशोक बी राजागिरि
भागीदार
सदस्यता क्र.: 046070
CA Ashok B Rajagiri
Parther
Membership No: 046070

कृते एम.डी.गुजराती एंड कंपनी
एफआरएन:005301एन
सनदी लेखाकार
for M. D. Gujrati & Co.
FRN: 005301N
Chartered Accountants

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Parther
Membership No. 081552

स्थान : पुणे
दिनांक : 4 मई, 2018

Place : Pune
Date : 4th May, 2018

अनुसूची -1 : पूंजी
SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital				
₹ 10/- के ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each		**3000,00,00**		3000,00,00
जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed				
₹10/- के 259,84,54,407 (गत वर्ष 116,83,33,708) ईक्विटी शेयर 259,84,54,407 Equity Shares (Previous year 116,83,33,708) of ₹ 10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1168,33,37**		1168,33,37	
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	**1430,12,07**	**2598,45,44**	–	1168,33,37
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	**2260,92,34**		953,52,46	
₹10/- के 226,09,23,433 (गत वर्ष 95,35,24,561) ईक्विटी शेयर 226,09,23,433 (Previous year 95,35,24,561) Equity shares of ₹10/- each				
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित b. Held by the Public & Others	**337,53,10**		214,80,91	
₹10/- के 337,53,09,74 (गत वर्ष 21,48,09,147) ईक्विटी शेयर 337,53,09,74 (Previous year 21,48,09,147) Equity Shares of ₹10/- each				
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	**–**	**2598,45,44**	–	1168,33,37
जोड़ TOTAL		**2598,45,44**		1168,33,37

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1272,21,48**		1272,21,48	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**	**1272,21,48**	–	1272,21,48
II. पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**304,14,61**		216,89,34	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**26,49,37**		87,25,27	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**330,63,98**	–	304,14,61
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**2937,28,24**		2937,28,24	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**2356,43,36**	**5293,71,60**	–	2937,28,24
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क) राजस्व आरक्षिति a) REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1423,91,85**		1369,70,57	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**–**		54,21,28	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**–**	**1423,91,85**	–	1423,91,85

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
ख) **विशेष आरक्षितियां** b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**498,00,00**		498,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	–	**498,00,00**	–	498,00,00
ग) **पुनर्मूल्यन आरक्षितियां** c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**1206,45,94**		1295,78,35	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	–		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**76,46,80**	**1129,99,14**	89,32,41	1206,45,94
घ) **निवेश आरक्षिति खाता** d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**20,48,15**		28,60,44	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	–		–	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**20,48,15**	**–**	8,12,29	20,48,15
V. **लाभ व हानि खाते में शेष** **BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT**	**-2479,96,09**	**-2479,96,09**	-1361,92,07	-1361,92,07
जोड़ TOTAL		**7468,51,96**		6300,58,19

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
क **A.** **मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS**				
i) बैंकों से From Banks	**203,15,70**		215,71,33	
ii) अन्यों से From others	**11548,66,00**	**11751,81,70**	11313,43,94	11529,15,27
II. **बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS**		**54592,13,82**		50888,86,86
III. **मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS**				
i) बैंकों से From Banks	**1130,83,91**		1592,40,12	
ii) अन्यों से From others	**71491,81,41**	**72622,65,32**	75029,77,68	76622,17,80
जोड़ TOTAL (I, II & III)		**138966,60,84**		139040,19,93
ख B. (i) भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any		**–**		–
(ii) भारत के बाहर की सहायक कंपनियों की जमाराशियां, भारतीय कार्यालयों सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any		**–**		–
(iii) मूल कंपनी की जमाराशियां Deposits of Parent		**138966,60,84**		139040,19,93
जोड़ TOTAL (i, ii & iii)		**138966,60,84**		139040,19,93
ग.C. (i) मूल कंपनी की भारत में जमाराशियां Deposits of parent in India		**138966,60,84**		139040,19,93
(ii) भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां Deposits of subsidiaries in India		**–**		–
(iii) भारत में कुल जमाराशियां Total Deposits in India (i + ii)		**138966,60,84**		139040,19,93
(iv) मूल कंपनी की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of parent outside India		**–**		–
(v) सहयोगी कंपनियों की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of subsidiaries outside India		**–**		–
(vi) भारत से बाहर कुल जमाराशियां Total Deposits outside India (iv + v)		–		–
जोड़ TOTAL (C iii + C vi)		**138966,60,84**		139040,19,93

अनुसूची - 4 : उधारियां
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I.	**भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA**				
	i) भारतीय रिजर्व बैंक से Reserve Bank Of India	–		–	
	ii) अन्य बैंकों से Other Banks	–		–	
	iii) अन्य संस्थानों और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	715,40,87		2892,99,98	
	iv) डिबेंचर Debenture	–		–	
	v) अन्य उधारियां Other Borrowings				
	क) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	70,00,00		1795,00,00	
	ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	400,00,00		600,00,00	
	ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds	1830,00,00		1830,00,00	
	घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds	1000,00,00	4015,40,87	1000,00,00	8117,99,98
II.	भारत के बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA**		48,30,61		18,65,23
	जोड़ TOTAL (I & II)		4063,71,48		8136,65,21
III.	उपर्युक्त I व II में जमानती उधारियां शामिल हैं. **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE**		–		–

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I.	देय बिल Bills Payable		498,90,27		457,17,85
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)				
	क मूल कंपनी Parent Company		–		502,35,64
	ख सहायक कंपनी Subsidiary		–		–
III.	अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)		–		–
IV.	उपचित ब्याज Interest Accrued		188,77,02		197,47,72
V.	अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions):				
	i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	549,85,02		657,47,88	
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	2113,74,46	2663,59,48	2950,80,66	3608,28,54
	जोड़ TOTAL		3351,26,78		4765,29,75

अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल है) Cash in hand (including foreign currency notes)		**764,39,73**		659,26,33
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
	i) चालू खातों में In Current Accounts	**6644,66,62**		7165,45,86	
	ii) अन्य खातों में In other Accounts	**8400,00,00**	**15044,66,62**	7450,00,00	14615,45,86
	जोड़ TOTAL (I & II)		**15809,06,35**		15274,72,19

अनुसूची - 7 : बैंको में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I.	भारत में In India				
	i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खातों में (a) Current Accounts	**11,60,10**		29,29,86	
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) Other Deposit Accounts	**15,18,56**	**26,78,66**	15,18,57	44,48,43
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
	(क) बैंकों के पास (a) With Banks	**–**		–	
	(ख) अन्य संस्थों के पास (b) With Other Institutions	**–**	–	–	–
	जोड़ TOTAL (i & ii)		**26,78,66**		44,48,43
II.	भारत के बाहर Outside India				
	बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) चालू खातों में (a) Current Accounts	**–**		–	
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) Other Deposit Accounts	**48,16,43**		1322,87,52	
	(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन (c) Money at Call & Short Notice	**–**	**48,16,43**	–	1322,87,52
	जोड़ TOTAL		**48,16,43**		1322,87,52
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		**74,95,09**		1367,35,95

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I. **भारत में निवेश** Investments in India in				
क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित) a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		**38108,94,50**		33104,63,81
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां b) Other approved securities		–		–
ग) शेयर्स c) Shares		**356,80,21**		362,35,78
घ) डिबेंचर्स और बांड d) Debentures and Bonds		**1909,99,18**		1672,82,27
ड़) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश (₹ 231822 की साख सहित, गत वर्ष ₹ 231822) e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹ 231822)		**192,85,53**		160,00,10
च) अन्य f) Others				
i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	**275,88,69**		129,37,00	
ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**2611,48,61**		3125,61,38	
iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**286,50,77**		122,20,32	
iv) पीटीसी PTCs	**–**		–	
v) अन्य Others	**–**	**3173,88,07**	–	3377,18,70
जोड़ TOTAL		**43742,47,49**		38677,00,66
II. **भारत से बाहर निवेश** Investments outside India				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) Govt. Securities (including Local Authorities)		**–**		–
ii) सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		**–**		–
iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other Investment (to be specified)		**–**		–
जोड़ TOTAL		**–**		–
कुल जोड़ (I व II) GRAND TOTAL (I & II)		**43742,47,49**		38677,00,66
III **भारत में सकल निवेश** Investments in India				
i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments		**44282,53,50**		38928,38,50
ii) मूल्य-ह्रास हेतु प्रावधानों का जोड Aggregate of Provisions for Depreciation		**540,06,01**		251,37,84
iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii)		**43742,47,49**		38677,00,66
निवेशों के विवरण Details of Investments:				
i) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		**192,85,53**		160,00,10
ii) अन्य निवेश Other Investments		**43549,61,96**		38517,00,56
जोड़ (i व ii) TOTAL (i & ii)		**43742,47,49**		38677,00,66

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
क A.	i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	534,35,91		552,60,10	
	ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	39857,84,48		42414,49,69	
	iii) मीयादी ऋण Term Loans	45405,07,36		52548,13,20	
	iv) प्राप्य लीज Lease Receivable	–	85797,27,75	–	95515,22,99
	जोड़ TOTAL		85797,27,75		95515,22,99
ख B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	80257,35,70		85954,73,70	
	ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	2,34,71		14,12,34	
	iii) असंरक्षित Unsecured	5537,57,34	85797,27,75	9546,36,95	95515,22,99
	जोड़ TOTAL		85797,27,75		95515,22,99
ग C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	34882,77,74		34883,69,15	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	4723,79,78		5561,36,73	
	iii) बैंक Banks	,56,31		14,91,42	
	iv) अन्य Others	46190,13,92	85797,27,75	55055,25,69	95515,22,99
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
	i) बैंकों से देय Due from banks	–		–	
	ii) अन्यों से देय Due from others	–		–	
	iii) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	–		–	
	iv) संघीय ऋण Syndicated Loans	–		–	
	v) अन्य Others	–	–	–	–
	जोड़ TOTAL (C.I & C.II)		85797,27,75		95515,22,99

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I	**परिसर Premises**				
	1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1562,01,55		1556,74,68	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	–		5,26,88	
	3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	–		–	
		1562,01,55		1562,01,55	
	4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	71,58		–	
		1561,29,97		1562,01,55	
	5 अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	338,79,60	1222,50,37	259,46,04	1302,55,52
II	**प्रक्रियाधीन पंजीगत कार्य Capital Work in progress**		30,07,39		22,05,42

III	अन्य स्थिर आस्तियां (फर्निचर व फिक्स्चर सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	**1116,28,48**		1064,45,45	
	2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	**131,68,99**		75,62,24	
		1247,97,47		1140,07,69	
	3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	**21,52,92**		23,79,21	
		1226,44,55		1116,28,48	
	4 अद्यतन मूल्य-ह्रास Depreciation to date	**962,33,89**	**264,10,65**	854,80,46	261,48,02
	जोड़ TOTAL (I & II)		**1516,68,42**		**1586,08,96**

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
	क a. मूल कंपनी Parent Company	**340,39,03**	–
	ख b. सहायक कंपनी Subsidiaries Company	**–**	–
II	उपचित ब्याज Interest accrued	**937,59,39**	926,58,48
III.	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	**1518,04,65**	1382,25,34
IV.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	**3,70,52**	3,28,34
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**–**	–
VI.	अन्य * Others *(incl RIDF)	**6708,37,81**	4678,53,54
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	**9508,11,40**	6990,65,71

*आस्थगित कर, यदि कोई हो, सहित.
*includes deferred tax if any.

अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2017 (Previous Year)	
I.	बैंक के विरूद्ध दावें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts		**1387,43,77**		1858,23,68
II.	आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		**–**		–
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		**9781,97,60**		12997,65,05
IV.	संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
	(क) भारत में (a) In India	**8837,63,70**		8668,60,91	
	(ख) भारत के बाहर (b) Outside India	**546,63,27**	**9384,26,97**	1635,57,87	10304,18,78
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and obligations		**2705,92,47**		3971,31,98
VI.	अन्य बाध्यताएं जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है. Other items for which Bank is contigently liable		**324,63,40**		197,81,25
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)		**23584,23,91**		29329,20,74

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं.
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Previous Year)	
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		7072,70,61		8469,95,77
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	3069,38,04		2892,04,37	
	घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments	106,95,63	2962,42,41	62,54,95	2829,49,42
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		589,67,93		401,91,29
IV	अन्य Others		471,61,59		360,61,55
	जोड़ TOTAL (I, II, III & IV)		**11096,42,54**		**12061,98,03**

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Current Year)		31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Previous Year)	
I.	कमीशन विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		766,88,79		733,93,07
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	416,08,88		594,55,15	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	7,45,03	408,63,85	13,85,81	580,69,34
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	–		–	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	–	–	–	–
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	3,20,33		1,63,87	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	1,98,51	1,21,82	1,77,42	-13,55
V.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	110,05,09		101,90,75	
	घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	–	110,05,09	2	101,90,73
VI.	भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India		4,10,13		2,46,69
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		215,97,99		89,98,92
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)		**1506,87,67**		1508,85,20

अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	**7132,26,81**	8074,64,38
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	**11,48,75**	11,61,45
III.	अन्य Others	**562,01,83**	800,06,51
	जोड़ TOTAL (I, II & III)	**7705,77,39**	8886,32,34

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2018 (Current Year)	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2017 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	**1618,61,13**	1807,93,73
II.	किराया, कर और बिजली Rent,taxes and lighting	**201,57,35**	197,55,95
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	**18,26,95**	21,83,09
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	**13,39,84**	16,03,17
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास (मूल्य-ह्रास घटाकर पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	**128,59,71**	117,89,66
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	**54,03**	91,78
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	**15,69,96**	16,83,85
VIII	विधि प्रभार Law Charges	**17,87,95**	16,64,91
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**40,65,40**	40,93,06
X	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	**106,66,77**	88,90,54
XI	बीमा Insurance	**134,84,62**	131,70,87
XII	अन्य व्यय Other expenditure	**408,37,47**	399,57,30
	जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI & XII)	**2705,11,18**	2856,77,91

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका भाग)

1. **वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :**

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न समेकित वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यत: अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई'') के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.

1.2 **अनुमान का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है. भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो.

1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है.

1.5 बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2018 के अनुसार बनाये गये हैं.

2. **समेकन के सिद्धांत**

क) **मूल इकाई** : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं.

ख) **संबद्ध इकाई** : लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है.

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कपनी प्रा.लि. (अब मेटको के रुप में निर्दिष्ट)	भारत	पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी	100 %

लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन " के अनुसार इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है.

कंपनी का नाम	देश/आवास	संबंध	मालिकाना हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहायक उद्यम	35 %

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018.)

1. **Basis of Preparation of Financial Statements:**

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.6 The financial statements of the subsidiary and associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2018.

2. **Principles of Consolidation:**

A) **Parent Entity**: The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B) **Related Entity**:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred to as "METCO")	India	Wholly Owned Subsidiary	100%

The following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

ग) **समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव**

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी मदों को लाइन-दर-लाइन आधार पर आपस में जोड़कर समेकित किया गया है. अपनी सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश के दिनांक को, मूल कंपनी के समानुपातिक निवेश की लागत के आधिक्य को साख माना गया है. जबकि इक्विटी में सहायक प्रतिष्ठान के हिस्से के आधिक्य को आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है.

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को इक्विटी पद्धति आधार पर एकत्र किया गया है. सहायक प्रतिष्ठान में बैंक के निवेश की रखाव लागत के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में साख माना गया है.

जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबद्ध किया गया है.

सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है. समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है. तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्वहीन हैं.

3. **विदेशी मुद्रा संव्यवहार:**

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए ''नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) - रायटर द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाजार हेतु चिन्हित किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य आस्तियों'' और हानि के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य देयताओं'' को प्रभारित किया गया है.

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है.

3.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी.

4. **निवेश**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

i. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.

   क. परिपक्वता तक धारित
   ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
   ग. व्यापार के लिए धारित

ii. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म -ए की आवश्यकता के साथ अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गयाहै :

   क. सरकारी प्रतिभूतियां
   ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
   ग. शेयर्स
   घ. डिबेंचर तथा बांड

C) **Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements & its impact**

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the like items of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances/transactions. The excess of the cost of investment to the parent over and above its proportionate share in equity of the subsidiary as on date of investment is recognized as Goodwill. While excess of share in equity of the subsidiary over the cost of investment is credited to Capital Reserve.

The Consolidated financial statements of the bank & its associate have been combined on equity method basis. The excess of carrying cost of bank's investment in associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statements of the subsidiary have been regrouped with that of the parent bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. **Foreign Exchange Transactions:**

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA] - Reuter, i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI

3.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

4. **Investments:**

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

i. Investments are classified in following categories:

   a. Held to maturity
   b. Available for sale
   c. Held for trading

ii. All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

   a. Government Securities
   b. Other approved securities
   c. Shares
   d. Debentures and bonds

ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

iii बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. ''व्यापार हेतु धारित'' से ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है. एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है. ''व्यापार के लिए धारित'' श्रेणी से निवेशों का ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा.

iv. **रेपो/रिवर्स रेपो** :

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है. बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है. लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है.

v. **लागत भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है.**

खंडित अवधि के लिए ब्याज अवधि/ खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री को राजस्व व्यय के रूप में समझा जाएगा.

निवेश की राशि से ब्रोकरेज/ निवेश के समय प्राप्त प्रोत्साहन की कटौती की गई है.

v. **निवेशों का मूल्यन** :

क. परिपक्वता तक धारित :

i परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है. निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है.

ii सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

iii इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ (लागू कर और आनुपातिक सांविधिक आरक्षिति का निवल) को आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है. केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन ''नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ'' (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है. उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपए 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है.

e. Subsidiaries and Joint Ventures

f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc).

iii Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

iv **REPO / Reverse REPO**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

v. **Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.**

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received at the time of investment is deducted from the amount of investment.

v **Valuation of investments**

a. Held to Maturity:

i Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

ii In case of investments in subsidiaries and joint ventures, permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

iii On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit (net of applicable taxes and proportionate statutory reserve) is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to Profit & Loss Account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis. Central/State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break up value ascertained from the latest available balance sheet i.e. balance sheet of immediate preceding year and in case the latest balance sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / Scrip.

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है. म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है. आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है.

बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है.

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है.

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.

ग. **व्यापार हेतु धारित** :

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है। राज्य/ केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन भारतीय स्थिर आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिम्डा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है।

(ii) बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। प्रतिभूति रसीद/ प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।

(iii) निवल समूहवार मूल्यह्रास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश (व्यापार हेतु धारित) पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान को जमा किया गया है। यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात प्रतिभूतियों के बहीमूल्य को बदला नहीं गया है।

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. पुनर्गठित निवेशों पर शामिल निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।

ङ. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि दलाली, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है।

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यांकन :

(क) **हेजिंग स्वैप :** आस्ति और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वैप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है।

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वैप को बाजार को अंकित किया गया है।

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

(क) **हेजिंग स्वैप:** आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है। यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है।

Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

(i) If it results in appreciation, the same is ignored.

(ii) If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

(iii) The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. **Held for Trading:**

(i) The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. Other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

(ii) Investments in discounted instruments, viz. Treasury bills, Certificate of deposits and commercial papers, Zero coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts /PTCs issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

(iii) Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account

d. Classification of provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

f. **Interest Rate Swaps:**

(i) Valuation:

(a) **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) **Trading Swaps:** Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है।

(iii) स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखा:

(क) **हेजिंग स्वैप :** समाप्त हुए स्वैप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है।

(ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है।

5. **अग्रिम:**

5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भाजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है।

5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

5.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष में दर्शाया गया है।

5.4 पुनर्निर्धारित/ पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार पर किया गया है।

5.5 एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार महिने की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान किए जाएंगे।

5.6 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर हुआ है तो अधिशेष बचाकर रखा जाता है और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री के खाते में कमी/ हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर हुआ है, (बकाया घटाएं धारित प्रावधान) तो कमी को लाभ और हानि खाते से नामे किया जाता है। तथापि अगर अधिशेष उपलब्ध है तो इन कमियों को अधिशेष द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। एनपीए की बिक्री के कारण किसीप्रकार की कमी को अधिशेष द्वारा अवशोषित न के जाने पर उसे 2 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री के कारण किए जानेवाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी उलटा जाता है जब प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल/ एसआर/ पीटीसी के प्रतिदान के द्वारा) आस्ति के विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक हो। आस्तियों के एनबीवी से अधिक की नकदी के लिए ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन किया जाएगा।

6. **स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:**

6.1 पुनर्मूल्यांकित और पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबद्ध किया गया है।

6.2 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों, जिनके संबंध में उच्च मूल्यह्रास इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर लगाया जाता है, को छोड़कर स्थिर आस्तियों (नीचे उल्लिखित अनुच्छेद 6.3 और 6.4 में उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर) पर मूल्यह्रास, ह्रासमान शेष पध्दति से नीचे उल्लिखित दरों पर लगाया गया है।

अ.क्र.	आस्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर (%)
1	भवन और परिसर	5.00
2	सेफ सहित सामान्य मदें	18.10
3	इलेक्ट्रिकल उपकरण	13.91
4	ऑफिस मशीनरी	13.91
5	मोटर वाहन	25.89
6	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट	13.91
7	बाईसिकल	20.00

(b) **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

5. **Advances:**

5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.

5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head “Other liabilities and provisions”.

5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made on present value basis as per RBI guidelines.

5.5 In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

5.6 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher then the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

6. **Fixed Assets and Depreciation:**

6.1 Premises and other fixed assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

6.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 6.3 and 6.4 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified below, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

S.N.	Category of Asset	Rate of Depreciation (%)
1	Building & Premises	5.00
2	General items including Safe	18.10
3	Electrical Equipments	13.91
4	Office Machinery	13.91
5	Motor Vehicles	25.89
6	Safe Deposit Vault	13.91
7	Bicycle	20.00

6.3 कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सरल रेखा पध्दति (एसएलएम) से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए। कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं।

6.4 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास लगाया गया है। वर्ष के दौरान बेची गई/ त्यागी गई संपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।

6.5 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की लागत के ऊपर पुनर्मूल्यांकित रकम से संबंधित मूल्यह्रास स्थिर संपत्ति के बचे हुए जीवन के आधार पर ह्रासमान शेष पद्धति के आधार पर लगाया गया है जैसा कि उपरोक्त पैरा 6.2 में उल्लेख किया गया है और उसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में समायोजित किया गया है। पूरी तरह से मूल्यह्रासित संपत्तियों पर पुनर्मूल्यन आरक्षिति का परिशोधन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रमाणित उनके शेष बचे जीवन के आधार पर किया गया है।

6.6 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पध्दति (एसएलएम) पर किया गया है।

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.7 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यह्रास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है. इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं. बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यह्रास का प्रभाव देखते हुए लाभ/हानि की गणना की गई. आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए ह्रासमान शेष पध्दति से मूल्यह्रास लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारण:

7.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबध्द किया गया है :-

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज।

ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचअल फण्ड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड और लॉकर किराया।

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज।

घ. बीमा दावे।

च. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक।

छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क।

ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय।

झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क।

7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है।

8. कर्मचारी अनुलाभ:

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण प्रत्येक तिमाही/ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है। बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया गया है।

9. आस्तियों की क्षति:

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति, के

6.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to rupee one as per RBI guidelines. Computers include software, ATMs and UPS also.

6.4 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold / discarded during the year.

6.5 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the residual life of the fixed assets as stated in para 6.2 and adjusted against the Revaluation Reserve. Revaluation Reserve on fully depreciated properties is amortized on the basis of their residual life as certified by approved valuers.

6.6 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on SLM basis

In case of the subsidiary:

6.7 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

7. Revenue Recognition

7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.

b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business, credit & debit cards issued and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at saving bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of each quarter /financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued assets are recognized in accordance with Accounting Standard

अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 - "प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो। यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी वसूल न हुई हो।

11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, आशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित) और धोखाधड़ी और आकस्मिक व्यय/ अन्य सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

12. आयकर :

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं पर कर दरों में परिवर्तिन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्ति और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि तुलन पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से लागू किए गए हैं।

आस्थगित कर आस्ति का अभिनिर्धारण उस सीमा तक किया है, जब तक कि भविष्य में आस्ति की वसूली होने की उचित निश्चितता है। कराधान कानूनों के तहत असंतुलित अवमूल्यन या आगे की हानि के मामलों में, सभी आस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, जब इस तरह की परिसंपत्तियों की पूर्ति की आभासी निश्चितता साक्ष्य के आधार पर समर्थित होती है। तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख को आस्थगित कर आस्ति की समीक्षा की जाती है और राशि को प्रतिबिंबित करने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाता है जो कि यथोचित/ वास्तविक रूप से निश्चित होना चाहिए।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गयी मांग, ब्याज सहित, का प्रावधान किया गया जब दूसरी अपील (अर्थात आयकर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा) में मांग को उचित ठहराया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाए कर व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित कर व्ययों की राशि का जोड़ हैं।

13. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है।

अवधि के दौरान इक्विटी शेयर जारी करने के लिए यदि प्रतिभूति या अन्य संविदाओं का उपयोग किया जाता है तो प्रति शेयर कम किया गया अर्जन संभावित मन्दन को प्रतिबिंबित करता है जो अर्जन में प्रदर्शित हो सकता है.

28 - “Impairment of Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29 -“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainly that the assets can be realized in future. In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence. Deferred tax assets are reviewed at each balance sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT)

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

13. Earnings Per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) “Earnings Per Share” issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the period.

अनुसूची 18- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

1. निवेश:

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः "परिपक्वता धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "विपणन हेतु धारित" में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है.

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मूल बैंक के संबंध में करों के निवल की रु.20.48 करोड़ की राशि को एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में धारित निवेश के लिए अपेक्षित मूल्यह्रास के कारण निवेश आरक्षित खाते से आहरित किया गया.

पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु.8.12 करोड़ की राशि कर समानुपातिक अंतरण मूल्यह्रास के कारण निवेश आरक्षित खाते से सांविधिक आरक्षित जिसे एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों में निवेश के अंतर्गत रखने के लिए आवश्यक होगा.

2. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

2.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/ लेखाबध्द किया गया है.

2.2. लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तविकता के कारण आय की कतिपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है.

3. अचल संपत्ति

3.1 चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रासित कुल राशि रु.75.75 करोड़ (रु.89.32 करोड़) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का समायोजन पुनमूल्यार्कन आरक्षित खाते के साथ समायोजित की गई.

3.2 4(4) के संबंध में पुनर्मूल्यित संपत्तियों/परिसरों के स्वत्व विलेख जिनकी लागत रू.6.54 करोड (रू.6.54 करोड) है, काफी समय से लंबित विधि विवादों/औपचारिकताओं के कारण बैंक के पक्ष में अभी तक निष्पादित/ पंजीकृत नहीं किए गए हैं.

3.3 प्रगतिधीन पूंजी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है. रु.30.07 करोड़ राशि के प्रगतिधीन पूंजी कार्य में किदवई नगर, नई दिल्ली में भवन का निर्माण शामिल है. यह संपत्ति एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदी गई है और वर्तमान में निर्माणाधीन है तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भुगतान कार्य की पूर्णता की पूर्ण होने के चरण के साथ लिंक है. आस्ति व भुगतान शर्तों की प्रकृति तत्व पर विचार करते हुए उक्त निर्माणाधीन संपत्ति को प्रगतिधीन पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुसार प्रकट किया.

4. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) - "कर्मचारी अनुलाभ" (मूल बैंक)

क. परिभाषित अंशदान योजना :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
क. भविष्य निधि	0.54	0.33
ख. कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि	0.00	0.00

ख. परिभाषित अनुलाभ योजना :

क) **पेंशन योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है. यह निधिगत योजना है.

ख) **उपदान योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है.

ग) **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति संदेय है. यह गैर-निधिगत योजना है.

SCHEDULE 18 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(*Note: Figures in bracket relate to previous year*)

1. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. “Held to Maturity”, “Available for Sale” and “Held for Trading” and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

In respect of Parent Bank, during the current financial year 2017-18, an amount of Rs. 20.48 crore net of taxes has been drawn down from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories.

In the previous FY i.e. 2016-17, amount of Rs. 8.12 crore net of taxes and appropriate transfer to statutory reserve had been drawn down from Investment Reserve on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories

2. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7(i), certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

3. Fixed Assets

3.1 Depreciation for the current year amounting to Rs. 75.75 crore (89.32 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation Reserve account.

3.2 The title deeds in respect of 4 (4) revalued properties / premises having cost of Rs. 6.54 crore (Rs. 6.54 crores) were not yet executed / registered in favour of the Bank due to certain pending / delayed formalities.

3.3 Capital work-in-progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to Rs. 30.07 crore includes construction of building at Kidwai Nagar, New Delhi. This property has been purchased from the NBCC Ltd and currently under construction, and payment to Ministry of Urban Development, GOI, is linked with stage of completion of work. Considering the substance of the nature of asset and payment terms, said under construction property is classified as Capital Work in progress and disclosed accordingly.

4. Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- “Employee Benefits” (Parent Bank)

A. <u>Defined Contribution Plans:</u>

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
a. Provident Fund	0.54	0.33
b. Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency	0.00	0.00

B. <u>Defined Benefit Plans:</u>

a) **Pension Plan-** This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) **Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company’s Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) **Leave Encashment/ Compensated Absences-** This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

I. **परिभाषित अनुलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:**

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	4793.48	4182.24	482.21	483.82	301.62	270.23
2	ब्याज लागत Interest Cost	350.03	290.55	33.74	31.68	21.73	18.21
3	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	92.16	483.13	25.95	40.24	18.52	29.13
4	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00
5	भुगतान किए अनुलाभ Benefits Paid	(375.62)	(349.20)	(90.26)	(93.76)	(40.27)	(37.75)
6	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	430.24	186.76	(19.79)	20.23	(12.44)	21.80
7	परिभाषित अनुलाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	**5290.29**	**4793.48**	**579.71***	**482.21**	**289.16**	**301.62**

*As per IBA guidelines dated 27.04.2018 the Bank is allowed to amortize additional provision on Gratuity due to increase in limit to Rs. 20 Lakhs. Accordingly the Bank has assessed additional liability to the extent of Rs. 147.86 Crore to be amortized over four quarters starting from quarter ended March 2018.

*भारतीय बैंकिंग संघ के दिनांक 27.04.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को रू.20 लाख की सीमा में वृद्धि के कारण उपदान पर परिशोधित अतिरिक्त प्रावधान करने की अनुमति दी गई है. तदनुसार बैंक ने मार्च 2018 को समाप्त तिमाही से लेकर चार तिमाहियों से अधिक के लिए रु.147.86 करोड़ की सीमा तक परिशोधित किए जाने हेतु अतिरिक्त देयता का आकलन किया है.

II. **योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन Change in the Fair Value of Plan Assets:**

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	4769.00	4180.48	466.80	481.86
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	375.80	332.35	41.69	38.79
3	दिया गया अंशदान Contributions made	569.70	595.40	26.00	42.00
4	भुगतान किया गया अनुलाभ Benefits paid	(375.62)	(349.20)	(90.26)	(93.76)
5	बीमांकिक लाभ / हानि Actuarial gains/losses	22.62	9.97	(2.86)	(2.09)
6	योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	**5361.50**	**4769.00**	**441.37**	**466.80**

III. **तुलन पत्र में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Balance Sheet:**

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

क्र. सं. S N	विवरण Particulars	निधिक परिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS						गैरनिधिक परिभाषित लाभ दायित्व UNFUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS	
		पेंशन योजनाएं PENSION PLANS		उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS		कुल TOTAL		छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17	31.03.18	31.03.17
1	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	5290.29	4793.48	579.71	482.21	5870.00	5275.69	289.16	301.62
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(5361.50)	(4769.00)	(441.37)	(466.80)	(5802.87)	(5235.80)	0.00	(0.00)
3	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	(71.21)	24.48	138.34	15.41	67.13	39.89	289.16	301.62
4	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	(71.21)	24.48	138.34	15.41	67.13	39.89	289.16	301.62

IV. **लाभ व हानि खाते में मान्यताप्राप्त राशि Amount recognized in the Profit & Loss Account:**

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. S N	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	चालू सेवा लागत Current Service Cost	92.16	483.13	25.95	40.24	18.52	29.13
2	ब्याज लागत Interest Cost	350.03	290.55	33.74	31.68	21.73	18.22
3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(375.80)	(332.35)	(41.69)	(38.79)	0.00	0.00
4	वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	407.61	176.78	(16.94)	22.32	(12.44)	21.80
5	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00
6	**मान्यता हेतु व्यय Expense to be recognized**	**474.00**	**618.12**	**148.93**	**55.45**	**27.81**	**69.15**
7	वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिलेखन) Additional provision made / (write back) during the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost**	**474.00**	**618.12**	**148.93***	**55.45**	**27.81**	**69.15**

*As per IBA guidelines the Bank is allowed to amortize the additional provision on Gratuity due to increase limit in Gratuity over four quarters; accordingly, the actual expense recognized is Rs. 47.56 Crore.

* भारतीय बैंकिंग संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को चार तिमाहियों पर उपदान सीमा में वृद्धि के कारण उपदान पर परिशोधित अतिरिक्त प्रावधान करने की अनुमति दी गई है. तदनुसार, वास्तविक व्यय रू.47.56 करोड़ निर्धारित किया गया है.

V. **तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet**

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. Sr. No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability	24.48	1.76	15.41	1.96	301.62	270.23
2	मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized	474.00	618.12	148.93	55.45	27.81	69.14
3	अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/Benefits paid	(569.70)	(595.40)	(26.00)	(42.00)	(40.27)	(37.75)
4	**अंतिम निवल देयता Closing Net Liability**	**(71.22)**	**24.48**	**138.34***	**15.41**	**289.16**	**301.62**

*As per IBA guidelines the Bank is allowed to amortize the additional provision on Gratuity due to increase limit in Gratuity over four quarters; accordingly, the actual closing net liability is Rs. 36.97 Crore.

* भारतीय बैंकिंग संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को चार तिमाहियों पर उपदान सीमा में वृद्धि के कारण उपदान पर परिशोधित अतिरिक्त प्रावधान करने की अनुमति दी गई है. तदनुसार, वास्तविक समापन निवल देयता रू.36.97 करोड़ निर्धारित किया गया है.

VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	375.80	332.35	41.69	54.95
2	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets	22.62	9.97	(2.68)	(18.25)
3	**योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets**	**398.42**	**342.32**	**39.01**	**36.70**

VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

अ.क्र. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS		छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	
		31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
1	बट्टा दर Discount rate	7.60%	7.25%	7.72%	7.25%	7.72%	7.25%
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets	7.88%	7.95%	8.93%	8.05%	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
3	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%

ग. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ :

(रू.करोड में)

अ.क्र.	विवरण	लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त	
		31.03.2018	31.03.2017
1	पुनर्वास भत्ता	0.10	0.15
2	छुट्टी किराया रियायत	11.68	43.91
3	रजत जयंती अवार्ड	(0.12)	0.09
	कुल	**11.66**	**44.15**

C. Other Long Term Benefits:

(Rs. in Crores)

Sr No	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account	
		31.03.2018	31.03.2017
1	Resettlement Allowance	0.10	0.15
2	Leave Fare Concession	11.68	43.91
3	Silver Jubilee Award	(0.12)	0.09
	Total	**11.66**	**44.15**

5. समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crores)

व्यवसाय खंड Business Segments	खजाना Treasury		निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other bankin Operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व Revenue	4205.45	4079.07	3664.35	5147.54	4229.37	3992.21	536.99	367.97	12636.16	13586.79
परिणाम Result	1342.42	1317.49	(3946.29)	(2617.02)	(838.02)	(897.12)	209.88	70.21	(3231.91)	(2126.44)
अनाबंटित खर्च Unallocated expenses									0.00	0.00
परिचालनगत लाभ Operating profit									(3231.91)	(2126.44)
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									(2119.89)	(770.35)
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	-	-
निवल लाभ Net profit									(1112.02)	(1356.09)
अन्य जानकारी Other Information:										
खंड आस्तियां Segment assets	52772.29	48024.30	51366.48	58617.74	36761.07	39219.77	11414.08	11519.17	152313.92	157380.98
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									4134.64	2030.08
कुल आस्तियां Total assets									**156448.56**	**159411.06**
खंड देयताएं Segment liabilities	52086.15	47378.24	50086.37	55545.34	35708.42	36979.63	8500.64	12038.92	146381.59	151942.14
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									0.00	0.00
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									10066.97	7468.92
कुल देयताएं Total liabilities									**156448.56**	**159411.06**

क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है.

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है.

ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां

i. कुल वार्षिक औसत आवर्त रु.50.00 करोड़ से कम है, और

ii. किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और

iii. एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार रु.5.00 करोड़ तक है.

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है.

ड) गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुषंगी कंपनी के व्यवसाय प्रचालन को अन्य बैंकिंग संव्यवहारों में शामिल किया गया है.

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है.

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.

b) Corporate/ Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

i. Total average annual turnover is less than Rs. 50.00 Crores and

ii. No aggregate exposure to one counterpart exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5.00 crores.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e) Business operations of subsidiary company is included in other banking operation on account of materiality.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

6. **लेखा मानक 18- संबद्ध पक्ष प्रकटन:**

इस संबंध में ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

क. बैंक की अनुषंगी कंपनी - दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ख. बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

ग. **महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -**

1) श्री रविंद्र मराठे, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (26.09.2016 से आज दिनांक तक)

2) श्री आर. के. गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (31.12.2013 से आज दिनांक तक)

3) श्री ए. सी. राउत, कार्यपालक निदेशक (31.03.2017 से आज दिनांक तक)

(ख) संबंधित पक्षों से संव्यवहार

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.18	31.03.17
वेतन व भत्ते (अनुलाभ सहित)	0.74	0.67
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी को ऋण एवं अग्रिम	0.22	0.43
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों की जमाराशि	0.36	1.35
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा जमा संग्रहण	0.03	0.00
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी को प्रदत्त ब्याज	0.03	0.02
महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी से प्राप्त ब्याज	0.05	0.05

मूल बैंक की अनुषंगी और सहायक इकाईयों के साथ संव्यवहारों को संबंधित पक्ष प्रकटन लेखा मानक-18 के परिच्छेद क्र.9 को ध्यान में रखते हुए प्रकट नहीं किया गया है जिससे राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित संबंधित पार्टी के साथ उनके संव्यवहारों के संबंधित किसी प्रकार के प्रकटन से छूट मिलती है.

7. **लेखा मानक 19 - पट्टा**

वित्तीय पट्टा :

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है. ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टे की शुरुआत में पट्टे के भुगतान द्वारा, जो भी कम हो, पूँजीकृत किया जाता है.

परिचालन लीजेज :

पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है. परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि रू.138.51 करोड़ (पिछले वर्ष रू.131.95 करोड़) है.

8. **लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय**

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय	रु. (8.72)	रु. (11.61)
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (रु. लाख में)	(111202.80)	(135609.12)
ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	12754	11683.34
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	रु. (8.72)	रु. (11.61)
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	रु. 10.00	रु. 10.00

6. **Accounting Standard 18 – Related party disclosures:**

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank – The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

(c) **Key Management Personnel-**

1) Shri Ravindra Marathe, Managing Director and CEO (from 26.09.2016 to till date)

2) Shri R. K. Gupta, Executive Director (from 31.12.2013 to till date)

3) Shri A. C. Rout, Executive Director (from 31.03.2017 to till date)

(B) Transactions with Related parties

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.18	31.03.17
Salary & Allowances (including perquisites)	0.74	0.67
Loans & Advances to Key Management Personnel	0.22	0.43
Deposits of Key Management Personnel	0.36	1.35
Placement of Deposits by Key Management Personnel	0.03	0.00
Interest paid to Key Management Personnel	0.03	0.02
Interest received from Key Management Personnel	0.05	0.05

The transactions with the subsidiary and associate of the parent bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS- 18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

7. **Accounting Standard 19 - Leases**

Finance Leases:

Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or lease payments at the inception of the lease, whichever is lower.

Operating Leases:

Lease payments under operating leases are recognized as an expense as and when incurred in the statement of Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases is Rs. 138.51 crore (Previous year Rs. 131.95 crore)

8. **Accounting Standard 20- Earning per Share**

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Basic / Diluted E.P.S.	Rs. (8.72)	Rs. (11.61)
Calculation of Basic /Diluted EPS.		
a) Net Profit after Tax and dividend on preference shares (Rs in lakhs)	(111202.80)	(135609.12)
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	12754	11683.34
c) Basic Earnings per share (a) divided by (b)	Rs. (8.72)	Rs. (11.61)
d) Nominal Value per Share	Rs. 10.00	Rs. 10.00

9. **समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा मानक (एएस-21)**

सहायक इकाई अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के परिणामों का मूल बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के साथ क्रमश: लेखा मानक 23 तथा लेखा मानक 21 के अनुपालन में समेकन किया गया है और यह समेकन ऐसी सहायक कंपनी की अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है.

10. **लेखा मानक - 22 - आय पर करों का लेखा** :

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों का अभिनिर्धारण किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
आस्थगित कर आस्तियां		
1) संचित हानि के कारण	1152.96	0.00
2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण	259.06	144.58
3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है	1537.69*	868.73
कुल	**2949.71**	**1013.31**
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	171.68	171.68
2) निवेश में ह्रास के कारण	161.08	161.08
3) अचल संपत्तियों के मूल्य-ह्रास के कारण	0.00	3.29
4) अन्य प्रावधान जहाँ डीटीए बनाया गया है	0.00	28.84
उप-जोड़ (बी)	**332.76**	**364.89**
निवल आस्थगित कर आस्तियां (ए-बी)	**2616.95**	**648.42**

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने रु.1152.96 करोड़ की संचयी हानि के कारण सहित रु.1968.65 करोड़ के आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण किया है.

11. **लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन**

आंतरिक रूप से निर्मित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त :

उपयोगी अवधि — 3 वर्ष

परिशोधन दर — 33.33%

परिशोधन पद्धति — लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	17.82	33.70
वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर	58.23	9.64
वर्ष के दौरान परिशोधन	38.95	25.52
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	37.10	17.82

नोट- सॉफ्टवेयर के पिछले साल के आंकड़ों को सही संतुलन पर पहुंचाने के लिए पुनर्मूल्यांकित किया गया और सुधारा गया है.

12. **आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक - 28):**

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई हैं, इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

9. **Accounting Standard on Consolidated Financial Statements (AS – 21)**

The results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank has been consolidated with the parent bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

10. **Accounting for Taxes on Income (AS-22):**

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Deferred Tax Assets		
1) On account of Accumulated Losses	1152.96	0.00
1) On account of provisions for Employees benefits	259.06	144.58
2) Other Provisions where DTA is created	1537.69*	868.73
Total	**2949.71**	**1013.31**
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	171.68	171.68
2) On account of Depreciation on Investment	161.08	161.08
3) On account of Depreciation on Fixed Assets	0.00	3.29
4) Other Provisions where DTL is created	0.00	28.84
Sub-Total (B)	**332.76**	**364.89**
Net Deferred Tax Asset (A-B)	**2616.95**	**648.42**

Based on the thorough review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized and accordingly during the year 2017-18, the bank has recognized deferred tax assets of Rs. 1968.65 crore including on account of accumulated losses of Rs. 1152.96 crore

11. **Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets.**

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.

Amortization Rate - 33.33 %

Amortization Method - Straight line at cost

(Rs. In Crores)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Software at the beginning of the year	17.82	33.70
Software acquired during the year	58.23	9.64
Amortization during the year	38.95	25.52
Net carrying amount at the end of the year	37.10	17.82

Note: Previous Year figures of software have been regrouped and rectified to arrive at the correct balance

12. **Impairment of Assets (AS-28):**

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets during current financial year and as such no provision is required as per AS-28.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29)

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

14. अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समायोजन/समाधान/समापन का कार्य प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य प्रगति पर है. राजस्व पर इनके प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामूलीहै .

15. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख "खातों पर टिप्पणियां" के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में किया गया है.

16. ऋण एवं अग्रिमों में धोखाधड़ी के मामलों का प्रावधान:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को जालसाजी की पहचान के दिनांक से आरंभ करके 4 तिमाहियों में जालसाजी के मामलों के प्रति प्रावधान का परिशोधन करने की अनुमति है और जहां प्रावधान दो अलग अलग वित्तीय वर्षों में किए गए हों वहां प्रावधान न की गई राशि संबंधित वर्ष की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 18.04.2016 के परिपत्र क्र. डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 द्वारा राजस्व आरक्षिती को प्रभारित की जानी है.

13. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

14. Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

15. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under "Notes on Accounts" as given in the standalone financial statements of the bank, its subsidiary and the associate.

16. Provision for fraud cases in loans and advances:

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortize the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(रु. करोड़ में) (Rs. in crores)

31.03.2018 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या) Up to the year ended 31.03.2018 (No. of Cases)	31.03.2018 को समाप्त तिमाही के दौरान (मामलों की संख्या During the quarter ended 31.03.2018 (No. of Cases)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष तक (राशि) Up to the year ended 31.03.2018 (Amount)	31.03.2018 को समाप्त तिमाही के दौरान (राशि) During the quarter ending 31.03.2018 (Amount)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of provision made during the year ended 31.03.2018 (Amount)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष को राजस्व आरक्षित को नामे डाली गई परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि) Quantum of amortised provision debited to "Revenue Reserves" as at the year ended 31.03.2018 (Amount)
4085	102	2963.00	770.22	770.22	Nil

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने वर्ष में पाई गई धोखाधड़ी के संबंध में रू.967.04 करोड़ (रु.303.76 करोड़) का पूर्ण प्रावधान किया है और वर्ष 2017-18 के दौरान पाई गई धोखाधडियों के लिए कोई अपरिशोधित प्रावधान नहीं है.

17. जहां कहीं आवश्यक हुआ, गत वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहबद्ध/ पुन:वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयोग्य बनाया जा सके.

During the year 2017-18, the bank has made full provision for the frauds of Rs. 967.04 (Rs. 303.76) crores detected during the year and there is no un-amortise provision for frauds detected during 2017-18

17. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(रू. हजार में) (Rs. in thousands)

विवरण Particulars		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018		31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
A. Cash Flow From Operating Activities:					
आय Income					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.		11096,42,54		12061,98,03	
अन्य आय Other Income		1539,73,10	**12636,15,64**	1524,81,30	**13586,79,33**
घटाएं:व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions					
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings		7705,77,39		8886,32,34	
परिचालन व्यय Operating Expenses		2705,11,18		2856,77,91	
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		3337,29,87	**13748,18,44**	3199,78,20	**14942,88,45**
व्यय के ऊपर आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses			**-1112,02,80**		**-1356,09,12**
जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		3337,29,87		3199,78,20	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets		128,59,71		117,89,66	
आय का हिस्सा / सहयोगी संस्था में हानि Share of Earnings/Loss in associates		-32,85,43		-15,96,10	
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets		-1,21,82		13,55	
राजस्व आरक्षिति निधि में वृद्धि Addition to reserve reserve				54,21,28	
बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		461,78,29	**3893,60,62**	502,49,08	**3858,55,67**
			2781,57,82		**2502,46,55**
घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)			**225,22,32**		**508,35,15**
परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations	**(I)**		**2556,35,50**		**1994,11,40**
परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:					
जमाराशियां Deposits		-73,59,09		60,20,93	
बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings		-2147,93,73		-1216,45,08	
अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision		-4451,35,79		-2695,08,30	
परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities		**-6672,88,61**		**-3851,32,45**	
घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments		5032,61,40		2359,31,24	
अग्रिम Advances		-9717,95,24		-12047,44,07	
अन्य आस्तियां Other Assets		2292,23,41		332,61,71	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets		**-2393,10,43**		**-9355,51,12**	
परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets	**(II)**		**-4279,78,18**		**5504,18,67**
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities	**(क (A) = I+II)**		**-1723,42,68**		**7498,30,07**
ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B. Cash Flow From Investing Activities					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets		5,26,80		4,00,80	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets		-139,70,96		-102,94,54	
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates		–		–	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities	**(ख) (B)**		**-134,44,16**		**-98,93,74**

(रू. हजार में) (Rs. in thousands)

	विवरण Particulars		31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2017
ग C.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Financing Activities:**			
i)	बांडों को जारी /(मोचन) करना Issue/ (Redemption) of Bonds		-1925,00,00	125,00,00
ii)	ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS		-	-
iii)	लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		-	-
iv)	बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI		-461,78,29	-502,49,08
v)	ईक्विटी शेयरों को जारी करना/(शेयर आवेदन राशि) Issue of Equity Shares /(Share Apllication Money)		3486,58,43	300,00,00
	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		**1099,80,14**	**-77,49,08**
	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**(क+ख+ग) (A+B+C)**	**-758,06,70**	**7321,87,25**

Note : जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित और पुन:वर्गीकृत किया गया है। Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

ब्योरे Particulars	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2017
द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By-		
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	**15274 ,72 ,19**	8382 ,28 ,75
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at Call & Short notice	**1367 ,35 ,95**	937 ,92 ,14
	16642 ,08 ,14	**9320 ,20 ,89**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	**15809 ,06 ,35**	15274 ,72 ,19
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन Balance with banks & money at call & Short notice	**74 ,95 ,09**	1367 ,35 ,95
	15884 ,01 ,44	**16642 ,08 ,14**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year	**-758 ,06 ,70**	**7321 ,87 ,25**

प्रदीप मिश्रा
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
PRADEEP MISHRA
Asst. Gen Manager, FM&A

संजय रूद्र
उप महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
SANJAY RUDRA
Dy. Gen. Manager, FM&A

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक, वि.प्र. व लेखा
V. P. SRIVASTAVA
Gen. Manager, FM&A

ए. सी. राउत
कार्यपालक निदेशक
A.C. ROUT
Executive Director

आर. के. गुप्ता
कार्यपालक निदेशक
R. K. GUPTA
Executive Director

आर. पी. मराठे
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
R.P. MARATHE
Managing Director & CEO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते कोठारी एंड कंपनी
एफ़आरएन - 301178 ई
सनदी लेखाकार
for KOTHARI & Co
FRN - 301178E
Chartered Accountants

सीए अमिताव कोठारी
भागीदार
सदस्यता क्र.: 016639
CA Amitav Kothari
Parther
Membership No: 016639

कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी
एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068
सनदी लेखाकार
for CMRS & Associates,LLP
FRN: 101678 W/W100068
Chartered Accountants

सीए महेश्वर एम. मराठे
भागीदार
सदस्यता क्र.: 212175
CA Maheshwar M. Marathe
Parther
Membership No. 212175

कृते पी पारिख एंड एसोसिएट्स
एफ़आरएन - 107564डब्ल्यू
सनदी लेखाकार
for P Parikh & Associates
FRN - 107564W
Chartered Accountants

सीए अशोक बी. राजागिरि
भागीदार
सदस्यता क्र.: 046070
CA Ashok B. Rajagiri
Parther
Membership No. 046070

कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी
एफ़आरएन: 005301एन
सनदी लेखाकार
for M D Gujrati & Co
FRN: 005301N
Chartered Accountants

सीए मनोहर दास गुजराती
भागीदार
सदस्यता क्र.: 081552
CA Manohar Das Gujrati
Parther
Membership No. 081552

स्थान : पुणे
दिनांक : 04 मई, 2018

Place : Pune
Date : 04th May, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट

प्रति,

निदेशक मंडल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जिसमें 31 मार्च 2018 का समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता तथा समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है।

   इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है : क) 4(चार) संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित बैंक के लेखा परीक्षित खाते जो 31.03.2018 को रु.156328.75 करोड़ की कुल आस्तियां, रु.12602.46 करोड़ का कुल राजस्व, रु.1145.65 करोड़ की हानि और समाप्त वर्ष के लिए रु.(758.06) करोड़ की राशि का निवल नकद अंतर्वाह प्रदर्शित करते हैं। साथ ही, एक सहायक कंपनी के लेखा परीक्षित खाते तथा एक सहयोगी संस्था के गैर-लेखा परीक्षित खाते जिनके वित्तीय विवरण 31.03.2018 को कुल आस्तियों में रु.156448.56 करोड़ का समूह का हिस्सा, कुल राजस्व में रु.12636.16 करोड़ का समूह का अंश तथा निवल नकद अंतर्वाह में रु.(758.07) करोड़ की राशि का समूह का हिस्सा प्रदर्शित करते हैं। समूह की इकाईयों जिनके वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों शामिल है अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणियों में सूचीबद्ध है जो समूह के समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।

2. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च 2018 को रु.1564.12 लाख के कुल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु रु.76.58 लाख का निवल लाभ दर्शाया गया है। साथ ही सहायक प्रतिष्ठानों की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में मान्य किया है, समूह के लाभ कि हिस्से को रु.3285.43 लाख बताया गया है। यह वित्तीय विवरण हमें प्रस्तुत किए गए और इस सहायक कंपनी तथा सहयोगी संस्था से संबंधित राशियों को शामिल करने के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है।

3. **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी** : इन वित्तीय विवरणों के परिचालन के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है जो भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'एएस 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्था में निवेश के लिए लेखांकन' तथा 'लेखांकन मानक (एएस) 21 - समेकित वित्तीय विवरण' की आवश्यकताओं के अनुसरण में बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत समूह के वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का ढांचा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कि धोखाधड़ी अथवा गलती से महत्वपूर्ण विवरणों में होनेवाली चूक से मुक्त रहते हैं।

4. **लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी** : हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा करते हैं। इन मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा का निष्पादन करना होता है ताकि उचित रूप से यह आश्वासन किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण बयानी में गलती से मुक्त हैं या नहीं।

5. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है। जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथन के जोखिम का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है। ये जोखिम

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The Board of Directors of Bank of Maharashtra,

Report on Consolidated Financial Statements.

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra, its subsidiary and an associate (the Group), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2018, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

   Incorporated in these consolidated financial statements are the: (a) audited accounts of the bank audited by 4(Four) Joint Auditors which reflect total assets of Rs. 156328.75 crore as at 31st March 2018, total revenue of Rs. 12602.46 crore, loss of Rs.1145.65 crore and net cash inflows amounting to Rs. (758.06) crore for the year ended; audited accounts of one subsidiary, & unaudited accounts of one associate whose financial statements reflects the group's share in total assets of Rs.156448.56 crore as at 31st March 2018, the group's share in the total revenue of Rs. 12636.16 crore, the group's share in net cash inflows amounting to Rs. (758.07) crore. The entities of the group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 17- Significant Accounting Policies and Notes on Accounts – which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group.

2. We did not audit the financial statements of subsidiary whose financial statement reflect total asset of Rs. 1564.12 lacs as on 31st March 2018, and net profit of Rs.76.58 lacs for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of Rs. 3285.43 lacs for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial statements have been furnished to us and our opinion is so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate is based solely on the reports of the other auditors.

3. **Management's Responsibility for the Financial Statements:** The Management of the bank is responsible for the operation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the bank in accordance with the requirements of the 'Accounting Standard (AS) 21 – Consolidated Financial Statements' and 'AS – 23 Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements of the Group that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

4. **Auditors' Responsibility:** Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the

मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए हैं किंतु इस उद्देश्य के लिए नहीं कि संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपनी राय दे। उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य, हमें दिए गए स्पष्टीकरण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं।

6. हमारी राय में बैंक की खाता बहियों में दर्शाए अनुसार तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में सत्य और स्पष्ट चित्र प्रदान करते हैं :

क) 31 मार्च, 2018 को समूह के व्यवहारों के मामले के समेकित तुलनपत्र की स्थिति में

ख) उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु समूह के समेकित हानि के समेकित लाभ व हानि खाते के मामले में और

ग) उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु समूह के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में

7. **मामले का महत्व:**

रू. 1152.96 करोड़ की राशि की संचयी हानियों के कारण आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता के संबंध में वित्तीय विवरणों हेतु खातों पर टिप्पणियों की अनुसूची 18 में नोट क्रमांक 10.11

financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the explanation given to us.

6. In our opinion, as shown by books by bank, and to the best of our information and according to the explanation given to us, the attached financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) In the case of the Consolidated Balance Sheet of the state of the affairs of the Group as at 31st March 2018.

b) In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the Consolidated Loss of the Group for the year ended on that date; and

c) In the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

7. **Emphasis of Matter:**

Note number 10.11 in Schedule 18 of Notes to Accounts to the Financial Statements regarding recognition of Deferred Tax Assets on account of accumulated losses amounting to Rs. 1152.96 crore.

कृते कोठारी एंड कंपनी एफआरएन - 301178 ई सनदी लेखाकार **for KOTHARI & Co** FRN - 301178E Chartered Accountants	**कृते सीएमआरएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी** एफआरएन: 101678 डब्ल्यू/डब्ल्यू 100068 सनदी लेखाकार **for CMRS & Associates,LLP** FRN: 101678 W/W100068 Chartered Accountants	**कृते पी पारिख एंड एसोसिएट्स** एफआरएन - 107564डब्ल्यू सनदी लेखाकार **for P Parikh & Associates** FRN - 107564W Chartered Accountants	**कृते एम डी गुजराती एंड कंपनी** एफआरएन: 005301एन सनदी लेखाकार **for M D Gujrati & Co** FRN: 005301N Chartered Accountants
सीए अमिताव कोठारी भागीदार सदस्यता क्र.: 016639 **CA Amitav Kothari** Parther Membership No: 016639	**सीए महेश्वर एम. मराठे** भागीदार सदस्यता क्र.: 212175 **CA Maheshwar M. Marathe** Parther Membership No. 212175	**सीए अशोक बी. राजागिरि** भागीदार सदस्यता क्र.: 046070 **CA Ashok B. Rajagiri** Parther Membership No. 046070	**सीए मनोहर दास गुजराती** भागीदार सदस्यता क्र.: 081552 **CA Manohar Das Gujrati** Parther Membership No. 081552

स्थान : पुणे
दिनांक : 04 मई, 2018

Place : Pune
Date : 04th May, 2018

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2017-18

खंड क : कंपनी संबंधित सामान्य जानकारी

1	कंपनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2	कंपनी का नाम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
3	पंजीकृत पता	लोकमंगल, ''1501'', शिवाजीनगर, पुणे - 411005
4	वेबसाइट	www.bankofmaharashtra.in
5	ई-मेल आईडी	gmrespln@mahabank.co.in
6	वित्तीय वर्ष	2017-18
7	जिस सेक्टर से कंपनी संबंधित है (औद्योगिक गतिविधि कोडवार)	''बैंकिंग और वित्त''
8	कंपनी द्वारा उत्पादित/ प्रदान की गई तीन मुख्य उत्पादों/ सेवाओं की सूची (तुलनपत्र के अनुसार)	जमाराशियाँ और ऋण उत्पाद तथा विप्रेषण इत्यादि
9	कंपनी द्वारा व्यवसाय किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या	1846
क	विदेश में शाखाओं की संख्या	शून्य
ख	देश के अंदर शाखाओं की संख्या	31.03.2018 को बैंक के 30 अंचल कार्यालय और 1864 एटीएम हैं।
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाजार - स्थानीय/ राज्य/ देश/ विदेश	राष्ट्रीय

खंड ख : कंपनी की वित्तीय जानकारी

1	प्रदत्त पूंजी (रुपये में)	₹ 2598.45 करोड़
2	कुल व्यवसाय (रुपये में)	₹ 233626.38 करोड़
3	निवल हानि (रुपये में)	₹ 1145.63 करोड़
4	कर (%) देने के बाद लाभ के प्रतिशत का कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	शून्य (चूंकि बैंक ने वर्ष 2017-18 में हमारे बैंक द्वारा हानि को पूरा कर लिया)। यद्यपि बैंक द्वारा समुदाय विकास परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।
5	उपरोक्त चारों के लिए किए गए व्यय की गतिविधियों की सूची	शून्य

खंड ग : अन्य विवरण

1	**क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां हैं?**
क	**अनुषंगी**
	बैंक के पास 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी है अर्थात दि महाराष्ट्र एक्जेक्युटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ख	**सहयोगी :**
	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में बैंक का 35% स्वामित्व है जिसका प्रधान कार्यालय औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है।
2	क्या अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां अपने मूल कंपनी के बीआर पहलों में सहभाग लेती हैं? अगर हां, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी(यों) की संख्या इंगित करें।
	नहीं
3	क्या कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाली कोई इकाई/ इकाईयों (उदाहरण आपूर्तिकर्ता वितरक इत्यादि) कंपनी के बीआर पहल में सहभाग लेती है? अगर हां, तो ऐसी इकाई/ इकाईयों का प्रतिशत इंगित करें। (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)
	नहीं

Business Responsibility Report 2017-18

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	NOT APPLICABLE
2	Name of the Company	Bank of Maharashtra
3	Registered address	Lokmangal, "1501", Shivajinagar, Pune - 411005
4	Website	www.bankofmaharashtra.in
5	E-mail id	gmrespln@mahabank.co.in
6	Financial Year reported	2017-18
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	"Banking and Finance"
8	List three key products/ services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	Deposits and Loan products and Remittances etc.
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company	1846
a	Number of International Locations	NIL
b	Number of National Locations	Bank has 30 Zonal Offices and 1864 ATM's as on 31.03.2018
10	Markets served by the Company – Local/State/ National/International	National

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1	Paid up Capital (INR)	₹ 2598.45 Crore
2	Total Business (INR	₹ 233626.38 Crore
3	Net Loss (INR)	₹ 1145.63 Crore
4	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	NIL (As Loss met by Bank in 2017-2018). However, Bank has sponsored Community Development Project.
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred	NIL

SECTION C: OTHER DETAILS

1	**Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies**
A	**Subsidiaries**
	Bank has one subsidiary viz The Maharashtra Executor and Trustee Company Private Limited with 100% ownership
B	**Associates:**
	Bank has 35 % ownership in Maharashtra Gramin Bank with its Head Office at Aurangabad, Maharashtra.
2	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)
	No
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]
	No

खंड घ : बी आर विवरण

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/ निदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/ निदेशकों का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरे		विवरण
1	डीआईएन संख्या	:	06831177
2	नाम	:	श्री आर. के. गुप्ता
3	पदनाम	:	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरे		विवरण
1	डीआईएन संख्या	:	लागू नहीं
2	नाम	:	श्री एम. जी. महाबलेश्वरकर
3	पदनाम	:	महाप्रबंधक
4	दूरभाष संख्या	:	020-25614216
5	ई-मेल आईडी	:	gmrespln@mahabank.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/ नीतियाँ (हां/ नहीं में उत्तर)

क्र. सं	प्रश्न	पी1 नैतिक व्यवसाय	पी 2 उत्पाद	पी 3 कर्मचारी	पी 4 हितधारक	पी 5 मानवाधिकार	पी 6 पर्यावरण	पी 7 लोक नीति	पी 8 सीएसआर	पी 9 ग्राहक सेवाएं
1	क्या आपके पास ---- के लिए नीति/ नीतियां हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के साथ विमर्श कर नीति तैयार की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति को किसी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मान्यता प्राप्त है? अगर हां, तो स्पष्ट करें? (50 शब्दों में)*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? अगर हां, तो क्या एमडी/ मालिक/ सीईओ/ बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कंपनी के पास बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारियों की निर्दिष्ट समिति हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक इंगित करें।	www.bankofmaharashtra.in								
7	क्या नीति की औपचारिक जानकारी सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों को दी गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कार्यान्वयन हेतु कंपनी के पास आंतरिक सख्त कानून है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी के पास शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी अपनी नीति के कार्यान्वयन का आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाती है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a) Details of the Director/Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

S. No.	Particulars		Details
1	DIN No.	:	06831177
2	Name	:	Shri R.K. GUPTA
3	Designation	:	Executive Director

b) Details of the BR Head

S. No.	Particulars		Details
1	DIN No.	:	N. A.
2	Name	:	Shri M.G.Mahabaleshwarkar
3	Designation	:	General Manager
4	Telephone number	:	020-25614216
5	E-mail id	:	gmrespln@mahabank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

S. No.	Questions	P1 Ethical Bus.	P2 Prod-ucts	P3 Em-ploy-ees	P4 Stake-hold-ers	P5 Hu-man Rights	P6 Envi-ron-ment	P7 Public Policy	P8 CSR	P9 Cus-tomer Svs
1	Do you have policy/policies for....?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national/international standards? If yes, specify? (50 words)*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/owner/CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.bankofmaharashtra.in								
7	Has the policy been formally communicate to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house stricter to implement	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have a grievances redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/evaluative of the working of this policy by an internal or external agency?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2क. अगर क्रम संख्या 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया उसका कारण बताएं: (2 विकल्पों तक टिक करें)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।	लागू नहीं								
2	कंपनी निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीति निर्माण और कार्यान्वयन की स्थिति में नहीं है									
3	कार्य के लिए कंपनी के पास वित्तीय या मानव बल संसाधन नहीं है									
4	अगले 6 महीनों के भीतर इसे संपन्न करने की योजना है									
5	अगले 1 वर्ष के भीतर इसे संपन्न करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. बीआर से संबंधित प्रशासन

❖ **कंपनी के बीआर प्रदर्शन के आंकलन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ की बारंबारता इंगित करें। 3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।**

वार्षिक

❖ **क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? इसे देखने के लिए हाइपरलिंक की जानकारी दें?**

हां. यह http://www.bankofmahrashtra.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

खंड च: सिद्धांत-वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1: व्यवसायों द्वारा स्वयं को नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संचालित और नियंत्रित करना चाहिए।

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है? हां/ नहीं। क्या वे समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करते हैं?

हां, यह बैंक को कवर करती है और अखंडता संधि को अपनाकर समूह/ संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार (सीमा-रेखा से अधिक) को भी कवर करती है।

बैंक के पास स्टाफ उत्तरदायित्व और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति पर नीतियां हैं।

यद्यपि प्रचलन में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, पारदर्शिता और नैतिकता को बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी सेवा विनियमावली और द्विपक्षीय समझौता के अंतर्गत कवर किया जाता है।

भ्रष्टाचार, कदाचार, गबन और निधियों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए बैंक के पास सतर्कता संबंधी प्रणाली है -

1. अधिकारियों द्वारा एपीआर का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण
2. संदिग्ध निष्ठा के अधिकारियों की सहमत सूची तैयार करना
3. कार्मिकों का रोटेशन
4. तकनीक का लाभ
5. कार्मिक खातों की जांच
6. नियमित/ आकस्मिक/ संगामी लेखा परीक्षा/ निरीक्षण
7. शीघ्र दंडात्मक कार्रवाई
8. अखंडता संधि
9. विसिल ब्लोअर पोर्टल

2a. If answer to S.No. 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles	NA								
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. Governance related to BR

❖ **Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year.**

Annually

❖ **Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this?**

Yes. It is available on the website http://www.bankofmaharashtra.in.

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/ NGOs /Others?

Yes, it covers the Bank and is extended to the group/suppliers/ contractors (above threshold limit) by adoption of the Integrity Pact.

Bank is having policy on Staff accountability & Fraud Risk Management Policy

Though there is no specific policy in vogue, the transparency and ethics are covered under Bank of Maharashtra Officers Service Regulations & Bi-Partite Settlement.

Bank has system in place regarding vigilance to check corruption, malpractices, embezzlements and misappropriation of funds through-

1. Online submission of APR by officers
2. Preparation of Agreed List of Officers of Doubtful Integrity
3. Rotation of Staff
4. Leveraging of Technology
5. Scrutiny of Staff Accounts
6. Regular/Surprise/Concurrent Audit/Inspections
7. Prompt punitive action
8. Integrity Pact
9. Whistle Blower portal

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया? अगर ऐसा है तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

   बैंक को अपने शेयरधारकों से 187 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से सभी शिकायतों का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया।

सिद्धांत 2: व्यवसायों द्वारा उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो सुरक्षित हो और अपने जीवनचक्र में सतत अच्छी सेवाएं प्रदान करे।

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रदान करें जो सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिम और/ या अवसर के लिए तैयार किए गए हैं।**

   मुद्रा ऋण : प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत बैंक उत्पादन, व्यवसाय और सेवा में संलग्न गैर-कृषि उद्यमों जिनकी ऋण आवश्यकता ₹ 10.00 लाख से कम हो पर विशेष ध्यान दे रहा है।

   स्व सहायता समूह को लघु वित्त : बैंक ने हमेशा से ही ग्रामीण और शहरी गरीबों के आर्थिक विकास के लिए ऋण के महत्व को समझा है। वह स्व सहायता समूहों, महिला स्व सहायता समूह और विशेष तौर पर उनकी वित्तीय सुरक्षा, जागरूकता बढ़ाने और समुदाय के संपूर्ण विकास के लिए वित्त प्रदान कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट द्वारा गठित एनजीओ ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) इनका गठन करने, पोषण, प्रशिक्षण और स्व सहायता समूह के साथ बैंक ऋण लिंक सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

   कृषक साथी योजना : साहूकारों से राहत के लिए योजना। यह योजना गैर-संस्थागत उधारदाताओं के पास कर्जदार किसानों पर लागू है। कुल ऋण राशि ₹ 50000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

   महाबैंक किसान तत्काल योजना : कृषक समुदाय के लिए तत्काल ऋण ताकि वे अस्थायी कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए कृषि और घरेलू उद्देश्य की आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। न्यूनतम सीमा ₹ 5000/- अधिकतम सीमा ₹ 50000/-

   एमसेटी : बैंक ने ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को लघु व्यवसाय उद्यमों द्वारा स्व रोजगार के लिए कौशल प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु सात महाबैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एमसेटी) स्थापित किए हैं। संस्थान के केन्द्र पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे और नाशिक में स्थित हैं।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पादों के उत्पाद की प्रत्येक इकाई (वैकल्पिक) के लिए प्रयुक्त संसाधनों (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :**

   क) पिछले वर्ष की तुलना में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के स्रोत/ उत्पादन/ वितरण के दौरान हुई कमी?

   ख) पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) के प्रयोग के दौरान हुई कमी?

   वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह अनुभाग लागू नहीं है।

3. **क्या कंपनी के पास सतत सोर्सिंग (परिवहन सहित) की प्रक्रियाएं हैं? अगर हां, तो आपके निवेश का कितना प्रतिशत सतत सोर्सिंग था? उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।**

   वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण यह अनुभाग लागू नहीं है।

4. **क्या कंपनी ने स्थानीय और अपने कार्य क्षेत्र के आसपास के समुदायों सहित छोटे उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाया है? अगर हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

   वित्तीय सेवा संस्था होने के कारण माल और सेवाओं की खरीदी के सीमित अवसर हैं।

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   The bank received 187 complaints from its shareholders of which all the complaints have been resolved satisfactorily.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. **List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.**

   Mudra Loans: Under the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), Bank is giving special attention to financing non-farm enterprises engaged in manufacturing, trading and services whose credit needs are below ₹ 10.00 lakh.

   Microfinance to SHGs: The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking upon economic activity. It is financing SHGs, women SHGs more specifically for their financial security, creating awareness and overall development of the entire community. Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit.

   KRISHAK SATHI SCHEME: Scheme for Relief from private Money lender. The scheme is applicable to the farmers indebted to non-institutional lenders. Total loan amount should not exceed ₹ 50,000/-

   Mahabank Kisan Tatkal Scheme: An instant credit for farming community to meet the emergency requirements for Agriculture and Domestic purposes for tiding over temporary difficulties. Minimum limit: ₹ 5000 /- Maximum limit: ₹ 50000 /-

   MSETI: The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centers located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik.

2. **For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):**

   a) **Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?**

   b) **Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?**

   Being a financial service organization this section is not applicable.

3. **Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   Being a financial service organization this section is not applicable.

4. **Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?**

   If yes, what steps have been taken to improve the capacity and capability of local and small vendors?

   Being a financial service organization, there is limited scope to procure goods and services.

5. **क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट (waste) को पुनः चक्रित (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र है? अगर हां तो उत्पादों और अपशिष्ट को पुनः चक्रित (अलग से यथा <5%, 5-10%, >10%) करने का प्रतिशत क्या है? उसका विवरण भी लगभग 50 शब्दों में दें।**

बैंक पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) जिसमें सीसा, कैडमियम, पारा, पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) जैसे घटक मिले हों, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। अगर ऐसे ई-कचरे का निपटान उचित तरीके से नहीं किया गया तो इससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। अतः पर्यावरण को बचाने के लिए ई-कचरा नीति का कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है, जिसेका अनुसरण बैंक कड़ाईपूर्वक कर रहा है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का समर्थन करना चाहिए

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें।**

12932

2. **कृपया अस्थायी/संविदा/ आकस्मिक आधार पर बहाल किए गए कुल कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।**

2

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या सूचित करें।**

3609

4. **कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें?**

233

5. **क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कर्मचारी संस्था है?**

हां

6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संस्था के सदस्य हैं?**

अधिनिर्णयाधीन कर्मचारी यूनियन :

1. ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र इम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईबीईएफ) : 74.23%
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महा संघ (एनओबीडब्ल्यू) : 14.47%
3. बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना : 3.76%
4. महाबैंक नवनिर्माण सेना (एमएनएस) : 2.31%

अधिकारी यूनियन :

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशन : 50.52%
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स असोसिएशन : 42.26%
3. बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना : 0.36%
4. महाबैंक नवनिर्माण अधिकारी सेना : 0.15%

कृपया पिछले वर्ष के दौरान बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, अनैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या इंगित करें जो कि वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित थीं।

शून्य

7. **आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा और कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया?**

स्थायी कर्मचारी	51.84%
दिव्यांग कर्मचारी	30.47%

5. **Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

The Bank is committed towards environment protection. The Electrical and Electronic Equipment's (EEE) containing substances like lead, cadmium, mercury, polyvinyl chloride (PVC) are hazardous to human health and environment. If such e-waste is not disposed of properly, it causes harm to the environment. Thus it is very essential to implement e–waste policy for protection of environment; which Bank is following scrupulously

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

1. **Please indicate the Total number of employees**

12932

2. **Please indicate the Total number of employees hired on temporary / contractual /casual basis.**

2

3. **Please indicate the Number of permanent women employees.**

3609

4. **Please indicate the Number of permanent employees with disabilities?**

233

5. **Do you have an employee association that is recognized by management?**

Yes

6. **What percentages of your permanent employees are members of this recognized employee association?**

Award Staff Unions:

1) All India Bank of Maharashtra Employees Federation (AIBEF) : 74.23 %
2) Bank of Maharashtra Karmachari Maha Sangh (NOBW) : 14.47 %
3) Bank of Maharashtra Karmachari Sena : 3.76 %
4) Mahabank Navnirman Sena (MNS) : 2.31 %

Officers Unions:

1) Bank of Maharashtra Officers Organization : 50.52 %
2) Bank of Maharashtra Officers Association : 42.26 %
3) Bank of Maharashtra Karmachari Sena : 0.36 %
4) Mahabank Navnirman Adhikari Sena : 0.15 %

Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

NIL

7. **What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?**

Permanent Employees	51.84%
Employees with Disabilities	30.47%

सिद्धांत 4: व्यवसायों को समस्त हितधारकों, विशेष तौर पर वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों की पहचान की है?**

   बैंक ने अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान की है यथा, सरकार, बैंक/ वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू कंपनियां, ट्रस्ट, वैयक्तिक और ओवरसीज कार्पोरेट निकाय।

   आंतरिक ग्राहकों को आगे बड़े कार्पोरेट, लघु और मध्यम उद्यमों और रिटेल ग्राहकों में विभाजित किया गया है।

2. **क्या कंपनी ने उपरोक्त में से वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों की पहचान की है?**

   हां

3. **क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? अगर हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

   - बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कई पहलें की हैं।
   - बैंक हमेशा से ही कमजोर वर्ग को ऋण देने के लिए अग्रणी रहा है। कमजोर वर्ग के लिए बैंक के अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एएनबीसी के अनिवार्य 10% से अधिक है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में बैंक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। बैंक ने इन योजनाओं के लिए प्रसंस्करण शुल्क और अन्य प्रभारों से पूर्णतः छूट दी है। बैंक एमएसएमई उद्यमियों को ₹ 10.00 लाख तक के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर रहा है।
   - बैंक ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को वित्त प्रदान करने और अग्रिमों की वसूली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली शाखा के लिए भारतरत्न डॉ. बी. आर. आंबेडकर के नाम से एक रोलिंग ट्रॉफी देने और श्रेष्ठ तीन शाखाओं को नकदी पुरस्कार देने की शुरूवात की है। डॉ. बी. आर. आंबेडकर की जयंती के दिन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों द्वारा मानवाधिकारों को सम्मान और बढ़ावा दिया जाना चाहिए

1. **क्या मानवाधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों को भी कवर करती है?**

   बैंक सभी मनुष्यों को स्वतंत्र और व्यक्ति मानता है और उनके अधिकारों का सम्मान करता है। बैंक ने सुनिश्चित किया है कि कार्य स्थल पर कोई यौन उत्पीड़न न हो। बैंक ने ग्राहक शिकायत निपटान तंत्र का श्रेष्ठ कार्यान्वयन किया है जो शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करता है। बैंक ने ग्राहक सेवा में और तेजी लाने के लिए सीसीएसओ (प्रधान कार्यालय में आंतरिक लोकपाल) नियुक्त किया है।

2. **विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया?**

   बैंक को अपने शेयरधारकों से 187 शिकायतें प्राप्त हुई जिसमें से सभी शिकायतों का संतोषजनक रूप से निवारण किया गया।

सिद्धांत 6: व्यवसायों द्वारा सम्मान, संरक्षण और पर्यावरण बहाल करने का प्रयत्न करना चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्यों को भी कवर करती है?**

   यह नीति केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कवर करती है।

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. **Has the company mapped its internal and external stakeholders?**

   Bank has identified its major stakeholders as Government, Banks/Financial Institutions, Insurance Companies, Foreign Institutional Investors, Domestic Companies, Trusts, Individuals and Overseas Corporate Bodies.

   The internal customers are further segregated into the large corporates, small and medium enterprises and retail customers.

2. **Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?**

   Yes

3. **Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   - Bank has taken various initiatives to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders.
   - Bank is always in the forefront for lending to weaker sections. Bank's advances to weaker section is above mandated 10% of ANBC set by RBI. Bank is actively participating in various schemes sponsored by Government of India and various state governments. Bank has totally exempted these schemes from processing fee and other charges. Bank is extending collateral free loans to MSME entrepreneurs up to ₹ 10.00 lakh.
   - Bank has started giving one Rolling Trophy in the name of Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar to the best performing branch in extending finance and recovering advances to SC/STs beneficiaries and giving cash reward to top three performing branches. Award giving ceremony is held on the eve of birthday celebrations of Dr. B. R. Ambedkar.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. **Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?**

   Bank recognizes all human beings as free and individual and respect their rights. Bank has ensured that there is no sexual harassment at workplace. The bank has well placed customer complaint redressal mechanism which ensures fast redressal of complaints. The bank has appointed CCSO (internal ombudsman at HO) to further boost the customer service.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

   The bank received 187 complaints from its shareholders of which all the complaints have been resolved satisfactorily.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

1. **Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/others**

   The Policy covers Bank of Maharashtra only.

2. **क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मामलों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि का सामना करने के लिए रणनीतियां/ पहलें हैं? हां/ नहीं। यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक प्रदान करें।**

   हां, बैंक ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं के निवारण हेतु सूची में दिए अनुसार कुछ महत्वपूर्ण पहलें की हैं।

   - बैंक द्वारा वास्तविक यात्रा/ हार्ड कॉपी प्रेषित करने के स्थान पर वीडियो/ टेली-कॉन्फरेंसिंग, एसएमएस, ई-मेल तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
   - कागज के इस्तेमाल को कम करने के लिए बैंक द्वारा ई-संव्यवहार और ई-चैनलों जैसे पीओएस मशीन, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को अधिकतम करने का प्रयास किया जा रहा है।

3. **क्या कंपनी द्वारा संभावित पर्यावरण जोखिम की पहचान और मूल्यांकन किया गया है? हां/ नहीं**

   हां, बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूल प्रस्तावों को उचित महत्व दिया जाता है और पर्यावरण के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो सकने वाली परियोजनाओं से बचा जाता है।

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? अगर ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें। साथ ही, अगर हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है?**

   - कागजरहित बैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए बैंक इंटरनेट/ एसएमएस/ मोबाइल बैंकिंग द्वारा ई-बैंकिंग को प्रोत्साहित कर रहा है।
   - बैंक ने ई-लॉबी की स्थापना की है और अपने ग्राहकों को ई-एफडी की सुविधा प्रदान की है।
   - विक्रेताओं को एनइएफटी/ आरटीजीएस द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीक, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हां/ नहीं। अगर हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक प्रदान करें।**

   बैंक इलेक्ट्रिकल लेखापरीक्षा का आयोजन कर इलेक्ट्रिकल अपव्यय (वेस्टेज) को न्यूनतम करने के लिए प्रयासरत है।

6. **क्या रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निर्मित उत्सर्जन/ अपव्यय, सीपीसीबी/ एसपीसीबी द्वारा स्वीकार्य सीमा के भीतर है?**

   लागू नहीं

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/ एसबीसीपी से प्राप्त कारण बताओ/ विधिक नोटिस की लंबित संख्या (अर्थात जिनका संतोषजनक रूप से समाधान न हुआ हो)**

   शून्य

सिद्धांत 7: जनता को प्रभावित करने और नियामक नीति से जुड़ने पर व्यवसायों द्वारा उसे जिम्मेदारीपूर्वक निभाया जाना चाहिए

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? अगर हां, तो सिर्फ उन प्रमुख संस्थाओं का नाम बताएं जिनके साथ आप व्यापार कर रहे हैं :**

   हां। बैंक निम्नलिखित का सदस्य है-

   1) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
   2) इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग और फाइनान्स (आईआईबीएफ)
   3) इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस)
   4) नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम)
   5) नैशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई)
   6) दि क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

2. **Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

   Yes, Bank has taken certain important initiatives to address the environmental concerns as enlisted

   - Bank tries to maximize the use of technology such as video/ tele-conferencing, sms, emails rather than physical travel / sending hard copies
   - To reduce the paper consumption, Bank is trying to maximize the e-transactions and sage of e-channels such as POS machines, debit/ credit cards and internet banking.

3. **Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N**

   Yes, Bank gives due weightage to the proposals which are environment friendly and consciously avoids the projects which could be potentially hazardous to the environment.

4. **Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance report is filed?**

   - To ensure paperless banking, Bank is promoting e-banking via internet/ sms/ mobile banking.
   - Bank has established e-lobbies; has given facility of e-FD to its customers
   - The payments to the vendors are being made through NEFT/ RTGS

5. **Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc**

   The Bank strives for minimization of electrical wastage by conducting electrical audit

6. **Are the Emissions/Waste generated by the Company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?**

   Not Applicable

7. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/ SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as at end of Financial Year**

   NIL

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. **Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:**

   Yes. The Bank is a member of

   1) Indian Banks Association (IBA)
   2) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
   3) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
   4) National Institute of Bank Management (NIBM)
   5) National Payments Corporation of India (NPCI)
   6) The Clearing Corporation of India Ltd (CCIL)

2. **क्या आपने जनता की भलाई या उन्नति के लिए उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से वकालत/ पैरवी की है? हां/ नहीं, अगर हां तो व्यापक क्षेत्र (ड्रॉप बॉक्स: गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, स्थायी व्यवसाय सिद्धांत, अन्य) का विवरण दें।**

बैंक वित्तीय सेवाओं में सुधार के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ निकट समन्वय हेतु तत्पर है।

सिद्धांत 8: व्यवसायों द्वारा समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन किया जाना चाहिए।

1. **क्या बैंक के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुशीलन हेतु निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहलें/ परियोजनाएं हैं? अगर हां तो उनका ब्यौरा दें।**

कमजोर वर्गों को ऋण

बैंक द्वारा छोटे/ सीमान्त किसानों, बटाईदार, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों, स्व सहायता समूहों/ संयुक्त दायित्व समूहों को ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है।

अल्पसंख्यकों के लिए ऋण

क) अल्पसंख्यक समुदाय को निर्बाध रूप से ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने और उसकी पुनरीक्षा करने के लिए प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों की शाखाओं की पहचान कर ली गई है और अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण देने के लिए इन शाखाओं हेतु विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

ख) बैंक द्वारा महाराष्ट्र में स्थित अपने 7 महाबैंक आरसेटी के माध्यम से बेरोजगार युवकों को स्व- रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन आरसेटी के प्रभारियों को सलाह दी गई है कि वे इन संस्थाओं द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम को और अधिक प्रचारित करें और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की सहभागिता में वृद्धि करें।

ग) अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों और शहरों में स्थित शाखाओं का अभिनिर्धारण किया गया है और उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों के अग्रिम को बढ़ाने हेतु प्रयत्न की सलाह दी गई है। इसका अनुवर्तन संबंधित अंचल कार्यालयों के माध्यम से प्रधान कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

घ) क्षेत्र स्थित पदाधिकारियों को जब कभी भी प्रधान कार्यालय में प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है उन्हें अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने हेतु सजग किया जाता है।

ङ) हमने क्षेत्र स्थित पदाधिकारियों को मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा ऋण अभियान आयोजित करने और उसमें अल्पसंख्यक समुदायों और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रमुखता देने की सलाह दी है।

च) अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण पर विशेष सत्र की व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी महाविद्यालय को पत्र भेजा गया है।

एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस योजना - बेरोजगारी के मुद्दे से निपटने और कृषि क्षेत्र में नए उभरते हुए क्षेत्रों में कृषि स्नातकों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना।

2. **यौन उत्पीड़न की रोकथाम:**

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर कोई यौन उत्पीड़न न हो। कार्यस्थल पर विशेष रूप से महिला कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों के निपटान के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर उप महाप्रबंधक के पद की महिला अधिकारी की नियुक्ति की है।

3. **क्या घरेलू टीम/ स्व संस्थान/ बाह्य एनजीओ/ सरकारी संरचना/ अन्य कोई संस्थान द्वारा कार्यक्रम/ परियोजनाओं का आरंभ किया गया है?**

उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाले विशेष कक्ष द्वारा वित्तीय समावेशन का आंतरिक कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए बैंक द्वारा सभी सात अग्रणी जिलों में **वित्तीय समावेशन केन्द्रों (एफएलसी)** की स्थापना की गई है ताकि बड़ी संख्या में सामान्य बैंकिंग ज्ञान और सुविधाओं से वंचित लाभार्थियों तक पहुंच

2. **Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/ No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).**

Bank works in close coordination with the regulators and policy makers for improvement of financial services

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. **Does the company have specified programs/initiatives/ projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.**

Credit to Weaker Sections

Bank is providing credit facilities to small / marginal farmers, share cropper, landless labor, SC /ST Beneficiaries, Self Help Groups/ Joint Liability Groups.

Credit to Minorities

a) A special cell has been set up at Head Office to review and ensure smooth flow of Credit to minority community. The branches were identified in minority concentrated districts and special targets were allotted to these branches for lending to minority communities.

b) Bank has been training unemployed youth for self-employment through its 7 Mahabank RSETIs located in Maharashtra. Officers- in-charge of these RSETIs have been advised to give more publicity for the courses conducted by these institutes and to increase the participation of candidates belonging to minority communities.

c) Branches in Minority Concentrated Districts and Towns are identified and have been advised to step up efforts for increasing advances to Minority Communities. This is being followed up by Head Office through respective Zonal Offices.

d) Field functionaries are sensitised for lending to Minority Communities whenever called for training at Head Office.

e) We had advised the field functionaries to arrange Education Loan Campaign for meritorious students where focus shall be given to students of minority communities and weaker section.

f) Communication sent to Staff College to arrange special session on Credit to Minority community.

Agri Clinic Agri Business Scheme: To provide gainful employment to agriculture graduates in new emerging areas in agricultural sector & to tackle the issue of unemployment.

2. **Prevention of Sexual Harassment:**

Bank has ensured that there is no sexual harassment at workplace. For addressing issues specifically related to women employees at workplace, the Bank has appointed Lady Officer in the rank of Deputy General Manager at the Head Office level.

3. **Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?**

Financial Inclusion is being undertaken in-house through a special cell headed by the rank of Deputy General Manager

For facilitating financial inclusion programs **Financial Literacy Centres (FLCs)** are established by the Bank in all seven lead districts to access large number of beneficiaries deprived of formal Banking knowledge & facilities. Each centre is having

बनाई जा सके। प्रत्येक केन्द्र में आउटसोर्स एफएलसी प्रभारी हैं। एफएलसी प्रभारी जिले के एलडीएम के साथ समन्वय कर कार्य कर रहे हैं। एफएलसी प्रभारी ग्रामों को भेंट देते हैं, वित्तीय साक्षरता शिविर जैसे, विशेष शिविरों और लक्ष्य समूह के लिए शिविरों और जरूरतमंद किसानों को परामर्श प्रदान करना आदि का आयोजन करते हैं।

4. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आंकलन किया है?

- 31.03.2018 को बीएसबीडी खातों की शेष राशि ₹ 1687.18 रही।
- शून्य शेष खातों का प्रतिशत 31.03.2017 के 38.65% से घटकर 31.03.2018 को 31.34% हो गया है।
- व्यवसाय प्रतिनिधियों का संव्यवहार 109.75 लाख (₹ 4702.81 करोड़) से बढ़कर 110.74 लाख (₹ 5764.23 करोड़) हो गया है।
- वर्ष के दौरान आधार सीडिंग 78.45 % से बढ़कर 82.55% हो गई है।
- बैंक ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाकर 21.60 लाख ग्राहक किया है।
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 9.29 लाख खाते खोले जबकि पीएमएसबीवाई के तहत 49000 आवेदन, पीएमजेजेबीवाई के तहत 55000 और एपीवाई के तहत 45000 आवेदन प्राप्त किए।

5. समुदाय विकास परियोजना में आपकी कंपनी की प्रत्यक्ष योगदान राशि-आईएनआर में और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण दें?

पक्ष/ अंचल का नाम	प्रसंग / कार्यक्रम की प्रकृति	प्रयोजन
मेघजीभाई लेप्रोसी में शिशु विकास केंद्र	मेघजीभाई लेप्रोसी कॉलोनी मिरज में शिशु विकास केंद्र का पुनर्आरंभ	500000
ब्लाइंड ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया	दृष्टिबाधित व्यक्तियों को 125 फोल्डिंग स्टिक्स का प्रायोजन	20000
सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन	एसएचजी और कौशल विकास के माध्यम से दिव्यांग किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण पर कार्यशाला के लिए प्रायोजन	150000
बीरापानी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट	जेनेरेटर सेट हेतु	239540
मलकापुर नगर पंचायत	स्वच्छ मलकापुर अभियान का प्रयोजन	100000
डीफ एनेबल्ड फाउंडेशन	कर्णबधिर विद्यार्थियों के चित्रकारी कौशल के विकास हेतु सशक्त करने के लिए प्रायोजन	30000
नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड	दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने हेतु आयोजित कार्यक्रम का प्रायोजन	25000
केयूबीयूडी, रायपुर	कुरुड धमतरी जिला रायपुर में ग्रंथालय हेतु पुस्तकें	300000
स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज - महाराष्ट्र सरकार	बालेवाडी स्टेडियम के लिए एलईडी लाईट्स हेतु प्रायोजन	750000
शिक्षण प्रसारक मंडल, कोल्हापुर	कुरुदवाड में ग्रिड टाइल्ड सोलर फोटोवोल्टिक पॉवर सिस्टम का संस्थापन	50000
सावली पालक संघ	मानसिक विकलांग विद्यार्थियों के भोजन व स्कूल यूनिफॉर्म हेतु प्रायोजन	300000
नवभारत विकास फाउंडेशन	निःशुल्क विकास फुट (आर्टिफीशियल लिम्ब) और पोलियो कैलिपर्स शिविर के लिए प्रायोजन	100000
श्री हरिभाऊ सोनवणे चैरिटेबल ट्रस्ट	नेत्र जांच हेतु प्रायोजन	20000

outsourced In Charge FLC. In Charge FLC are functioning in co-ordination with LDM of the district. FLC in charge undertakes visits to villages, conducts financial literacy camps viz. special camps & camps for target group and imparts individual counseling to needy farmers etc.

4. Have you done any impact assessment of your initiative?

- Balance in BSBD Accounts was ₹ 1687.18 Crores as on 31.03.2018
- Percentage of Zero Balance accounts has been brought down from 38.65% as on 31.03.2017 to 31.34% as on 31.03.2018
- Transaction by business correspondents have increased from 109.75 lakhs (₹ 4702.81 Cr.) to 110.74 Lakhs (₹ 5764.23 Cr.).
- Aadhar seeding during the year improved from 78.45 % to 82.55%
- Bank has increased its social security coverage to 21.60 lakh customers.
- Bank has opened 9.29 lakhs account under PMJDY while 49000 applications have been received under PMSBY, 55000 under PMJBY and 45000 under APY.

5. What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken?

Name of Party / Zone	Event / Nature of Programme	Sponsorship
Child Development Centre in Meghjibhai Leprosy	Restarting child development centre at Meghjibai leprosy colony Miraj	500000
Blind Organization of India	Sponsorship for 125 folding sticks to Blind person	20000
Society for Disability & Rehabilitation	Sponsorship for workshop on economic empowerment of disabled farmers through skill development and SHG	150000
Birapani Educational & Welfare trust	For Generator Set	239540
Malkapur Nagar Panchayat	Sponsorship for swacha Malkapur abhiyan	100000
Deaf Enabled Foundation	Sponsorship to empower deaf students to develop their drawing skills	30000
National Federation of Blind	Sponsorship for function organised to encourage talent of blind students	25000
KUBUD, Raipur	Books for Library at Kurud Dhamtari dist. Raipur	300000
Sports & Youth services-Govt of Maharashtra	Sponsorship for LED Lights for Balewadi stadium	750000
Sikshan Prasark Mandal, kolhapur	Installation of Grid tiled solar photovoltaic power system at Kurudwad	50000
Savli Palak Sangh	Sponsorship towards school uniform and food of mentally challenged students	300000
Navbharat Vikas Foundation	Sponsorship for free vikas foot (artificial limb) and polio callipers camp	100000
Shri Haribhau sonawane charitable trust	Sponsorship for Eye check up	20000

6. **क्या आपने इस समुदाय विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? कृपया उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।**

   बैंक द्वारा दी गई राशि के इष्टतम उपयोग की जांच जमीनी स्तर पर भेंट देकर या कार्यक्रम के ऑनसाइट फोटो को देखकर की जाती है।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ संलग्न होना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/ उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है?**

   31.03.2018 को 4.64%

2. **क्या कंपनी द्वारा उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्यताओं से अधिक प्रदर्शित की जाती है? हां/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)**

   बैंक के सभी उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं से संबंधित जानकारी ग्राहकों के लिए शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है। यह बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

3. **क्या विगत पांच वर्षों में किसी हितधारक द्वारा कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/ या विरोधी-प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित कोई मामला दायर किया गया है, जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित था। अगर हां तो लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

   शून्य

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियों / ग्राहक सर्वेक्षण किया है?**

   बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित और कार्यक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है।

6. **Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.**

   End use of the funds given by Bank is verified through ground level visits or on-site photographs of the events.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. **What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.**

   4.64 % as on 31.03.2018

2. **Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)**

   Information pertaining to all the products and services offered by the Bank are made available to the branches for the customers. They are also available on Bank's website

3. **Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as at the end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so**

   NIL

4. **Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?**

   Bank gives utmost priority to providing prompt and efficient customer service to its customers.

टिप्पणियाँ
Notes

बैंक को प्राप्त पुरस्कार

Awards won by the Bank (2017-18)

- SKOCH order-of-Merit Award for implementation of Project CSMSSY-2017
- Best Performing Bank People First Campaign APY (Rajasthan) 20th Nov. - 30th Nov., 2017 by PFRDA
- Best Performing Bank People First Campaign APY (Bihar) 20th Nov. - 30th Nov., 2017 by PFRDA
- Best Performing Bank People First Campaign APY (Uttar Pradesh) 20th Nov. - 30th Nov., 2017 by PFRDA
- IBA Award Winner for the Best Financial Inclusion initiative in Medium Bank

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

आपका सहयोगी होने पर हमें गर्व है

Proud to be Associated with

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

mudra

टोल फ्री क्र./Toll-Free No.: 1800-233-4526

वेबसाइट/Website: www.bankofmaharashtra.in नेट बैंकिंग/Net Banking : https://www.mahaconnect.in